PLUTUS IAS
UPSC / PCS

PLUTUS IAS

मासिक करेंट अफेयर्स सितंबर 2025

मुख्य आकर्षण :

1. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (PMFME)
2. बर्फ के नैनोस्केल रहस्य : नैनोटेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम
3. 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र: प्रासंगिकता, संकट और आगे की राह
4. भारत का चुनाव आयोग: लोकतान्त्रिक रीढ़ को मजबूत करना
5. ई-गवर्नेंस: डिजिटल युग में शासन का रूपांतरण



2025 का समसामयिक
सफलता के सूत्र
अभ्यास ही सफलता की कुंजी है

Phone: +91 8448440231
Email: info@plutusias.com
Web: www.plutusias.com

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/OnIine/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Chandigarh



Experienced Renowned Faculties



Personalized Mentorship Programme



Notes Making & Answer Writing



Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

संपादकीय

प्रिय अभ्यर्थियों,

"यह परीक्षा मात्र प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं, बल्कि यह दृष्टिकोण, धैर्य और अनुशासन की पहचान है। अतः जो तूफानों से लड़ना जानता है, वही इतिहास में अपना नाम लिखता है।"

सिविल सेवा परीक्षा केवल एक प्रतिस्पर्धा भर नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की कसौटी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि— **"ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।"** इसी अदम्य शक्ति और संकल्प के साथ जब आप अपनी तैयारी को साधना का रूप देंगे, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।

प्लूटस आईएएस टीम द्वारा प्रस्तुत यह करेंट अफेयर्स पत्रिका इस प्रकार संकलित की गई है कि इसमें सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक दृष्टिकोण से समाहित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि यह पत्रिका न केवल आपकी तैयारी को ठोस आधार दे, बल्कि आपको समकालीन घटनाओं और उनके पीछे छिपे विमर्श को समझने की क्षमता भी प्रदान करे।

"हर दिन का छोटा प्रयास ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है।" अतः एक ओर समाचार पत्र जहाँ करेंट अफेयर्स की तैयारी का प्राथमिक स्रोत हैं, वहीं यह पत्रिका उस ज्ञान को गहराई देने वाला सहायक साधन है। आज समसामयिक घटनाएँ केवल समाचार नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैचारिक स्पष्टता, मौलिक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा का आधार बन गई हैं। अतः हमने इसे इस प्रकार तैयार किया है कि यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो।

सिविल सेवा की तैयारी केवल तथ्यों को रटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के ढंग को निखारने की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था — **"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।"** यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु याद रखें —**"संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय उतनी ही महान होगी।"**

इस परीक्षा में वही सफल होता है, जिसके पास धैर्य की शक्ति, अनुशासन की तपस्या और कर्म की निरंतरता होती है। यह पत्रिका आपको ज्ञान और दृष्टि, दोनों के संतुलन में मदद करेगी। अतः अपने मन के हर संशय और भय को दूर रखकर, मेहनत को अपना हथियार बनाइए।

"मन के हर संशय और डर को रख दूर, मेहनत को बना ले हथियार, तू ही है निर्माता, तू ही है पतवार। उठ! समय है तेरा, इतिहास रचने को हो जाओ तैयार, सिविल सेवक बन कर, देश और मानवता की सेवा को करो स्वीकार।।"

प्लूटस आईएएस टीम आपको आगामी सफलता की अग्रिम और अशेष हार्दिक शुभकामनाएँ देती है। आपके उज्जवल भविष्य के मंगलकामना के साथ आपका शुभाकांक्षी -

टीम प्लूटस आईएएस।

स्रोत:

द हिंदू | द इंडियन एक्सप्रेस | द इकोनॉमिक टाइम्स | प्रेस सूचना ब्यूरो | पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च | आईडीएसए: रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान | योजना और कुरुक्षेत्र | लोकसभा और राज्यसभा की बहसें।

Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.



सितम्बर 2025
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था (Indian Politics and Governance) :

- भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता का पद : पारदर्शिता, समानता और उत्कृष्टता के लिए सुधार.....1
- न्यायिक शक्ति का खेल (Judicial Power Play) : रोस्टर आवंटन और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका.....4
- भारतीय कदन्न या श्री अन्न की वैश्विक मान्यता : कोडेक्स एलीमेंटेरियस की मुहर.....5
- पोलावरम – बनकाचेरला अंतरराज्यीय जल विवाद : विकास बनाम अधिकार की लड़ाई.....8
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय समिति की सिफारिशें.....10
- केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत विधायक : संवैधानिक स्थिति और चुनौतियाँ.....14
- 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक 2025.....17
- नशा मुक्त भारत अभियान : एक राष्ट्रव्यापी प्रयास की पाँच वर्षों की समीक्षा.....20

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology):

- लीप बियॉन्ड : भारत की अंतरिक्ष गाथा को ऊंचा उठाना.....23
- सेमीकॉन इंडिया 2025 : सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में शक्ति का प्रदर्शन.....27
- एनआईएसएआर (NISAR) : भारत-अमेरिका रडार नेत्र पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन.....31
- अंतरिक्ष एक नया युद्धक्षेत्र : गोल्डन डोम रक्षा योजना.....33
- कवच 4.0 : भारत की विश्वस्तरीय रेल सुरक्षा में क्रांतिकारी छलांग.....37
- मिशन सुदर्शन चक्र : आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी तकनीक आधारित सुरक्षा पहल.....39

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International relations):

- टैरिफ कूटनीति : भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोर्चा.....42
- भारत–यूके द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA).....46
- भारत-अमेरिका संबंध : उभरते सामरिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम.....48
- डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रेड वॉर 2.0 : टैरिफ से परेशानी और उठते नए वैश्विक तनाव.....52
- भारत-रूस संबंध चौराहे पर: उभरती वास्तविकताओं के साथ परंपरा का संतुलन.....54
- रूसी तेल पर 50% आयात शुल्क : अमेरिका की टैरिफ नीति बनाम भारत की ऊर्जा कूटनीति.....57

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy):

- भारत के तेल और गैस क्षेत्र को पुनर्जीवित करना : अंडमान-निकोबार बेसिन में रणनीतिक प्रगति.....61
- ग्रामीण भारत का उदय : विकास, आत्मविश्वास और कनेक्टिविटी.....65
- स्वदेशी से आत्मनिर्भरता तक : भारतीय हथकरघा की यात्रा.....67
- सुधार की ओर वापसी : एक स्पष्ट आयकर कानून की राह.....73
- कृषि सशक्तिकरण : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.....75
- पीएलआई योजना(PLI SCHEME) : भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण को शक्ति प्रदान करना.....79

- भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति में परिवर्तन.....82
- RBI की वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) रणनीति : वित्तीय नवाचार या नियामकीय शिथिलता?.....86
- आयकर विधेयक 2025.....88
- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2020.....90
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना : स्वस्थ धरती – हरा खेत.....93

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

- भारत का आर्द्रभूमि पुनर्जागरण : विश्व के लिए एक आदर्श.....96
- पश्चिमी घाट के छिपे हुए खजाने : एक नई लाइकेन प्रजाति भारत की जैव विविधता संपदा में वृद्धि करती है।.....99
- भारत का गहन महासागर मिशन (IDOM) : ब्लू फ्रंटियर में एक छलांग.....103
- परिवर्तन के चक्र: हरित गतिशीलता के लिए भारत की करंट छलांग.....106
- विश्व हाथी दिवस 2025 : पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण बनाम संघर्ष.....110
- भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ जैव विविधता संरक्षण की चुनौतियाँ.....115

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति (INDIAN HISTORY, ART AND CULTURE) :

- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) : जनजातीय सशक्तिकरण और समावेशी भारत की ओर एक निर्णायक पहल.....118
- स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत : 'मेड इन इंडिया से मेड फॉर इंडिया' तक.....121



भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था

भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता का पद: पारदर्शिता, समानता और उत्कृष्टता के लिए सुधार

समाचार में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील पदनाम से संबंधित पूर्व के मामलों पर पुनर्विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। हालांकि इसे एक आंतरिक न्यायालयी मुद्दा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसने कानूनी पेशे में असमानता, अभिजात्यवाद और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत वकीलों के वर्गीकरण की निष्पक्षता पर चिंताएँ उठाईं।

संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ:

1. **धारा 16 के तहत अस्पष्ट मानदंड:** अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16, स्पष्ट कानूनी मानदंडों के बिना, "योग्यता" और "बार में स्थिति" जैसे व्यक्तिपरक शब्दों के आधार पर अधिवक्ताओं को "वरिष्ठ" और "अन्य" में वर्गीकृत करती है।

2. **अनुच्छेद 14 के अंतर्गत चिंताएं:** यह वर्गीकरण समान योग्यता वाले वकीलों के बीच असमान व्यवहार को संभव बनाकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई उचित या वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है।

3. **उचित वर्गीकरण परीक्षण में असफल:** धारा 16 तर्कसंगत भिन्नता और तर्कसंगत संबंध की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जिससे यह वर्गीकरण कानूनी रूप से संदिग्ध हो जाता है।

4. **इंदिरा जयसिंह केस (2017):** सर्वोच्च न्यायालय ने पदनाम प्रक्रिया को बरकरार रखा, लेकिन पारदर्शिता में खामियों को स्वीकार किया और निश्चित चयन समितियों और अंक-आधारित मानदंडों जैसे सुधारों की सिफारिश की।

5. **2025 में सीमित दायरा जितेंद्र फैसला:** न्यायालय ने धारा 16 की वैधता की पुनः पुष्टि की, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन नहीं किया, न ही इस मुद्दे को किसी बड़ी पीठ के पास भेजा।

6. **समानता और पहुंच पर प्रभाव:** वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दिए गए विशेषाधिकार - जैसे पूर्व-श्रोता - दूसरों को हाशिए पर डाल सकते हैं और न्याय तक समान पहुंच से समझौता कर सकते हैं।

7. **पुनः परीक्षण की आवश्यकता:** कानूनी विशेषज्ञ धारा 16 की समीक्षा का आग्रह करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानूनी पेशे में समावेशिता, निष्पक्षता और समान अवसर के आधुनिक मूल्यों के अनुरूप है।

संस्थागत और प्रक्रियात्मक मुद्दे:

1. **सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत अपारदर्शी चयन प्रक्रिया:** 2013 के सुप्रीम कोर्ट नियम (आदेश IV, नियम 2) वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए आवेदन-आधारित, बिंदु-मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और इसे विवेकाधीन माना जाता है।

2. **अस्पष्ट एवं व्यक्तिपरक मानदंड:** "बार में स्थिति" या "क्षमता" जैसे शब्द अपरिभाषित हैं, जिससे न्यायाधीशों या समितियों द्वारा व्यापक व्याख्या की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत और मनमाने निर्णय लिए जाते हैं।

3. **अत्यधिक न्यायिक विवेक:** न्यायाधीश प्रायः व्यक्तिगत परिचय, न्यायालय में उपस्थिति और प्रतिष्ठा पर निर्भर रहते हैं, तथा अनजाने में समान रूप से योग्य किन्तु कम प्रसिद्ध अधिवक्ताओं की अपेक्षा अभिजात्य शहरी परिवेश के वकीलों को तरजीह देते हैं।

4. **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव:** इस बात का सार्वजनिक खुलासा बहुत कम होता है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, अंक कैसे दिए जाते हैं, या आवेदन क्यों अस्वीकृत किए जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में विश्वास कम होता है।

5. **अभिजात्य नेटवर्क और असमान पहुंच:** शक्तिशाली चैंबरों या वरिष्ठ न्यायाधीशों से संबंध रखने वाले वकीलों को अक्सर लाभ मिलता है, जबकि निचली अदालतों या हाशिए पर पड़े समुदायों के समान रूप से सक्षम अधिवक्ताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

6. **गैर-विविध चयन समितियां:** कई चयन पैनल में जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर विविधता का अभाव है, जिससे संरचनात्मक पूर्वाग्रहों को बल मिलता है और समावेशी प्रतिनिधित्व सीमित होता है।

7. **कोई स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र नहीं:** न्यायिक नियुक्तियों के विपरीत, वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया में बाह्य समीक्षा या तीसरे पक्ष की जवाबदेही

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

का अभाव होता है, जिससे पक्षपात और संस्थागत अस्पष्टता की गुंजाइश बनी रहती है।

सामाजिक-आर्थिक और प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे:

1. **हाशिये पर पड़े समूहों का कम प्रतिनिधित्व:** वरिष्ठ अधिवक्ताओं में महिलाओं, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण पृष्ठभूमि के वकीलों का प्रतिनिधित्व काफी कम है।
2. **शहरी चिकित्सकों के प्रति पूर्वाग्रह:** दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की दृश्यता अधिक होती है, जिससे उनके पदनाम की संभावना बेहतर होती है।
3. **भाषा और स्थानीय भाषा का नुकसान:** गैर-अंग्रेजी भाषी वकीलों को प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में जहां कार्यवाही अधिकांशतः अंग्रेजी में होती है।
4. **वर्ग और जाति आधारित असमानताएँ:** अभिजात्य नेटवर्क और जातिगत विशेषाधिकार न्यायिक मान्यता और मुवक्किलों के आगमन पर हावी बने हुए हैं।
5. **आदर्शों और मार्गदर्शकों का अभाव:** हाशिये पर पड़े वकीलों के पास अक्सर ऐसे मार्गदर्शकों तक पहुंच नहीं होती जो उन्हें जटिल पेशेवर सीढ़ी पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन कर सकें।
6. **हाई-प्रोफाइल मामलों से बहिष्करण:** वरिष्ठ पदनाम से संवैधानिक या उच्च मूल्य वाले मामलों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, यह एक ऐसा चक्र है जो कई लोगों को पीछे छोड़ देता है।
7. अभिजात्यवाद के बारे में जनता की धारणा: एक स्पष्टतः विशिष्ट कानूनी पेशा न्याय प्रदान करने में विश्वास को प्रभावित करता है तथा न्यायपालिका में समावेशिता को कमजोर करता है।

शिक्षा और पहुँच बाधाएं:

1. **कानूनी शिक्षा की उच्च लागत:** शीर्ष विधि विद्यालय (एनएलयू) महंगे हैं, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं मिलता।
2. **भाषा संबंधी बाधाएं:** अंग्रेजी-केंद्रित शिक्षा स्थानीय भाषा-माध्यम विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को हाशिए पर धकेल देती है।
3. **डिजिटल और बुनियादी ढांचे का विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और शैक्षणिक सहायता का अभाव प्रतियोगी तैयारी में बाधा डालता है।
4. **एनएलयू और स्थानीय लॉ कॉलेजों के बीच असमानता:** एनएलयू स्नातकों की तुलना में क्षेत्रीय कॉलेजों के छात्रों के पास अनुभव, इंटर्नशिप और पूर्व छात्र नेटवर्क का अभाव है।
5. **कोचिंग और तैयारी में अंतराल:** प्रथम पीढ़ी या ग्रामीण शिक्षार्थियों के लिए CLAT कोचिंग या इंटर्नशिप तक पहुंच सीमित है।
6. **अपर्याप्त संकाय और प्रशिक्षण:** कई स्थानीय विधि संस्थान खराब संकाय गुणवत्ता और पुराने पाठ्यक्रम से ग्रस्त हैं।
7. **क्षमता निर्माण की आवश्यकता:** कानूनी सहायता क्लीनिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कौशल विकास कार्यक्रम शैक्षिक विभाजन को पाटने में मदद कर सकते हैं।

तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ:

1. **यूनाइटेड किंगडम - क्वीन्स काउंसल (क्यूसी):** योग्यता, नैतिकता और जनहित भागीदारी जैसे मानदंडों के साथ पारदर्शी आवेदन प्रणाली।
2. **संयुक्त राज्य अमेरिका - अनौपचारिक पदानुक्रम:** कोई औपचारिक "वरिष्ठ अधिवक्ता" का दर्जा नहीं; प्रतिष्ठा और केस इतिहास उपाधि से अधिक मायने रखते हैं।
3. **कनाडा और ऑस्ट्रेलिया:** प्रकाशित दिशा-निर्देशों और विविधता प्रतिनिधित्व वाली स्वतंत्र समितियों का उपयोग करें।
4. **सहकर्मी समीक्षा पर जोर:** कई न्यायक्षेत्रों में जवाबदेही के लिए वकीलों या ग्राहकों द्वारा बाह्य समीक्षा की जाती है।
5. **स्पष्ट मानक और सार्वजनिक प्रकटीकरण:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में स्कोर में खुलापन, चयन के कारण और मानदंडों की सार्वजनिक सूची शामिल है।
6. **विविधता लक्ष्यों का समावेश:** कुछ देशों में कानूनी सम्मान या नियुक्तियों में न्यूनतम लिंग या अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
7. **भारत के लिए सीख:** इन मॉडलों को अपनाने से विवेकाधिकार कम हो सकता है, निष्पक्षता बढ़ सकती है, तथा मान्यता तक पहुंच लोकतांत्रिक हो सकती है।

न्यायिक सुधार और नीतिगत आवश्यकताएं:

1. **स्वतंत्र चयन समिति:** संतुलित मूल्यांकन के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, शिक्षाविदों और जन प्रतिनिधियों के साथ पैनल का गठन करें।
2. **निश्चित मूल्यांकन मानदंड:** योग्यता का आकलन करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाएं - बहस किए गए मामलों की संख्या, तर्कों की गुणवत्ता, निःशुल्क कार्य, आदि।
3. **न्यायिक एकाधिकार से बचें:** निर्णय लेने की प्रक्रिया को विभिन्न संस्थाओं में फैलाकर अत्यधिक विवेकाधिकार को कम करना।
4. **नियमों की आवधिक समीक्षा:** बदलती कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में पदनाम ढांचे की समीक्षा और अद्यतनीकरण करें।
5. **विधायी बनाम न्यायिक सुधार बहस:** स्पष्ट करें कि क्या संसद को धारा 16 में संशोधन करना चाहिए या सुधार केवल न्यायपालिका पर निर्भर है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **बार काउंसिल की भूमिका:** बार काउंसिलों को न्यायसंगत नीतियां बनाने, परिणामों की निगरानी करने और बहिष्करण पैटर्न की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना।

7. **राष्ट्रीय दिशानिर्देश अपनाएं:** एक केंद्रीय ढांचे के माध्यम से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में एकरूपता लाना।

नैतिक और व्यावसायिक विचार:

1. **योग्यता बनाम शक्ति से निकटता:** पदनाम में कानूनी उत्कृष्टता प्रतिबिंबित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत संबंध या दृश्यता।

2. **विकृत ग्राहक धारणाएँ:** ग्राहक अक्सर वास्तविक योग्यता की परवाह किए बिना वरिष्ठता को गुणवत्ता के बराबर मान लेते हैं, जिससे निष्पक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है।

3. **शुल्क असमानताएं और पहुंच संबंधी मुद्दे:** वरिष्ठ अधिवक्ता अत्यधिक उच्च शुल्क लेते हैं, जिससे सामान्य वादियों के लिए उनकी उपलब्धता सीमित हो जाती है।

4. **प्रदर्शन से अधिक प्रतिष्ठा:** यह उपाधि कभी-कभी निरंतर प्रदर्शन या सार्वजनिक सेवा की तुलना में धारणा को पुरस्कृत करती है।

5. **समान अवसर की भावना का ह्रास:** वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दी जाने वाली तरजीही व्यवस्था, समान कानूनी पेशे की नींव को कमजोर करती है।

6. **वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी:** उन्हें जूनियरों को मार्गदर्शन देना चाहिए, निःशुल्क कार्य करना चाहिए तथा पेशे में विविधता लाने में मदद करनी चाहिए।

7. **आचार संहिता की आवश्यकता:**वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए निष्पक्षता, समावेशिता और ग्राहक सुलभता के संबंध में नैतिक मानकों का परिचय दें।

आगे की राह:

1. **पारदर्शी, योग्यता-आधारित मानदंड:** वरिष्ठ पद हेतु आवेदनों का एकसमान एवं मापनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

2. **विविध चयन समितियाँ:** समावेशी निर्णय सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, हाशिए पर पड़े समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करें।

3. **क्षेत्रीय प्रतिभा को समान मान्यता:** ट्रायल कोर्ट और क्षेत्रीय बेंचों से उच्च गुणवत्ता वाले वकीलों को मान्यता देना।

4. **क्षेत्रीय कानूनी शिक्षा को मजबूत करना:** क्षेत्रीय विधि विद्यालयों, छात्रवृत्तियों और कौशल-आधारित स्थानीय भाषा कार्यक्रमों में निवेश करें।

5. **सार्वजनिक प्रकटीकरण और जवाबदेही:** जनता का विश्वास बनाने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों और परिणामों को पारदर्शी बनाएं।

6. **आवधिक समीक्षा तंत्र:** प्रत्येक कुछ वर्षों में वरिष्ठ अधिवक्ता की स्थिति की समीक्षा और पुनर्वैधीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करें।

7. **न्यायिक और विधायी तालमेल:** कानूनी मान्यता को संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए न्यायपालिका और विधायिका के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति, कानूनी उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब यह एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो अस्पष्टता, अभिजात्यवाद और संरचनात्मक असमानता से ग्रस्त है। पर्याप्त जाँच-पड़ताल के बिना न्यायिक विवेकाधिकार, पारदर्शिता का अभाव और विविध आवाज़ों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व गंभीर संवैधानिक और संस्थागत चिंताएँ पैदा करते हैं। हालाँकि अदालतों ने कुछ खामियों को स्वीकार किया है, फिर भी सार्थक सुधार अभी भी अपेक्षित है। समानता और न्याय तक पहुँच के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी, समावेशी और योग्यता-आधारित प्रणाली—न्यायिक जवाबदेही, विविध प्रतिनिधित्व और शैक्षिक उत्थान द्वारा समर्थित—आवश्यक है। इस ढाँचे पर पुनर्विचार न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता भी है।

प्रारंभिक प्रश्न

Q1. भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अधिवक्ताओं को वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्ताओं के रूप में वर्गीकृत करने का प्रावधान है।
2. वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है।
3. पदनाम की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत एक अंक-आधारित प्रणाली शामिल है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q1. भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शिता की कमी, संस्थागत पूर्वाग्रह और हाशिए पर पड़े समूहों के कम प्रतिनिधित्व के कारण आलोचना का शिकार रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी ढाँचे, चुनौतियों और सुधारों की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

न्यायिक शक्ति का खेल (Judicial Power Play): रोस्टर आवंटन और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

समाचार में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हाल ही में दिए गए एक "बेतुके" (absurd) आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई फटकार ने उच्च न्यायालयों के आंतरिक कामकाज में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की सीमा, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' की शक्तियों के संबंध में, पर बहस को फिर से छेड़ दिया है। इससे न्यायिक स्वतंत्रता, पदानुक्रम और अनुच्छेद 141 व 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे पर संवैधानिक प्रश्न उठते हैं।



पृष्ठभूमि

1. **घटना:** न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक विवादित फैसले के बाद आदेश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को केवल एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ नियुक्त किया जाए और सेवानिवृत्ति तक आपराधिक मामलों की सूची से बाहर रखा जाए।

2. **प्रतिक्रिया:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और बार के कुछ वर्गों ने इस पर चिंता व्यक्त की तथा इसे मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप माना।

3. **अनुवर्ती स्पष्टीकरण:** मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के संचार के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश को संशोधित किया, तथा स्पष्ट किया कि उसका 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' सिद्धांत को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं था।

प्रमुख संवैधानिक और न्यायिक अवधारणाएँ

1. **रोस्टर का मास्टर**

अर्थ: मुख्य न्यायाधीश (सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट) का एकमात्र प्रशासनिक अधिकार पीठों का गठन करना, मामलों का आवंटन करना और न्यायिक कार्य वितरण का निर्धारण करना है।

महत्वपूर्ण निर्णय :राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1998) – केवल मुख्य न्यायाधीश ही पीठ के गठन और मामले के आवंटन का निर्णय लेते हैं।

राजस्थान राज्य बनाम देवी दयाल (1959)–मुख्य न्यायाधीश एकल न्यायाधीश या खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करता है।

मायावरम वित्तीय निगम (मद्रास उच्च न्यायालय, 1991) - मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक कार्य सौंपने का अंतर्निहित अधिकार है।

2. **न्यायिक पदानुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति**

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

अनुच्छेद 142: यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रक्रियागत सीमाओं से परे भी "पूर्ण न्याय" के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

तिरूपति बालाजी डेवलपर्स (2004) –न्यायिक कार्यप्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय को "बड़ा भाई" बताया गया है, लेकिन उच्च न्यायालयों पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

3. **न्यायिक स्वतंत्रता और निगरानी:** उच्च न्यायालयों को संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन वे एकीकृत न्यायिक ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय को केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, जहां कानून का शासन खतरे में हो।

उभरते हुए मुख्य मुद्दे

1. **सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विस्तार:** क्या सर्वोच्च न्यायालय रोस्टर आवंटन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक विशेषाधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्देश वैध रूप से दे सकता है?

2. **मानक बनाए रखना बनाम स्वायत्तता:** उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना न्यायिक अनुशासन कैसे सुनिश्चित किया जाए।

3. **अनुच्छेद 142 का उपयोग:** क्या बार-बार होने वाली न्यायिक त्रुटियों से बचने के लिए निवारक प्रशासनिक कदम इसके दायरे में आते हैं।

4. **शक्तियों का आंतरिक न्यायिक पृथक्करण:** संस्थागत समानता के साथ पदानुक्रम को संतुलित करना।

आंतरिक प्रक्रियाएं बनाम सार्वजनिक हस्तक्षेप

औपचारिक मार्ग:

गंभीर कदाचार या अक्षमता के लिए संसद द्वारा महाभियोग।

कम गंभीर मामलों के लिए आंतरिक जांच।

SC का दृष्टिकोण:

मामले को गोपनीय तरीके से संबोधित करने के बजाय खुली अदालत में सार्वजनिक निर्देश जारी किया गया।

इसका उद्देश्य सुधारात्मक कार्य करना था - मार्गदर्शन और बेंच पेयरिंग के माध्यम से - न कि दंडात्मक तरीके से पद से हटाना।

आगे की राह :

1. **स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करें:** उन स्थितियों को परिभाषित करें जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्तता का उल्लंघन किए बिना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

2. **आंतरिक तंत्र को मजबूत करना:** ऐसे मामलों को गोपनीय तरीके से निपटाने के लिए आंतरिक शिकायत एवं सुधारात्मक प्रक्रियाओं में सुधार करें।

3. **न्यायाधीशों के लिए क्षमता निर्माण:** विशेष रूप से संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, सहकर्मी समीक्षा और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करें।

4. **भूमिकाओं के लिए पारस्परिक सम्मान:** न्याय के हित में कार्य करने की सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति को मान्यता देते हुए रोस्टरों पर मुख्य न्यायाधीश का नियंत्रण बनाए रखें।

निष्कर्ष :

'मास्टर ऑफ द रोस्टर' नियम भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मामलों का आवंटन बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। हालाँकि, इसे सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जा सकता जब कोई असाधारण स्थिति न्यायपालिका की विश्वसनीयता या कानूनी मानकों की एकरूपता को खतरे में डालती है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को एक दुर्लभ और शक्तिशाली सुधारात्मक उपकरण प्रदान करता है - लेकिन इसका प्रयोग संयम के साथ, संस्थागत सामंजस्य और संवैधानिक सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हुए किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

Q1. भारतीय न्यायपालिका में "मास्टर ऑफ द रोस्टर" सिद्धांत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों को बेंचों को सौंपने का अधिकार देता है।
2. यह न्यायिक घोषणाओं पर आधारित है और संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
3. केवल मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के) के पास पीठ गठित करने और मामलों का आवंटन करने का विशेष अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. केवल 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q1. भारत में 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' सिद्धांत के संवैधानिक आधार, न्यायिक उदाहरणों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। हाल के विवादों के आलोक में, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक स्वतंत्रता को कम किए बिना उच्च न्यायालयों के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है।

(250 शब्द, 15 अंक)

भारतीय कदन्न या श्री अन्न की वैश्विक मान्यता : कोडेक्स एलीमेंटेरियस की मुहर

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत द्वारा संपूर्ण कदन्न (मिलेट्स) या मोटे अनाजों के लिए समूहात्मक रूप में मानक विकसित करने में निभाई गई अग्रणी भूमिका की सराहना कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (CAC) की 88वीं कार्यकारी समिति की बैठक 2025 में, जो इटली के रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया।

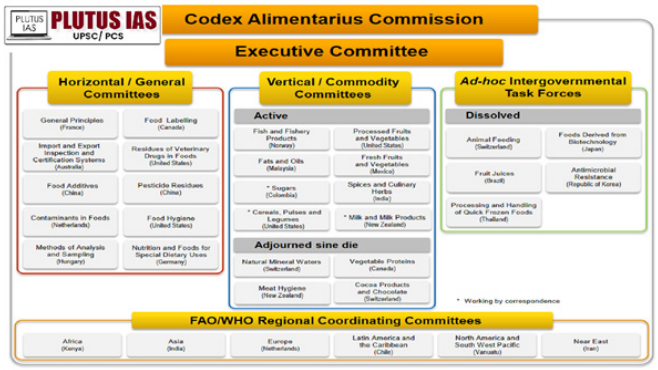


कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) :

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है।
- इस निकाय का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं की सुनिश्चितता को तय करना है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मई 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation - FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- इसके तहत विभिन्न खाद्य मानक, दिशा-निर्देश, और अभ्यास संहिताएं तैयार की जाती हैं।
- इसके तहत तय किए गए मानकों और संहिताएं आमतौर पर स्वच्छता अभ्यास, लेबलिंग, संदूषक, योजक, निरीक्षण, प्रमाणन, पोषण, और पशु चिकित्सा दवाओं और कीटनाशकों के अवशेषों से निपटने के लिए लागू होती हैं।
- वर्तमान में CAC में कुल 189 सदस्य हैं, जिसमें 188 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- भारत सन 1964 में CAC का सदस्य बना था।
- कोडेक्स के तहत कमोडिटी मानक विशिष्ट उत्पादों को संदर्भित करते हैं, जबकि क्षेत्रीय मानक संबंधित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

CAC की 88वीं कार्यकारी समिति (CCEXEC) की बैठक :

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के CEO के नेतृत्व में भारत ने रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के वर्तमान बैठक में सक्रिय रूप से भागीदारी की।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के 88वीं कार्यकारी समिति की बैठक 2025 के दौरान, भारत ने छोटी इलायची, हल्दी और वेनिला सहित विभिन्न मसालों के मनको के विकास के लिए जोरदार समर्थन किया।
- CCEXEC का प्रमुख कार्य नए कार्य प्रस्तावों की समीक्षा और मानक विकास की प्रगति की निगरानी करना है।



- यह पहल भारत के लिए विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि भारत इन मसालों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। अतः इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी होगी।
- इसके अलावा, भारत ने वनस्पति तेलों के लिए मानकों की प्रगति, शिगा टॉक्सिन उत्पादन करने वाले एस्चेरिचिया कोलाई (Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli) के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देशों, और खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः उपयोग का समर्थन किया।
- भारत ने खाद्य पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों के उपयोग से संबंधित खाद्य सुरक्षा विचारों पर कोडेक्स द्वारा एक मार्गदर्शन विकसित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।
- यह पहल जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अंततः, भारत ने खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए पोस्ट उपभोक्ता PET (पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट) के पुनर्चक्रण पर FSSAI द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों के साथ अपने अनुभव साझा किए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) :



- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।

- भारत में इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।
- यह निकाय भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- यह भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित तथा पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्द्धन के लिए एक जिम्मेदार निकाय है।
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में स्थित है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है।
- FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की भी जाँच करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मानकों का निर्माण करना है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करने के माध्यम से मानव-उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है।

कदन्न : भविष्य की पोषणयुक्त फसलें और सतत कृषि का एक समग्र समाधान :

- परिचय : कदन्न, जिन्हें पारंपरिक रूप से 'श्री अन्न' के नाम से जाना जाता है, छोटे आकार के अनाज हैं जो खरीफ मौसम में उगाए जाते हैं। ये फसलें घास कुल (पोएसी) से संबंधित हैं और कम जलवायु संसाधनों में भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। इनकी बहुउपयोगिता, पोषण मूल्य और पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण ये फिर से वैश्विक कृषि चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।

पोषण और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टिकोण से इसका महत्व :

- कदन्न गेहूँ और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक हैं। ये प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक और बी-विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये ग्लूटेन-फ्री होते हैं, जिससे ये मधुमेह और सीलिएक रोगियों के लिये एक बेहतरीन विकल्प बनते हैं।

कदन्न उत्पादन में भारत की वैश्विक भूमिका :

- भारत ने कदन्नों के महत्व को विश्व मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया। यह कदम न केवल भारत की कूटनीतिक सफलता दर्शाता है, बल्कि पारंपरिक कृषि ज्ञान के वैश्वीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल भी है।

कदन्न का गुणवत्ता मानक और भारत में उत्पादन की स्थिति :

- FSSAI ने कदन्नों के लिए व्यापक गुणवत्ता मानक तय किए हैं, जो न केवल घरेलू उपभोग हेतु आवश्यक हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी अहम हैं।
- भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 38.4% का योगदान देता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।
- निर्यात और आर्थिक योगदान वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 1.46 लाख मीट्रिक टन बाजरा निर्यात कर 70.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। इसके प्रमुख खरीदार देश यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, जापान और नेपाल हैं, जो दर्शाता है कि कदन्न न केवल पोषण का माध्यम हैं बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन का स्रोत भी बन चुके हैं।

कदन्नों के प्रसार में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें :

भारत सरकार ने कदन्नों के प्रसार हेतु अनेक योजनाएं लागू की हैं। जो निम्नलिखित है -

- PLISMBP (2022–2027) : कदन्न-आधारित रेडी-टू-ईट/रेडी-टू-कुक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
- NFSM उप-मिशन : भारत सरकार द्वारा 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों को बीज, उपकरण और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- पोषण योजनाएं : TPDS, ICDS, मिड-डे मील और पोषण अभियान में कदन्नों को सम्मिलित किया गया है ताकि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- FSSAI का 'ईट राइट' अभियान : संतुलित आहार के अंग के रूप में कदन्नों की भूमिका पर बल देता है।
- RKVY और राज्य स्तरीय मिशन : विभिन्न राज्यों को उनकी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार कदन्न के प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय मानक निर्माण में भारत की भागीदारी :

- भारत ने कोडेक्स अलिमेंटेरियस आयोग (Codex Alimentarius Commission - CAC) के साथ मिलकर वैश्विक खाद्य

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मानकों के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। मसालों और पाक जड़ी-बूटियों पर समिति की अध्यक्षता करने के अलावा भारत अब कदन्न और ताजे खजूर के वैश्विक मानक विकसित करने की अगुवाई भी कर रहा है। हल्दी और ब्रोकली जैसे उत्पादों के लिये भी मानक तय करने की दिशा में भारत अग्रणी और नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है।

निष्कर्ष :

- कदन्न केवल पारंपरिक भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सतत कृषि, पोषण सुरक्षा और आर्थिक विकास की दिशा में एक समग्र समाधान हैं।
- भारत ने न केवल इन फसलों की खेती और उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि वैश्विक मंचों पर इनके महत्व को स्थापित कर उन्हें 'भविष्य के अनाज' के रूप में मान्यता दिलाई है।
- आने वाले वर्षों में भारत की नीतियाँ और पहलें कदन्नों को कृषि और आहार प्रणाली का मजबूत स्तंभ बना सकती हैं।

स्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के उपयोग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए WTO किसके साथ सहयोग करता है? (UPSC - 2018)

A. खाद्य सुरक्षा मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन।

B. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स यूजर्स।

C. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।

D. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

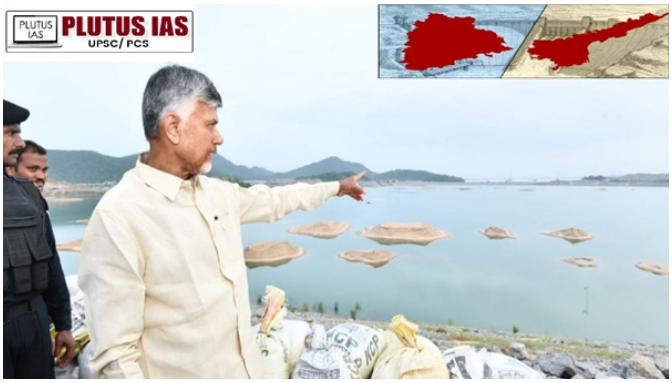
Q1. भारत की पोषण नीतियों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में बाजरा के समावेश की प्रासंगिकता और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

Q2. भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ क्या है और भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनाई गई मुख्य नीतियों का विस्तारपूर्वक एवं तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। (UPSC CSE - 2019 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



पोलावरम - बनकाचेरला अंतर्राज्यीय जल विवाद : विकास बनाम अधिकार की लड़ाई

ख़बरों में क्यों ?



- हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवादों के समाधान के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार द्वारा यह कदम खासकर पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) और कृष्णा-गोदावरी नदियों के जल बँटवारे को लेकर पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- इस विवाद की जड़ें दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों पर अधिकार, उसके आपस में वितरण, और परियोजनाओं की वैधता को लेकर गहरे मतभेदों में हैं, जो कानूनी, पर्यावरणीय और संघीय स्तर पर जटिलताओं को जन्म दे रहा है।

पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) से संबंधित विवाद की पृष्ठभूमि क्या है?

- यह परियोजना गोदावरी नदी के बाढ़ के अतिरिक्त जल को कृष्णा और पेन्ना नदियों की ओर मोड़कर रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या को कम करने का प्रयास है। योजना

के अंतर्गत गोदावरी के अतिरिक्त जल को पोलावरम बांध से निकालकर प्रकाशम बैराज और बोलापल्ली जलाशय के जरिए सुरंग के माध्यम से बनकाचेरला जलाशय तक पहुँचाया जाएगा। इससे दक्षिण आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता बढ़ाने की उम्मीद है।



पोलावरम- बनकाचेरला परियोजना विवाद का प्रमुख कारण :

1. **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन होना :** तेलंगाना का आरोप है कि आंध्र प्रदेश ने बिना केंद्र, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और केंद्रीय जल आयोग (CWC) की मंजूरी के इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। अधिनियम के तहत ऐसे किसी भी अंतर-राज्यीय नदी परियोजना के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

2. **अतिरिक्त जल की सीमा पर विवाद :** आंध्र प्रदेश ने गोदावरी से 200 TMC अतिरिक्त जल का दावा किया है, जिसे तेलंगाना ने मान्यता नहीं दी है। तेलंगाना का तर्क है कि इस दावे को किसी सक्षम अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

3. **पर्यावरणीय और अनुमतियों से जुड़ी चिंताएँ :** पर्यावरण विशेषज्ञ समिति ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डूब क्षेत्र विवाद के कारण परियोजना की पुनः पर्यावरणीय समीक्षा और केंद्रीय जल आयोग से परामर्श की मांग की है।

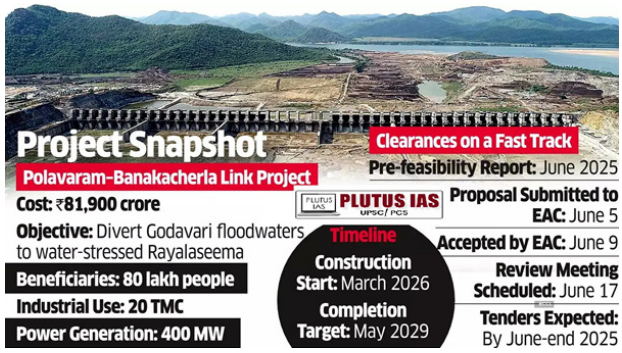
4. **जलांतरण से संबंधित अधिकार विवाद की मूल जड़ :** तेलंगाना का कहना है कि बिना आपसी सहमति के गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन में स्थानांतरित करना उसकी परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता को प्रभावित करेगा।

5. **सहकारी संघवाद का उल्लंघन का मामला होना :** तेलंगाना के मुताबिक, आंध्र प्रदेश की एकपक्षीय पहल साझा संसाधनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक आपसी सहमति के सिद्धांत के खिलाफ है।

भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु मौजूद कानूनी और संवैधानिक तंत्र :

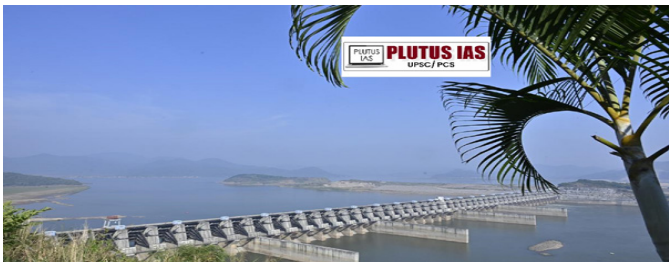
- **अनुच्छेद 262** संसद को अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों के लिए कानून बना सके और विवादों का निपटारा कर सके।
- **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** केंद्र को राज्यों से परामर्श कर नदी बोर्ड बनाने का अधिकार देता है, लेकिन अब तक कोई बोर्ड नहीं बना है।
- **अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** विवाद समाधान के लिए केंद्र सरकार वार्ता करती है, फिर विवाद न सुलझने पर जल विवाद अधिकरण गठित किया जाता है, जिसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका** विवादों में न्यायालय का हस्तक्षेप अनुच्छेद 262 के दायरे में सीमित होते हुए भी होता रहा है, जैसे महादयी जल विवाद (2018) सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच जल आवंटन को सुलझाया तथा अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन का निर्देश दिया है।

भारत के विभिन्न राज्यों में आपस में जल विवाद के समाधान में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ :



- **निर्णय प्रक्रिया में देरी का होना :** जल विवाद अधिकरणों के फैसलों में दशकों लग जाते हैं, जिससे विवाद लंबित रहता है।
- **विश्वसनीय जल डेटा आंकड़ों का अभाव होना :** राज्यों के द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों में भारी मतभेद होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र, विश्वसनीय जल आंकड़ों का अभाव है।
- **कानूनी जटिलताओं का होना :** अनुच्छेद 262 के बावजूद न्यायालयों का हस्तक्षेप विवादों को और जटिल बनाता है।
- **निर्णय के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख अड़चनों का होना :** अधिकरण के आदेशों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करने में विलंब होता है, जिससे विवाद अनसुलझे बने रहते हैं।

समाधान की राह :



1. **समयबद्ध न्यायनिर्णय और स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की आवश्यकता :** विवादों के समाधान के लिए एक निश्चित समय सीमा और विशेषज्ञों सहित एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना आवश्यक है।

2. **विश्वसनीय और पारदर्शी जल डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करने की जरूरत :** एक स्वतंत्र नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कर वास्तविक समय के जल आंकड़ों का संकलन और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

3. **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की जरूरत :** राज्यों के बीच संवाद और विश्वास स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

4. **परियोजनाओं की वैधता को अनिवार्य और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की जरूरत :** परियोजनाओं की योजना, स्वीकृति और क्रियान्वयन में सभी पक्षों की सहमति और कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

निष्कर्ष :

1. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना एवं जल संसाधन विवाद केवल दो राज्यों का मामला नहीं है, बल्कि भारत में संघीयता, संसाधन प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं का दर्पण है।

2. इस विवाद के समाधान के लिए संवैधानिक, कानूनी और तकनीकी दृष्टिकोणों को एक साथ लाना होगा तथा सभी हितधारकों की सहमति और सहभागिता आवश्यक है।

3. देश में सभी अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सहमति की जरूरत है, तभी देश में विभिन्न जल - परियोजनाओं के लिए साझा संसाधनों के न्यायसंगत और सतत प्रबंधन की दिशा में सार्थक प्रगति हो सकेगी।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह परियोजना गोदावरी नदी के अतिरिक्त जल को कृष्णा और पेन्ना नदियों की ओर मोड़ने का प्रयास है।
2. यह परियोजना केवल तेलंगाना के शुष्क क्षेत्रों के लिए लाभकारी है।
3. इस परियोजना के द्वारा पोलावरम बांध से जल को बनकाचेरला जलाशय तक सुरंगों के माध्यम से पहुँचाने की योजना है।
4. इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग की पूर्व अनुमति से ही प्रारंभ की गई थी।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है/ हैं ?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - A

व्याख्या :

- यह परियोजना गोदावरी के अतिरिक्त जल को रायलसीमा जैसे सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की योजना है। कथन 2 और 4 गलत हैं, क्योंकि यह परियोजना केवल तेलंगाना के लिए नहीं, बल्कि आंध्र के लिए प्रस्तावित है, और बिना CWC की अनुमति के आगे बढ़ाई गई थी।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) से जुड़ा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल विवाद किस कारण उत्पन्न हुआ है? चर्चा कीजिए किभारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु मौजूदा संवैधानिक व कानूनी तंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ तथा उसके समाधान की राह क्या हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



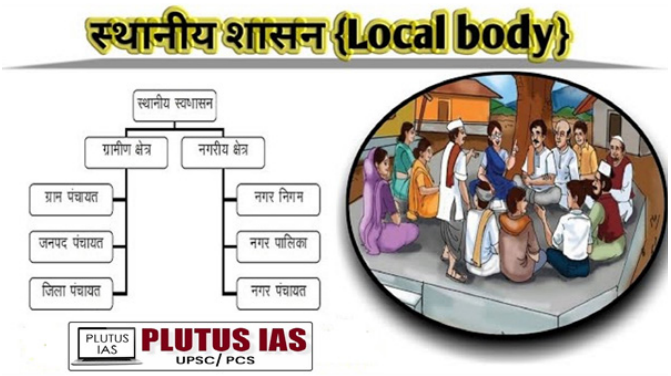
ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय समिति की सिफारिशें

खबरों में क्यों?

- हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने देश भर में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित धन में हो रही लगातार गिरावट और कटौती पर अपनी चिंता जताई है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि

तुरंत कदम उठाकर ग्रामीण स्थानीय निकायों को पर्याप्त, असंबद्ध और प्रदर्शन आधारित निधि उपलब्ध कराई जाए।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोत :



ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधनों के कई स्रोत होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

1. **स्वयं के संसाधनों से प्राप्त राजस्व (Own Source Revenue – OSR) :** पंचायतें अपने स्थानीय संसाधनों से कुछ हद तक राजस्व जुटाती हैं। इनमें संपत्ति कर, वाहन कर जैसी कर आधारित आय शामिल है। इसके अलावा, गैर-कर राजस्व जैसे लाइसेंसिंग शुल्क, जल आपूर्ति शुल्क, जुर्माने और उपयोगकर्ता शुल्क से भी कुछ वित्तीय योगदान मिलता है। हालांकि, यह आय सीमित है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक पंचायत केवल लगभग 21,000 रुपए करों और 73,000 रुपए गैर-कर स्रोतों से जुटा पाती है।

2. **साझा/आवंटित राजस्व (Shared Revenue) :** राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को आवंटित किया जाता है। इसमें स्थानीय उपकर, मनोरंजन कर, सामाजिक वानिकी से प्राप्त खनन रॉयल्टी, पट्टा आय आदि शामिल हैं। यह साझा राजस्व पंचायतों की आय का लगभग एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

3. **केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (CFC Grants) :** पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य वित्तीय स्रोत केंद्र सरकार होती है, जो वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान प्रदान करती है। यह अनुदान बंधित (tied) और असंबद्ध (untied) दोनों प्रकार का होता है। असंबद्ध अनुदान पंचायतों को स्वतंत्र निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि बंधित अनुदान योजनाओं के लिए निर्धारित उद्देश्यों पर खर्च होता है।

4. **राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान (State Government Grants) एवं केंद्र-राज्य द्वारा संचालित योजनाएँ :** राज्य वित्त आयोग की सिफारिश और राज्य सरकार की नीति के तहत पंचायतों को अतिरिक्त निधियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषित योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) आदि के लिए भी पंचायतों को निधि प्रदान की जाती है।

5. **विशेष अनुदान (Special Grants) :** इसमें सांसद/विधायक क्षेत्र विकास योजना (MPLADS), पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष (BRGF) जैसी योजनाएँ शामिल हैं। ये अनुदान विशेष उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं और पंचायतों की समग्र वित्तीय जरूरतों को पूरक सहायता प्रदान करते हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियाँ और समस्याएँ :

1. **पंचायतों के आवंटन में कमी या गिरावट आना :** स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि पंचायती राज संस्थाओं को लगातार कम होती निधि मिलने से उनके संवैधानिक कर्तव्य निभाने में कठिनाई आती है। इससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण प्रभावित होता है और स्थानीय विकास कार्य बाधित हो जाते हैं।

2. **सामाजिक ऑडिट और पारदर्शिता की कमी होना :** वर्ष 2024 की रिपोर्ट में ग्राम सभा में कम भागीदारी, सीमित सामाजिक ऑडिट और अपर्याप्त वित्तीय प्रकटीकरण जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है। इससे पंचायतों की निगरानी और जवाबदेही कमजोर होती है।

3. **राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन में देरी होना :** राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी और उनका सीमित प्रभाव पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को प्रभावित करता है। समिति ने पाया कि केवल 25 राज्यों ने SFC गठित किया है, जबकि केवल 9 राज्यों ने 6वाँ SFC सक्रिय किया है। पंजाब और तमिलनाडु में SFC का पालन मजबूत है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और तेलंगाना में कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) में देरी देखी गई।

4. **स्थानीय ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ होना :** बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में कटौती से पंचायतों की स्थानीय विकास आवश्यकताएँ प्रभावित होती हैं। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, सड़क निर्माण और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में संकट पैदा करता है।

5. **संस्थागत कमजोरियाँ :** SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन से नेतृत्व की निरंतरता में बाधा आती है। ज़िला योजना समितियाँ (DPCs) मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर है। निर्वाचित प्रतिनिधि पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना शासन, बजट और योजना निर्माण में भाग लेते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति (2024 रिपोर्ट) :

2024 की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक असंतुलित और बाह्य सहायता पर निर्भर है:

- **स्व-राजस्व :** केवल 1% आय स्थानीय करों से प्राप्त होती है।

- **अनुदान पर निर्भरता :** लगभग 95% आय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई निधियों से आती है।
- **प्रति पंचायत राजस्व :** कर से लगभग 21,000 रुपए, गैर-कर स्रोत से 73,000 रुपए।
- **केंद्र और राज्य अनुदान :** केंद्र सरकार लगभग 17 लाख रुपए प्रति पंचायत देती है, जबकि राज्य सरकार 3.25 लाख रुपए।
- **राजस्व व्यय अनुपात :** प्रति राज्य GSDP के मुकाबले 0.6% से भी कम, बिहार में 0.001% से लेकर ओडिशा में 0.56% तक।
- **राज्यवार असमानताएँ :** केरल और पश्चिम बंगाल में राजस्व उच्च (60 लाख और 57 लाख रुपए), आंध्र प्रदेश और पंजाब में बहुत कम (6 लाख रुपए से कम)।
- इस आंकड़े से स्पष्ट है कि अधिकांश पंचायतें वित्तीय रूप से कमजोर हैं और उनके विकास कार्य बाहरी अनुदानों पर निर्भर हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की सुधार की दिशा :



1. **प्रदर्शन आधारित निधि / संसाधन आवंटन की आवश्यकता :** पंचायतों को पर्याप्त, असंबद्ध और प्रदर्शन आधारित निधि दी जानी चाहिए। इससे उन्हें स्थानीय विकास के निर्णय लेने की स्वतंत्रता और वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
2. **स्थानीय करों के माध्यम से राजस्व वृद्धि करने की जरूरत :** पंचायतों को स्थानीय कर और शुल्क संग्रह बढ़ाने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देनी होगी।
3. **निधि आवंटन में सुधार की जरूरत :** पंचायती राज मंत्रालय को वित्त मंत्रालय और पंद्रहवें वित्त आयोग के साथ समन्वय करके निधि आवंटन में कमी को तत्काल दूर करना चाहिए। सुसंगत और असंबद्ध वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
4. **राज्य वित्त आयोग (SFC) का सक्रिय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत :** राज्यों को SFC की स्थापना और नियमित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। ATR (Action Taken Report) समय पर प्रस्तुत करनी चाहिए।
5. **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** पंचायतों को निधियों के डायवर्जन से बचाने के लिए डिजिटल ऑडिट, RTI प्रकटीकरण और मजबूत खरीद प्रक्रियाएँ लागू करनी होंगी।
6. **डिजिटल अवसंरचना में सुधार करने एवं उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत :** वर्तमान समय में ई-पंचायतों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण निकायों को ऑटोमेशन की दिशा में लाया गया है। इससे सरकारी योजनाओं तक पहुँच आसान हुई है, बेहतर शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

पंचायती राज का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व :

- 1950 के दशक में हिंदी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी कहानी 'पंचलाइट' में उस समय के ग्रामीण भारत का चित्रण किया था, जहाँ अधिकांश घरों में बिजली नहीं थी और लोग छोटे दीपक या पेट्रोमैक्स का उपयोग करते थे। पंचायत ही ऐसे संसाधनों की व्यवस्था करती थी।
- आज पंचायती राज व्यवस्था के संस्थागतरण ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया है। 1993 के 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अधिकार, जिम्मेदारी और संसाधन प्रदान किए, जिससे स्थानीय शासन की लोकतांत्रिक त्रि-स्तरीय प्रणाली सुदृढ़ हुई।



- आज पंचायतें न केवल योजना और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, बल्कि स्थानीय संसाधनों की पहचान और उनका समुचित उपयोग भी करती हैं। ये संस्थाएँ ग्राम स्वराज के महात्मा गांधी के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग से ई-पंचायतों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण निकायों को स्वचालित किया गया है, जिससे बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
- पंचायती राज मंत्रालय लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि पंचायतें सशक्त, समावेशी और समुदाय-केन्द्रित योजना प्रक्रिया के माध्यम से अपने क्षेत्र का समग्र विकास कर सकें। वित्तीय सुधार, डिजिटल अवसंरचना, प्रदर्शन-आधारित निधि आवंटन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय पंचायती राज संस्थाओं की दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

- इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता और संस्थागत मजबूती ग्रामीण भारत के समग्र विकास की आधारशिला है। समय पर वित्तीय हस्तांतरण, स्थानीय कर राजस्व सृजन, पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल प्रशासन पंचायतों को सशक्त बनाते हैं और उन्हें वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर, विकेंद्रीकृत और सक्षम शासन इकाई के रूप में स्थापित करते हैं।

निष्कर्ष :

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सशक्तता और प्रभावी कार्यान्वयन ग्रामीण विकास की नींव हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है:

- समय पर और पर्याप्त निधि हस्तांतरण।
- स्थानीय कर संग्रह और स्वराज्य को बढ़ावा।
- पारदर्शिता और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था।
- डिजिटल और तकनीकी अवसंरचना का पूर्ण उपयोग।
- संस्थागत सुधार और नेतृत्व प्रशिक्षण।
- जब तक ये उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं होंगे, पंचायती राज संस्थाएँ अपने पूर्ण सामर्थ्य तक नहीं पहुँच पाएंगी।
- सतत् विकास, सामाजिक न्याय और समानता के लिए यह अनिवार्य है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को न केवल वित्तीय संसाधन बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता और प्रशासनिक क्षमता भी प्राप्त हो।
- ग्रामीण भारत में पंचायती राज केवल शासन की इकाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वास्तविक चेहरा हैं। इन्हें मजबूत बनाना न केवल संवैधानिक आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त ग्रामीण भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।
- वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाएं केवल योजनाओं का कार्यान्वयन ही नहीं करते, बल्कि यह लोगों की भागीदारी, संसाधन पहचान और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित करते हैं। अतः महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' का सपना अब पंचायतों के माध्यम से साकार हो रहा है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों में कौन-कौन से शामिल हैं?

1. स्वयं के संसाधनों से प्राप्त राजस्व (OSR)
2. साझा/आवंटित राजस्व (Shared Revenue)
3. केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (CFC Grants)
4. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं केंद्र-राज्य योजनाएँ
5. विशेष अनुदान (Special Grants)
6. केवल राज्य करों पर निर्भर रहना

नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए :

A. केवल 1, 2, 3, 4 और 6 B. केवल 1, 2, 3, 4 और 5

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

व्याख्या :

- पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोत व्यापक हैं और इनमें स्थानीय कर/शुल्क, साझा राजस्व, केंद्र और राज्य अनुदान, तथा विशेष अनुदान शामिल हैं। केवल राज्य करों पर निर्भर रहना सही नहीं है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि ग्रामीण निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन न मिलने के कारण ग्रामीण विकास पर कौन-कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं? इन प्रभावों को कम करने के लिए किन उपायों को लागू किया जा सकता है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

Q2. आपके विचार में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने स्थानीय स्तर पर शासन और विकास के स्वरूप को किस हद तक प्रभावित किया है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत विधायक: संवैधानिक स्थिति और चुनौतियाँ

समाचार में क्यों?

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के बाद, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में नामांकन का निर्णय कौन लेता है, यह मुद्दा चर्चा में आ गया है। मंत्रालय ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना विधानसभा में पाँच सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इससे जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल उठे हैं।

संवैधानिक ढांचा: भारतीय विधानमंडलों में मनोनीत सदस्य

1. **लोकसभा (अनुच्छेद 331 - 2020 में निरस्त):** इससे पहले राष्ट्रपति को दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामित करने की अनुमति थी; इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा हटा दिया गया था।

2. **Rajya Sabha (Article 80):** राष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।

3. **राज्य विधानसभाएं (अनुच्छेद 333 - 2020 में निरस्त):** राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित कर सकते थे; 104वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया।

4. **राज्य विधान परिषदें (अनुच्छेद 171):** लगभग छठे सदस्य राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, जो आमतौर पर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से होते हैं।

5. **विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश:** दिल्ली विधानसभा (जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991) में नामांकन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि पुडुचेरी विधानसभा (संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963) में अधिकतम 3 मनोनीत सदस्यों की अनुमति है।

6. **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (संशोधित 2023):** इसमें 5 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान है: दो महिलाएं, दो कश्मीरी प्रवासी, तथा एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति।

7. **राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका:** संसद और राज्य विधानमंडलों में नामांकन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति/राज्यपालों द्वारा किया जाता है, लेकिन यह हमेशा मंत्रिपरिषद (संघ या राज्य) की सहायता और सलाह पर आधारित होता है।

8. **निर्वाचित बनाम मनोनीत सदस्य:** निर्वाचित सदस्य जनता के प्रत्यक्ष जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मनोनीत सदस्यों का उद्देश्य विधानमंडलों में विशिष्ट ज्ञान, समावेशिता (अल्पसंख्यक, प्रवासी, महिलाएं) या सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व लाना होता है।

केंद्र शासित प्रदेश और शासकीय अधिनियम

1. **दिल्ली - जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991:** इसमें 70 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान है; मनोनीत विधायकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

2. **पुडुचेरी - संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963:** इसमें 30 निर्वाचित सदस्य और केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 नामित सदस्य शामिल हो सकते हैं।

3. **जम्मू-कश्मीर - पुनर्गठन अधिनियम, 2019:** इसमें 90 निर्वाचित विधायकों का प्रावधान है तथा उपराज्यपाल को 5 विशेष सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है।

4. **शक्ति का स्रोत:** पुडुचेरी में नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल द्वारा।

5. **दिल्ली का अपवाद:** कोई नामांकन नहीं, जो इसकी विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था को दर्शाता है।

6. **संसद की भूमिका:** राज्यों के विपरीत, संघ शासित प्रदेशों में नामांकन शक्तियां संसदीय अधिनियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

7. **कानूनी-राजनीतिक तनाव:** इन विविधताओं के कारण विवाद उत्पन्न हुए हैं, उदाहरण के लिए, पुडुचेरी और दिल्ली में केंद्र बनाम संघ राज्य क्षेत्र की शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं।

न्यायिक व्याख्या

1. **लक्ष्मीनारायणन मामला (2018):** मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी में 3 सदस्यों को नामित करने की केंद्र सरकार की शक्ति को बरकरार रखा।

2. **न्यायालय की सिफारिश:** नामांकन की प्रक्रिया और प्राधिकार पर वैधानिक स्पष्टता का सुझाव दिया गया।

3. **सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना (2019):** केंद्र सरकार के विवेकाधिकार की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय की सिफारिशों को खारिज कर दिया।

4. **संघ शासित प्रदेशों पर प्रभाव:** नामांकन प्रक्रिया में निर्वाचित सरकारों की भूमिका कम हो गई।

5. **दिल्ली केस (2023):** जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 'ट्रिपल चेन ऑफ कमांड' की शुरुआत की।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **एलजी की सीमाएँ:** यह माना गया कि उपराज्यपाल को आरक्षित मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना चाहिए।

7. **व्यापक निहितार्थ:** यह सिद्धांत नामांकन तक विस्तारित हो सकता है, जिससे संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित हो सके।

जवाबदेही की त्रिशंकु श्रृंखला

1. **प्रस्तुत अवधारणा:** सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने लोकतंत्र के लिए "ट्रिपल चेन ऑफ कमांड" की रूपरेखा तैयार की।

2. **पहला लिंक:** दिन-प्रतिदिन के शासन के लिए सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होंगे।

3. **दूसरा लिंक:** मंत्रीगण बहस, प्रस्तावों और प्रश्नों के माध्यम से विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं।

4. **तीसरा लिंक:** विधायिका मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है, तथा जनता के जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है।

5. **उद्देश्य:** निरंतर लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है और अनियंत्रित प्राधिकार से बचाता है।

6. **संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रासंगिकता:** इसका तात्पर्य यह है कि उपराज्यपालों को नामांकन में निर्वाचित सरकारों की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।

7. **लोकतंत्र की सुरक्षा:** छोटे विधानसभाओं में मनोनीत विधायकों को चुनावी नतीजों को विकृत करने से रोकता है।

लोकतांत्रिsक चिंताएँ

1. **बहुमत विकृति का जोखिम:** पुडुचेरी या जम्मू-कश्मीर जैसी छोटी विधानसभाओं में मनोनीत विधायक सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक वैधता को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

2. **चुनावी जनादेश को कमजोर करना:** मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति से अनिर्वाचित व्यक्तियों को निर्णय लेने की शक्ति मिलने से मतदाताओं की इच्छा कमजोर होने का खतरा है।

3. **संघ बनाम निर्वाचित सरकार तनाव:** केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद अक्सर नामांकन शक्तियों को लेकर टकराव का कारण बनते हैं।

4. **स्थानीय स्वायत्तता का कमजोर होना:** नामांकन प्रावधानों के अत्यधिक उपयोग से संघ शासित प्रदेशों की अपने शासन में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता सीमित हो सकती है।

5. **पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों की संभावना:** केंद्र सरकार द्वारा नामांकन का दुरुपयोग विशेषज्ञों के बजाय राजनीतिक सहयोगियों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है।

6. **जवाबदेही का क्षरण:** निर्वाचित सदस्यों के विपरीत, मनोनीत विधायक सीधे तौर पर लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जिससे लोकतांत्रिक खाई पैदा होती है।

7. **संस्थाओं में जनता का अविश्वास:** नामांकन को लेकर बार-बार होने वाले विवादों से प्रतिनिधि संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास कम हो सकता है।

जम्मू और कश्मीर का विशेष मामला

1. **राज्य से संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन:** 2019 के पुनर्गठन ने जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, जिससे इसकी विधायी स्वायत्तता पहले की राज्य की स्थिति की तुलना में कम हो गई।

2. **राज्य का दर्जा देने का संवैधानिक वादा:** भारत सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसमें देरी से अनिश्चितता और लोकतांत्रिक असंतोष को बढ़ावा मिल रहा है।

3. **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में लैंगिक प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का प्रयास करता है।

4. **प्रवासियों का प्रतिनिधित्व:** कश्मीरी पंडितों सहित प्रवासियों के लिए नामांकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विस्थापित आबादी की आवाज को नजरअंदाज न किया जाए।

5. **पीओके विस्थापित व्यक्ति:** पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए विशेष सीटें निर्धारित की गई हैं, जो जम्मू-कश्मीर के अद्वितीय राजनीतिक संदर्भ को दर्शाती हैं।

6. **उपराज्यपाल की भूमिका:** यद्यपि उपराज्यपाल के पास नामांकन शक्तियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना आवश्यक है।

7. **संघीय संवेदनशीलता का प्रतीक:** जम्मू-कश्मीर के नामांकन से राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और स्थानीय लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता उजागर होती है।

संघवाद में केंद्र-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संबंध

1. **संघीय ढांचे में विषमता:** संघ शासित प्रदेशों में नामांकन शक्तियां भारतीय संघवाद की विषम प्रकृति को उजागर करती हैं, जबकि राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है।

2. **राज्यपाल बनाम उपराज्यपाल की भूमिका:** राज्यों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जबकि केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रायः अधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **संघ शासित प्रदेशों में संघ का वर्चस्व:** केंद्र का संघ शासित प्रदेशों पर अधिक नियंत्रण है, तथा नामांकन शक्तियां इस प्रभुत्व को प्रतिबिम्बित करती हैं।

4. **केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक घाटा:** मनोनीत विधायक नीतियों को आकार देने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका को कम करते हैं, जिससे संघीय लोकतंत्र कमजोर होता है।

5. **तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य:** राज्यों के विपरीत, जहां नामांकन केवल विशेषज्ञों तक सीमित है (जैसे, पहले एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व), संघ शासित प्रदेशों में नामांकन अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

6. **संघर्ष की संभावना:** केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच अलग-अलग राजनीतिक गठबंधन अक्सर नामांकन को संघर्ष का विषय बना देते हैं।

7. **स्वायत्तता बनाम केंद्रीकरण बहस:** यह तनाव इस बात पर व्यापक संवैधानिक बहस को दर्शाता है कि क्या संघ शासित प्रदेशों को स्वायत्त लघु-राज्य होना चाहिए या केन्द्र शासित प्रदेश होना चाहिए।

आगे की राह :

1. **स्पष्ट वैधानिक दिशानिर्देश:** संसद को इस बारे में स्पष्ट नियम बनाने चाहिए कि किसे मनोनीत किया जा सकता है, ताकि विवेकाधिकार के मनमाने प्रयोग को रोका जा सके।

2. **सहायता और सलाह सिद्धांत:** लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए उपराज्यपालों को निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

3. **संघ हस्तक्षेप को सीमित करें:** नामांकन का उपयोग केंद्रीय राजनीतिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में नहीं बल्कि विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व के तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए।

4. **चयन में पारदर्शिता:** विधायकों को नामित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि दलगत लाभ के लिए इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

5. **संघ शासित प्रदेश के लोकतंत्र को मजबूत करना:** प्रावधानों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनावी जनादेश प्राथमिक बना रहे, तथा नामांकन केवल उसका पूरक हो।

6. **समावेशी प्रतिनिधित्व:** नामांकन में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विस्थापित व्यक्तियों जैसे अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

7. **जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना:** एक लोकतांत्रिक आवश्यकता के रूप में, अधिक विधायी स्वायत्तता और लोगों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।

8. **संघीय सिद्धांतों को संतुलित करना:** एक ऐसा मध्य मार्ग निकाला जाना चाहिए जो संघ शासित प्रदेशों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना संघ के हितों की रक्षा कर सके।

निष्कर्ष :

केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्यों का प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना के मूल में आघात करता है। हालाँकि संवैधानिक ढाँचा समावेशिता, विशेषज्ञता और विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को स्वीकार करता है, लेकिन मनोनयन शक्तियों के दुरुपयोग से चुनावी जनादेश को कमज़ोर करने और स्थानीय स्वायत्तता को कमज़ोर करने का जोखिम है। न्यायिक व्याख्याएँ, विशेष रूप से "जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला", इस बात पर ज़ोर देती हैं कि वास्तविक अधिकार अंततः निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, न कि अनिर्वाचित नियुक्त व्यक्तियों के पास। जम्मू और कश्मीर का मामला राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की संवेदनशीलता को और उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

Q1. भारत की विधायिकाओं में मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है।
2. विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित विधायकों के समान ही मताधिकार प्राप्त है।
3. किसी राज्य का राज्यपाल पूर्णतः अपने विवेकानुसार विधान परिषद के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q1. केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्यों के प्रावधान के कारण अक्सर निर्वाचित सरकार और केंद्र के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे मनोनयन से उत्पन्न संवैधानिक ढाँचे, न्यायिक व्याख्याओं और लोकतांत्रिक

चिंताओं पर चर्चा कीजिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने और संघीय संतुलन बनाए रखने के उपाय सुझाइए।

(250 शब्द, 15 अंक)



130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक 2025

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसने भारत में एक बार फिर से राजनीतिक और संवैधानिक चर्चाओं को नई दिशा दी है। यह विधेयक मंत्रियों की जवाबदेही, नैतिकता और सुशासन को केंद्र में रखते हुए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया है।
- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में लिप्त और हिरासत में लिए गए मंत्रियों को पद से हटाने हेतु स्पष्ट और प्रभावी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना है।
- यह विधेयक ऐसे समय में आया है, जब राजनीति के अपराधीकरण और प्रशासनिक नैतिकता को लेकर जनचिंता चरम पर है।
- भारत के उच्चत्तम न्यायालय के अनेक निर्देशों, विधि आयोग की रिपोर्टों और सिविल सोसायटी के दबाव के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान कानूनी ढाँचा मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में अपर्याप्त है। ऐसे में यह संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार की संभावना लेकर आया है।

130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 विधेयक के मुख्य प्रावधान :

130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के संविधान में तीन प्रमुख अनुच्छेदों—75, 164 और 239AA—में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्रमशः केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों की मंत्रिपरिषदों का गठन और संचालन शामिल है।

- **मंत्रियों के लिए कठोर मापदंड :** यदि कोई मंत्री (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित) पाँच वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराध में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटाया जाएगा। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार के सन्दर्भ में यह निर्णय मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। रिहाई के पश्चात् यदि संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त होता है, तो उसका निष्कासन प्रतिवर्ती (reversible) हो सकता है, अर्थात वह पुनः पद ग्रहण कर सकता है।
- **नैतिकता को सुनिश्चित करना और सुशासन को सुदृढ़ करना :** इस विधेयक का स्पष्ट उद्देश्य है—संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना, सुशासन को सुदृढ़ करना और यह सुनिश्चित करना कि गंभीर आपराधिक आरोपों में लिप्त व्यक्ति मंत्री पद का दुरुपयोग न कर सकें।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) से संबंधित वर्तमान कानूनी ढाँचा और उसकी सीमाएँ :

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) :** इस अधिनियम के धारा 8 के अंतर्गत केवल दोषसिद्धि (conviction) होने पर ही किसी विधायक या मंत्री को अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी मात्र गिरफ्तारी या आरोप के आधार पर उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए - यदि किसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है, तब भी वह 6 वर्षों तक अयोग्य हो जाता है। यदि सज़ा में कारावास है, तो अयोग्यता की अवधि सज़ा की अवधि + 6 वर्ष तक लागू रहती है।
- **निर्दोषता की धारणा का प्रभावित होना :** भारतीय न्याय व्यवस्था में "जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है" की धारणा प्रभावी है। इसलिए, केवल आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर किसी मंत्री को पद से हटाना अब तक उचित नहीं माना गया है।

विधेयक से संबंधित प्रमुख न्यायिक दृष्टिकोण :

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर मंत्रियों की जवाबदेही के प्रश्न पर विचार किया है:

- **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्तियों

को मंत्री नियुक्त करने से बचना चाहिए, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हों, हालांकि, कानूनी रूप से रोक नहीं लगाई है , बल्कि इसमें केवल नैतिक सलाह दी गई है।

- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018) :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि अयोग्यता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। न्यायालय ने सख्त कानून की सिफारिश की थी जिससे राजनीतिक दल गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को टिकट न दें।
- **अरविंद केजरीवाल केस (2024) :** दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और जमानत के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।
- **वी. सेंथिल बालाजी केस (2025) :** तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी पर नकद के बदले नौकरी घोटाले का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद और स्वतंत्रता में से एक चुनने का निर्देश दिया। उन्होंने अंततः मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
- इन सभी निर्णयों में यह स्पष्ट है कि कानून में स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण न्यायालय केवल नैतिकता की बात कर सकता है, लेकिन किसी मंत्री को हटाने की विधायी शक्ति संसद के पास ही है।

वर्तमान विधेयक में नए प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है ?



- **राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकना :** एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 45% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 29% पर गंभीर आरोप हैं। मौजूदा कानून के तहत केवल दोषसिद्धि के बाद कार्रवाई होती है, जिससे आरोपी मंत्री वर्षों तक पद पर बने रहते हैं।
- **सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही को सुनिश्चित करना और नैतिकता का प्रश्न :** मंत्री होने के नाते व्यक्ति के पास जांच को प्रभावित करने की क्षमता होती है। लंबे समय तक मुकदमा चलने के दौरान भी मंत्री पद पर बने रहने से निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
- **लोकतंत्र और शासन में आम जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना करना :** जब सरकार के मंत्री गंभीर आरोपों के बावजूद पद पर बने रहते हैं, तो इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है। सरकार की नैतिकता और पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु स्पष्ट नियम आवश्यक हैं।

समाधान की राह :

1. **संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सुधार करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** संसद को स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे गंभीर आरोपों में हिरासत में लिए गए मंत्री पद पर बने न रह सकें। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999), 244वीं रिपोर्ट (2014), और चुनाव आयोग की सिफारिशें (2004) इस दिशा में पहले ही सुझाव दे चुकी हैं।
2. **पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया को सुनिश्चित करना :** राजनीतिक दलों को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने से परहेज़ करना चाहिए, जिन पर जघन्य अपराधों के आरोप हों। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिये दिशानिर्देश बनाए जाएँ कि वे निष्पक्ष छवि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करें।
3. **संसदीय निगरानी तंत्र एवं लंबित मामलों का नियमित प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना :** मंत्रियों के आचरण पर निगरानी रखने हेतु संसद में नैतिकता समितियाँ, आचरण समीक्षा प्रकोष्ठ, तथा स्वतंत्र लोकपाल जैसे तंत्रों को और मजबूत किया जाना चाहिए। उनकी संपत्ति, देनदारियाँ एवं लंबित मामलों का नियमित प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाए।
4. **आचार संहिता एवं नैतिक शासन के तहत आंतरिक जवाबदेही तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता :** एक अनिवार्य मंत्रिस्तरीय आचार संहिता लागू की जानी चाहिए, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, और जनता की सेवा को प्राथमिकता दे। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक जवाबदेही तंत्र विकसित किए जाएं, जो नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :



1. 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 भारतीय लोकतंत्र के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। यह संशोधन केवल एक विधायी प्रयास नहीं है, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिक बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है।

2. वर्तमान समय में राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण, जनता के प्रति जवाबदेही की कमी, तथा न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती जैसे मुद्दों ने लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का खतरा पैदा किया है। ऐसे में यह विधेयक इन चुनौतियों से निपटने हेतु एक सार्थक उपाय के रूप में सामने आता है।

3. यह संशोधन मंत्रियों के लिए उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर न समझे जाएँ और उनके कार्यों की सख्त समीक्षा की जा सके।

4. अब तक यह देखा गया है कि कई बार राजनीतिक पदों का प्रयोग निजी स्वार्थों के लिए किया जाता रहा है, जिससे जनता का भरोसा तंत्र पर से उठता जा रहा है। यह विधेयक इस मानसिकता को तोड़ता है और एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करता है जिसमें पद का दुरुपयोग नहीं बल्कि जनसेवा सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

5. 130वाँ संशोधन यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह संदेश देती है कि सत्ता का उद्देश्य जनता की सेवा है, न कि व्यक्तिगत रूप से लाभ कमाना।

6. हालाँकि, यह भी आवश्यक है कि इस कानून के क्रियान्वयन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय का पूरी तरह पालन हो। यदि इसे राजनीतिक प्रतिशोध या विरोधियों को दबाने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया, तो इसका मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए, इसके संतुलित उपयोग की आवश्यकता होगी, जहाँ कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो।

7. इसके साथ ही राजनीतिक दलों पर भी यह नैतिक जिम्मेदारी आती है कि वे अपने उम्मीदवारों और मंत्रियों का चयन करते समय केवल योग्यता और नैतिकता को प्राथमिकता दें, न कि जाति, धर्म या बाहुबल जैसे कारकों को। यह परिवर्तन केवल कानून बनाकर संभव नहीं होगा, जब तक राजनीतिक संस्कृति में मूलभूत सुधार नहीं लाया जाता।

8. अंततः, यह कहा जा सकता है कि 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2025 भारत के लोकतंत्र को अधिक परिपक्व, जवाबदेह और नैतिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

9. यदि इस विधेयक की भावना को ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह भारत को एक ऐसे शासन मॉडल की ओर ले जा सकता है जहाँ सत्ता का मूलाधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व, ईमानदारी और जनसेवा होगी। यही लोकतंत्र की असली आत्मा है, और इसी दिशा में यह संशोधन एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार किस स्थिति में किसी मंत्री को पद से हटाया जा सकता है?

1. उस मंत्री पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों।
2. यदि वह मंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहे और अपराध की सजा 5 वर्ष या उससे अधिक की हो।
3. संबंधित मंत्री यदि संसद में बहुमत खो दे, लेकिन विधानसभा में उसका बहुमत हो।
4. यदि उक्त मंत्री के संबंध में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल निर्णय लें।

नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए :

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. राजनीति में नैतिकता की भूमिका कितनी आवश्यक है? क्या आज की राजनीतिक व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का स्थान शेष रह गया है? क्या आप सहमत हैं कि राजनीति और नैतिकता एक साथ नहीं चल सकते? अपने विचार उदाहरणों सहित प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



नशा मुक्त भारत अभियान : एक राष्ट्रव्यापी प्रयास की पाँच वर्षों की समीक्षा

ख़बरों में क्यों ?

- हाल के दिनों में भारत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें सबसे गंभीर और चिंताजनक समस्या है – नशीली दवाओं का बढ़ता दुरुपयोग। युवाओं का नशीली दवाओं के प्रति बढ़ती भागीदारी, सीमावर्ती इलाकों से होती तस्करी, और डिजिटल माध्यमों से फैलता नशे का नेटवर्क, देश की सामाजिक संरचना को अंदर से खोखला कर रहा है।
- इस संकट की भयावहता को समझते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को "नशा मुक्त भारत अभियान" की शुरुआत की थी। पाँच वर्षों के इस अभियान के क्रियान्वयन ने देशभर में व्यापक प्रभाव डाला है, जिसे अब समेकित रूप से मूल्यांकित करना समय की मांग है।

अभियान का मूल उद्देश्य और रणनीति :

"नशा मुक्त भारत अभियान" का लक्ष्य केवल नशीली दवाओं की आपूर्ति को रोकना नहीं है, बल्कि इसके तीन प्रमुख आयामों—आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी, और चिकित्सकीय पुनर्वास—पर समग्र ध्यान देना है।

- **लॉन्च तिथि :** 15 अगस्त 2020
- **अधीन मंत्रालय :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- **प्रारंभिक फोकस :** 272 संवेदनशील ज़िले
- **वर्तमान स्थिति:** भारत के सभी ज़िलों तक विस्तार
- **लक्ष्य समूह :** छात्र, युवा, ग्रामीण समुदाय, शहरी झुग्गियाँ, झुग्गी-मुक्त क्षेत्र, संवेदनशील सीमावर्ती इलाके
- यह अभियान समुदाय आधारित भागीदारी, डिजिटल संचार, और नीतिगत सहयोग पर आधारित है।

प्रमुख उपलब्धियाँ (पाँच वर्षों की प्रगति) :

1. जन जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि :

- **18.10 करोड़ से अधिक लोगों** तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पहुँच
- **4.85 लाख** संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम
- सोशल मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, डिजिटल पोस्टर, नाटकों और गीतों के माध्यम से व्यापक प्रचार

2. युवाओं की सक्रिय सहभागिता :

- **1.67 करोड़ से अधिक छात्रों** ने प्रतिज्ञा ली
- प्रतियोगिताओं, खेल आयोजनों, और यूनिवर्सिटी अभियान में सक्रिय भागीदारी
- युवा प्रेरकों और "नशा मुक्त स्वयंसेवकों" का निर्माण

3. डिजिटल तकनीक का समावेश :

- नशा मुक्त भारत ऐप, वेबसाइट, और जियो-टैग्ड गतिविधियाँ
- रियल-टाइम मॉनिटरिंग
- ई-लर्निंग मॉड्यूल और डिजिटल टूलकिट

4. स्वयंसेवकों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क :

- 20,000+ नशा मुक्त स्वयंसेवक
- हर ज़िले में प्रशिक्षित समुदाय सहयोगी
- स्थानीय भाषा और संस्कृति अनुसार कार्यक्रमों का अनुकूलन

5. सामुदायिक एवं आध्यात्मिक सहयोग :

- ब्रह्माकुमारीज़, आर्ट ऑफ लिविंग, ISKCON, रामचंद्र मिशन, संत निरंकारी मिशन आदि के साथ साझेदारी
- इन संगठनों की पहुँच का उपयोग करते हुए दूरदराज क्षेत्रों तक संदेश पहुँचाना

भारत में नशीली दवाओं की स्थिति :

1. नशीली दवाओं की लत:

- **10 करोड़ से अधिक** लोग नशीली दवाओं से प्रभावित (NCB डेटा)
- **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब** जैसे राज्यों में **NDPS** अधिनियम के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज
- मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताना-बाना पर प्रतिकूल प्रभाव

2. सबसे अधिक सेवन किए जाने वाले पदार्थ :

- **शराब:** 16 करोड़ उपभोक्ता (14.6%)
- **भांग:** 3.1 करोड़ (2.8%)
- **ओपिओइड्स (हेरोइन, अफीम आदि): लगभग 77 लाख**
- **इनहेलेंट्स:** विशेषकर किशोरों में तेज़ी से बढ़ता प्रयोग

3. वैश्विक ड्रग आपूर्ति की दो धुरी – भारत के लिए चुनौती :

गोल्डन क्रीसेंट :

- **देश:** अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **प्रभावित भारतीय राज्य:** पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान
- **प्रमुख उत्पाद:** अफीम

गोल्डन ट्राइएंगल :

- **देश:** म्याँमार, लाओस, थाईलैंड
- **प्रमुख उत्पाद:** हेरोइन (म्याँमार वैश्विक आपूर्ति का ~80%)
- भारत एक महत्वपूर्ण पारगमन और उपभोग केंद्र बन चुका है

नशीली दवाओं के नियंत्रण में प्रमुख बाधाएँ और उससे संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

स्मरणीय शब्द – DOPE

1. D – डार्क नेट और नई दवाएं :

- क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री
- न्यू साइकोएक्टिव सब्स्टेंस (NPS) का तेजी से बढ़ता चलन

2. O – संगठनात्मक एवं अवसंरचनात्मक कमियाँ :

- पुनर्वास केंद्रों की अपर्याप्त संख्या
- प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी
- फोरेंसिक और ड्रग टेस्टिंग लैब्स की सीमित संख्या

3. P – जागरूकता की कमी :

- ग्रामीण इलाकों में ड्रग्स के दुष्प्रभाव की सीमित जानकारी
- स्कूल-कॉलेजों में व्यसन-रोधी शिक्षा का अभाव
- सामुदायिक स्तर पर पूर्वाग्रह और उदासीनता

4. E – बहिष्कार एवं सामाजिक कलंक :

- व्यसनों से पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक तिरस्कार का सामना
- पुनर्वास की जगह दंडात्मक रवैया
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर कम झुकाव

समाधान की राह :

स्मरणीय शब्द – SAFE

1. S – कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना :

- NDPS अधिनियम (1985) और PITNDPS अधिनियम (1988) का प्रभावी क्रियान्वयन
- सीमा सुरक्षा बलों को उन्नत तकनीक जैसे AI, ड्रोन, सैटेलाइट से लैस करना
- सीमा प्रबंधन में अंतर-एजेंसी समन्वय
- ड्रग-ट्रैफिकिंग की जड़ों पर प्रहार

2. A – जागरूकता और रोकथाम :

- राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम
- परामर्श केंद्रों, डि-एडिक्शन क्लिनिक्स और हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार
- स्कूलों में अनिवार्य नशा-रोधी पाठ्यक्रम
- युवाओं के लिये सकारात्मक विकल्प जैसे खेल, संगीत, कौशल प्रशिक्षण

3. F – आपूर्ति में कमी :

- सीमा चौकसी में तकनीकी समावेशन
- ड्रग्स के वैकल्पिक कृषि कार्यक्रम (जैसे – झारखंड में अफीम प्रतिस्थापन योजना)
- अवैध आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अंकुश
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और कार्रवाई

4. E – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :

- UNODC, इंटरपोल, SAARC देशों के साथ इंटेलिजेंस साझा करना
- सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़
- एक्स्ट्राडीशन संधियों और संयुक्त कार्यबल का गठन

भविष्य की राह :

नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक जन-आंदोलन बन चुका है। इसके अगले चरण में निम्नलिखित पहलों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए:

- **डेटा-संचालित नीति निर्माण :** नियमित राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करना।
- **सामाजिक पुनर्वास :** नशा पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में लाने की नीति बनाना।
- शहरी झुग्गियों और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना।
- **नारी शक्ति की भागीदारी :** महिला स्वयंसेवकों, शिक्षकों और माता-पिता की भूमिका को बढ़ाना।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- भारत में नशीली दवाओं का संकट केवल एक स्वास्थ्य या सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की युवा शक्ति, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर खतरा है।
- "नशा मुक्त भारत अभियान" ने पाँच वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु चुनौतियाँ अभी शेष हैं। एक प्रभावी, समावेशी और सतत नीति ही इस संकट को जड़ से समाप्त कर सकती है।
- देश को एक "नशा मुक्त, स्वस्थ, और सशक्त भारत" की दिशा में आगे ले जाने के लिये सरकार, समाज और हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रयास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक विद्यालय, और प्रत्येक समुदाय की जिम्मेदारी है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "नशा मुक्त भारत अभियान" के प्रमुख उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन विकल्प शामिल है?

1. केवल नशीली दवाओं की आपूर्ति को रोकना
2. इसके मांग में कमी लाना
3. चिकित्सकीय पुनर्वास की व्यवस्था करना
4. आपूर्ति को नियंत्रित करना

कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग की पृष्ठभूमि में "नशा मुक्त भारत अभियान" के प्रमुख उद्देश्यों, उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ (DOPE), समाधान (SAFE) और भविष्य की दिशा पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





विज्ञान और प्रौद्योगिकी

लीप बियॉन्ड : भारत की अंतरिक्ष गाथा को ऊंचा उठाना

समाचार में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के ऐतिहासिक प्रक्षेपण से लेकर, देश ने PSLV के माध्यम से लागत-प्रभावी उपग्रह प्रक्षेपणों में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसने 400 से अधिक विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण मोड़ 2014 में प्रमुख अंतरिक्ष सुधारों की शुरुआत के साथ आया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खोलने के उद्देश्य से कई नीतिगत बदलाव शुरू किए। ये सुधार एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुए, जिन्होंने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को उजागर किया और एक बड़ी छलांग के लिए मंच तैयार किया।

"अंतरिक्ष सिर्फ़ एक मंज़िल नहीं है। यह जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति का उद्घोष है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी भावना को दर्शाती है। 1963 में एक छोटे रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने तक, हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम साहसिक महत्वाकांक्षाओं, तकनीकी नवाचार और बढ़ते वैश्विक सहयोग से चिह्नित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।



भारत के प्रक्षेपण वाहनों से 34 देशों के 400 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किये जा चुके हैं।



अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान:

एक्सिओम-4 मिशन

एक्सिओम मिशन 4 (एक्स-4) का सफल समापन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक परिवर्तनकारी अध्याय का प्रतीक है। 25 जून 2025 को प्रक्षेपित इस ऐतिहासिक मिशन ने भारत, पोलैंड और हंगरी को चार दशकों से भी अधिक समय में अपनी पहली सरकार-प्रायोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने में सक्षम बनाया, और तीनों देशों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मानव उपस्थिति दर्ज कराई। एक्सिओम स्पेस के नेतृत्व में संचालित यह मिशन अंतरिक्ष तक पहुँच के बढ़ते लोकतंत्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है।

भारत का ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मील का पत्थर

मिशन पायलट के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, जो देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान

इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का प्रवास, पृथ्वी की निचली कक्षा में अन्वेषण के क्षेत्र में भारतीय महत्वाकांक्षाओं के एक नए युग का संकेत है। 22.5 घंटे की वापसी यात्रा के बाद, चालक दल स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल 'ग्रेस' में सवार होकर पृथ्वी पर लौटा, जो 15 जुलाई 2025 को लगभग दोपहर 3 बजे IST पर सैन डिएगो के तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा।

यह मिशन भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए एक मजबूत आधारशिला रखता है, जो अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

आईएसएस पर वैज्ञानिक योगदान और प्रयोग

1. **सूक्ष्म शैवाल प्रयोग:** सूक्ष्म शैवाल की तीन प्रजातियों का कृत्रिम प्रकाश में अध्ययन किया गया ताकि उनके विकास और व्यवहार पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सके।

2. **अंतरिक्ष में बीज अंकुरण:** मूंग और मेथी के बीजों को नियंत्रित जलयोजन के माध्यम से सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया। परिणाम स्थान-आधारित पोषण संबंधी रणनीतियाँ विकसित करने की दिशा में आशाजनक हैं।

3. **टार्डिग्रेड स्ट्रेन अध्ययन :** निष्क्रिय टार्डिग्रेड्स की एक भारतीय प्रजाति को पुनर्जीवित किया गया और सूक्ष्मगुरुत्व में देखा गया, जिससे चरम अंतरिक्ष स्थितियों में जैविक अस्तित्व के बारे में जानकारी मिली।

4. **मायोजेनेसिस और मेटाबोलिक सप्लीमेंट्स:** इस प्रयोग में मांसपेशी कोशिका व्यवहार और सूक्ष्मगुरुत्व में मांसपेशी क्षरण को रोकने में पोषण संबंधी पूरकों की भूमिका का अध्ययन किया गया।

5. **सायनोबैक्टीरिया वृद्धि:** अंतरिक्ष में जीवन रक्षक प्रणालियों और जैव-इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उनके उपयोग का आकलन करने के लिए यूरिया और नाइट्रेट मीडिया में साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि पर नजर रखी गई।

6. **मानव-मशीन इंटरफ़ेस परीक्षण:** वेब-आधारित मूल्यांकनों की एक श्रृंखला ने विश्लेषण किया कि सूक्ष्मगुरुत्व इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव संपर्क को किस प्रकार प्रभावित करता है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस में सुधार करना है।

7. **अंतरिक्ष कृषि अध्ययन:** चावल, लोबिया, तिल, बैंगन और टमाटर जैसी फसलों के बीजों को निष्क्रिय रूप से अंतरिक्ष में रखा गया था। वापस आने पर, अंतरिक्ष के संपर्क में आने के कारण उनमें संभावित वंशानुगत लक्षणों या अनुकूलनों की जाँच के लिए उनकी खेती की जाएगी।

समान कार्यक्रम: मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की छलांग

भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को गगनयान कार्यक्रम के साथ एक बड़ी छलांग मिली है। यह देश की पहली स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान पहल है, जिसे ₹20,193 करोड़ के पर्याप्त वित्तीय परिव्यय के साथ मंज़ूरी मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में, इस प्रमुख मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में भेजना है, जो एक अंतरिक्ष-यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा में एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा।

यह निवेश प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों और कुल आठ नियोजित मिशनों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें मानवरहित और मानवयुक्त दोनों उड़ानें शामिल हैं। भारतीय वायु सेना के चार परीक्षण पायलटों का चयन किया गया है और उन्होंने अपना शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

ग्रुप कैप्टन पीबी नायर

ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन

ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप

ग्रुप कैप्टन एस शुक्ला

वे स्वतंत्र अंतरिक्ष उड़ान में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तैयार हैं, जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक उपलब्धि में एक नया अध्याय लिखेगा। इस मानवयुक्त मिशन से पहले, तीन मानवरहित परीक्षण उड़ानें होंगी, जिनमें से पहली इसी वर्ष श्रीहरिकोटा से होने वाली है। सफल परीक्षण के बाद, मानवयुक्त मिशन शुरू होगा। इसके अतिरिक्त, मिशन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कठोर शारीरिक और प्रशिक्षण मॉड्यूल से गुजरना होगा।

मई 2025 तक, यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और अब पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2027 की पहली तिमाही के लिए निर्धारित है। वर्तमान में, मानव-रेटेड LVM3 वाहन, क्रू एस्केप सिस्टम, और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सभी परीक्षण और एकीकरण के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण भी लगातार प्रगति कर रहा है।

वैज्ञानिक फोकस: सुरक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास और सत्यापन, साथ ही सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण वातावरण में उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान की नींव रखना। इस मिशन में पूर्वगामी और प्रदर्शन मिशन शामिल हैं, जो भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) के भविष्य के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक हैं। ये वैज्ञानिक उद्देश्य अमृत काल के दौरान अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम से औद्योगिक भागीदारी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने और रोजगार सृजन, विशेष रूप से अंतरिक्ष और संबद्ध उद्योगों से संबंधित उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में, की उम्मीद है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मानव अंतरिक्ष उड़ान की सुरक्षा: जब कोई वस्तु उच्च वेग से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करती है, तो वह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस समस्या से निपटने के लिए, इसरो सुरक्षित पुनः प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु उन्नत तापीय सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित और प्रदर्शित कर रहा है। अंतिम चरण में, पैराशूट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को एक सटीक, नियंत्रित वेग पर धीमा किया जाएगा, जिससे सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित होगी।

चंद्रयान मिशन



1. **चंद्रयान-1:** 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था।

   इसने चंद्रमा की परिक्रमा की, मून इम्पैक्ट प्रोब तैनात किया और उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण और खनिज संबंधी अध्ययन किए। चंद्रयान-1 ने चंद्र ध्रुवों पर जल अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के प्रवेश को चिह्नित किया।

2. **चंद्रयान-2:** 22 जुलाई, 2019 को प्रक्षेपित चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे।

   हालाँकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिक डेटा संग्रह और तकनीकी प्रगति के लिहाज से यह मिशन सफल रहा। इस मिशन ने भारत की चंद्र क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार किया।

3. **चंद्रयान-3:** 14 जुलाई, 2023 को प्रक्षेपित चंद्रयान-3 भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा।

   इस मिशन ने भारत को इस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना दिया, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में पानी की बर्फ हो सकती है।

   लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) ने सतह का सफलतापूर्वक अन्वेषण किया और तापीय, भूकंपीय और रासायनिक विश्लेषण किए। चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया और चंद्रमा की मिट्टी और पर्यावरण के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को और बढ़ाया।

4. **चंद्रयान-4:** चंद्रयान-3 की सफलता के आधार पर, चंद्रयान-4 में 9,200 किलोग्राम का उपग्रह होगा, इस मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नमूना संग्रह और आगे के प्रयोग शामिल होंगे।

   इस मिशन की जटिलता और पैमाने, चंद्र अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करते हैं।

   इसके आकार के कारण, इसे दो मार्क III रॉकेटों से प्रक्षेपित किया जाएगा, जो दो स्टैक के साथ पांच मॉड्यूल में इकट्ठे होंगे।

   ये मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में डॉक करेंगे, जहाँ प्रणोदन प्रणाली अलग हो जाएगी। चार मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में जाएँगे, जिनमें से दो अंततः सतह पर उतरेंगे। नमूना वापसी मॉड्यूल केवल पृथ्वी पर वापस आएगा, और चंद्र कक्षा में अन्य दो मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा।

मंगल ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान): ग्रह अन्वेषण में एक मील का पत्थर

मंगलयान के नाम से लोकप्रिय मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था, जिसे 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी-सी25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसकी सफलता के साथ, भारत 23 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और विश्व स्तर पर चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया और उसने ऐसा पहले ही प्रयास में किया, जिससे लागत-प्रभावशीलता और मिशन योजना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की।

तकनीकी उद्देश्य

मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले यान का डिजाइन और संचालन जो निम्नलिखित में सक्षम हो:

1. पृथ्वी-आधारित युद्धाभ्यास, 300-दिवसीय परिभ्रमण, और मंगल की कक्षा में प्रवेश
2. मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा संचालन
3. गहन अंतरिक्ष संचार, नेविगेशन और मिशन प्रबंधन प्रणालियों का विकास
4. आकस्मिकताओं से निपटने के लिए स्वायत्त प्रणालियों का समावेश

वैज्ञानिक उद्देश्य

1. स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करके मंगल की सतह की विशेषताओं, स्थलाकृति, खनिज विज्ञान और वायुमंडल का अध्ययन

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. मार्स कलर कैमरा ने 500 से अधिक तस्वीरें खींचीं, जिससे ग्रहों के अनुसंधान में मदद मिली

3. भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक डेटा सृजन और अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना

नाविक (भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन)

नाविक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक उपग्रह-आधारित नौवहन प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को भारत में कहीं भी और भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक अपनी सटीक भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने और अपनी गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम बनाती है। [15] नाविक ज़मीन, हवा, समुद्र और आपदा प्रबंधन में नौवहन में मदद कर सकता है। नाविक उपग्रहों को लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर भूस्थिर कक्षा (GEO) और भू-समकालिक कक्षा (GSO) में स्थापित किया जाता है; GPS उपग्रहों को लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO) में स्थापित किया जाता है।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र: नीति, निवेश और निजी क्षेत्र का विकास

1. भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों, एफडीआई उदारीकरण, और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के चलते एक नई विकास गाथा लिख रहा है।

2. एफडीआई नीति 2024 ने उपग्रह, प्रक्षेपण यान और घटकों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देकर निवेश के द्वार खोले हैं।

3. भारत अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत निजी क्षेत्र को विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक पूरे मूल्य श्रृंखला में शामिल किया गया है।

4. स्पेस विजन 2047 के तहत भारत ने दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान, शुक्र मिशन और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की स्पष्ट योजना बनाई है।

5. IN-SPACe, NSIL और एंट्रिक्स जैसे संस्थानों ने निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को संरचित समर्थन प्रदान किया है।

6. बजट में तीन गुना वृद्धि और 328+ अंतरिक्ष स्टार्टअप्स का उदय इस क्षेत्र में आर्थिक और तकनीकी ऊर्जा को दर्शाते हैं।



7. स्पैडेक्स जैसे नवाचार मिशन, उच्च तकनीक नौकरियाँ और औद्योगिक भागीदारी भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का प्रमुख खिलाड़ी बनाने की ओर ले जा रहे हैं।

8. यह परिवर्तन भारत को "स्पेस टेक सुपरपावर" बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, जहाँ सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर अंतरिक्ष को एक नए आर्थिक और रणनीतिक क्षितिज में बदल रहे हैं।

आगे की राह :

1. **पीएसएलवी-सी61/ईओएस-09 मिशन:** पीएसएलवी ईओएस-09 को प्रक्षेपित करेगा, जो एक अत्याधुनिक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, जिसमें सी-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो सभी मौसमों में दिन-रात सतह की तस्वीरें लेने में सक्षम है।

2. **टीवी-डी2 मिशन:** दूसरा परीक्षण यान मिशन एक निरस्त परिदृश्य का अनुकरण करके गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करेगा। क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा और समुद्र में उतरने से पहले थ्रस्टर्स और पैराशूट का उपयोग करके नीचे उतरेगा, जिसके बाद पुनर्प्राप्ति अभियान चलाए जाएँगे।

3. **जीएसएलवी-एफ16/निसार मिशन:** नासा-इसरो निसार पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, दोहरे एल और एस बैंड रडार का उपयोग करते हुए, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और खतरों की निगरानी करेगा। इसरो उपग्रह बस, एकीकरण, परीक्षण, प्रक्षेपण यान और एस-बैंड पेलोड प्रदान करता है; नासा एल-बैंड पेलोड, एंटीना, रिकॉर्डर और जीपीएस प्रदान करता है।

4. **LVM3-M5/ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन:** एनएसआईएल के साथ समझौते के तहत एएसटी स्पेसमोबाइल इंक, यूएसए के लिए ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि यह अन्वेषण की यात्रा से नेतृत्व के मिशन में परिवर्तित हो रहा है। एक्सिओम मिशन 4 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अग्रणी भूमिका एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं अधिक है, यह एक राष्ट्रीय विजय है जो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उभरती क्षमताओं और वैश्विक कद को दर्शाती है। अत्याधुनिक अनुसंधान, रणनीतिक साझेदारियों और गगनयान तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी पहलों में निहित एक मजबूत दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत अंतरिक्ष में निरंतर मानवीय उपस्थिति की नींव रख रहा है। नीतिगत सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी महत्वाकांक्षा का अभिसरण यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक प्रगति को गति देगा, बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। जैसे-जैसे भारत अपनी पहली स्वतंत्र मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी कर रहा है और चंद्रमा और उससे आगे की यात्रा पर निकल रहा है, यह दुनिया को संकेत देता है कि अंतरिक्ष का भविष्य उन देशों द्वारा आकार दिया जाएगा जो सपने देखने का साहस रखते हैं और कार्य करने का संकल्प रखते हैं, और भारत उनमें से एक है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

Q1. IN-SPACe के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है।
2. यह सीधे उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण करता है।
3. यह अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिकृत और पर्यवेक्षण करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q1. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किए गए सुधारों और पहलों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। निवेश, नवाचार और व्यापक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)



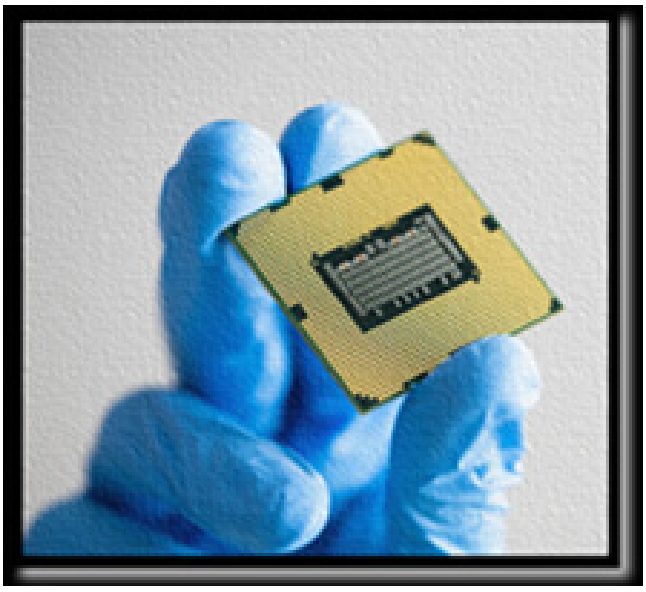
सेमीकॉन इंडिया 2025: सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में शक्ति का प्रदर्शन

समाचार में क्यों?

स्मार्टफोन और कंप्यूटर से लेकर उपग्रहों और रक्षा प्रणालियों तक, आधुनिक तकनीकों को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, सेमीकंडक्टर ने हाल ही में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए किए गए प्रयासों और चंद्रयान-3 जैसे मिशनों में स्वदेशी सेमीकंडक्टर-आधारित तकनीक के सफल उपयोग के साथ, जहाँ विक्रम लैंडर ने स्वचालित लैंडिंग के लिए भारत में निर्मित चिप्स और एआई का उपयोग किया था, इस छोटे लेकिन शक्तिशाली नवाचार पर फिर से ध्यान केंद्रित हो गया है जो डिजिटल बुनियादी ढांचे और रणनीतिक क्षमताओं के भविष्य को आकार दे रहा है।

इसलिए ये चिप्स आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ हैं, जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, उपग्रह और यहां तक कि आकाश तीर जैसी रक्षा प्रणालियों के कामकाज को सक्षम बनाती हैं।

ये चिप्स अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं और सूचनाओं को संग्रहीत, संसाधित और स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे उपकरणों को कॉल करने, डेटा संग्रहीत करने या विद्युत संकेतों को पहचानने जैसे कार्य करने में मदद मिलती है। प्रत्येक चिप में लाखों (या अरबों) सूक्ष्म स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जो विद्युत संकेतों को ठीक उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क कोशिकाएं संदेश भेजती हैं। इसमें प्रतिरोधक, संधारित्र और तार जैसे अन्य सूक्ष्म घटक भी होते हैं। ये तत्व मिलकर सूचनाओं को संसाधित और स्थानांतरित करते हैं।



एक रणनीतिक संदर्भ में सेमीकंडक्टर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है ?

सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे डिजिटलीकरण और स्वचालन में तेजी आ रही है, ये चिप्स आर्थिक लचीलेपन और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। COVID-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक चिप की कमी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे दुनिया भर के उद्योग बाधित हुए। तेज़, कुशल और कॉम्पैक्ट चिप्स की बढ़ती मांग बढ़ते डिजिटलीकरण, स्मार्ट उपकरणों, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग से प्रेरित है। सेमीकंडक्टर अब सभी प्रणालियों में वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग और निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। वर्तमान में, इस उद्योग पर कुछ देशों का प्रभुत्व है - ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका - अकेले ताइवान वैश्विक चिप्स का 60% से अधिक और उन्नत चिप्स का लगभग 90% उत्पादन करता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई योजनाओं और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से, इसका उद्देश्य एक मज़बूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। अपनी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और कुशल कार्यबल के साथ, भारत उभरते वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में एक विश्वसनीय और रणनीतिक केंद्र बनने की अच्छी स्थिति में है।

सेमीकंडक्टर बाजार में एक खिलाड़ी के रूप में भारत :

वैश्विक चिप की बढ़ती मांग और भौगोलिक संकेंद्रण के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमज़ोरी के साथ, भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में विविधता लाने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) को शामिल करने, भारत सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम जैसी रणनीतिक पहलों ने एक मज़बूत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी है।

वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने की उम्मीद है। भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के तीन प्रमुख स्तंभों में योगदान करने की क्षमता है।

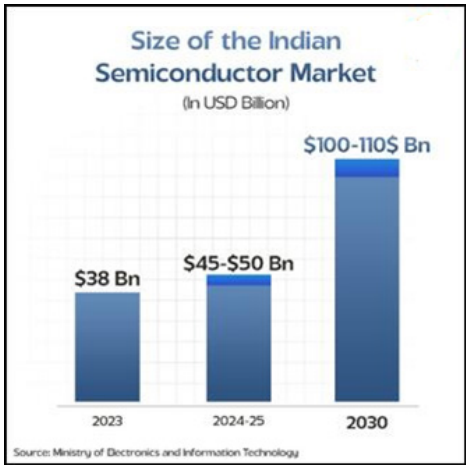
उपकरण -महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण के लिए मजबूत एमएसएमई आधार का लाभ उठाना।

सामग्री –आवश्यक रसायनों, खनिजों और गैसों से समृद्ध होना।

सेवाएँ –अनुसंधान एवं विकास, लॉजिस्टिक्स में उन्नत क्षमताएं, तथा एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और बिग डेटा में कुशल प्रतिभा पूल की पेशकश।

मई 2025 में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में दो अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये केंद्र उन्नत 3-नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर केंद्रित भारत के पहले केंद्र हैं, जो देश की सेमीकंडक्टर नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) :



दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) का उद्देश्य चिप निर्माण, डिस्प्ले निर्माण और डिज़ाइन में घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण करके भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में, ISM सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिससे एक मजबूत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।

आईएसएम का मिशन फोकस :

- चिप निर्माण संयंत्र (फैब्स) स्थापित करें
- पैकेजिंग और परीक्षण इकाइयाँ बनाएँ
- चिप डिज़ाइन में स्टार्टअप्स को समर्थन
- युवा इंजीनियरों को प्रशिक्षण
- वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए लाना

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के उद्देश्य :

1. **पारिस्थितिकी तंत्र विकास:** भारत में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाएं।
2. **सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला:** कच्चे माल, रसायन, गैस और उपकरण सहित एक विश्वसनीय और सुरक्षित अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **डिज़ाइन स्टार्ट-अप के लिए समर्थन:** ईडीए उपकरण, फाउंड्री पहुंच और प्रारंभिक चरण समर्थन प्रदान करके सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देना।

4. **स्वदेशी आईपी पीढ़ी:** सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले में घरेलू बौद्धिक संपदा के सृजन को बढ़ावा देना।

5. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी):** भारत में उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना।

6. **पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं:** विनिर्माण को बढ़ाने और लागत कम करने के लिए तंत्र स्थापित करना।

7. **उन्नत अनुसंधान एवं विकास:** अनुदान, उत्कृष्टता केन्द्रों और वैश्विक सहयोग के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान को समर्थन प्रदान करना।

8. **सहयोग एवं कौशल विकास:** अनुसंधान, व्यावसायीकरण और कार्यबल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत प्रमुख योजनाएँ

1. **सेमीकंडक्टर फैब्स योजना:** 28nm और परिपक्व नोड्स को लक्षित करने वाले सेमीकंडक्टर फ़ैब स्थापित करने के लिए 50% तक वित्तीय सहायता। घरेलू और वैश्विक चिप मांग को पूरा करने का लक्ष्य।

2. **प्रदर्शन फैब्स योजना:** AMOLED और LCD डिस्प्ले इकाइयों के लिए 50% तक समर्थन प्रदान करता है। आयात कम करने और स्थानीय डिस्प्ले निर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

3. **यौगिक अर्धचालक एवं एटीएमपी/ओएसएटी योजना:** मिश्रित अर्धचालकों, एमईएमएस और चिप पैकेजिंग/परीक्षण (एटीएमपी/ओएसएटी) इकाइयों को 50% तक वित्त पोषण प्रदान करता है। संपूर्ण अर्धचालक मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करता है।

4. **डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना:** डिज़ाइन स्टार्टअप्स और एमएसएमई को समर्थन देने के लिए ₹1000 करोड़ का परिव्यय। अनुसंधान एवं विकास प्रतिपूर्ति, डिज़ाइन टूल तक पहुँच और प्रति कंपनी ₹15 करोड़ तक की राशि प्रदान करता है। सीसीटीवी, दूरसंचार, उपग्रह और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में चिप डिजाइन के लिए 22 स्टार्टअप्स को 234 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

आईएसएम के अंतर्गत रणनीतिक सहयोग

1. **लैम रिसर्च और आईआईएससी:** अगले दशक में सेमीवर्स सिमुलेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन।

2. **भविष्य कौशल कार्यक्रम:** मध्य प्रदेश में 20,000 इंजीनियरों को सेमीकंडक्टर से संबंधित कौशल में प्रशिक्षित करने की सरकारी पहल। चिप डिजाइन और विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए साझेदारी।

4. **आईबीएम सहयोग:** यह भारतीय छात्रों और पेशेवरों को उद्योग-संरेखित कौशल बढ़ाने के लिए उन्नत प्रयोगशालाओं, इंटर्नशिप और अनुसंधान केंद्रों तक पहुंच प्रदान करता है।

5. **पर्ड्यू विश्वविद्यालय:** सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा विकास और व्यावसायीकरण के लिए समझौता ज्ञापन, जो शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु का काम करेगा।

भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सारणीबद्ध

तारीख	कंपनी	स्थान	निवेश	आउटपुट क्षमता
जून 2023	माइक्रोन टेक्नोलॉजी	साणंद, गुजरात	₹22,516 करोड़	एटीएमपी सुविधा (चरणबद्ध विस्तार)
फ़रवरी 2024	टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (TEPL) और PSMC (ताइवान)	धोलेरा, गुजरात	~₹91,000 करोड़	50,000 वेफर्स/माह
फ़रवरी 2024	सीजी पावर + रेनेसास + स्टार्स	साणंद, गुजरात	~₹7,600 करोड़	15 मिलियन चिप्स/दिन
फ़रवरी 2024	टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (TSAT)	मोरीगांव, असम	₹27,000 करोड़	48 मिलियन चिप्स/दिन
सितंबर 2024	केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड	साणंद, गुजरात	₹3,307 करोड़	6.33 मिलियन चिप्स/दिन
मई 2025	एचसीएल-फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम	जेवर, उत्तर प्रदेश	₹3,700 करोड़	20,000 वेफर्स/माह (36 मिलियन यूनिट/वर्ष)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सेमीकॉन इंडिया: भारत के सेमीकंडक्टर नेतृत्व का प्रदर्शन

अपने ₹76,000 करोड़ के भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने SEMICON India लॉन्च किया है, जो भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में स्थापित करने की एक प्रमुख पहल है। SEMI (सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल) के साथ साझेदारी में आयोजित, यह प्लेटफ़ॉर्म निवेश, नवाचार और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाता है।

सेमीकॉन इंडिया 2025 की मुख्य विशेषताएं

1. **व्यापक हितधारक भागीदारी:** 18 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ, यह संस्करण वैश्विक भागीदारी में एक बड़ी छलांग है, जो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय मंडप:** पहली बार, चार देश मंडप - जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया - अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और साझेदारी को बढ़ावा देंगे।

3. **देश गोलमेज सम्मेलन:** आठ उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलनों से भारत और साझेदार देशों की सरकार, उद्योग जगत के नेताओं और कंपनियों के बीच रणनीतिक संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

4. **कार्यबल विकास मंडप:** इस क्षेत्र में 2030 तक 1 मिलियन कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है, इसलिए यह मंडप छात्रों और इंजीनियरों के लिए कैरियर परामर्श, कौशल विकास और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

5. **सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप मंडप:** चिप डिजाइन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित स्थान, जिसमें नौ राज्य सरकारों की भागीदारी होगी, जबकि पिछले वर्ष इसमें छह राज्य सरकारें शामिल थीं।

6. **अतिरिक्त विशेषताएं:** इसमें स्टार्टअप मंडप (पैवेलियन), बी2बी फोरम और भारत की प्रतिभा पाइपलाइन और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की पहल शामिल हैं।

निष्कर्ष:

भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और सेमीकंडक्टर इस बदलाव के केंद्र में हैं। बढ़ती माँग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और आईसीईटी जैसी वैश्विक साझेदारियाँ जैसी रणनीतिक पहल शुरू की हैं। ये प्रयास वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत के एक उपभोक्ता से एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के संकेत देते हैं। जैसे-जैसे स्वीकृत सुविधाएँ शुरू होती हैं और नई परियोजनाएँ आकार लेती हैं, देश खुद को सेमीकंडक्टर निर्माण के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता मज़बूत हो रही है। निर्भरता से प्रभुत्व तक, चिप क्रांति वास्तविक है और यह यहीं, अभी भारत में हो रही है।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

Q1. सेमीकॉन इंडिया 2025 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सहायक के रूप में शामिल होंगे?

1. जापान
2. ताइवान
3. दक्षिण कोरिया
4. मलेशिया
5. सिंगापुर

सही विकल्प चुनें:

A. 1, 2, 3 और 5
B. 1, 3, 4 और 5
C. 2, 3, 4 और 5
D. 1, 2, 4 और 5

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q1. भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में निर्भरता से प्रभुत्व की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में भारत सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकॉन इंडिया जैसी पहलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



एनआईएसएआर (NISAR): भारत-अमेरिका रडार नेत्र पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

समाचार में क्यों?

इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह का 2025 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जो पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उपग्रह लगभग सभी भूमि और बर्फीली सतहों को हर 12 दिनों में दो बार स्कैन कर सकता है और प्रतिदिन अभूतपूर्व 80 टीबी डेटा उत्पन्न कर सकता है—जो मौजूदा प्रणालियों की तुलना में तीन गुना अधिक है।

सुदूर संवेदन की पृष्ठभूमि और विकास

1. **प्रारंभिक शुरुआत (1957):** रिमोट सेंसिंग की शुरुआत स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के साथ हुई, जिसमें पृथ्वी के बुनियादी अवलोकन के लिए ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग किया गया।

2. **उन्नत सेंसर की ओर बदलाव:** ऑप्टिकल प्रणालियां उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां लेने के लिए विकसित हुईं, लेकिन मौसम, प्रकाश की स्थिति और बादलों के आवरण के कारण सीमित थीं।

3. **रडार इमेजिंग का परिचय:** सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) प्रौद्योगिकी ने दृश्य प्रकाश के स्थान पर माइक्रोवेव का उपयोग करके सभी मौसमों में, दिन-रात इमेजिंग को सक्षम बनाया।

4. **रडार के लाभ:** बादलों, धुएं, धुंध और वनस्पतियों को भेदने तथा उच्च परिशुद्धता के साथ सतही परिवर्तनों का पता लगाने की क्षमता।

5. **मौजूदा प्रणालियों में लगातार अंतराल:** पिछले उपग्रहों को कम पुनरावलोकन आवृत्ति, सीमित क्षेत्र कवरेज और कम डेटा मात्रा जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा था।

6. **संकल्प एवं समयबद्धता चुनौती:** कई पुरानी प्रणालियाँ सेंटीमीटर स्तर की सटीकता और लगभग वास्तविक समय डेटा दोनों एक साथ उपलब्ध नहीं करा पाती थीं।

7. **NISAR इनका समाधान कैसे करता है:** एल-बैंड और एस-बैंड एसएआर को संयोजित करके, हर 12 दिनों में लगभग सभी भूमि और बर्फ को स्कैन करके, 80 टीबी/दिन उत्पन्न किया जा सकता है, और वैश्विक निगरानी के लिए बेजोड़ विवरण प्रदान किया जा सकता है।

निसार (NISAR) से जुड़ी जानकारी सारणीबद्ध रूप में:

पहलू	विवरण
लॉन्च वर्ष और सहयोग	2025, इसरो (भारत) और नासा (यूएसए) के बीच संयुक्त मिशन
डेटा उत्पादन क्षमता	80 टीबी/दिन — मौजूदा पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों से तीन गुना अधिक
कवरेज	लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों का स्कैन, हर 12 दिन में दो बार
शुद्धता	सेंटीमीटर-स्तर की परिशुद्धता, सतही परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम
अद्वितीय क्षमताएँ	दोहरी आवृत्ति एसएआर (एल-बैंड और एस-बैंड) से सभी मौसमों, दिन-रात इमेजिंग; बादलों, धुएं और वनस्पतियों में प्रवेश; विस्तृत पर्यावरणीय, कृषि और आपदा निगरानी की क्षमता

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं

1. **दोहरे सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर):** भूभाग की उतार-चढ़ाव, वन घनत्व और कार्बन स्टॉक मानचित्रण के लिए एल-बैंड (दीर्घ तरंगदैर्ध्य) और मृदा नमी, फसल की स्थिति और जल निकायों के लिए एस-बैंड (लघु तरंगदैर्ध्य) से सुसज्जित।

2. **सभी मौसम, दिन-रात इमेजिंग:** सूर्य के प्रकाश या बादलों की परवाह किए बिना संचालित होता है, जिससे निरंतर डेटा प्रवाह सुनिश्चित होता है।

3. **प्रवेश क्षमता:** माइक्रोवेव बादल, धुएं, धुंध और यहां तक कि घनी वनस्पतियों में भी प्रवेश कर सकते हैं, तथा सतह की छिपी हुई विशेषताओं को पकड़ सकते हैं।

4. **उच्च परिशुद्धता भू-भाग मानचित्रण:** पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाता है, जो भूमि अवतलन और भ्रंश रेखा निगरानी के लिए उपयोगी है।

5. **पर्यावरण परिवर्तन का पता लगाना:** समय के साथ वनस्पति आवरण, बर्फ की चादरों और जल निकायों में सूक्ष्म परिवर्तनों की पहचान करता है।

6. **निकट वास्तविक समय डेटा ट्रांसमिशन:** आपदा प्रतिक्रिया जैसे समय-संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए सूचना का त्वरित वितरण सक्षम बनाता है।

7. **उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ वैश्विक कवरेज:** यह विस्तृत क्षेत्र स्कैनिंग को सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ जोड़ता है, जो पहले के उपग्रहों की तुलना में एक बड़ी छलांग है।

अनुप्रयोग और प्रभाव

1. **आपदा प्रबंधन:** बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप की निगरानी करता है ताकि त्वरित आपातकालीन चेतावनियाँ दी जा सकें। राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए त्वरित क्षति आकलन में सक्षम बनाता है।

2. **जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी:** ग्लेशियरों के पीछे हटने और बर्फ की चादरों के पिघलने पर नज़र रखता है, जिससे जलवायु परिवर्तन अध्ययनों में मदद मिलती है। जलवायु नीति समर्थन के लिए वन क्षेत्र का मानचित्रण और कार्बन भंडार का मापन करता है। जैव विविधता आवासों की निगरानी करता है, जिससे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में मदद मिलती है।

3. **कृषि:** बेहतर उपज पूर्वानुमान के लिए मृदा नमी मापता है और फसल की परिपक्वता अवस्थाओं पर नज़र रखता है। सिंचाई योजना और जल संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है।

4. **शहरी एवं बुनियादी ढांचा योजना:** शहरी क्षेत्रों में भूमि अवतलन का पता लगाना, बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान को रोकना। तटीय कटाव की निगरानी करना, तटरेखा संरक्षण उपायों का मार्गदर्शन करना।

भारत के लिए महत्व

1. **जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा:** चरम मौसम की घटनाओं, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी और शमन के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है।

2. **खाद्य सुरक्षा संवर्धन:** टिकाऊ कृषि के लिए फसल निगरानी, उपज पूर्वानुमान और सिंचाई योजना में सुधार करता है।

3. **स्मार्ट कृषि के लिए समर्थन:** एआई आधारित खेती और वास्तविक समय क्षेत्र सलाह के लिए डिजिटल इंडिया पहल के साथ एकीकृत।

4. **संवेदनशील राज्यों में आपदा प्रबंधन:** असम, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे बाढ़, भूकंप और चक्रवातों से प्रभावित राज्यों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. **प्रमुख योजनाओं के साथ एकीकरण:** पीएमएफबीवाई, पीएमकेएसवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और स्मार्ट सिटी मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

6. **शहरी नियोजन सहायता:** भूमि अवतलन का पता लगाकर और निर्माण क्षेत्रों की निगरानी करके बुनियादी ढांचे के नुकसान को रोकने में मदद करता है।

7. **वैज्ञानिक उन्नति:** वैश्विक पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और जलवायु मॉडलिंग में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

वैश्विक एवं सामरिक महत्व

1. **वैश्विक जलवायु मॉडल में योगदान:** जलवायु परिवर्तन अनुमानों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन एसएआर डेटा प्रदान करता है।

2. **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए समर्थन:** जलवायु कार्रवाई, भूमि पर जीवन और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखने में सहायता करता है।

3. **वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत करना:** यह लगभग वास्तविक समय डेटा के साथ समन्वित मानवीय प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है।

4. **अंतरिक्ष कूटनीति:** यह इसरो-नासा की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है, जो भारत की अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ावा देगा।

5. **वैज्ञानिक सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और एजेंसियों के साथ संयुक्त अनुसंधान के अवसर खुलेंगे।

6. **वैश्विक कृषि निगरानी के लिए डेटा:** वैश्विक खाद्य सुरक्षा योजना में एफएओ और अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करना।

7. **भारत के तकनीकी नेतृत्व का प्रदर्शन:** यह भारत को उच्च परिशुद्धता पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य चुनौतियाँ :

1. **बड़े पैमाने पर डेटा हैंडलिंग:** 80 टीबी/दिन डेटा प्रवाह के लिए भंडारण और प्रसंस्करण प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

2. **उन्नत विश्लेषण की आवश्यकता:** कच्चे डेटा को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में परिवर्तित करने के लिए एआई और बड़े डेटा उपकरणों का एकीकरण।

3. **बुनियादी ढांचे में अंतराल:** समय पर डेटा रिले के लिए ग्राउंड स्टेशनों और संचार नेटवर्क का उन्नयन।

4. **साइबर सुरक्षा जोखिम:** साइबर खतरों से संवेदनशील भू-स्थानिक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

5. **डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल:** अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू डेटा वितरण के लिए स्पष्ट नीतियां स्थापित करना।

6. **क्षमता निर्माण:** राज्य आपदा एजेंसियों, किसानों और शोधकर्ताओं को एसएआर डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना।

7. **उपयोग की लागत:** यह सुनिश्चित करना कि उच्च तकनीक अनुप्रयोग स्थानीय प्रशासन और समुदायों के लिए किफायती बने रहें।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

आगे की राह

1. **राष्ट्रीय भू-स्थानिक एकीकरण:** एनआईएसएआर आउटपुट को भुवन और एनआरएससी जैसे मौजूदा भारतीय भू-स्थानिक डेटा प्लेटफार्मों के साथ विलय करना।
2. **स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को बढ़ावा देना:** कृषि, आपदा और पर्यावरण के लिए NISAR-आधारित ऐप बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें।
3. **एआई-संचालित समाधान:** एसएआर छवियों की स्वचालित व्याख्या के लिए एआई मॉडल में निवेश करें।
4. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार:** क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पड़ोसी देशों के साथ चुनिंदा डेटा साझा करना।
5. **जन जागरूकता अभियान:** NISAR से प्रारंभिक चेतावनियों और पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि का उपयोग करने के बारे में समुदायों को शिक्षित करना।
6. **शैक्षणिक संलग्नता:** जलवायु विज्ञान, भूविज्ञान और कृषि के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान में NISAR डेटा को एकीकृत करना।
7. **नियमित प्रदर्शन समीक्षा:** मिशन दक्षता की निगरानी करें और अधिकतम उपयोगिता के लिए डेटा वितरण तंत्र को उन्नत करें।

निष्कर्ष:

NISAR उन्नत द्वि-आवृत्ति रडार तकनीक को अभूतपूर्व डेटा उत्पादन और वैश्विक कवरेज के साथ जोड़कर पृथ्वी अवलोकन में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन, लगभग वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने की इसकी क्षमता आपदा तैयारियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, पर्यावरण संरक्षण उपायों को मज़बूत कर सकती है और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति दे सकती है। अपने वैज्ञानिक और व्यावहारिक लाभों के अलावा, NISAR तकनीकी उत्कृष्टता और भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग की बढ़ती गहराई का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो दर्शाता है कि कैसे सहयोगात्मक नवाचार हमारे ग्रह के सामने आने वाली कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

Q1. नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाने वाला पहला उपग्रह है।
2. यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी इमेजिंग के लिए केवल ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है।
3. यह बादलों, धुएं और वनस्पतियों को भेदकर सतह की विशेषताओं को कैद कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q1. निसार को पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव बताया जा रहा है। इसकी प्रमुख तकनीकी विशेषताओं, अनुप्रयोगों और भारत तथा विश्व के लिए इसके महत्व के साथ-साथ इसके उपयोग में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



अंतरिक्ष एक नया युद्धक्षेत्र : गोल्डन डोम रक्षा योजना

समाचार में क्यों?

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 175 अरब डॉलर के अमेरिकी कार्यक्रम, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, ने बहुस्तरीय अंतरिक्ष और भूमि-आधारित रक्षा नेटवर्क बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए ध्यान आकर्षित किया है। इसका उद्देश्य आईसीबीएम, हाइपरसोनिक हथियारों और क्रूज मिसाइलों को उनके प्रक्षेपण और मध्य-मार्ग के दौरान रोकना है। पेंटागन ने रक्षा ठेकेदारों के समक्ष इसका खाका प्रस्तुत किया है, जिसमें स्पेसएक्स, लॉकहीड मार्टिन और एल3 हैरिस जैसी कंपनियां प्रमुख दावेदार हैं। इस प्रणाली की तुलना इजराइल के आयरन डोम और रीगन की स्टार वार्स पहल, दोनों से की जा रही है। हालाँकि, इसकी व्यवहार्यता, वित्तपोषण और

वैश्विक रणनीतिक स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर संदेह बना हुआ है।



ऐतिहासिक संदर्भ :

1. **शीत युद्ध की जड़ें :** मिसाइल रक्षा के विचार अमेरिका-सोवियत प्रतिद्वंद्विता के दौरान उभरे, जहां परमाणु-संचालित आईसीबीएम के डर ने प्रारंभिक रक्षा अनुसंधान को जन्म दिया।
2. **एबीएम संधि (1972) :** अमेरिका और सोवियत संघ ने पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश (एमएडी) को बनाए रखने के लिए मिसाइल सुरक्षा को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे अस्थिरता को रोका जा सके।
3. **रीगन का एसडीआई (1983) :** लोकप्रिय रूप से स्टार वार्स के नाम से प्रसिद्ध इस फिल्म में सोवियत परमाणु मिसाइलों को निष्क्रिय करने के लिए अंतरिक्ष आधारित लेजर और इंटरसेप्टर की कल्पना की गई थी।
4. **एसडीआई चुनौतियाँ :** उच्च लागत, अप्रमाणित प्रौद्योगिकी, संधि उल्लंघन और राजनीतिक विरोध के कारण यह कार्यक्रम विफल हो गया।
5. **शीत युद्ध के बाद के प्रयास :** अमेरिका ने राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा जैसी सीमित प्रणालियों को अपनाया तथा बड़े पैमाने पर रक्षा विकसित करने के लिए 2002 में एबीएम संधि से हट गया।
6. **वर्तमान अमेरिकी प्रणालियाँ :** ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स डिफेंस (जीएमडी), टीएचएएडी, एजिस और पैट्रियट स्तरित लेकिन क्षेत्रीय रूप से सीमित कवरेज प्रदान करते हैं।
7. **इज़राइली आयरन डोम प्रेरणा (2011) :** रॉकेट और ड्रोन के खिलाफ युद्धक्षेत्र में इसकी सफलता ने राष्ट्रव्यापी अमेरिकी सुरक्षा कवच के लिए ट्रम्प के दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

अवधारणा और उद्देश्य :

1. **मुख्य उद्देश्य :** आईसीबीएम, हाइपरसोनिक्स और क्रूज मिसाइलों जैसे उभरते खतरों के खिलाफ एक व्यापक मातृभूमि रक्षा कवच का निर्माण करें।
2. **चार-परत वास्तुकला :** अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर, उन्नत जीएमडी, नई भूमि आधारित साइटें, और सीमित क्षेत्र/जनसंख्या रक्षा।
3. **अंतरिक्ष-आधारित अवरोधन परत :** मिसाइलों पर उनके प्रारंभिक प्रक्षेप पथ के दौरान हमला करने के लिए सेंसर, इंटरसेप्टर या लेजर युक्त सैकड़ों उपग्रह।
4. **बूस्ट-चरण फोकस :** मिसाइलों को उनकी धीमी, पूर्वानुमानित चढ़ाई के दौरान नष्ट करने का प्रयास, जो कि मौजूदा मध्य-मार्ग प्रणालियों की तुलना में एक बड़ी सफलता है।
5. **उन्नत जीएमडी :** कैलिफोर्निया और अलास्का में मौजूदा इंटरसेप्टरों को मध्यमार्ग अवरोधन के लिए बेहतर मारक वाहनों और सेंसरों के साथ उन्नत किया गया।
6. **नई भूमि-आधारित परतें :** अतिरिक्त अतिरेक के लिए पांच नए इंटरसेप्टर स्थल (3 महाद्वीपीय अमेरिका में, 1 हवाई में, 1 अलास्का में)।
7. **सीमित क्षेत्र/जनसंख्या रक्षा :** शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पैट्रियट प्रणालियों, नए रडारों और सामान्य लांचरों का एकीकरण।

तकनीकी पहलू :

1. **अंतरिक्ष-आधारित सेंसर :** मिसाइल प्रक्षेपणों की सतत वैश्विक ट्रैकिंग प्रदान करने के लिए उपग्रहों का एक समूह।
2. **अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर :** कक्षीय हथियार या प्लेटफार्म जो आईसीबीएम को बढ़ावा देने या मध्य-मार्ग चरण में हमला करने में सक्षम हों।
3. **निर्देशित-ऊर्जा हथियार :** गोला-बारूद खत्म हुए बिना उच्च गति पर मिसाइलों को नष्ट करने के लिए लेजर या उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव का उपयोग।
4. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) :** एक साथ कई खतरों से निपटने के लिए एआई-सक्षम स्वायत्त ट्रैकिंग और निर्णय-निर्माण।
5. **उपग्रह तारामंडल :** स्टारलिंक जैसी प्रणालियों के आधार पर निर्मित, यह नोड्स के बीच अतिरेक और तीव्र डेटा-साझाकरण सुनिश्चित करता है।
6. **प्रमुख चुनौतियाँ :** बूस्ट-चरण अवरोधन अत्यंत कठिन है क्योंकि इसके लिए सटीक समय और स्थिति की आवश्यकता होती है।
7. **हाइपरसोनिक ट्रैकिंग मुद्दे:** वास्तविक वारहेड्स, डिकॉय और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों के बीच अंतर करना एक प्रमुख तकनीकी बाधा बनी हुई है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सामरिक एवं सुरक्षा महत्व :

1. **मातृभूमि की सुरक्षा :** यह अमेरिका को परमाणु और मिसाइल हमलों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य है।
2. **विरोधियों का मुकाबला :** इसका सीधा लक्ष्य चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के मिसाइल शस्त्रागार पर है।
3. **निवारण विश्वसनीयता :** आक्रामक क्षमताओं में रक्षात्मक विश्वसनीयता जोड़कर अमेरिकी परमाणु स्थिति को मजबूत करता है।
4. **रणनीतिक संकेत :** यह परियोजना अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है, सहयोगियों को आश्वस्त करती है तथा विरोधियों को रोकती है।
5. **MAD व्यवधान :** यह पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश (एमएडी) को कमजोर करता है, जो शीत युद्ध के बाद से परमाणु स्थिरता की नींव रहा है।
6. **हथियारों की दौड़ के जोखिम :** इससे शत्रुओं को रक्षा-क्षेत्र को ध्वस्त करने के लिए अधिक एमआईआरवी, हाइपरसोनिक्स और छद्म प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
7. **विस्तारित निवारण :** सहयोगी देश (जापान, नाटो) एकीकरण की मांग कर सकते हैं, जिससे यह वैश्विक अमेरिकी सुरक्षा नेतृत्व के लिए एक उपकरण बन जाएगा।

आर्थिक और औद्योगिक पहलू :

1. **भारी निवेश :** अनुमानित लागत 175 बिलियन डॉलर से अधिक, अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी रक्षा परियोजनाओं में से एक।
2. **रक्षा ठेकेदार :** प्रमुख खिलाड़ियों में स्पेसएक्स, लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन (आरटीएक्स), एल3हैरिस, पैलंटिर और एन्दुरिल शामिल हैं।
3. **स्पिन-ऑफ लाभ :** अनुसंधान से अंतरिक्ष तकनीक, एआई, निर्देशित-ऊर्जा और उपग्रह प्रणालियों में प्रगति हो सकती है।
4. **रोजगार सृजन :** बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण से रक्षा केन्द्रों में हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
5. **ओवररन का जोखिम :** पिछले अमेरिकी मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों में देरी, लागत में वृद्धि और सीमित प्रभावशीलता का सामना करना पड़ा था।
6. **अवसर लागत :** अधिक व्यय के कारण अन्य रक्षा या घरेलू आवश्यकताओं से संसाधन हट सकते हैं।
7. **निजी क्षेत्र की भूमिका : वाणिज्यिक** अंतरिक्ष कंपनियों (जैसे स्पेसएक्स) की भारी भागीदारी से स्वामित्व और सैन्य-औद्योगिक निर्भरता के बारे में सवाल उठते हैं।

राजनीतिक और नीति :

1. **ट्रम्प की फ़्रेमिंग :** इसे अमेरिकियों को परमाणु खतरों से बचाने के देशभक्तिपूर्ण वादे के रूप में प्रस्तुत किया गया।
2. **कांग्रेस की बहसें :** 25 बिलियन डॉलर का प्रारंभिक अनुरोध 150 बिलियन डॉलर के बड़े रक्षा पैकेज से जुड़ा हुआ है।
3. **पक्षपातपूर्ण विभाजन :** रिपब्लिकन बड़े पैमाने पर समर्थन में हैं; डेमोक्रेट्स लागत और व्यवहार्यता पर अधिक संदेह कर रहे हैं।
4. **चुनावी राजनीति :** ट्रम्प ने इसे अपने चुनावी वादे के रूप में इस्तेमाल किया तथा इसे अपने "अमेरिका फर्स्ट" रक्षा दृष्टिकोण से जोड़ा।
5. **शस्त्र नियंत्रण मुद्दे :** यह संभावित रूप से एबीएम संधि के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तथा न्यू स्टार्ट विस्तार को जटिल बना सकता है।
6. **अंतर्राष्ट्रीय कानून :** बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के बारे में चिंता जताई गई है, जिसका कई वैश्विक संधियों द्वारा विरोध किया गया है।
7. **भावी प्रशासन :** यह अनिश्चित है कि उत्तराधिकारी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम को जारी रखेंगे, उसका आकार घटाएंगे या रद्द करेंगे।

वैश्विक एवं राजनयिक निहितार्थ :

1. **परमाणु समता को चुनौती :** रूस और चीन गोल्डन डोम को सामरिक संतुलन को कमजोर करने वाला मानते हैं।
2. **नए हथियारों की दौड़ का खतरा :** इससे शत्रुओं द्वारा एमआईआरवी, हाइपरसोनिक्स और प्रलोभनों के विकास में तेजी आ सकती है।
3. **नाटो आयाम :** सहयोगी देश संयुक्त एकीकरण या विस्तारित अमेरिकी कवरेज के लिए दबाव डाल सकते हैं।
4. **तुलनात्मक मॉडल :** इजराइल के आयरन डोम को प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका दायरा सीमित है।
5. **प्रतिद्वंद्वी प्रणालियाँ :** रूस के एस-500 और चीन के एचक्यू-19 को प्रतिउपाय के रूप में देखा गया।
6. **संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक बहस :** अंतरिक्ष शस्त्रीकरण पर चर्चाएं तेज होने की संभावना है।
7. **शस्त्र नियंत्रण विश्वसनीयता :** वैश्विक हथियार नियंत्रण वार्ता में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

व्यवहार्यता और आलोचनाएँ :

1. **अप्रमाणित प्रौद्योगिकी :** बूस्ट-चरण अवरोधन में अभी भी व्यावहारिक सफलता का अभाव है।
2. **अंतरिक्ष शस्त्रीकरण की बाधाएँ :** तकनीकी, कानूनी और वित्तीय बाधाएं बहुत अधिक हैं।
3. **परीक्षण चुनौतियाँ :** वास्तविक विश्व मिसाइल खतरों का अनुकरण करना कठिन बना हुआ है।
4. **वित्तीय चिंताएँ :** रीगन के एसडीआई की याद दिलाने वाले बड़े व्यय का जोखिम।
5. **प्रतीकात्मक बनाम व्यावहारिक :** आलोचकों का तर्क है कि यह परिचालन रक्षा से अधिक राजनीति से संबंधित है।
6. **विरोधी पक्ष की वृद्धि :** रूस/चीन को मिसाइल भंडार बढ़ाने के लिए उकसाया जा सकता है।
7. **परिचालन यथार्थवाद :** कई विशेषज्ञों को युद्धक्षेत्र में इसकी व्यवहार्यता पर संदेह है।

आगे की राह :

1. **वृद्धिशील विकास :** संभवतः उन्नयन के रूप में प्रगति होगी, पूर्ण ढाल के रूप में नहीं।
2. **मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकरण :** जीएमडी, टीएचएएडी और एजिस को अंतरिक्ष सेंसरों से मजबूत किया जाएगा।
3. **विकास की समयरेखा :** पूर्ण कार्यान्वयन में 10-20 वर्ष लग सकते हैं।
4. **हाइपरसोनिक फोकस :** सबसे पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों का मुकाबला करने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
5. **रणनीतिक दृष्टि का पुनरुद्धार :** इसे रीगन युग की "स्टार वार्स" महत्वाकांक्षाओं की प्रतीकात्मक वापसी के रूप में देखा जाता है।
6. **तकनीकी नेतृत्व परीक्षण :** अंतरिक्ष-रक्षा प्रौद्योगिकियों में अमेरिकी प्रभुत्व का परीक्षण होगा।
7. **राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर :** सफलता निरंतर वित्त पोषण, नवाचार और द्विदलीय समर्थन पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष :

गोल्डन डोम शीत युद्ध के बाद से अमेरिका की सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा पहल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अंतरिक्ष-आधारित अवरोधन, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बहुस्तरीय जमीनी प्रणालियों का एक ही राष्ट्रीय कवच में सम्मिश्रण किया गया है। हालाँकि यह अमेरिका की पूर्ण मातृभूमि सुरक्षा की खोज का प्रतीक है, लेकिन इस परियोजना के सामने भारी तकनीकी, वित्तीय और रणनीतिक चुनौतियाँ हैं। इसकी सफलता पारंपरिक परमाणु प्रतिरोध को कमज़ोर करके वैश्विक सुरक्षा को नया रूप दे सकती है, लेकिन इसकी विफलता रीगन के एसडीआई के हश्र की याद दिला सकती है, जिससे केवल राजनीतिक प्रतीकवाद और संसाधनों की बर्बादी ही बचेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक अमेरिकी परियोजना है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष और जमीन आधारित स्तरित मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण करना है।
2. इजराइल का आयरन डोम और भारत का एस-400, गोल्डन डोम का तकनीकी आधार हैं।
3. इसका एक प्राथमिक लक्ष्य हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों और आईसीबीएम का मुकाबला करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच को रीगन की रणनीतिक रक्षा पहल (एसडीआई) के बाद से सबसे महत्वाकांक्षी अमेरिकी सैन्य परियोजना बताया गया है। हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष-आधारित युद्ध के वर्तमान युग में इसके उद्देश्यों, तकनीकी चुनौतियों, रणनीतिक निहितार्थों और व्यवहार्यता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कवच 4.0 : भारत की विश्वस्तरीय रेल सुरक्षा में क्रांतिकारी छलांग

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रेलवे ने 30 जुलाई 2025 को देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेल गलियारों में से एक — दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा खंड पर अत्याधुनिक रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का संचालन शुरू कर दिया है।



- केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस ऐतिहासिक शुरुआत की घोषणा की गई। यह कदम भारतीय रेलवे के क्षेत्र में केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि यह भारत की रेलवे सुरक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को दर्शाता है।
- यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत का रेल नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते नेटवर्कों में से एक बन चुका है।
- भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा की चिंताओं के समाधान के रूप में यह कदम एक नई दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत की रेल यात्रा भविष्य में अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और भरोसेमंद बन सकें।

कवच 4.0 : भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी कदम क्यों है?

- कवच 4.0, भारतीय रेलवे की स्वदेशी और विश्वस्तरीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे Safety Integrity Level 4 (SIL-4) के मानकों पर डिज़ाइन किया गया है। SIL-4 वह उच्चतम सुरक्षा मानक है जो यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में गड़बड़ी की संभावना 10 लाख में से सिर्फ एक बार होती है।

भारतीय रेलवे की यह स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली क्यों विशेष है?

- इस सुरक्षा प्रणाली से ट्रेनें अपने आप गति नियंत्रित कर सकती हैं।
- यह सामने सिग्नल लाल हो या ट्रैक पर कोई बाधा हो, तो ट्रेन स्वतः ब्रेक लगा लेती है।
- यह कोहरे या कम दृश्यता वाले मौसम में भी सटीक कार्य करती है।
- इस सुरक्षा प्रणाली से लोको पायलट को केबिन में ही डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से सिग्नल व ट्रैक से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त होती है।
- कवच 4.0 के आने से भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां ऐसी उन्नत और स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

कवच 4.0 की अद्वितीय तकनीकी विशेषताएँ :

- कवच 4.0 को 'रेल सुरक्षा का डिजिटल कवच' कहा जा सकता है। इसके पीछे एक जटिल लेकिन अत्यधिक विश्वसनीय तकनीकी बुनियाद है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -
- **रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID टैगिंग) :** हर एक किलोमीटर और हर सिग्नल पर RFID (Radio Frequency Identification) टैग लगाए गए हैं। ये टैग ट्रेन की सटीक लोकेशन ट्रैक करने में मदद करते हैं, जिससे टक्कर की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।
- **टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क :** हर कुछ किलोमीटर पर बनाए गए टेलीकॉम टावरों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। इससे ट्रेन और नियंत्रण प्रणाली के बीच रीयल-टाइम डेटा ट्रांसमिशन संभव होता है।
- **संचार प्रणाली :** लोकोमोटिव में लगे कवच डिवाइस, स्टेशन कंट्रोलर और RFID टैग के बीच स्थायी और दोतरफा संचार बना रहता है। किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन को रुकने का आदेश तुरंत मिल जाता है।
- **ब्रेकिंग सिस्टम का एकीकरण :** कवच प्रणाली ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम से सीधे जुड़ी हुई है। यदि ट्रेन सिग्नल की अनदेखी करती है या दूसरी ट्रेन के बहुत पास आ जाती है, तो यह स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है।
- **उच्च गति पर भी प्रभावी होना :** मई 2025 में कवच 4.0 को 160 किमी प्रति घंटे की गति तक संचालन की अनुमति दी गई, जो इसे भारत के उच्च गति रेल नेटवर्क के लिए उपयुक्त बनाता है।

यात्री सुरक्षा के संदर्भ में कवच 4.0 तकनीकी का मुख्य लाभ :

1. **मानवीय गलतियों (ह्यूमन एरर) में कमी होना :** लोको पायलट की गलती के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ अब रोकी जा सकेंगी।

2. **स्वचालित एवं उन्नत डिजिटल नियंत्रण प्रणाली :** ट्रेन की गति और दिशा पर पूरा नियंत्रण अब एक उन्नत डिजिटल प्रणाली के हाथों में है।



3. **कम दृश्यता में भी सुरक्षा प्रदान करना :** कोहरा, धूल या रात के अंधेरे में भी कवच प्रभावी रहता है।

4. **यात्री विश्वास में वृद्धि होना :** यात्रियों को इस बात का भरोसा होता है कि वे एक अत्यधिक सुरक्षित प्रणाली में यात्रा कर रहे हैं।

5. **देशव्यापी विस्तार की योजना :** रेल मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 6 वर्षों में देशभर में कवच प्रणाली लागू की जाएगी। यह एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें मानव संसाधन, तकनीकी बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की भारी आवश्यकता होगी।

6. **तैयारी और प्रशिक्षण से तकनीकी रूप से दक्ष कार्यबल तैयार करना :** अब तक 30,000+ रेलवे कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान (IRISET) ने 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के साथ समझौते किए हैं ताकि कवच तकनीक को बी.टेक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। इससे आने वाले वर्षों में एक तकनीकी रूप से दक्ष कार्यबल तैयार होगा।

कवच 4.0 को लागू करने में मुख्य चुनौतियाँ :

- **वित्तीय निवेश की आवश्यकता :** कवच को पूरे भारत में लागू करने के लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हालांकि सरकार निवेश कर रही है, लेकिन यह सतत वित्त पोषण की माँग करता है।

- **तकनीकी एकरूपता को कवच के साथ समन्वित करने की बड़ी चुनौती :** भारत में कई प्रकार के सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम पहले से काम कर रहे हैं। उन्हें कवच के साथ समन्वित करना एक बड़ी चुनौती है।

- **भौगोलिक विविधता के कारण कवच की वायरिंग और टॉवर इंस्टॉलेशन करने में कठिनाई :** पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कवच की वायरिंग और टॉवर इंस्टॉलेशन करना कठिन है।

- **जनशक्ति को नई प्रणाली के लिए प्रशिक्षित और ट्रेनिंग देने की चुनौती :** लाखों रेलवे कर्मचारियों को नई प्रणाली के लिए प्रशिक्षित करना एक लंबी और सतत प्रक्रिया है।

समाधान की राह :

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) की आवश्यकता :** कवच के विस्तार में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने से वित्तीय बोझ कम हो सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियाँ टॉवर स्थापना, फाइबर बिछाने और सिस्टम मेंटेनेंस में भाग ले सकती हैं।



- **स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत :** देश में ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण को प्रोत्साहित कर लागत में कमी लाई जा सकती है।

- **चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति :** सबसे व्यस्त और संवेदनशील मार्गों पर पहले कवच लागू करना और फिर चरणबद्ध तरीके से पूरे नेटवर्क में विस्तार करना एक व्यावहारिक रणनीति है।

- **निरंतर प्रशिक्षण और अपग्रेडेशन की जरूरत :** भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजिटल सिमुलेशन प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं ताकि वे समय के साथ तकनीक में दक्ष बन सकें।

निष्कर्ष :

1. कवच 4.0 केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि यह भारत के रेल सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य की नींव है। यह एक ऐसा विज़न जिसमें हर यात्री सुरक्षित महसूस करे, हर ट्रेन समय पर चले और हर यात्रा एक भरोसे के साथ पूरी हो।

2. भारत जैसे देश में, जहाँ रेलवे केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन रेखा है, वहां कवच 4.0 जैसे नवाचार न केवल हादसों को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर रेल सुरक्षा की अग्रणी शक्तियों में भी स्थान दिलाते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. जैसे-जैसे कवच 4.0 का दायरा बढ़ेगा, भारत का रेल नेटवर्क न केवल दुनिया का सबसे बड़ा, बल्कि सबसे सुरक्षित भी बनने की ओर अग्रसर होगा। यह पहल प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसे अभियानों को भी मजबूती देती है।

4. अंततः, कवच 4.0 भारत के रेलवे इतिहास का वह अध्याय है जो भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित, स्मार्ट और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरणा देगा।

5. हर साल भारतीय रेलवे पर लाखों यात्री यात्रा करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमेशा से चुनौती रहा है। कवच 4.0 इसके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. कवच 4.0 प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं?

1. यह "मेक इन इंडिया" अभियान को सशक्त करता है और यह ट्रेन को स्वतः ब्रेक लगाने की क्षमता देती है।
2. यह रेलवे में निजीकरण को पूरी तरह समाप्त करता है।
3. यह प्रणाली केवल दिन में कार्य करती है और यह ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सकती है।
4. यह लोको पायलट को डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से जानकारी देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4 B. केवल 2 और 3

C. इनमें से कोई नहीं। D.उपरोक्त सभी।

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि भारतीय रेलवे द्वारा लागू की गई स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 को रेल यात्रा को सुरक्षित, स्मार्ट और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम क्यों माना जा रहा है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

मिशन सुदर्शन चक्र : आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी तकनीक आधारित सुरक्षा पहल

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी और निर्णायक पहल 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की है।
- यह पहल भारत की सुरक्षा रणनीतियों को आधुनिक तकनीक, स्वदेशी नवाचार और प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मिलन से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है।



मिशन सुदर्शन चक्र का मूल दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा नीति :

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा - **" हर नागरिक को न केवल सुरक्षित होना चाहिए, बल्कि उसे खुद को सुरक्षित महसूस भी होना चाहिए। "**
- इसी भावना को साकार करने के लिए 'मिशन सुदर्शन चक्र' की रचना की गई है, जो अगले दस वर्षों में सन 2035 तक चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस मिशन के माध्यम से भारत की रणनीतिक, नागरिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थानों को ऐसे सुरक्षा कवच में ढाला जाएगा जो पूरी तरह भारत में विकसित तकनीक पर आधारित होगा।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि भारत विदेशी सुरक्षा प्रणालियों पर अपनी निर्भरता को खत्म करे और हर प्रकार के उभरते खतरों — चाहे वे भौतिक हों या डिजिटल — का सटीक और त्वरित जवाब देने में सक्षम हो।

मिशन सुदर्शन चक्र के प्रमुख उद्देश्य और प्राथमिकताएँ :

1. **बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण** — जो विकसित होते खतरों के प्रत्येक स्तर पर त्वरित और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
2. **स्वदेशी तकनीक पर आधारित आत्मनिर्भर सुरक्षा मॉडल** — जिससे भारत विदेशी प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम करे और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित कर सके।
3. **निगरानी, साइबर और भौतिक सुरक्षा का एकीकृत ढांचा** — जिससे समस्त सुरक्षा घटक एक दूसरे के पूरक बनें।
4. **पूर्व-चेतावनी और प्रतिक्रिया क्षमता का सशक्तीकरण** — ताकि संभावित खतरों की पहचान समय रहते हो और उनका मुकाबला किया जा सके।

सांस्कृतिक प्रतीकवाद का प्रयोग और महाभारत से प्रेरणा :

- अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाभारत के युद्ध का एक प्रेरक प्रसंग साझा किया। जब अर्जुन को जयद्रथ का वध करना था और सूर्यास्त निकट था, तब भगवान कृष्ण ने माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे युद्ध की दिशा बदल गई। इसी प्रसंग को उदाहरण बनाकर उन्होंने कहा - "आज हमें भी अपने राष्ट्र के महत्वपूर्ण संस्थानों को अदृश्य और अजेय सुरक्षा कवच प्रदान करना है — ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण ने अर्जुन के लिए समय बनाया था।"
- इस प्रतीकवाद के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मिशन सुदर्शन चक्र केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक नवाचार का संगम है।

मिशन सुदर्शन चक्र' प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ :

1. **उन्नत निगरानी प्रणाली का होना :** संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और मल्टी-सेंसर युक्त उन्नत प्रणाली का प्रयोग। यह प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों की स्वतः पहचान और त्वरित सूचना संप्रेषण में सक्षम होगी।
2. **सशक्त साइबर सुरक्षा प्रणाली :** अत्याधुनिक फायरवॉल, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल और एआई आधारित खतरा पहचान तकनीकों से युक्त बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा ढाँचा, जो डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों से संरक्षा सुनिश्चित करता है। इस मिशन के तहत एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढाँचा तैयार किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक फायरवॉल, एन्क्रिप्शन तकनीकें और एआई आधारित खतरा पहचान प्रणाली शामिल हैं, जो किसी भी साइबर हमले से प्रभावी रूप से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
3. **भौतिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण :** भौतिक अवसंरचना को भी सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थलों पर बुलेटप्रूफ दीवारों का निर्माण, सुरक्षित प्रवेश प्रणालियों की स्थापना और त्वरित प्रतिक्रिया बलों की तैनाती की गई है।
4. **एकीकृत खुफिया-संचार तंत्र :** मिशन में एक एकीकृत खुफिया और प्रतिक्रिया नेटवर्क की स्थापना की गई है, जो सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों और शोध संस्थानों के बीच रीयल-टाइम समन्वय को सुनिश्चित करता है।
5. **जन-निजी सहयोग प्रणाली को प्रोत्साहित करना :** इस अभियान की सफलता हेतु जन-निजी सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें DRDO, ISRO, BEL, BHEL जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ IITs, निजी स्टार्टअप्स और अनुसंधान केंद्रों का सक्रिय साझेदारी में योगदान शामिल है।

मिशन सुदर्शन चक्र की वैश्विक और रणनीतिक पृष्ठभूमि :

- यह मिशन ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर साइबर युद्ध, डिजिटल जासूसी, और हाइब्रिड हमलों की घटनाएँ बढ़ रही हैं।
- भारत ने 2008 के मुंबई हमलों, 2016 के उरी हमले, और हाल में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सच्चाई को प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि खतरे अब केवल सीमाओं से नहीं आते — वे इंटरनेट, ड्रोन और डेटा के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने 15 से अधिक भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली — जिसमें रूस से प्राप्त एस-400 मिसाइल प्रणाली भी शामिल थी — ने इन हमलों को विफल किया। इस दौरान IACCS (Integrated Air Command and Control System) की भूमिका महत्वपूर्ण रही। परंतु, अब भारत का लक्ष्य है ऐसी प्रणाली का विकास जो पूरी तरह स्वदेशी हो और भारतीय परिदृश्य के अनुसार अनुकूलित हो।

मिशन सुदर्शन चक्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **तकनीकी आत्मनिर्भरता के तहत एक संपूर्ण स्वदेशी प्रणाली विकसित करना :** भारत को उच्चस्तरीय रक्षा टेक्नोलॉजी में अब तक दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा है। एक संपूर्ण स्वदेशी प्रणाली विकसित करना एक दीर्घकालिक चुनौती है।
2. **संसाधनों का आपस में संयोजन एवं खुफिया एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करना :** रक्षा, विज्ञान, तकनीक, नीति निर्माण और खुफिया एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
3. **साइबर खतरे की बदलती प्रकृति के अनुसार भारत को लगातार अद्यतन रहना :** साइबर अपराधी लगातार अपनी रणनीतियाँ बदलते हैं, ऐसे में भारत को लगातार अद्यतन रहना होगा।
4. **निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना :** तकनीकी विकास में निजी कंपनियों की भूमिका अहम है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा बनाए रखना एक कठिन संतुलन है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

समाधान की राह और आगे की दिशा :



1. **नवाचार के लिए निवेश बढ़ाना अनिवार्य होना :** नवाचार के लिए निवेश बढ़ाना अनिवार्य है, जिसके तहत सरकार को अनुसंधान और विकास (R&D) के क्षेत्र में विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित सुरक्षा प्रणालियों में पर्याप्त संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।

2. **जनशक्ति के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत :** जनशक्ति के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसके लिए तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को मिशन से जोड़ने हेतु व्यापक और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।

3. **नीतिगत पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** नीतिगत पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि मिशन सुदर्शन चक्र का क्रियान्वयन एक संगठित, जवाबदेह और प्रभावी ढंग से किया जा सके।

4. **सार्वजनिक सहभागिता को सशक्त बनाने की आवश्यकता :** सार्वजनिक सहभागिता को सशक्त बनाना इस मिशन की सफलता की कुंजी है, इसलिए नागरिकों को डिजिटल एवं भौतिक सुरक्षा के प्रति जागरूक और सजग बनाने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष : भारत की सुरक्षा का नया अध्याय :

- मिशन सुदर्शन चक्र केवल एक आधुनिक सुरक्षा पहल नहीं, बल्कि यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी सक्षमता और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मिलित प्रतीक है।
- यह मिशन भारत को न केवल वर्तमान और भविष्य के खतरों से सुरक्षित रखने में सक्षम बनाएगा, बल्कि उसे वैश्विक पटल पर एक प्रेरणादायक सुरक्षा मॉडल के रूप में भी स्थापित करेगा।
- जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा का प्रतीक था, उसी प्रकार यह मिशन भी सुरक्षा, न्याय और समावेशी विकास की भावना से प्रेरित होकर भारत को एक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में गढ़ने की दिशा में एक नया अध्याय लिखेगा।
- यह मिशन भारत को न केवल वर्तमान और भविष्य के खतरों से सुरक्षित रखने में सक्षम बनाएगा, बल्कि वैश्विक पटल पर यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी सक्षमता और सांस्कृतिक मूल्यों के आदर्श स्वरूप के रूप में भी स्थापित करेगा।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. मिशन सुदर्शन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह मिशन भारत को वैश्विक सुरक्षा निर्यातक बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है।
2. इसका उद्देश्य बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली और स्वदेशी तकनीक के आधार पर आत्मनिर्भर सुरक्षा मॉडल विकसित करना है।
3. यह मिशन केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित है।
4. यह निगरानी, साइबर और भौतिक सुरक्षा का एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D.उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि 'मिशन सुदर्शन चक्र' क्या है, इसके उद्देश्य, तकनीकी विशेषताएँ, सांस्कृतिक आधार, वैश्विक संदर्भ, प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान क्या हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS



टैरिफ कूटनीति : भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोर्चा

समाचार में क्यों?

रूस के साथ भारत के निरंतर ऊर्जा व्यापार का हवाला देते हुए, अमेरिका ने भारतीय आयातों पर 50% का भारी शुल्क लगा दिया है। यह 2025 में अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊँचा शुल्क है। इस कदम को व्यापक रूप से भारत पर अमेरिका के अनुकूल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे अनुचित और राजनीति से प्रेरित बताया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये शुल्क भारत के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और विदेश नीति में उसकी व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते हैं।



भू-राजनीतिक बदलाव :

1. **भू-राजनीतिक हथियार के रूप में व्यापार :** भारतीय वस्तुओं पर 50% अमेरिकी टैरिफ आर्थिक चिंताओं से परे है - यह भारत की वैश्विक साझेदारियों, विशेष रूप से रूस के साथ उसके निरंतर सहयोग को पुनः संरेखित करने का एक सोचा-समझा कदम है।

2. **रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौती:** टैरिफ प्रकरण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की चाहत और अमेरिका की संरेखण की अपेक्षाओं के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, तथा उनके विश्वदृष्टिकोण में गहरे संघर्ष को उजागर करता है।

3. **ब्रिक्स और डॉलर आधिपत्य :** ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भूमिका तथा वैकल्पिक मुद्रा प्रणालियों और भुगतान तंत्रों के प्रति इसके समर्थन को वाशिंगटन डॉलर-प्रधान वित्तीय व्यवस्था को कमजोर करने वाला मानता है।

4. **रूस को अलग-थलग करने का दबाव :** वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा सौदे जारी रहना अमेरिकी दबाव का केन्द्र बिन्दु बन गया है, जो टैरिफ और जुर्माने की धमकियों दोनों में परिलक्षित होता है।

5. **लेन-देन बनाम रणनीतिक संबंध :** अमेरिकी कूटनीति में रणनीतिक सहयोग से लेकर लेन-देन संबंधी दबाव की रणनीति में बदलाव, स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक दीर्घकालिक विश्वास को कमजोर करता है।

6. **वैश्विक दक्षिण नेतृत्व दुविधा :** वैश्विक दक्षिण की एक प्रमुख आवाज के रूप में, भारत को ध्रुवीकृत विश्व में पक्ष चुनने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, भले ही वह समावेशी, बहुध्रुवीय जुड़ाव बनाए रखने का प्रयास कर रहा हो।

7. **कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता :** भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका, रूस और उभरती शक्तियों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना होगा।

द्विपक्षीय संबंधों पर तनाव :

1. **टैरिफ में 50% तक वृद्धि :** अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाया है (अगस्त 2025), जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है, जिससे 131.84 बिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25) के द्विपक्षीय व्यापार पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

2. **रणनीतिक से लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण की ओर बदलाव :** राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका रणनीतिक संलग्नता (जैसे, क्वाड सहयोग, रक्षा समझौते) से आगे बढ़कर व्यापार घाटे और राजनीतिक अनुपालन पर केंद्रित कठोर सौदेबाजी की ओर बढ़ गया है।

3. **व्यापार वार्ता की गति का पतन :** लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर वार्ता रुक गई है, क्योंकि बलपूर्वक टैरिफ लगाने की रणनीति ने आपसी विश्वास निर्माण के प्रयासों को नकार दिया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **भारत की नपी-तुली प्रतिक्रिया :** भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया, फिर भी संचार माध्यमों को खुला रखने के उद्देश्य से जवाबी कार्रवाई से परहेज किया।

5. **क्षेत्रीय कमजोरियां तनाव पैदा करती हैं :** कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, तथा रसायन जैसे 8 बिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात क्षेत्र असमान रूप से प्रभावित हुए हैं, जिससे भारतीय उद्योगों और निर्यातकों में चिंता उत्पन्न हो गई है।

6. **अमेरिकी व्यापार घाटे की राजनीति :** 2024 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 45.7 बिलियन डॉलर था, जिसे ट्रम्प प्रशासन व्यापक आर्थिक अंतरनिर्भरता की अनदेखी करते हुए टैरिफ वृद्धि का कारण बता रहा है।

7. **नीतिगत विषमता बढ़ती जा रही है :** जबकि भारत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के माध्यम से उदारीकरण कर रहा है, अमेरिका संरक्षणवादी उपाय अपना रहा है, जिससे दोनों भागीदारों के बीच रणनीतिक असंगति बढ़ रही है।

8. **विश्वास की कमी बढ़ी :** टैरिफ युद्ध से सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर दीर्घकालिक सहयोग को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तथा भारत-अमेरिका संबंधों की रणनीतिक गहराई कमजोर हो रही है।

आर्थिक कूटनीति आयाम :

1. **पिछले दरवाजे से प्रतिबंध के रूप में टैरिफ :** अमेरिका का 50% टैरिफ आर्थिक प्रतिबंधों की नकल है, जो औपचारिक प्रतिबंधों को लागू किए बिना रूस के साथ भारत के निरंतर व्यापार को लक्षित करता है।

2. **बहुपक्षीय व्यापार मानदंडों को कमजोर करना :** अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए "राष्ट्रीय सुरक्षा" धाराओं के तहत अपने टैरिफ को उचित ठहराता है, जिससे एकतरफावाद की चिंताएं बढ़ जाती हैं।

3. **भारत का विविधीकरण अभियान :** भारत अमेरिकी बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीका की ओर व्यापार विविधीकरण में तेजी ला रहा है।

4. **एफटीए रणनीति गति में :** भारत यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ एफटीए पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य टैरिफ मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना और अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ बचाव करना है।

5. **आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता :** आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) जैसी योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है।

6. **क्षति नियंत्रण के लिए राजनयिक चैनल :** भारत तनाव कम करने के लिए गुप्त बैंक चैनल कूटनीति और आईपीईएफ (IPEF) तथा क्वाड (QUAD) जैसे आर्थिक मंचों का उपयोग कर रहा है।

7. **निर्यात पर अल्पकालिक प्रभाव :** फार्मा, कपड़ा और आईटी जैसे क्षेत्रों को निकट भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत का अमेरिका को निर्यात 78.5 बिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 2024) का है।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और संस्थागत आयाम :

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा खामियों का फायदा उठाना :** अमेरिका टैरिफ को उचित ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देता है - जो कि विश्व व्यापार संगठन कानून के तहत एक अस्पष्ट क्षेत्र है, तथापि इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है।

2. **विश्व व्यापार संगठन विवाद तंत्र पंगु :** अमेरिकी अवरोध के कारण डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय है, जिससे भारत को कानूनी सहारा नहीं मिल पा रहा है।

3. **भारत की विश्व व्यापार संगठन शिकायत रणनीति :** भारत अभी भी औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है, जैसा कि उसने अमेरिका के साथ पिछले व्यापार विवादों (जैसे, सौर पैनल, स्टील टैरिफ) में किया है।

4. **विश्व व्यापार संगठन में सुधार की आवश्यकता :** यह स्थिति विवाद निपटान प्रणाली को बहाल करने और वैश्विक व्यापार नियमों में सुधार के लिए भारत की वकालत को रेखांकित करती है।

5. **कानूनी बचाव के रूप में बहुपक्षीय गठबंधन :** भारत सामूहिक दबाव बनाने के लिए जी-33, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसे बहुपक्षीय समूहों में शामिल हो रहा है।

6. **प्रतिशोधात्मक शुल्कों का रणनीतिक उपयोग :** भारत डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के अनुरूप, नपे-तुले काउंटर-टैरिफ लगा सकता है, जैसा कि उसने 2019 में अमेरिका द्वारा स्टील/एल्यूमीनियम टैरिफ वृद्धि के बाद किया था।

7. **नियम-आधारित व्यवस्था का क्षरण :** यह प्रकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के व्यापार ढांचे के विघटन को दर्शाता है, जिसमें भारत जैसी मध्यम शक्तियां सबसे अधिक असुरक्षित हैं।

अमेरिकी घरेलू राजनीतिक आयाम :

1. **चुनावी वर्ष में लोकलुभावनवाद :** टैरिफ की घोषणाएं अक्सर चुनाव चक्र के समय की जाती हैं, जिसका उद्देश्य संरक्षणवादी और राष्ट्रवादी मतदाताओं को आकर्षित करना होता है।

2. **स्विंग राज्यों को लक्षित करना :** व्यापार से प्रभावित क्षेत्र (जैसे विनिर्माण) स्विंग राज्यों में महत्वपूर्ण होते हैं, तथा व्यापार नीति को प्रभावित करते हैं।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **"अमेरिका फर्स्ट" रेडक्स :** ट्रम्प ने आर्थिक राष्ट्रवाद के अपने मूल कथानक को पुनर्जीवित किया है, तथा व्यापार को शून्य-योग खेल के रूप में चित्रित किया है।

4. **भारत एक प्रत्यक्ष लक्ष्य के रूप में :** अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष के साथ एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत 'कठोरता' दिखाने के लिए एक प्रतीकात्मक लक्ष्य बन गया है।

5. **द्विदलीय व्यापार संशयवाद :** ट्रम्प के अलावा भी, व्यापार समझौतों और वैश्वीकरण के प्रति संदेह को अमेरिका में द्विदलीय समर्थन प्राप्त है।

6. **घरेलू उद्योगों का तुष्टिकरण :** टैरिफ का उद्देश्य इस्पात या फार्मास्यूटिकल्स जैसे घरेलू लॉबी को संतुष्ट करना है, जो भारत को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं।

7. **बहुपक्षवाद का क्षरण :** अमेरिकी राजनीति बहुपक्षीय सहयोग की अपेक्षा द्विपक्षीय कठोर सौदेबाजी को अधिक तरजीह दे रही है, जिससे विश्व व्यापार संगठन की रूपरेखा पर दबाव बढ़ रहा है।

सामरिक स्वायत्तता और विदेश नीति सिद्धांत :

1. **गुटनिरपेक्षता 2.0 :** भारत बहु-संरेखण के अपने रुख की पुष्टि करता है, तथा किसी एक गुट की भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उलझने से बचता है।

2. **मुद्दा-आधारित गठबंधन :** भारत रणनीतिक हितों के आधार पर चुनिंदा देशों के साथ साझेदारी करता है, न कि वैचारिक संरेखण के आधार पर (जैसे, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ)।

3. **सिद्धांत का पुनर्निर्धारण :** वर्तमान घटनाक्रम भारत को अपने सामरिक हितों को बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए अपनी विदेश नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

4. **क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना :** आईपीईएफ, आईएमईसी, बिम्सटेक में सक्रिय भूमिका भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व करने की इच्छा को दर्शाती है।

5. **रणनीतिक वियोजन प्रबंधन :** भारत को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विरोधी शक्तियों से अलग होने के दबावों का सामना करना होगा।

6. **मुखर आर्थिक कूटनीति :** व्यापार वार्ता और रणनीतिक संचार में प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय रुख की ओर बदलाव।

7. **प्रमुख शक्तियों में संतुलन :** भारत का लक्ष्य अमेरिकी अस्थिरता और चीनी आक्रामकता को संतुलित करने के लिए यूरोपीय संघ, जापान, आसियान के साथ संबंधों को गहरा करना है।

वैश्विक दक्षिण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था :

1. **टैरिफ एक मिसाल के तौर पर:** अमेरिका की दबावपूर्ण आर्थिक कार्रवाइयां स्वतंत्र व्यापार नीतियों वाले विकासशील देशों के लिए जोखिम का संकेत देती हैं।

2. **प्रवक्ता के रूप में भारत की भूमिका :** भारत को अपने जी-20 नेतृत्व और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के इतिहास के साथ वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को बढ़ाना होगा।

3. **सत्ता-केन्द्रित व्यवस्था की ओर बदलाव :** ये घटनाएं मानदंड-आधारित बहुपक्षवाद के पतन और लेन-देन-आधारित, हित-संचालित भू-राजनीति के उदय को दर्शाती हैं।

4. **नव-उपनिवेशवाद का खतरा:** टैरिफ की धमकियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बलपूर्वक औजारों के समान हैं।

5. **दक्षिण-दक्षिण व्यापार को बढ़ावा देना :** वैश्विक दक्षिण के भीतर संबंधों को मजबूत करने से महाशक्तियों के दबाव के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है।

6. **विश्व व्यापार संगठन सुधार का समर्थन :** भारत को निष्पक्ष व्यापार विवाद समाधान के लिए लोकतंत्रीकरण और वैश्विक संस्थाओं के पुनरुद्धार पर जोर देना चाहिए।

7. **बहुध्रुवीयता ढाल के रूप में :** विविध साझेदारियों के साथ एक मजबूत बहुध्रुवीय व्यवस्था छोटे राष्ट्रों को आर्थिक उत्पीड़न से बचा सकती है।

आपूर्ति श्रृंखलाएँ और रणनीतिक साझेदारियाँ :

1. **चीन+1 विकल्प के रूप में भारत :** अमेरिकी कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता के विकल्प के रूप में भारत को तेजी से देख रही हैं।

2. **टैरिफ से विश्वास में कमी :** संरक्षणवादी उपाय भारत के साथ लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के वाशिंगटन के लक्ष्य के विपरीत हैं।

3. **सेमीकंडक्टर और तकनीकी बाधाएँ :** चिप निर्माण, एआई (AI) और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में सहयोग अविश्वास के कारण प्रभावित हो सकता है।

4. **ऊर्जा और जलवायु तकनीक :** टैरिफ तनाव के कारण सौर, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसी संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा पहलों में देरी हो सकती है।

5. **निवेश पर पुनर्विचार :** यदि द्विपक्षीय संबंध अस्थिर रहे तो अमेरिकी निवेशक भारत को जोखिमपूर्ण मान सकते हैं।

6. **वियुग्मन उलटा प्रभाव :** दंडात्मक टैरिफ से भारत को यूरोपीय संघ, रूस या चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के करीब जाने का खतरा है।

7. **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन हानि :** अमेरिका उन गठबंधनों को कमजोर कर रहा है जिनकी उसे लचीली, विविधतापूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यकता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सॉफ्ट पावर और धारणा प्रबंधन :

1. **विश्वास विफल :** टैरिफ की धमकियां भारत के लिए एक स्थिर दीर्घकालिक साझेदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती हैं।
2. **कथा नियंत्रण लड़ाई :** भारत और अमेरिका दोनों ही वैश्विक राय को आकार देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं - चाहे टैरिफ जबरदस्ती हो या नीति।
3. **निवेशक संचार :** भारत को वैश्विक निवेशकों को आश्वस्त करना चाहिए कि वह खुले, नियम-आधारित व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है।
4. **प्रवासी गतिशीलता :** अमेरिका-भारत के लोगों के बीच संबंधों पर राजनीतिक बयानबाजी का असर पड़ सकता है, जिससे धारणाएं प्रभावित हो सकती हैं।
5. **सार्वजनिक कूटनीति का लाभ :** भारत को तनाव के बीच संस्कृति, प्रौद्योगिकी और लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहिए।
6. **विवाद की रूपरेखा :** भारत को वैश्विक दर्शकों के समक्ष अपनी स्थिति को रक्षात्मक नहीं, बल्कि सिद्धांतबद्ध और सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
7. **वैश्विक दक्षिण सहानुभूति :** भारत अमेरिका की इसी तरह की व्यापारिक कार्रवाइयों से प्रभावित देशों के साथ गठबंधन करके कूटनीतिक समर्थन जुटा सकता है।

निष्कर्ष :

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाना द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो लेन-देन संबंधी कूटनीति के इस युग में रणनीतिक साझेदारियों की कमज़ोरी को उजागर करता है। यह कदम वाशिंगटन की बदलती भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं और घरेलू राजनीतिक मजबूरियों को दर्शाता है, साथ ही यह भारत की अपनी विदेश नीति और व्यापार सिद्धांत को नए सिरे से निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। नई दिल्ली के लिए, प्रमुख साझेदारों को अलग-थलग किए बिना रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना एक चुनौती है, खासकर जब वह वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने की आकांक्षा रखता है। निर्यात, आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक धारणा के लिए उच्च दांव के साथ, भारत को अपने आर्थिक हितों और भू-राजनीतिक स्थिति की रक्षा के लिए संतुलित कूटनीति, गहन क्षेत्रीय एकीकरण और मुखर बहुपक्षीय जुड़ाव के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. `भारत के व्यापार संबंधों में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा खंड के तहत भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम पर उच्च टैरिफ लगाया है।
2. भारत ने अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई टैरिफ वृद्धि के जवाब में विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान तंत्र का सहारा लिया है।
3. आत्मनिर्भर भारत पहल पूरी तरह से आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित है, न कि निर्यात प्रतिस्पर्धा पर।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. परीक्षण कीजिए और भारत की सामरिक स्वायत्तता, आर्थिक कूटनीति और बहुपक्षीय व्यापार स्थिति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत की क्या सोची-समझी प्रतिक्रिया होनी चाहिए?

(250 शब्द, 15 अंक)



भारत–यूके द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)

ख़बरों में क्यों ?

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है और दोनों देशों के दीर्घकालिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

- यह समझौता भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूके के व्यापार सचिव श्री जोनाथन रेनॉल्ड्स द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।
- यह समझौता 6 मई 2025 को वार्ताओं की सफल समाप्ति के बाद हुआ है और यह दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की साझा आकांक्षा को दर्शाता है।
- वर्तमान में भारत–यूके द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है।

भारत – यूके सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति :

- CETA केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं के क्षेत्र को भी समाहित करता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख शक्ति है। वर्ष 2023 में भारत ने यूके को 19.8 अरब अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया, और यह समझौता इस व्यापार को और व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है।
- पहली बार यूके ने आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के लिए गतिशीलता को सरल बनाया है। इस समझौते के अंतर्गत Contractual Service Suppliers, Business Visitors, Intra-Corporate Transferees, और Independent Professionals (जैसे योग प्रशिक्षक, रसोइये, और संगीतज्ञ) के लिए प्रवेश को आसान बनाया गया है।
- एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि Double Contribution Convention (DCC) है, जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों को यूके में दोहरी सामाजिक सुरक्षा में योगदान नहीं देना होगा। इससे भारतीय कंपनियों को ₹4,000 करोड़ से अधिक की बचत होगी।
- यह समझौता रोजगार सृजन, निर्यात में वृद्धि, और भारत–यूके आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के शब्दों में – "यह एफटीए समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जिससे किसान, कारीगर, श्रमिक, एमएसएमई, स्टार्टअप और नवप्रवर्तक लाभान्वित होंगे, साथ ही यह भारत के मूलभूत हितों की रक्षा करते हुए हमें वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ाएगा।"

भारत – यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) की प्रमुख विशेषताएँ:

व्यापक शुल्क समाप्ति :

1. भारत–यूके CETA के तहत, भारत से यूके को होने वाले 99% निर्यात पर अब शून्य आयात शुल्क लगेगा, जिससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
2. इस निर्णय से वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, खिलौने, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा।
3. वहीं, डेयरी, अनाज, दलहन, सोना और स्मार्टफोन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है।
4. मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के अनुरूप, इन क्षेत्रों में 5 से 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से उदारीकरण किया जाएगा।
5. अचानक आयात में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा उपायों का प्रावधान भी किया गया है।

सरल उत्पत्ति एवं उत्पाद-विशिष्ट नियम :

1. निर्यातकों को अब उत्पाद के मूल देश का प्रमाण पत्र स्वयं तैयार करने की अनुमति दी गई है, जिससे निर्यात प्रक्रिया अधिक सरल और तेज हो गई है।
2. इसके अलावा, £1,000 से कम मूल्य की खेपों के लिए उत्पत्ति प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
3. भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद-विशिष्ट नियम (Product-Specific Rules) बनाए गए हैं।

पेशेवर गतिशीलता और सेवाओं को बढ़ावा देना :

1. यूके ने 137 सेवा उप-क्षेत्रों में भारत को बाज़ार पहुँच प्रदान की है, जिनमें आईटी, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2. इसके बदले भारत ने भी यूके को 108 सेवा उप-क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी है।
3. भारत के पेशेवरों के लिए पाँच श्रेणियों – जैसे Intra-Corporate Transferees (ICTs), निवेशक, Contractual Service Suppliers (CSS) आदि के तहत अस्थायी प्रवेश की सुविधा दी गई है।
4. यूके ने भारतीय पेशेवरों पर आर्थिक आवश्यकता परीक्षण (ENT) या संख्यात्मक सीमा जैसे प्रतिबंधों को हटा दिया है।
5. इसके अतिरिक्त, भारतीय योग प्रशिक्षकों, शेफ और सांस्कृतिक कलाकारों के लिए 1,800 वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है।

दोहरा योगदान सम्मेलन (Double Contribution Convention - DCC) :

1. इस प्रावधान के अंतर्गत, भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को तीन वर्षों तक यूके में सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्राप्त होगी।
2. इससे लगभग 75,000 भारतीय पेशेवरों और 900 से अधिक भारतीय कंपनियों को लाभ पहुंचेगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. इसके माध्यम से भारत को ₹4,000 करोड़ (लगभग 500 मिलियन डॉलर) की वार्षिक बचत होगी।

भारत को सेवा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ :

आर्थिक महत्व :

1. भारत की कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है, जबकि यूके की अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा 81% है।
2. भारत को सेवाओं के क्षेत्र में यूके के साथ $6.6 अरब का व्यापार अधिशेष प्राप्त है, जो इस समझौते से और बढ़ने की संभावना है।

द्विपक्षीय सेवा व्यापार और सहयोग को बढ़ावा :

1. यूके ने भारत को 137 उप-क्षेत्रों में प्रवेश देकर, भारत की 99% सेवा व्यापारिक प्राथमिकताओं को मान्यता दी है।
2. भारत ने भी यूके को 108 उप-क्षेत्रों में पहुँच प्रदान की है, जिससे द्विपक्षीय सेवा व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

डिजिटल और व्यावसायिक लाभ :

1. भारतीय आईटी और डिजिटल सेवा कंपनियाँ अब यूके के $200 अरब के डिजिटल सेवाओं के बाजार में सरलता से प्रवेश कर सकेंगी।
2. भारतीय स्टार्टअप को नियामक अनुपालन में छूट मिलेगी, जिससे उनके लिए यूके में विस्तार करना आसान होगा।
3. इससे भारत के वैश्विक सेवा केंद्र (GCCs) को नई मजबूती प्राप्त होगी।

पेशेवर गतिशीलता की अनुमति प्रदान करना :

1. भारत और यूके के बीच नर्सिंग, लेखांकन और वास्तुकला जैसे पेशों के लिए आपसी मान्यता समझौते 12 महीनों के भीतर लागू किए जाएंगे।
2. व्यापार आगंतुकों को 90 दिन, ICTs को 3 वर्ष और स्वतंत्र पेशेवरों को 12 महीने तक यूके में कार्य करने की अनुमति मिलेगी।
3. इन श्रेणियों में कोई संख्यात्मक सीमा या आर्थिक आवश्यकता परीक्षण लागू नहीं होगा।

दोहरा योगदान सम्मेलन (Double Contribution Convention - DCC) का लाभ :

- DCC के माध्यम से, भारत को प्रति वर्ष ₹4,000 करोड़ से अधिक की बचत होगी, जो कंपनियों और पेशेवरों दोनों के लिए अत्यधिक लाभकारी है।

प्रमुख सेवा क्षेत्र :

1. आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में अब व्यापार अधिक सुगम होगा और कौशल गतिशीलता में सुधार होगा।
2. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से EdTech के माध्यम से सीमा-पार साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
3. वित्तीय सेवाओं में फिनटेक निवेश, डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी दी गई है।

रणनीतिक संरक्षण प्रदान करना :

- भारत ने CETA के अंतर्गत डेयरी, अनाज, स्वर्ण, ऑटोमोबाइल, और एमएसएमई जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावी रूप से संरक्षित किया है।

समावेशी और लचीला व्यापार का प्रभाव :

1. आपूर्ति श्रृंखला और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार : व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाए जाने से MSMEs को लाभ होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2. डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना : पेपरलेस व्यापार, ई-प्रमाणीकरण और डिजिटल व्यापार सुविधा से स्टार्टअप और लघु उद्यमों को सीधा लाभ मिलेगा। डेटा गोपनीयता और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
3. हरित विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना : इस द्विपक्षीय समझौते में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, और सतत उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है, जो भारत के हरित विकास लक्ष्यों से मेल खाता है।
4. कौशल विकास और श्रमिक गतिशीलता को बढ़ावा देना : व्यावसायिक पात्रताओं की आपसी मान्यता से पेशेवरों को वैश्विक अवसर मिलेंगे। इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए स्पष्ट और पूर्वानुमानित मार्ग तय किए गए हैं।
5. सामाजिक और आर्थिक समावेशन : CETA महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए वैश्विक व्यापार में प्रवेश के समान अवसर प्रदान करता है। लैंगिक समानता, नवाचार सहयोग और समावेशी व्यापार को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है।

निष्कर्ष :

- भारत–यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) भारत की व्यापार कूटनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल कृषि, इंजीनियरिंग और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विशाल अवसर प्रदान करता है, बल्कि समावेशी, हरित और लचीले व्यापार की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह समझौता 2030 तक व्यापार को दोगुना करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती देने के लिए एक सशक्त कदम है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी.आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत–यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं दोनों क्षेत्रों को कवर करता है।
2. भारत ने यूके के बाज़ार में 130 से अधिक सेवा उपक्षेत्रों में पहुँच प्राप्त की है।
3. यह समझौता यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को स्थायी निवास की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए :

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत–यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में भारत को हुए प्रमुख लाभों की चर्चा कीजिए। यह समझौता भारत के व्यापक रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को कैसे समर्थन प्रदान करता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



भारत-अमेरिका संबंध : उभरते सामरिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम

समाचार में क्यों?

हाल ही में 27 अगस्त 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय निर्यात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय प्रभावी होगा, जो भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। हालांकि यह कदम निर्यातकों के लिए तत्काल झटका है, लेकिन लागू होने से पहले 21 दिनों का समय भारत को राहत के लिए बातचीत करने का एक संक्षिप्त अवसर प्रदान करता है। इस कदम ने भारतीय उद्योग जगत में गहन चर्चाओं को जन्म दिया है, और इस प्रभाव को कम करने के लिए लक्षित सरकारी सहायता की उम्मीद है।



पृष्ठभूमि और संदर्भ :

1. **अक्टूबर 2024 भारत चीन की वापसी :** सीमा पर तात्कालिक तनाव में उल्लेखनीय कमी आई, लेकिन इससे एलएसी पर गतिरोध का पूर्णतः समाधान या वापसी नहीं हुई।
2. **अमेरिकी चुनाव से पहले का समय :** अमेरिकी राजनीति के एक संवेदनशील क्षण में कूटनीतिक घर्षण को कम करने में मदद की, तथा सीमा मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बनने से रोका।
3. **लगातार संरचनात्मक अविश्वास :** इस विघटन से भारत-चीन संबंधों को परिभाषित करने वाले गहरे रणनीतिक अविश्वास का समाधान नहीं हुआ।
4. **भारत के ढाई दशक :** अमेरिकी सहभागिता: असैन्य परमाणु समझौते (2005-2008) से संस्थागत रणनीतिक वार्ता और रक्षा सहयोग ढांचे तक प्रगति हुई।
5. **स्तरित सुरक्षा साझेदारियां :** क्वाड में सक्रिय भागीदारी, आतंकवाद विरोधी सहयोग और रक्षा प्रौद्योगिकी साझाकरण व्यवस्था।
6. **अमेरिका के साथ आर्थिक अभिसरण :** द्विपक्षीय व्यापार, सेवा संबंधों और भारत के प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में स्थिर वृद्धि।

7. **अमेरिकी घरेलू राजनीति का प्रभाव :** संरक्षणवादी भावना और चुनावी दबाव भारत के प्रति अमेरिकी विदेश नीति को तेजी से आकार दे रहे हैं।

8. **रणनीतिक संतुलन अधिनियम :** भारत को एक साथ चीन से महाद्वीपीय खतरों का प्रबंधन करना होगा तथा पश्चिम के साथ समुद्री आर्थिक अवसरों का लाभ उठाना होगा।

भारत की रणनीतिक दिशा में बदलाव :

1. **क्रमिक पश्चिम की ओर झुकाव :** पारंपरिक रूस-चीन गठबंधन से हटकर अमेरिका, यूरोपीय संघ और सहयोगी लोकतंत्रों के साथ घनिष्ठ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी जुड़ाव की ओर लगातार बदलाव।

2. **उच्च-मूल्य रणनीतिक प्लेटफॉर्म :** क्वाड (भारत-प्रशांत सुरक्षा), I2U2 (पश्चिम एशिया सहयोग) और IMEC (मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से कनेक्टिविटी) जैसे पश्चिम-केंद्रित समूहों में सक्रिय भूमिका।

3. **पुनर्संयोजित आसियान दृष्टिकोण :** आसियान के प्रति अधिक सतर्कता, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से चीन के आर्थिक प्रभाव से संबद्ध माना जाता है।

4. **आर्थिक पुनर्गठन :** व्यापार असंतुलन और चीनी बाजार प्रभुत्व से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आरसीईपी से बाहर निकलना।

5. **प्रौद्योगिकी-सुरक्षा स्वतंत्रता :** दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए स्वदेशी 5G रोलआउट और हुआवेई और जेडटीई को बाहर करना।

6. **आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा :** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से चीनी मूल के सीसीटीवी और दूरसंचार उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

7. **प्रेस नोट 3 सुरक्षा उपाय :** चीनी रणनीतिक निवेश पर अंकुश लगाने के लिए भूमि-सीमावर्ती देशों के लिए एफडीआई मानदंडों को कड़ा किया गया।

8. **पश्चिम की ओर व्यापार मार्ग एकीकरण :** पश्चिम में ऊर्जा और उपभोक्ता बाजारों की ओर समुद्री और स्थलीय सम्पर्क का विस्तार करना।

भारत-अमेरिका संबंधों पर ट्रंप का प्रभाव :

1. **व्यापार संरक्षणवाद :** भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने से अमेरिकी बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी।

2. **टकरावपूर्ण सार्वजनिक बयानबाजी :** राजनीतिक रूप से आवेशित, लोकलुभावन भाषा का प्रयोग करते हुए भारत की व्यापार प्रथाओं की तीखी आलोचना।

3. **लेन-देन कूटनीति :** रणनीतिक साझेदारी के बजाय संबंधों को सौदेबाजी की शर्तों ("बाजार कूटनीति") तक सीमित करना।

4. **रणनीतिक गति के लिए जोखिम :** रक्षा, प्रौद्योगिकी और खुफिया-साझाकरण सहयोग में संभावित मंदी।

5. **नेतृत्व-केंद्रित संबंध :** नेता-से-नेता के बीच संबंधों पर अत्यधिक जोर देने से राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति संबंध कमजोर हो जाते हैं।

6. **निवेशक विश्वास में कमी :** व्यापार संबंधों में अनिश्चितता दीर्घकालिक विदेशी निवेश को बाधित कर रही है।

7. **रणनीतिक धैर्य पर दबाव :** भारत को अपनी अमेरिकी संलग्नता रणनीति की लचीलापन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

8. **इन्सुलेशन तंत्र की आवश्यकता :** वाशिंगटन में अल्पकालिक राजनीतिक चक्रों से द्विपक्षीय संबंधों को बचाने के लिए रूपरेखा विकसित करना।

चीन के सामरिक और आर्थिक प्रतिवाद :

1. **बहुपक्षीय पहुंच को अवरुद्ध करना:** भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता की दावेदारी पर लगातार वीटो।

2. **पाकिस्तान संरेखण:** ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय समर्थन सहित पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत किया गया।

3. **महत्वपूर्ण खनिज प्रतिबंध:** भारत के ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिज निर्यात को सीमित करना महत्वपूर्ण है।

4. **औद्योगिक इनपुट विलंब:** भारत के औद्योगिक विकास को बाधित करने के लिए विनिर्माण उपकरणों की आपूर्ति को धीमा करना या रोकना।

5. **जी.वी.सी. नियंत्रण:** इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के प्रवेश को रणनीतिक रूप से अवरुद्ध करना।

6. **बुनियादी ढांचे की आपूर्ति में व्यवधान:** प्रमुख परियोजनाओं के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनों और विशेष इनपुटों को अस्वीकार करना या विलंबित करना।

7. **प्रौद्योगिकी इनकार :** कुशल मानव पूंजी विनिमय और स्वामित्व प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना।

8. **निर्यात प्रभुत्व संरक्षण :** वैश्विक विनिर्माण बाजारों में प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में भारत के उदय को रोकना।

रूस का घटता सामरिक मूल्य :

1. **यूक्रेन-पश्चात पुनर्गठन:** बीजिंग पर मास्को की बढ़ती रणनीतिक निर्भरता एशिया में उसकी कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित करती है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **अर्ध-मित्र घटना:** क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता में गिरावट।
3. **विविध रक्षा सोर्सिंग:** रूस पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और इजरायल से खरीद बढ़ाना।
4. **घटती विश्वसनीयता:** प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की आपूर्ति में लगातार देरी और रद्दीकरण।
5. **आर्थिक बाधाएं:** प्रतिबंधों से भारत के साथ रूस के व्यापार लचीलेपन पर गंभीर प्रतिबंध लग गया है।
6. **कमज़ोर कूटनीतिक प्रभाव:** भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की सीमित क्षमता।
7. **कम ऊर्जा लाभ:** तेल आयात आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बना हुआ है, लेकिन इसमें रणनीतिक गहराई का अभाव है।
8. **सामरिक सुरक्षा का क्षरण:** एशियाई भू-राजनीति में संतुलनकारी शक्ति के रूप में रूस का नुकसान।

'रिबाउंड डिप्लोमेसी' के जोखिम

1. **अवसरवाद की धारणा:** चीन या रूस के प्रति अचानक संपर्क रणनीतिक नहीं, बल्कि प्रतिक्रियात्मक प्रतीत हो सकता है।
2. **विश्वसनीयता की हानि:** अचानक हुए बदलावों से भारत की एक स्थायी साझेदार की छवि कमजोर हुई है।
3. **लगातार चीनी अविश्वास:** बीजिंग द्वारा भारत के पश्चिम की ओर झुकाव के बारे में अपने विचार को बदलने की संभावना नहीं है।
4. **रूसी सीमाएँ:** स्वायत्तता का अभाव मास्को को एक अविश्वसनीय सहयोगी बनाता है।
5. **बातचीत की कमजोरी:** एक हताश मोड़ से भारत की सौदेबाजी की स्थिति को नुकसान पहुंचने का खतरा है।
6. **आर्थिक जोखिम:** चीन व्यापार या निवेश में असंगत रियायतें हासिल कर सकता है।
7. **कूटनीतिक झटका:** बार-बार पुनर्संरेखण से दीर्घकालिक साझेदारी की नींव को नुकसान पहुंचता है।
8. **ऐतिहासिक सबक:** 1962 के बाद और 1971 के बाद के बदलावों से मिश्रित और अल्पकालिक लाभ प्राप्त हुए।

व्यापार और आर्थिक रणनीति

1. **एफटीए त्वरण:** बाजारों में विविधता लाने के लिए वर्ष के अंत तक यूरोपीय संघ समझौता संपन्न करना।
2. **जीसीसी एकीकरण:** एक व्यापक व्यापार समझौते के माध्यम से ऊर्जा और निवेश प्रवाह को सुनिश्चित करना।
3. **बातचीत की थकान से बचें:** बहु-वर्षीय एफटीए विलंब को रोकने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
4. **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश:** एफटीए का उपयोग उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और सेवाओं के प्रवेश द्वार के रूप में करें।
5. **नए बाजार तक पहुंच:** व्यापार विविधीकरण के लिए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को सक्रिय रूप से शामिल करना।
6. **घरेलू सुधार संबंध:** व्यापार समझौतों को विनियामक सरलीकरण और कर सुधार के साथ जोड़ें।
7. **निजी क्षेत्र को सक्षम बनाना:** निर्यातकों के लिए टैरिफ और नौकरशाही बाधाओं को कम करना।
8. **डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रावधान:** व्यापार सौदों में एआई, फिनटेक और डेटा गवर्नेंस को शामिल करें।

रणनीतिक स्वायत्तता वास्तविकता बनाम धारणा

1. **वैश्विक संशयवाद:** अमेरिका और चीन दोनों ही भारत की रणनीतिक पसंद की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं।
2. **बाजार आकार से परे:** केवल उपभोक्ता क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमताओं के आधार पर प्रभाव बनाएं।
3. **स्वदेशी रक्षा क्षमता:** विश्वसनीय निवारण के लिए घरेलू प्रणालियों में निवेश करें।
4. **प्रौद्योगिकी नेतृत्व:** रणनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें।
5. **आपूर्ति श्रृंखला स्वतंत्रता:** ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खनिज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सोर्सिंग में विविधता लाना।
6. **मल्टी-वेक्टर एंगेजमेंट:** किसी एक गुट या गठबंधन पर अत्यधिक निर्भरता से बचें।
7. **संस्थागत स्थिरता:** राजनीतिक चक्रों में नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना।
8. **रणनीतिक संकेत:** स्पष्ट रूप से सीमा रेखाओं, प्रतिबद्धताओं और साझेदारी प्राथमिकताओं को संप्रेषित करें।

भविष्य के लिए भू-राजनीतिक योजना :

1. **पाकिस्तान व्यवधान रणनीति:** प्रतिद्वंद्वी को अस्थिर रखने के लिए कूटनीतिक, खुफिया और आर्थिक साधनों का उपयोग करें।
2. **चीन नियंत्रण नेटवर्क:** समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ हिंद-प्रशांत साझेदारी को गहरा करना।
3. **गठबंधन लचीलापन:** अति प्रतिबद्धता से बचकर गतिशीलता बनाए रखें।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **प्रौद्योगिकी संप्रभुता:** आईपी अधिकारों को सुरक्षित करना और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करना।

5. **ऊर्जा विविधीकरण:** नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करें और जीवाश्म ईंधन आयात स्रोतों में विविधता लाएं।

6. **समुद्री प्रभुत्व:** हिंद महासागर के प्रमुख अवरोधक स्थलों पर नौसेना की उपस्थिति बढ़ाना।

7. **क्षेत्रीय नेतृत्व:** भारत को दक्षिण एशिया में एक स्थिरताकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना।

8. **प्रति-बल प्रयोग उपकरण:** बाहरी दबाव के प्रति आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया विकसित करना।

आगे की राह :

1. **पश्चिम की ओर आर्थिक एकीकरण को गहरा करना:** यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जीसीसी के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना।

2. **साझेदार विविधीकरण:** अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करना।

3. **चीन पर निर्भरता कम करना:** महत्वपूर्ण आयात और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए घरेलू विकल्पों को प्रोत्साहित करना।

4. **व्यापार संस्थाओं में सुधार:** एफटीए वार्ता और समापन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण।

5. **विनिर्माण अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** मजबूत नवाचार प्रोत्साहन के साथ पीएलआई योजनाओं को बढ़ावा देना।

6. **बाहरी झटकों का लाभ उठाएं:** टैरिफ युद्ध या आपूर्ति में व्यवधान को सुधार के लिए प्रेरित करें।

7. **निजी क्षेत्र को सशक्त बनाना :** प्रतिस्पर्धात्मकता में तेजी लाने के लिए करों और विनियमों को सरल बनाएं।

8. **रणनीतिक धैर्य का अभ्यास करें :** अल्पकालिक अशांति के बावजूद सुसंगत नीति दिशा बनाए रखें।

निष्कर्ष :

ट्रंप द्वारा टैरिफ़ में की गई बढ़ोतरी भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों की कमज़ोरी और एक ही बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को उजागर करती है। भारत को चुनावी उतार-चढ़ाव से रणनीतिक साझेदारियों को अलग रखना होगा, व्यापारिक संबंधों में विविधता लानी होगी और इस झटके को सुधारों की गति में बदलना होगा—निर्माण को बढ़ावा देना होगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना होगा और तेज़ी से बहुध्रुवीय होती दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का सदस्य है।
2. भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर किये गये तथा 2008 में इसे लागू किया गया।
3. अमेरिका वस्तुओं और सेवाओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. पिछले दो दशकों में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी एक बहुआयामी रणनीतिक रिश्ते के रूप में विकसित हुई है। हाल के व्यापारिक तनावों के मद्देनजर, इस साझेदारी को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रेड वॉर 2.0 : टैरिफ से परेशानी और उठते नए वैश्विक तनाव

ख़बरों में क्यों?



- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 अगस्त 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत 66 से 70+ देशों से आयात पर 10% से 41% तक के नए "पारस्परिक टैरिफ" लगाए गए हैं। ये 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे ।
- भारत जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार को इस श्रेणी में 25% शुल्क का सामना करना होगा, जिससे अनेक भारतीय निर्यात क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव संभव है।

टैरिफ (Tariff) क्या होता है?

- **पारंपरिक परिभाषा :** आयात (या कभी-Zरतीय निर्यात) पर सरकार द्वारा लगाया गया कर।
- **परस्पर शुल्क (Reciprocal Tariffs) :** अमेरिका उन देशों पर दर निर्धारित करता है, जो अमेरिकी निर्यात पर ऊँचे शुल्क लगाते हैं। इसका उद्देश्य निष्पक्ष (fair) व्यापार सुनिश्चित करना होता है ।

उदाहरण :

- अप्रैल 2025 में घोषित "मुक्ति दिवस" कार्यकारी आदेश (Executive Order 14257) के तहत सभी आयातों पर 10% सामान्य शुल्क लागू किया, और कुछ 50–60 देशों (भारत सहित) पर 26% तक की विशिष्ट परस्पर शुल्क (Reciprocal Tariffs) 9 अप्रैल 2025 से लागू हुई।
- 1 अगस्त 2025 के नए आदेश में यह सीमा बढ़ाकर 25% (भारत), एवं उच्च-जोखिम देशों के लिए 41% तक कर दी गई।

टैरिफ (Tariff) लगाने का मुख्य उद्देश्य :

1. **व्यापार असंतुलन कम करना :** अमेरिका अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना चाहता है।
2. **प्रतिस्पर्धी असमानता दूर करना :** उन देशों को जवाब देना जो अमेरिकी उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगाते हैं।
3. **बातचीत में दबाव बढ़ाना :** ताकि द्विपक्षीय समझौते (जैसे भारत-यूएस व्यापार समझौता) जल्दी हों।



इससे वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव :

1. **वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना :** वस्तुएँ महँगी हो जाएँगी, जससे उपभोक्ता अधिक शुल्क चुकाएँगे, और अमेरिकी आयातकों की लागत बढ़ेगी।
2. **प्रभावित देशों से अमेरिका में निर्यात कम होना व्यापार में गिरावट होना :** प्रभावित देशों से अमेरिका में निर्यात कम हो सकता है, जिससे वे बाजार खो सकते हैं।
3. **साख और तनाव में वृद्धि होना :** विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, और व्यापार संबंधों में तनाव होगा।
4. **आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना :** मल्टीनेशनल कंपनियाँ और विनिर्माण इकाइयाँ प्रभावित हो सकती हैं, खासकर यदि कच्चा माल ऊँचा हो जाए।

भारत पर इससे पड़ने वाला प्रभाव :

शुल्क की राशि के कारण भारतीय के लिए निर्यात का महँगा होना :

- भारत को 25% का नया टैरिफ भुगतना होगा और आयातित वस्तुओं की अमेरिकी कीमतें बढ़ाएँगी और भारतीय निर्यात महँगा होगा।

प्रमुख प्रभावित क्षेत्र :

- वस्त्र एवं परिधान,
- फार्मास्युटिकल्स,
- ऑटो पार्ट्स,
- आभूषण एवं रत्न,
- आईटी हार्डवेयर/इलेक्ट्रॉनिक्स (हालांकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मदों को फिलहाल छूट मिली है)।

- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता :** इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक प्राइसिंग घटेगी; जैसे अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं की अपील और मांग में कमी संभव है।
- **आर्थिक मूल्यांकन :** सिटी रिसर्च और स्व-विश्लेषणों के अनुसार, भारत को अनुमानित $7 अरब सालाना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और कुल निर्यात का लगभग 87% प्रभावित हो सकता है । लगभग $66 अरब अमेरिकी निर्यात भारत प्रभावित हो सकता है ।
- **नीति-वार्ता :** भारत और अमेरिका मई-जुलाई 2025 तक एक अंतरिम व्यापार समझौते (BTA phase-1) पर चर्चा कर रहे थे, ताकि ये शुल्क न लागू हों।

क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **कानूनी वैधता :** संयुक्त राज्य की अदालत ने मई 2025 में निर्णय दिया कि "Liberation Day" टैरिफ IEEPA कानून के तहत अवैध था और इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता ।
2. **शीर्ष अदालत में चुनौती :** यदि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय इस को निर्णय पलट दे, तो कार्यकारी आदेश और शुल्क लागू नहीं रह पाएंगे।
3. **अस्पष्टताएँ :** टैरिफ की श्रेणियाँ जटिल हैं; जैसे कनाडा को आदेश कुछ और प्रभावी तिथि, EU को दरों में भिन्नता हो सकती है।
4. **वैश्विक बाजार अस्थिरता :** शेयर-बाजार में गिरावट, मुद्रा उतार-चढ़ाव, और व्यापार निवेश प्रभावित हुए हैं।

समाधान की राह :

1. **दो-पक्षीय समझौता (BTA Phase-1) :** भारत और अमेरिका सितंबर-अक्टूबर 2025 तक व्यापार समझौते की पहली कड़ी पूरी करना चाहते हैं, जिसमें शुल्क में छूट, निर्यात सुलभता और नियमों का समंजन शामिल है।
2. **क्षेत्रीय वार्ता :** वस्त्र, फार्मा, ऑटो जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष बातचीत के जरिए छूट और नियम निर्धारित किए जाएंगे।
3. **प्रतिस्थापन नीतियाँ :** भारत ने EV बैटरी और मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ इनपुट्स पर आयात शुल्क समाप्त कर स्थानीय उत्पादन बढ़ाने और कर प्रभाव कम करने की कोशिश की है।
4. **क़ानूनी रणनीति :** अगर अमेरिकी अदालतों के फैसले अंतिम हो जाते हैं, तो भारत वैश्विक व्यापार मंचों पर इसे चुनौती दे सकता है।

निष्कर्ष :

- 'पारस्परिक टैरिफ' अब केवल शुल्क नियम नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक व्यापार उपकरण बन चुके हैं। इन उपायों का लक्ष्य अमेरिका-केंद्रित वाणिज्यिक लाभ, घाटा संतुलन और दबाव सृजन है। भारत, एक प्रमुख निर्यातक के रूप में, इन परिवर्तनों से निर्यात में कमी, प्रतिस्पर्धा में गिरावट और आर्थिक दबाव का सामना कर सकता है। चुनौतियों में कानूनी जटिलताएं, व्यापारिक अनिश्चितता और वैश्विक बाजार की अस्थिरता शामिल हैं। समाधान के रूप में दो-पक्षीय वार्ता, छूट नीतियाँ, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और वैश्विक मंचों पर कानूनी प्रतिक्रिया आवश्यक है।

स्त्रोत - पी.आई.बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अप्रैल 2025 के "मुक्ति दिवस" आदेश के अनुसार भारत के निर्यात पर तत्काल 25% समरूप शुल्क लागू हुआ।
2. अवैध घोषित उच्चतम न्यायालय ने 1अगस्त 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है।
3. अमेरिका ने 1अगस्त 2025 को भारत सहित 70 देशों पर 10% से 41% तक टैरिफ लगाया, जिसमें भारत पर 25% शुल्क तय किया गया।
4. भारत पर लगाए गए नई शुल्कों में ऑटो पार्ट्स पर पूरी तरह छूट मिली है।

उपर्युक्त विकल्पों में से कौन-सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4
C. केवल 3 D.इनमें से कोई नहीं।

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित 'पारस्परिक टैरिफ नीति' के संदर्भ में वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव, भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ तथा भारत की संभावित रणनीतियों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत-रूस संबंध चौराहे पर: उभरती वास्तविकताओं के साथ परंपरा का संतुलन

ख़बरों में क्यों?

विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर रूस की तीन दिवसीय यात्रा (19-21 अगस्त 2025) पर हैं, जहां वे 20 अगस्त को मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे।



भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी)

उत्पत्ति और तंत्र

1. द्विपक्षीय सहयोग के लिए मुख्य संस्थागत ढांचे के रूप में 1994 में स्थापित।
2. भारत के विदेश मंत्री और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री द्वारा सह-अध्यक्षता की जाएगी।
3. विभिन्न क्षेत्रों के कई कार्य समूहों और उप-समूहों के साथ वार्षिक बैठक होती है।
4. नेतृत्व स्तर पर भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का पूरक।

आईआरआईजीसी-टीईसी के प्रमुख फोकस क्षेत्र

1. व्यापार और अर्थव्यवस्था: ऊर्जा/रक्षा से परे व्यापार में विविधता लाना, निवेश को बढ़ावा देना; भुगतान संबंधी बाधाओं का समाधान करना, आईएनएसटीसी और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को मजबूत करना।
2. ऊर्जा: तेल एवं गैस आपूर्ति को सुरक्षित करना; कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का विस्तार करना; एलएनजी, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन सहयोग की संभावनाएं तलाशना।
3. रक्षा एवं सुरक्षा: संयुक्त उत्पादन (एके-203, ब्रह्मोस); स्पेयर पार्ट्स एवं सर्विसिंग; नियमित सैन्य अभ्यास एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग।
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: एआई, बायोटेक, फार्मा, आईटी में सहयोग; उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों में इसरो-रोस्कोस्मोस साझेदारी का विस्तार।
5. संस्कृति और शिक्षा: छात्र आदान-प्रदान, छात्रवृत्ति, चिकित्सा/इंजीनियरिंग अध्ययन; पर्यटन, योग, फिल्म एवं भाषा संवर्धन।
6. बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय: ब्रिक्स, एससीओ, जी-20, संयुक्त राष्ट्र में समन्वय; मध्य एशिया, अफगानिस्तान, हिंद-प्रशांत पर संयुक्त दृष्टिकोण।

यात्रा का रणनीतिक महत्व

1. **विशेष साझेदारी की पुष्टि:** यह यात्रा भारत-रूस "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" की गहराई को उजागर करती है, जो रक्षा, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में दशकों से बनी हुई लचीलापन को प्रदर्शित करती है।
2. **भूराजनीति को संतुलित करना:** यूक्रेन संघर्ष पर वैश्विक मतभेदों के बावजूद, भारत ने रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं, जो उसकी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।
3. **ऊर्जा सुरक्षा:** रूसी तेल और गैस आयात से भारत को ऊर्जा लागत का प्रबंधन करने में मदद मिलती है, जो आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
4. **रक्षा निर्भरता:** भारत की रक्षा सूची का लगभग 60-70% हिस्सा रूसी मूल का है, जिससे परिचालन तत्परता के लिए सहयोग आवश्यक हो जाता है।
5. **आर्थिक विविधीकरण:** यह यात्रा आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि में व्यापार का विस्तार करने तथा हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की दिशा में एक कदम है।
6. **कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स:** आईएनएसटीसी और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे पर प्रगति का उद्देश्य परिवहन लागत में कटौती करना और यूरेशियाई व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है।
7. **भविष्य की कूटनीति:** राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए मंच तैयार हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार, रक्षा और ऊर्जा पर नए समझौते होने की संभावना है।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

1. **द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि:** 2024-25 में व्यापार 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण रियायती कच्चे तेल का आयात है।
2. **निवेश प्रोत्साहन:** दोनों पक्ष ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आपसी निवेश की मांग कर रहे हैं।

3. **भुगतान तंत्र:** पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपया-रूबल व्यापार और वैकल्पिक बैंकिंग प्रणालियों पर बातचीत महत्वपूर्ण है।

4. **ऊर्जा आयात:** रूस अब भारत के शीर्ष तीन कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो ऊर्जा आयात बिलों को कम करने में योगदान दे रहा है।

5. **कृषि एवं उर्वरक:** रूस उर्वरकों और कृषि उत्पादों का एक प्रमुख स्रोत है, जो भारत में खाद्य और कृषि सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

6. **प्रौद्योगिकी एवं फार्मा:** रूस को भारतीय आईटी कम्पनियों और फार्मास्यूटिकल निर्यात का विस्तार हो रहा है, जो ऊर्जा व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है।

7. **बिजनेस फोरम की भूमिका:** भारत-रूस व्यापार मंच बी2बी संपर्क को सुगम बनाता है, तथा स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल व्यापार जैसे नए क्षेत्रों की पहचान करता है।

रक्षा और ऊर्जा आयाम

1. **विरासत रक्षा संबंध:** भारत-रूस रक्षा सहयोग दशकों से चल रहा है, जिसमें विमान, पनडुब्बी, टैंक और मिसाइलें शामिल हैं।

2. **संयुक्त उद्यम:** अमेठी में एके-203 राइफल्स का कारखाना और ब्रह्मोस मिसाइल संयुक्त उद्यम, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले सह-उत्पादन मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. **वायु रक्षा प्रणालियाँ:** एस-400 प्रणाली की आपूर्ति से क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध भारत की वायु रक्षा कवच मजबूत होगा।

4. **स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव:** समझौते से सुखोई विमान और टी-90 टैंक जैसी रूसी मूल की प्रणालियों की निरंतरता सुनिश्चित होगी।

5. **परमाणु सहयोग:** कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के निर्माण और रिएक्टरों की आपूर्ति में रूस की भूमिका भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करती है।

6. **तेल एवं गैस आपूर्ति:** वैश्विक तेल अस्थिरता के दौरान रूसी कच्चा तेल एक जीवन रेखा है, जो भारत को सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

7. **ऊर्जा संक्रमण:** भारत-रूस एलएनजी, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा की खोज कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत है।

राजनयिक जुड़ाव और उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान

1. **लावरोव के साथ वार्ता:** नियमित विदेश मंत्री स्तर की चर्चाएं यूक्रेन से लेकर हिंद-प्रशांत तक वैश्विक चुनौतियों पर समन्वय को मजबूत करती हैं।

2. **एससीओ सहभागिता:** भारत और रूस एससीओ ढांचे के अंतर्गत यूरेशियाई संपर्क, आतंकवाद निरोध और क्षेत्रीय स्थिरता पर एकमत हैं।

3. **ब्रिक्स संपर्क:** हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने बहुध्रुवीयता और गैर-डॉलरीकरण के प्रति समर्थन की पुष्टि की।

4. **विदेश कार्यालय परामर्श:** वर्ष 2025 के आरंभ में मिसरी-रुडेंको परामर्श ने इस यात्रा के लिए नीतिगत निरंतरता और आधारभूत कार्य सुनिश्चित किया।

5. **नेतृत्व-स्तर का विश्वास:** नियमित मोदी-पुतिन बैठकें रणनीतिक विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती हैं।

6. **वार्षिक शिखर सम्मेलन परंपरा:** यह यात्रा भारत में अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करती है, जो वर्ष 2000 से चली आ रही परंपरा को जारी रखेगी।

7. **आत्मविश्वास निर्माण:** वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लगातार आदान-प्रदान एक स्थिरता के रूप में कार्य करता है, तथा द्विपक्षीय गति को बरकरार रखता है।

भू-राजनीतिक संदर्भ

1. **बहु-संरेखण नीति:** भारत लचीली कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी साझेदारियों और रूस संबंधों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखता है।

2. **रणनीतिक स्वायत्तता:** यह यात्रा दर्शाती है कि भारत किसी भी गुट के साथ विशेष रूप से नहीं जुड़ेगा, तथा वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बनाए रखेगा।

3. **रूस की एशिया धुरी:** पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अलग-थलग पड़ गया है, तथा भारत, चीन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण एशियाई साझेदार बन गया है।

4. **चीन कारक:** रूस-चीन के घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत को यूरेशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए मास्को के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की आवश्यकता है।

5. **मध्य एशिया संबंध:** दोनों देश अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अस्थिरता और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग चाहते हैं।

6. **बहुपक्षीय मंच:** भारत-रूस ने ब्रिक्स, एससीओ और जी-20 में अपनी स्थिति को संरेखित किया, जिससे वैश्विक दक्षिण सहयोग और शासन सुधारों को बढ़ावा मिला।

7. **ऊर्जा एवं सुरक्षा वास्तुकला:** साझेदारी एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को आकार देने में मदद करती है, जो किसी भी एक गुट के प्रभुत्व का विरोध करती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध

1. **ऐतिहासिक संबंध:** भारत और रूस के बीच सभ्यतागत संबंधों की एक विरासत है, जो शुरुआती यात्रियों और विद्वानों के ज़माने से चली आ रही है। रूसी बुद्धिजीवी भारतीय आध्यात्मिकता के प्रशंसक थे, जबकि भारतीय रूसी साहित्य को आधुनिक विचारों की एक झलक मानते थे।

2. **सिनेमा और साहित्य:** रूस में आवारा और डिस्को डांसर जैसी बॉलीवुड फ़िल्में घर-घर में मशहूर हुईं, जबकि भारत में टॉल्स्टॉय, पुश्किन और दोस्तोवस्की की रचनाएँ खूब पढ़ी जाती हैं। इन सांस्कृतिक आदान-प्रदानों ने लोगों के बीच आपसी सौहार्द को मज़बूत करने में मदद की।

3. **शैक्षिक आदान-प्रदान:** 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र, विशेष रूप से रूस के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में, शैक्षिक संबंधों को जीवंत बनाए हुए हैं। अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान की भी संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।

4. **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में एक सोवियत अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी, जो संवेदनशील क्षेत्रों में विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। गगनयान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए सहयोग की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।

5. **योग और आयुर्वेद:** रूस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहा है। रूसी मध्यम वर्ग में आयुर्वेद, भारतीय व्यंजनों और सांस्कृतिक उत्सवों की माँग बढ़ रही है।

6. **भारतीय प्रवासी:** यद्यपि संख्या में कम (लगभग 15,000) भारतीय प्रवासी अकादमिक, आईटी और व्यापार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हैं।

7. **पर्यटन एवं भाषा:** दोनों पक्ष पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक केंद्रों, भाषा विनिमय कार्यक्रमों और वीजा सुविधा की योजना बना रहे हैं।

रिश्ते में चुनौतियां

1. **ऊर्जा निर्भरता:** 2024-25 में भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 35% रूस से आएगा। यदि प्रतिबंध बढ़ते हैं या कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, तो रूस पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है।

2. **प्रतिबंधों का प्रभाव:** रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग, बीमा और रसद क्षेत्र में बाधाएँ पैदा हो रही हैं। यहाँ तक कि रुपया-रूबल व्यापार समझौते में भी तकनीकी बाधाएँ आ रही हैं।

3. **कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं:** आईएनएसटीसी और व्लादिवोस्तोक-चेन्नई समुद्री गलियारा मध्य एशिया में वित्त पोषण की कमी और भू-राजनीतिक बाधाओं के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।

4. **चीन कारक:** रूस का चीन के साथ बढ़ता गठबंधन, विशेषकर यूक्रेन पर युद्ध प्रतिबंधों के बाद, भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के बीजिंग के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हैं।

5. **रक्षा विविधीकरण:** भारत फ्रांस, अमेरिका और इज़राइल से रक्षा उपकरण तेज़ी से खरीद रहा है, जिससे रूस पर उसकी निर्भरता कम हो रही है। इससे संबंधों का पारंपरिक "स्तंभ" कमज़ोर पड़ सकता है।

6. **निजी क्षेत्र में अंतराल:** तेल, गैस और रक्षा क्षेत्र में सरकारी नेतृत्व वाली बड़ी परियोजनाओं के अलावा, भारतीय निजी कंपनियां बाजार जोखिमों और नियामक बाधाओं के कारण रूस में बहुत कम उपस्थिति दिखाती हैं।

7. **गैर-ऊर्जा व्यापार कमजोरी:** रिकॉर्ड समग्र व्यापार के बावजूद, फार्मा, कृषि और आईटी जैसे क्षेत्र कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापार संतुलन भी रूस के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ है।

आगे की राह :

1. **व्यापार विविधीकरण:** संतुलन और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को रूस को फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, मशीनरी और कृषि वस्तुओं के निर्यात का विस्तार करना चाहिए।

2. **तकनीकी सहयोग:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में संयुक्त निवेश से संबंध भविष्योन्मुखी बन सकते हैं।

3. **कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** आईएनएसटीसी और व्लादिवोस्तोक-चेन्नई कॉरिडोर के पूरा होने से परिवहन लागत में लगभग 30% की कमी आएगी और यूरेशिया के लिए नए व्यापार मार्ग खुलेंगे।

4. **वित्तीय तंत्र:** मजबूत रुपया-रूबल या डिजिटल मुद्रा निपटान प्रणाली विकसित करने से द्विपक्षीय व्यापार को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाया जा सकेगा।

5. **बहुपक्षीय मंच:** ब्रिक्स, एससीओ, जी-20 और संयुक्त राष्ट्र सुधारों में गहन समन्वय से दोनों देशों को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में अपनी आवाज बुलंद करने में मदद मिल सकती है।

6. **संयुक्त उद्यम:** उर्वरकों, परमाणु रिएक्टरों (जैसे कुडनकुलम), नवीकरणीय ऊर्जा और तेल शोधन में नए सहयोग से आर्थिक तालमेल को और बढ़ाया जा सकता है।

7. **उच्च स्तरीय कूटनीति:** राष्ट्रपति पुतिन की अपेक्षित भारत यात्रा सहित नियमित नेता-स्तरीय यात्राएं गति को बनाए रखने में मदद करेंगी तथा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

26वीं आईआरआईजीसी-टीईसी भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की स्थायी गहराई को रेखांकित करती है, जो बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच भी मज़बूती से खड़ी रही है। यह यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की खोज, रूस के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ाव पर प्रकाश डालती है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के मूल में, यह साझेदारी भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती रहेगी। यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में भारत की भूमिका को भी सुदृढ़ करती है। इस प्रकार, यह आयोग विश्वास की निरंतरता और भविष्य के सहयोग के लिए एक रोडमैप दोनों के रूप में कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न :

Q1. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 1994 में भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र के रूप में की गई थी।
2. इसकी सह-अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. आयोग की बैठक प्रतिवर्ष होती है और यह अनेक कार्य समूहों और उप-समूहों के माध्यम से कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के प्रश्न :

Q1. उभरती वैश्विक भू-राजनीति के संदर्भ में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के महत्व का परीक्षण कीजिए। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता को किस प्रकार आकार देता है?

(250 शब्द, 15 अंक)



रूसी तेल पर 50% आयात शुल्क : अमेरिका की टैरिफ नीति बनाम भारत की ऊर्जा कूटनीति

ख़बरों में क्यों ?



- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा कार्यकारी आदेश के माध्यम से भारतीय आयातों पर टैरिफ यानी सीमा शुल्क दरों में भारी वृद्धि कर दी है।
- इस निर्णय ने न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है, बल्कि अमेरिका के द्वारा लिया गया यह निर्णय वैश्विक व्यापार संतुलन को भी प्रभावित किया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों में एक विवाद उत्पन्न हो गया है।
- इस आदेश के अनुसार अब भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाले उत्पादों पर कुल मिलाकर 50% शुल्क लगेगा। इसमे पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा 25% की अतिरिक्त ड्यूटी जोड़ी गई है।
- ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के जवाब में लिया गया कदम बताया गया है।

टैरिफ वृद्धि का मूल कारण : भारत का रूस से तेल आयात करना :



- व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद—चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष—अमेरिका की उस विदेश नीति के विरुद्ध जाती है जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस की आर्थिक ताकत को कमज़ोर करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

- अमेरिका के कार्यकारी आदेश 14024 और 14066, जिनके तहत रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे, उनके अनुपालन को भारत की यह नीति नुकसान पहुँचा रही है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों को रोकने के लिए कड़े आर्थिक कदम आवश्यक हो गए हैं, और यह टैरिफ वृद्धि उसी का हिस्सा है।

- व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि यह कदम केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। यदि अन्य देश भी रूस से ऊर्जा स्रोतों का आयात जारी रखते हैं, तो उन्हें भी इसी तरह की सख्त कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

कार्यकारी आदेश के प्रमुख बिंदु :

1. **अतिरिक्त शुल्क** - वृद्धि से टैरिफ में वृद्धि होना : पहले से लागू 25% आयात शुल्क के अलावा 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, जिससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा।

2. **लागू होने की तिथि :** यह निर्णय कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के 21 दिन बाद से प्रभावी होगा।

3. **दायरा :** यह सभी प्रकार की भारतीय वस्तुओं पर लागू होगा — चाहे वे उपभोक्ता सामान हों, तकनीकी उपकरण हों या कच्चा माल। हालांकि इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जो सामान पहले से जहाज पर लद चुका होगा, उसे छूट दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद से हर भारतीय उत्पाद पर यह नया शुल्क लागू होगा।

टैरिफ विवाद पर भारत की प्रतिक्रिया :



- भारत सरकार ने इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को "अविवेकपूर्ण, अन्यायसंगत और एकतरफा" बताया है।

- भारत ने यह भी सवाल उठाया है कि अमेरिका क्यों केवल भारत को ही निशाना बना रहा है, जबकि यूरोप जैसे कई देश अब भी रूस से ऊर्जा संसाधन खरीद रहे हैं।

- भारत के MEA के बयान में यह कहा गया है कि अमेरिका का यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

- यह निर्णय न केवल भारत की आर्थिक संप्रभुता को चुनौती देता है, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश भी गहरे हैं। भारत ने इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में उठाने का संकेत भी दिया है।

भारत पर पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव :



1. **डेटा संरक्षण और आईपीआर क्षेत्र से संबंधित विवाद :** भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले से ही कई बार टैरिफ, डेटा संरक्षण और आईपीआर जैसे मुद्दों के कारण तनावपूर्ण रहा है। 2024 में यह व्यापार $190 बिलियन से अधिक का रहा है, जिसमें भारत का निर्यात $118 बिलियन से अधिक था, लेकिन यह टैरिफ वृद्धि अब विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।

2. **टेक्सटाइल और परिधान उद्योग :** अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात बाज़ार है। 50% शुल्क लगने के बाद भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा खो सकते हैं।

3. **इंजीनियरिंग और मैकेनिकल उत्पाद :** ऑटो पार्ट्स, मशीन उपकरण आदि पर अतिरिक्त शुल्क लागत बढ़ा देंगे।

4. **फार्मास्युटिकल उद्योग :** भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। नए शुल्क से इनकी कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।

5. **आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र :** लैपटॉप, मोबाइल पार्ट्स आदि जैसे उत्पादों पर लागत बढ़ने से निर्यात प्रभावित होगा।

व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव की संभावना और भारत के पास उपलब्ध अन्य विकल्प :

- **भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक विविधता देने की जरूरत :** विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस निर्णय से भारत अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक विविधता देने की दिशा में सोच सकता है।
- **रूस और चीन के साथ गहरे व्यापारिक संबंध :** अगर अमेरिका लगातार दबाव बनाए रखता है, तो भारत इन देशों के साथ नए समझौते कर सकता है।
- **ASEAN और अफ्रीकी बाजारों का विस्तार :** भारतीय उद्योग अब दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में नए अवसर तलाश सकते हैं।
- **मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देने की जरूरत :** यह संकट घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने का अवसर भी बन सकता है।

टैरिफ वृद्धि का भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्य :

- इस टैरिफ वृद्धि को केवल आर्थिक निर्णय मानना सही नहीं होगा। यह अमेरिका की **"अमेरिका फर्स्ट"** नीति का ही विस्तार है, जिसे ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जोर-शोर से लागू किया था।
- चीन, मैक्सिको, यूरोपीय संघ — सभी को टैरिफ के हथियार से झेला है। अब भारत भी इस रणनीति में आ गया है।
- अमेरिका अपने हितों की रक्षा के नाम पर दुनिया को एकतरफा निर्णयों के माध्यम से नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन भारत जैसे उभरते हुए देश इन कदमों का अब खुलकर विरोध कर रहे हैं।
- भारत ने रूस से तेल खरीद को पूरी तरह एक रणनीतिक और आर्थिक निर्णय बताया है, जिसके पीछे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और किफायती दरों पर खरीद संबंधी प्राथमिकता हैं।
- भारत ने बार-बार कहा है कि वह किसी भी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएगा।

समाधान / आगे की राह :

1. **एक उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद की आवश्यकता :** विश्लेषकों का मानना है कि इस संकट को टालने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद आवश्यक है। अगर दोनों देश बातचीत के माध्यम से एक स्वीकार्य समाधान निकाल पाते हैं, तो यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
2. **विशेष व्यापार वार्ता की जरूरत :** भारत और अमेरिका दोनों ही पक्ष एक नई व्यापारिक समझौता प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
3. **सीमित छूट की पेशकश :** अमेरिका कुछ उत्पादों पर छूट देने को तैयार हो सकता है, यदि भारत कुछ रियायतें देता है।
4. **ऊर्जा नीति पर सहमति :** भारत रूस से ऊर्जा खरीदने की अपनी रणनीति को अमेरिका को बेहतर ढंग से समझा सकता है।

निष्कर्ष :



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर टैरिफ बढ़ाने का निर्णय केवल एक व्यापारिक कदम भर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता और बहुपक्षीयता की जटिल परतों से जुड़ा है।
- भारत इस समय एक ऐसे दोराहे पर है जहाँ उसे अपने आर्थिक हितों, रणनीतिक साझेदारियों और वैश्विक प्रतिष्ठा के बीच संतुलन बनाना होगा।
- दूसरी ओर, अमेरिका को भी यह समझना होगा कि एकतरफा कदम उठाने से वह अपने पुराने मित्रों को दूर कर सकता है।
- अतः, द्विपक्षीय व्यापार संबंध के लिए यह समय संयम, संवाद और समझदारी का है, नहीं तो अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर टैरिफ बढ़ाने का यह निर्णय और दोनों देशों के मध्य के आर्थिक युद्ध की यह चिंगारी एक बड़ी वैश्विक आग बन सकती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. टैरिफ वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह केवल एक आर्थिक निर्णय है।
2. यह अमेरिका की "अमेरिका फर्स्ट" नीति का हिस्सा है।
3. यह भारत की ऊर्जा नीति पर दबाव बनाने की कोशिश है।
4. इसका वैश्विक व्यापार पर कोई अंतरराष्ट्रीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 3

C. केवल 3 और 4 D. केवल 1 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाने के हालिया निर्णय के पीछे क्या मुख्य कारण हैं? इस कदम का भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार, भारत की ऊर्जा नीति और वैश्विक व्यापार एवं राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस स्थिति से निपटने हेतु भारत और अमेरिका के बीच किन संभावित समाधान या रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





भारत के तेल और गैस क्षेत्र को पुनर्जीवित करना : अंडमान-निकोबार बेसिन में रणनीतिक प्रगति

समाचार में क्यों?

भारत का तेल और गैस अन्वेषण परिदृश्य नीतिगत उदारीकरण, अत्याधुनिक तकनीकी उपयोग और कम अन्वेषित अपतटीय सीमाओं—विशेषकर अंडमान-निकोबार बेसिन—की ओर एक साहसिक मोड़—के साथ एक परिवर्तनकारी पुनरुत्थान के दौर से गुज़र रहा है। यह पुनरुत्थान ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) के अंतर्गत विशाल हाइड्रोकार्बन क्षमता का दोहन करने की देश की रणनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।



पृष्ठभूमि: भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती :

1. **बढ़ती ऊर्जा मांग:** भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो तीव्र आर्थिक विकास और शहरीकरण को दर्शाता है।
2. **उच्च आयात निर्भरता:** 85% से अधिक कच्चा तेल और लगभग 50% प्राकृतिक गैस का आयात किया जाता है, जिससे बड़ी रणनीतिक और राजकोषीय कमजोरी पैदा होती है।
3. **विदेशी मुद्रा बोझ:** यह निर्भरता भारत के चालू खाते पर दबाव डालती है और उसे वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।
4. **ऊर्जा सुरक्षा जोखिम:** आयात पर भारी निर्भरता के कारण भारत को पश्चिम एशिया जैसे तेल उत्पादक क्षेत्रों में भू-राजनीतिक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है।
5. **2014 के बाद नीतिगत बदलाव:** 2014 से सरकार ने इस निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) को प्राथमिकता दी है।
6. **रणनीतिक सुधार शुरू किए गए:** प्रमुख सुधारों का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, व्यापार करने में आसानी बढ़ाना तथा अंडमान-निकोबार अपतटीय जैसे सीमांत बेसिनों का अन्वेषण करना है।

सामरिक-भौगोलिक संदर्भ :

1. **टेक्टोनिक जंक्शन स्थान:** अंडमान-निकोबार बेसिन भारतीय और बर्मी प्लेटों के विवर्तनिक प्रतिच्छेदन पर स्थित है, जो इसे भूवैज्ञानिक रूप से गतिशील और संसाधन-समृद्ध बनाता है।
2. **सामरिक सीमा:** अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक स्थिति के कारण यह अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण के लिए एक उच्च-संभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
3. **ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों से निकटता:** यह बेसिन म्यांमार और इंडोनेशिया के निकट स्थित है, दोनों ही देशों में पेट्रोलियम प्रणालियां स्थापित हैं, जो साझी स्तरीकृत क्षमता का संकेत देती हैं।
4. **बंगाल की खाड़ी का लाभ:** बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप, कम खोजे गए समुद्री क्षेत्र में गहरे पानी के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।
5. **हिंद-प्रशांत महत्व:** इसका स्थान भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है, तथा सामरिक समुद्री हितों में योगदान देता है।
6. **ऊर्जा सुरक्षा भूमिका:** इस बेसिन में अन्वेषण से भारत की पश्चिम एशियाई आयातों पर निर्भरता कम करने तथा अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।
7. **समुद्री सुरक्षा एकीकरण:** इस क्षेत्र में ऊर्जा गतिविधि निगरानी और अवसंरचनात्मक उपस्थिति को बढ़ाकर भारत की व्यापक समुद्री रणनीति का समर्थन करती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अंडमान बेसिन: भारत का नया ऊर्जा क्षेत्र

1. **टेक्टोनिक संगम क्षेत्र:** अंडमान बेसिन भारतीय और बर्मी प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है, जो इसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय और हाइड्रोकार्बन निर्माण के लिए अनुकूल बनाता है।
2. **सिद्ध बेसिनों से निकटता:** यह म्यांमार और उत्तरी सुमात्रा में स्थापित हाइड्रोकार्बन बेसिनों के साथ संरचनात्मक और स्तरीकृत समानताएं साझा करता है, जो मजबूत अन्वेषण क्षमता का संकेत देता है।
3. **विविध भूवैज्ञानिक सेटिंग्स:** यह बेसिन कार्बोनेट प्ले और बैक-आर्क बेसिन सेटिंग्स में अवसर प्रदान करता है, जो दोनों ही विश्व स्तर पर तेल और गैस भंडारों के लिए जाने जाते हैं।
4. **हालिया नीतिगत सफलता:** 2022 में, पहले से प्रतिबंधित 'नो-गो' अपतटीय क्षेत्रों के लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर को अन्वेषण के लिए खोल दिया गया।
5. **सीमांत स्थिति:** इस कदम ने अंडमान बेसिन को हाल के दशकों में भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अपतटीय अन्वेषण क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है।
6. **सामरिक महत्व:** इसके विकास से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है तथा बंगाल की खाड़ी में एक नया अपतटीय ऊर्जा केंद्र स्थापित हो सकता है।

अल्ट्रा-डीपवाटर ड्रिलिंग में तकनीकी छलांग :

1. **अग्रणी गहराई:** ओएनजीसी और ओआईएल ने अत्यंत गहरे जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तथा 5000 मीटर तक की अभूतपूर्व गहराई पर ड्रिलिंग कर रहे हैं।
2. **प्रमुख ड्रिलिंग परियोजना - ANDW-7:** पूर्वी अंडमान बैक आर्क में ANDW-7 वाइल्डकैट कुआं भारत के अपतटीय अभियान में एक ऐतिहासिक पहल है।
3. **हल्के कच्चे तेल के संकेत:** कुएं से नमूने काटने पर हल्के कच्चे तेल और संघनित पदार्थ के अंश मिले, जिससे हाइड्रोकार्बन उत्पादन की पुष्टि हुई।
4. **नियो-पेंटेन डिटेक्शन:** ट्रिप गैसों में सी-5 हाइड्रोकार्बन (नियो-पेंटेन) की उपस्थिति एक सक्रिय थर्मोजेनिक प्रणाली का सुझाव देती है।
5. **जलाशय चट्टान की गुणवत्ता:** मुख्य विश्लेषण से भंडार-गुणवत्ता संबंधी पहलू का पता चला, जो वाणिज्यिक तेल और गैस की वसूली के लिए आवश्यक है।
6. **थर्मोजेनिक सिस्टम पुष्टिकरण:** भूवैज्ञानिक साक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशियाई बेसिनों के समान एक कार्यशील पेट्रोलियम प्रणाली को मान्य करते हैं।
7. **वैश्विक अन्वेषण समता:** ये निष्कर्ष भारत के अंडमान अपतटीय अभियान को अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के प्रयासों के समकक्ष रखते हैं।

भूकंपीय और स्तरीकृत सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा-संचालित अन्वेषण :

1. **व्यापक भूकंपीय मानचित्रण:** भारत के ईईजेड में 80,000 एलकेएम को कवर करते हुए एक विशाल 2डी ब्रॉडबैंड भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है।
2. **उच्च-रिज़ॉल्यूशन अंडमान सर्वेक्षण:** ओआईएल ने दीप अंडमान (2021-22) में 22,555 एलकेएम उच्च-रिज़ॉल्यूशन भूकंपीय डेटा पूरा किया।
3. **भूवैज्ञानिक संरचना पहचान:** ये सर्वेक्षण अपतटीय तलछटी बेसिनों के भीतर दोषों, जालों और संभावित जलाशयों का पता लगाने में मदद करते हैं।
4. **स्ट्रेटीग्राफिक ड्रिलिंग प्रगति पर:** वर्तमान में उपसतही डेटा का परीक्षण करने के लिए चार स्ट्रेटीग्राफिक कुओं की खुदाई की जा रही है, जिनमें से एक एएन बेसिन में है।
5. **मॉडल सत्यापन उद्देश्य:** ड्रिलिंग का उद्देश्य वाणिज्यिक अन्वेषण से पहले भूभौतिकीय मॉडलों की पुष्टि करना और हाइड्रोकार्बन क्षमता को मान्य करना है।
6. **भविष्य के परिचालनों को जोखिम मुक्त करना:** स्ट्रेटीग्राफिक ड्रिलिंग वाणिज्यिक अन्वेषण जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
7. **वैज्ञानिक परिशुद्धता:** भूकंपीय डेटा और परीक्षण ड्रिलिंग का एकीकरण अन्वेषण के लिए एक वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नीतिगत सुधारों से अपतटीय अन्वेषण को गति मिलेगी

1. **राजस्व साझाकरण अनुबंध मॉडल (2015):** पीएससी से आरएससी में बदलाव से ऑपरेटरों को अधिक परिचालन स्वतंत्रता मिली और लागत वसूली सरल हो गई।
2. **हेल्प - एक एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (2016):** हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस की अनुमति देती है।
3. **ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी):** ओएएलपी कम्पनियों को किसी भी समय ब्लॉकों पर बोली लगाने की सुविधा देता है, जिससे अन्वेषण में लचीलापन और जवाबदेही बढ़ती है।
4. **राष्ट्रीय डेटा भंडार (एनडीआर):** एनडीआर डिजिटल भूवैज्ञानिक और भूकंपीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **कच्चे तेल के विपणन विनियमन (2022):** विनियमन से उत्पादकों को सीधे कच्चा तेल बेचने की अनुमति मिलती है, जिससे प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश बढ़ता है।

6. **निवेशक-अनुकूल वातावरण:** इन सुधारों ने भारत के अपस्ट्रीम क्षेत्र को पारदर्शी, उदारीकृत और प्रतिस्पर्धी बना दिया है।

7. **सीमांत अन्वेषण को बढ़ावा:** सुधारित ढांचे ने अंडमान बेसिन जैसे उच्च जोखिम वाले, उच्च लाभ वाले क्षेत्रों में अन्वेषण को गति दी है।

संस्थागत आधार: ओएनजीसी और ओआईएल की भूमिका

1. **ओएनजीसी - ऊर्जा दिग्गज:** ओएनजीसी भारत के कुल कच्चे तेल और गैस उत्पादन में लगभग 71% का योगदान देता है, तथा घरेलू उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

2. **महारत्न नेतृत्व:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में, ओएनजीसी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीतियों का नेतृत्व करता है।

3. **वैश्विक और घरेलू पहुंच:** ओएनजीसी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ब्लॉकों में सक्रिय है तथा अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता ला रही है।

4. **ऑयल - फ्रंटियर स्पेशलिस्ट:** ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी अपस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो सीमांत बेसिन अन्वेषण पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

5. **भूकंपीय और स्तरीकृत प्रयास:** ओआईएल गहरे अंडमान क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण और स्ट्रेटीग्राफिक कुओं के निर्माण का नेतृत्व कर रहा है।

6. **सतत संचालन:** दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत अन्वेषण प्रथाओं पर जोर देते हैं।

7. **अन्वेषण पुनरुद्धार को बढ़ावा देना:** ओएनजीसी और ओआईएल भारत के अपतटीय अन्वेषण पुनरुद्धार के पीछे संस्थागत इंजन के रूप में काम करते हैं।

अंडमान बेसिन का रणनीतिक महत्व

आयाम	मुख्य बिंदु
A. ऊर्जा सुरक्षा	- मध्य पूर्व के तेल आयात पर निर्भरता को कम करता है - घरेलू हाइड्रोकार्बन उपलब्धता को बढ़ाता है - भारत की ऊर्जा टोकरी में विविधता लाता है - ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है
B. समुद्री प्रभाव और सुरक्षा	- बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है - अपतटीय संसाधनों के विकास से ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देता है - मलक्का जलडमरूमध्य के पास रणनीतिक स्थिति समुद्री नियंत्रण को सुदृढ़ करती है - भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" को पूरक समर्थन
C. क्षेत्रीय सहयोग	- म्यांमार और इंडोनेशिया के सिद्ध बेसिनों से भूवैज्ञानिक समानता - खोज और डेटा साझाकरण में क्षेत्रीय सहयोग की संभावना - संयुक्त उपक्रम और तकनीकी आदान-प्रदान की संभावना - क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीति और संपर्क को बढ़ावा देता है

चुनौतियाँ और पर्यावरणीय चिंताएँ

उपशीर्षक	चुनौती का विवरण
a. उच्च परिचालन लागत	अल्ट्रा-डीपवाटर ड्रिलिंग (5000 मीटर तक) के लिए उन्नत तकनीक और उच्च पूंजी व्यय (CAPEX) की आवश्यकता होती है, जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ते हैं।
b. भूपृष्ठीय अनिश्चितता	सीमित भूवैज्ञानिक डेटा के कारण शुष्क कुओं (dry wells) का जोखिम अधिक होता है, जिससे शुरुआती चरणों में अन्वेषण आर्थिक रूप से अनिश्चित हो जाता है।
c. बुनियादी ढांचे की कमी	गहरे समुद्र में समर्थन करने वाला अधोसंरचना (जैसे कि रिग्स, सबसी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स) अपर्याप्त है, जिससे परियोजनाओं के समय पर निष्पादन में बाधा आती है।
d. नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र	अंडमान सागर में संवेदनशील मूंगा रीफ, संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियाँ और अद्वितीय जैव विविधता पाई जाती है, जिन्हें सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

e. कड़े पर्यावरणीय अनुमोदन	पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंजूरी में देरी से संचालन बाधित हो सकते हैं।
f. विकास और संरक्षण के बीच संतुलन	नीति-निर्माताओं को ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों और महासागर स्वास्थ्य तथा सतत विकास प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा।

आगे की राह :

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर

1. **उन्नत भूवैज्ञानिक मानचित्रण:** अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन भंडारों की पहचान करने और अन्वेषण सफलता दर में सुधार करने के लिए सीमांत बेसिनों में भूकंपीय कवरेज और भूवैज्ञानिक मानचित्रण में तेजी लाना।
2. **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना:** विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करके तथा प्रतिस्पर्धी राजकोषीय शर्तें प्रदान करके अधिक निजी निवेश को सुगम बनाना।
3. **बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण:** गहरे पानी की खोजों का कुशलतापूर्वक दोहन करने के लिए एफपीएसओ (फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज ऑफलोडिंग यूनिट) की तैनाती सहित अपतटीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
4. **गैस-आधारित संक्रमण को बढ़ावा देना:** भारत को कोयले से स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर ले जाने में सहायता के लिए नव खोजे गए प्राकृतिक गैस भंडारों का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा तालमेल में निवेश करें।
5. **विकास और संरक्षण में संतुलन:** हरित प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके, गहन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) करके तथा समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों की सुरक्षा करके पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

अंडमान बेसिन का अन्वेषण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरना भारत की ऊर्जा यात्रा में एक नए युग का संकेत है। रणनीतिक नीतिगत सुधारों, तकनीकी कौशल और संस्थागत मज़बूती के बल पर, भारत अपनी अपतटीय संपदा की क्षमता का दोहन करने के लिए तैयार है। यदि यह सफल रहा, तो यह ऊर्जा सुरक्षा, अपतटीय अन्वेषण एवं उत्पादन में क्षेत्रीय नेतृत्व, और एक लचीली नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. अंडमान-निकोबार बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय और बर्मी प्लेटों के विवर्तनिक जंक्शन पर स्थित है।
2. यह म्यांमार और इंडोनेशिया में तेल उत्पादक बेसिनों के साथ भूवैज्ञानिक समानता साझा करता है।
3. इस बेसिन में अन्वेषण से भारत की मध्य पूर्वी तेल आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "अंडमान-निकोबार बेसिन में भारत का अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव और समुद्री लचीलेपन की दिशा में एक साहसिक कदम है।" इस विकास के सामरिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और नीतिगत आयामों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, आगे की राह भी सुझाइए।

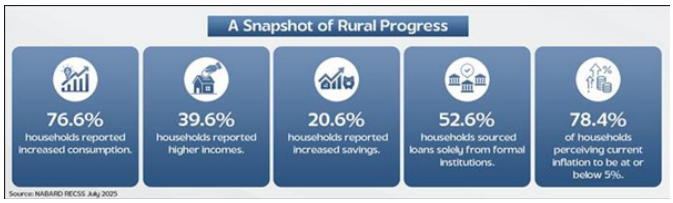
(250 शब्द, 15 अंक)



ग्रामीण भारत का उदय : विकास, आत्मविश्वास और कनेक्टिविटी

समाचार में क्यों?

ग्रामीण आर्थिक गति के एक स्पष्ट संकेत के रूप में, नाबार्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्रामीण आर्थिक स्थिति और भावना सर्वेक्षण आरईसीएसएस (RECSS) के जुलाई 2025 के दौर से पता चलता है कि 76.6% ग्रामीण परिवारों ने उपभोग में वृद्धि दर्ज की है, जो उपभोग-आधारित विकास की निरंतर गति को दर्शाता है। आरईसीएसएस (RECSS) विभिन्न सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। आय, उपभोग, ऋण और भावना पर घरेलू स्तर के आंकड़ों को एकत्रित करके, यह सर्वेक्षण इस बात की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है कि कैसे जन कल्याणकारी पहल जमीनी स्तर पर ठोस आर्थिक परिणामों में परिवर्तित हो रही हैं। ये निष्कर्ष ग्रामीण भारत में बढ़ती आय, बढ़ते वित्तीय समावेशन और बढ़ते घरेलू आशावाद की एक उत्साहजनक तस्वीर पेश करते हैं।



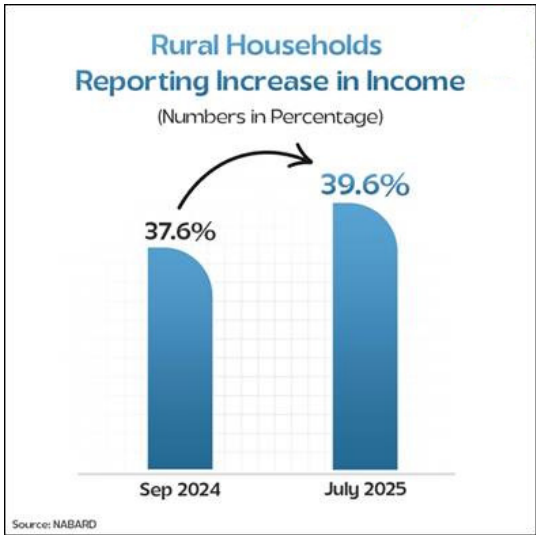
बढ़ती आय और उपभोग-आधारित वृद्धि

आय वृद्धि

सर्वेक्षण में शामिल 39.6% परिवारों ने पिछले वर्ष के दौरान आय में वृद्धि की सूचना दी, जो अब तक के सर्वेक्षण के सभी छह दौरों में सबसे अधिक है।

आय में वृद्धि की श्रेणी (%)	आय में वृद्धि की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत (%)
0–5%	24.7%
5–10%	42.5%
10–15%	14.9%
15–20%	8.9%
20% से अधिक	9.1%

कुल 39.6% परिवारों ने पिछले वर्ष में आय में वृद्धि की सूचना दी, जो अब तक के सभी छह सर्वेक्षणों में सबसे अधिक है।



उपभोग पर व्यय

76.6% परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में खपत में वृद्धि दर्ज की। केवल 3.2% परिवारों ने खपत में गिरावट दर्ज की, जो इस सर्वेक्षण के शुरू होने के बाद से सबसे कम है।

यह वृद्धि मासिक आय के उपभोग पर खर्च किए जाने वाले उच्चतम दर्ज हिस्से से और अधिक मजबूत हुई है, जो 65.57% है, जो सितंबर 2024 में 60.87% से अधिक है।

यह ग्रामीण परिवारों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति और मजबूत वित्तीय आत्मविश्वास को दर्शाता है।

सरकारी सहायता महत्वपूर्ण बनी हुई है

बढ़ी हुई बचत के माध्यम से वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करना

20.6% परिवारों ने वित्तीय बचत में वृद्धि की सूचना दी, जो बढ़ती आय के साथ-साथ बचत क्षमता में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

बचत के लिए आवंटित आय का कथित हिस्सा 13.18% था, जबकि ऋण चुकौती घरेलू खर्च का 11.85% थी।

कुल मिलाकर, ये आंकड़े उपभोग वृद्धि के साथ-साथ बचत और ऋण प्रबंधन की मजबूत संस्कृति की ओर इशारा करते हैं।

आय और रोजगार परिदृश्य पर मजबूत भावनाएं

अल्पकालिक भावनाएँ (अगली एक तिमाही)

56.4% ग्रामीण परिवारों को उम्मीद है कि अगली तिमाही में आय का स्तर बेहतर होगा, जो अब तक के सर्वेक्षण के सभी चरणों में सबसे अधिक है।

56.2% ग्रामीण परिवारों को अगली तिमाही में बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है, जो आय-सृजन के क्षेत्रों में बढ़ती आशावादिता को दर्शाता है।

दीर्घकालिक भावनाएँ (अगले एक वर्ष)

अब तक के सर्वाधिक 74.7% ग्रामीण परिवारों को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में उनकी आय में वृद्धि होगी।

यह आत्मविश्वास की मजबूत भावना और दूरदर्शी सकारात्मकता को दर्शाता है, जिसे अनुकूल मानसून और बेहतर होते बुनियादी ढांचे से बल मिला है।

वित्तीय समावेशन और औपचारिक ऋण उपयोग का विस्तार

औपचारिक ऋण चैनलों की ओर बदलाव

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नीतिगत प्रयासों से प्रेरित होकर, ग्रामीण परिवार ऋण के लिए औपचारिक संस्थागत स्रोतों पर अधिकाधिक निर्भर हो रहे हैं। रिकॉर्ड 52.6% परिवारों ने बताया कि वे केवल औपचारिक वित्तीय संस्थानों—बैंकों, सहकारी समितियों, एनबीएफसी, एमएफआई आदि—से ऋण लेते हैं।

अन्य 26.9% ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों से उधार लिया।

यह अनियमित ऋणदाताओं से दूर एक मजबूत बदलाव को दर्शाता है, जिससे उधारकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और ऋण की कम लागत सुनिश्चित होती है।

अनौपचारिक हित बोझ में कमी

अनौपचारिक ऋणों पर औसत ब्याज दर घटकर 17.53% रह गई, जो पिछले दौर की तुलना में 30 आधार अंकों की गिरावट है।

औपचारिक प्रणाली से बाहर होने के बावजूद, 30% ग्रामीण परिवारों ने ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं दिया - मुख्य रूप से मित्रों और रिश्तेदारों से उधार लेने के कारण, जो समुदाय-आधारित वित्तीय सहायता को दर्शाता है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद

76.1% परिवारों ने माना कि पिछले वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।

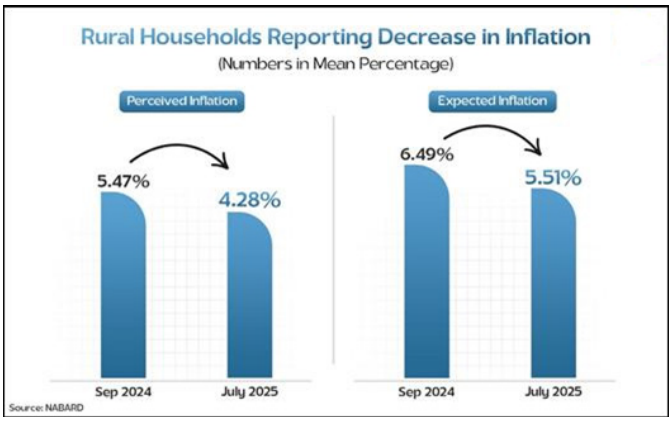
यह सड़क, बिजली आपूर्ति, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

ग्रामीण विकास प्राथमिकताएँ: सड़क, शिक्षा, जल

विकास के क्षेत्रों की प्राथमिकता (परिवारों की राय के अनुसार)

रैंक	विकास का क्षेत्र	इसे प्रथम स्थान देने वाले परिवारों का प्रतिशत (%)
1	ग्रामीण सड़कें	46.3%
2	शिक्षा सुविधाएं	11.2%
3	पेयजल आपूर्ति	10.0%
4	बिजली	8.6%
5	स्वास्थ्य अवसंरचना	7.5%

घटती मुद्रास्फीति धारणाएँ और अपेक्षाएँ :



सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति मार्च में 3.25% से गिरकर अप्रैल में 2.92% और मई में 2.59% हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति भी मई में घटकर 1.36% रह गई। जुलाई के सर्वेक्षण में, ग्रामीण परिवारों ने कम मुद्रास्फीति धारणा दर्ज की, जो औसतन (औसत मूल्य) 4.28% थी। अधिकांश परिवारों (78.4%) ने मुद्रास्फीति को 5% या उससे कम माना, जबकि अगली तिमाही की उम्मीदें औसत 4.29% के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर आ गईं। एक वर्ष आगे की उम्मीदें औसत 5.51% पर स्थिर रहीं।

स्थिर खाद्य व्यय पैटर्न

1. ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के बावजूद, कुल मासिक उपभोग व्यय में खाद्यान्न का हिस्सा 50% के मध्यमान मूल्य पर स्थिर रहा।
2. इससे पता चलता है कि बढ़ती आय का उपयोग खाद्य बजट पर

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

दबाव बढ़ाए बिना, खर्च में विविधता लाने के लिए किया जा रहा है।

राउंड 1 (सितंबर 2024) के साथ प्रमुख मापदंडों की तुलना

पैरामीटर	सितंबर 2024	जुलाई 2025	इसका क्या अर्थ है
आय में वृद्धि (परिवारों का %)	37.6%	39.6%	अधिक परिवार बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं, और आय वृद्धि बढ़ रही है।
उपभोग में वृद्धि (परिवारों का %)	80.1%	76.6%	मामूली गिरावट, लेकिन अभी भी उच्च — खर्च मजबूत बना हुआ है जिससे ग्रामीण मांग में वृद्धि होगी।
रोजगार परिदृश्य (अगली तिमाही)	52.6%	56.2%	आशावाद बढ़ रहा है — अधिक परिवारों को उम्मीद है बेहतर नौकरी के अवसर जल्द ही।
आय का दृष्टिकोण (अगले 12 महीने)	70.2%	74.7%	आत्मविश्वास में उल्लेख-नीय वृद्धि — दीर्घकालिक आय अपेक्षाएँ बहुत सका-रात्मक हैं।

निष्कर्ष :

जुलाई 2025 का आरईसीएसएस सर्वेक्षण ग्रामीण भारत में मज़बूत विकास और आशावाद को दर्शाता है। आय और उपभोग बढ़ रहे हैं, बचत में सुधार हुआ है, और ज़्यादा परिवार औपचारिक ऋण प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य की आय और रोज़गार को लेकर भावनाएँ अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। सरकारी सहायता स्थिर बनी हुई है, बुनियादी ढाँचे में सुधार हो रहा है, और मुद्रास्फीति की धारणाएँ रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। कुल मिलाकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास और उन्नति की राह पर है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में हाल के ग्रामीण आर्थिक रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आय में वृद्धि की रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत सितंबर 2024 और जुलाई 2025 के बीच बढ़ा।
2. सितम्बर 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में ग्रामीण उपभोग के स्तर में तेजी से गिरावट आएगी।
3. आधे से अधिक ग्रामीण परिवारों को अगली तिमाही में रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2, और 3

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. ग्रामीण भारत ने बुनियादी ढाँचे में सुधार, आय वृद्धि और वित्तीय समावेशन के कारण आर्थिक आशावाद के प्रबल संकेत दिखाए हैं। ग्रामीण उपभोग, आय और रोज़गार परिदृश्य में हाल के रुझानों का परीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए कि सरकारी हस्तक्षेपों ने इन परिणामों में किस प्रकार योगदान दिया है।

(250 शब्द, 15 अंक)



स्वदेशी से आत्मनिर्भरता तक : भारतीय हथकरघा की यात्रा

समाचार में क्यों?

भारतीय हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। हज़ारों साल पुरानी विरासत के साथ, यह भारत की समृद्ध संस्कृति और कुशल कारीगरी का प्रतीक है। भारतीय बुनकर लंबे समय से हाथ से कताई, बुनाई और छपाई कौशल में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। ये देश भर के छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों में स्थित हैं, जहाँ ये कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं।



स्वदेशी से आत्मनिर्भरता की ओर

हथकरघा क्षेत्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रतिरोध के रूप में स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा, का समर्थन किया।

इस विरासत के सम्मान में, भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। इस दिवस का पहला उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में किया था। तब से, यह दिवस हर साल बुनकर समुदाय का सम्मान करने, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को मान्यता देने और भारत की हथकरघा विरासत के संरक्षण और संवर्धन के हमारे सामूहिक संकल्प को नवीनीकृत करने के लिए मनाया जाता है।

11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: शिल्प कौशल और उत्कृष्टता का उत्सव

11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति होगी, जो 5 संत कबीर पुरस्कार विजेताओं और 19 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 24 पुरस्कार विजेताओं को 2024 के लिए प्रतिष्ठित संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे।

ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) घटक का हिस्सा हैं। ये पुरस्कार उन बुनकरों, डिज़ाइनरों, विपणकों, स्टार्ट-अप्स और उत्पादक कंपनियों के कार्यों को मान्यता देते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बदलाव लाया है।

प्रत्येक संत कबीर पुरस्कार में 3.5 लाख रुपये नकद, एक स्वर्ण सिक्का (जड़ित), एक ताम्रपत्र, एक शॉल और एक प्रमाण पत्र शामिल है। प्रत्येक राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख रुपये नकद, एक ताम्रपत्र, एक शॉल और एक प्रमाण पत्र शामिल है।

हैंडलूम हैकाथॉन - पुरानी चुनौतियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण

आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल ढलने में हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 4 अगस्त 2025 को आईआईटी दिल्ली के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में हैंडलूम हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ किया। विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा राष्ट्रीय डिज़ाइन केंद्र और एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से आयोजित यह पहल इस क्षेत्र में नवाचार-आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



हथकरघा: ग्रामीण भारत की जीवन रेखा और विरासत का रक्षक

हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कई परिवारों के लिए, यह न केवल एक परंपरा है, बल्कि उनकी आय का मुख्य स्रोत भी है। बुनाई अक्सर घर पर ही साधारण करघों का उपयोग करके की जाती है। इसे शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, जो इसे छोटे गाँवों और कस्बों के लिए आदर्श बनाता है।

आज, हथकरघा बुनाई भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019-20) के अनुसार, लगभग 35.22 लाख परिवार इस काम से जुड़े हैं। कुल मिलाकर, इनमें 35 लाख से ज़्यादा बुनकर और संबद्ध श्रमिक शामिल हैं।

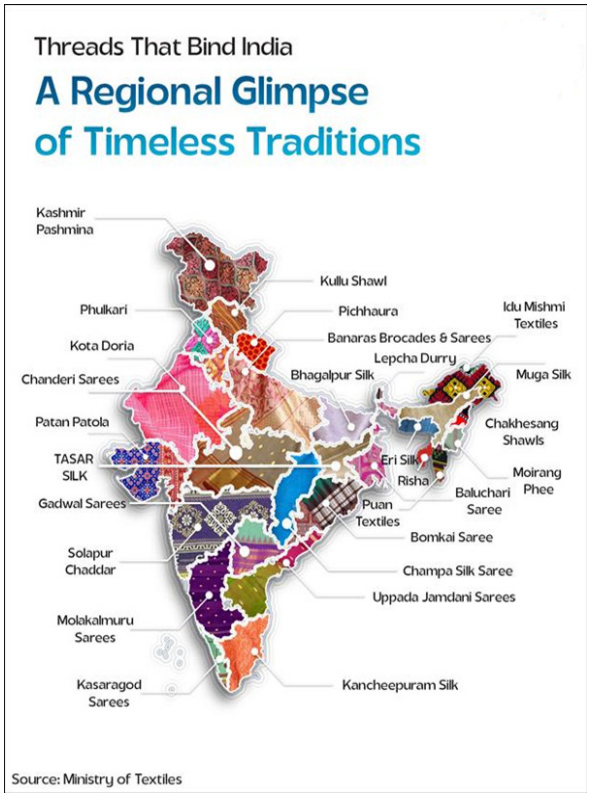
इस क्षेत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की भूमिका है। लगभग 72% आर्थिक हथकरघा बुनकर महिलाएँ हैं। उनमें से कई के लिए, बुनाई आय और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्रदान करती है। यही कारण है कि कई सरकारी योजनाएँ महिला बुनकरों की मदद

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

और उन्हें अधिक समर्थन देने पर केंद्रित हैं।

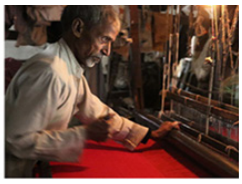
हथकरघा सिर्फ़ कपड़ा नहीं है। ये हमारे लोगों, जगहों और परंपराओं की कहानियाँ समेटे हुए हैं। बनारसी से लेकर कांजीवरम तक, हर बुनाई भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। पर्यावरण-अनुकूल तरीकों से बने हथकरघे ग्रामीण परिवारों का समर्थन करते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और स्थायी जीवन को बढ़ावा देते हैं। ये सचमुच हमारी पहचान को दर्शाते हैं।

भारतीय हथकरघा की समृद्ध विविधता



भारत का हथकरघा क्षेत्र अपने विविध प्रकार के कपड़ों के लिए जाना जाता है, जिनमें सूती, खादी, जूट, लिनन और हिमालयन बिछुआ जैसे दुर्लभ रेशे शामिल हैं। यह टसर, मशरू, शहतूत, एरी, मुगा और अहिंसा जैसी विशिष्ट रेशम किस्मों के साथ-साथ पश्मीना, शहतूत और कश्मीरी जैसे ऊनी वस्त्र भी तैयार करता है।



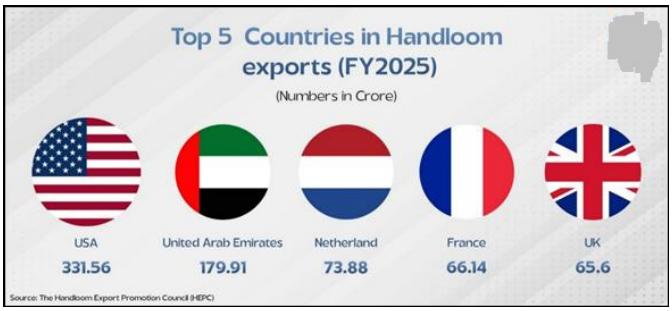


भारत के हर क्षेत्र ने अपनी अनूठी हथकरघा शैली विकसित की है। उदाहरण के लिए, राजस्थान अपनी टाई-एंड-डाई, मध्य प्रदेश चंदेरी और उत्तर प्रदेश जैक्वार्ड पैटर्न के लिए जाना जाता है। इन विशिष्ट परंपराओं ने भारतीय हथकरघों को उनके विस्तृत डिज़ाइन और कलात्मक मूल्य के लिए भारत और दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है।

अन्य प्रसिद्ध शैलियों में ओडिशा की बोमकाई, गोवा की कुनबी, महाराष्ट्र की पैठणी, ओडिशा की कोटपाड़, केरल की बलरामपुरम, पश्चिम बंगाल की जामदानी और बालूचरी शामिल हैं। हर कलाकृति पारंपरिक तरीकों से हाथ से बनाई जाती है, जिससे हर उत्पाद अनोखा बनता है।

वैश्विक बाजारों में भारतीय हथकरघा

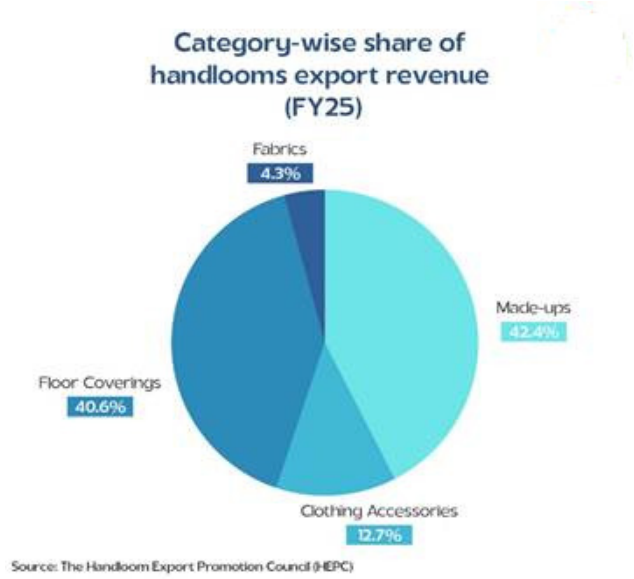
भारतीय हथकरघा अपनी समृद्ध बनावट, मिट्टी के रंगों और जटिल शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हर बुनाई एक कहानी कहती है, और यही सांस्कृतिक गहराई और विशिष्टता भारतीय हथकरघा उत्पादों को दुनिया भर के घरों और दिलों में एक खास जगह दिलाती है।



अपनी समृद्ध विरासत के बल पर, भारत व्यावसायिक स्तर पर हथकरघा वस्त्रों का दुनिया का एकमात्र प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा है। उल्लेखनीय बात यह है कि दुनिया का लगभग 95 प्रतिशत हाथ से बुना कपड़ा भारत में ही बनता है। जहाँ अन्य देशों में इसी तरह के क्षेत्रों का पतन हो गया है या वे लुप्त हो गए हैं, वहीं भारत की हथकरघा परंपरा अपने गहरे सांस्कृतिक मूल्यों और बुनकरों के चिरस्थायी कौशल के बल पर फलती-फूलती रही है।

भारत के हथकरघा निर्यात की वैश्विक बाज़ारों में मज़बूत मांग बनी हुई है, और यह 20 से ज़्यादा देशों तक पहुँच रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक बना रहा, जहाँ ₹331.56 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा, जहाँ ₹179.91 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ, जबकि नीदरलैंड ने ₹73.88 करोड़ मूल्य का आयात किया। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम क्रमशः ₹66.14 करोड़ और ₹65.6 करोड़ मूल्य के आयात के साथ उसके ठीक पीछे रहे। ये आँकड़े भारतीय हथकरघा उत्पादों के शिल्प कौशल और सांस्कृतिक मूल्य के लिए निरंतर वैश्विक प्रशंसा को दर्शाते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS



हथकरघा विकास के लिए सरकारी योजनाएँ

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

अवयव	2014–15 से 2023–24	2024–25
लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम		
स्वीकृत क्लस्टरों की संख्या	715	79
जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	533.17	85.99
कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	2,16,579	12,221
हथकरघा विपणन सहायता		
स्वीकृत विपणन आयोजनों की संख्या	2,316	177
जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	302.42	35.77
कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	37,59,380	4,86,040
जीआई अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत उत्पाद		
पंजीकृत उत्पादों/वस्तुओं की संख्या	73	31
बुनकर मुद्रा ऋण		
स्वीकृत ऋण लाभार्थियों की संख्या	2,90,212	9,211
हथकरघा बुनकर कल्याण		
पीएमजेजेबीवाई/पीएमएस-बीवाई के अंतर्गत नामांकित बुनकरों की संख्या	24,86,697	1,42,126

कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)



यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस), जिसे अब आंशिक रूप से संशोधित कर कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) कर दिया गया है, को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों और घटकों के माध्यम से किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करके हथकरघा बुनकरों का समर्थन करना है।

उद्देश्य

- पात्र हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण धागा और मिश्रण उपलब्ध कराना।
- मानक मूल्य निर्धारित करें और निरंतर गुणवत्ता और आपूर्ति बनाए रखें।
- खराब रंगाई सुविधाओं को दूर करने और उत्पाद विविधीकरण का समर्थन करने के लिए रंगे हुए धागे की आपूर्ति करना।
- मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करना।

सब्सिडी

इस योजना के अंतर्गत, सभी प्रकार के धागों के लिए माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा कपास हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न तथा प्राकृतिक रेशों के मिश्रित यार्न के लिए मात्रा सीमा के साथ 15% यार्न सब्सिडी का एक घटक है, ताकि हथकरघा बुनकर मूल्य निर्धारण में पावर-लूम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण पहल

विपणन सहायता



हथकरघा बुनकरों को विपणन मंच प्रदान करने के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनियों और जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बुनकरों को देश भर में आयोजित होने वाले विभिन्न शिल्प मेलों में भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। एक नई पहल के रूप में, हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 23 ई-कॉमर्स कंपनियों को शामिल किया गया है।

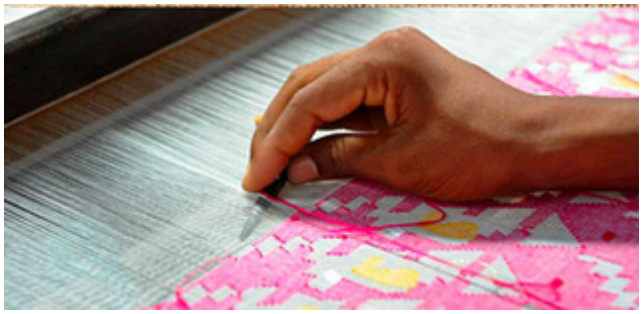
हथकरघा उत्पादों का प्रमाणन

हथकरघा उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए 2006 में हैंडलूम मार्क की शुरुआत की गई थी। 2015 में, उच्च-गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड (IHB) की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य बुनकर और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध स्थापित करना है, जिससे बुनकर को बेहतर कमाई और उपभोक्ता को गुणवत्ता का आश्वासन मिले। BIBA, पीटर इंग्लैंड और ONAYA जैसे प्रमुख ब्रांडों ने IHB के साथ मिलकर विशेष हथकरघा संग्रह लॉन्च किए हैं।

लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एससीडीपी)

लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम बुनकर समूहों को दृश्यमान और आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। करघे और सहायक उपकरणों की खरीद, प्रकाश इकाइयों, वर्कशेड निर्माण, सामान्य वर्कशेड के लिए सौर प्रकाश व्यवस्था, वस्त्र डिजाइनरों की नियुक्ति और उत्पाद विकास गतिविधियों जैसे कार्यों के लिए प्रति क्लस्टर ₹2 करोड़ तक की आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कौशल उन्नयन



बुनकरों और संबद्ध कर्मचारियों को नई बुनाई तकनीकें सीखने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और नए डिज़ाइन व रंग विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में पर्यावरण-अनुकूल रंगाई पद्धतियाँ, बुनियादी लेखांकन और प्रबंधन की जानकारी, और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से परिचित कराना भी शामिल है।

हथकरघा संवर्धन सहायता (करघे और सहायक उपकरण)



इस योजना का उद्देश्य उन्नत करघे, जैक्वार्ड, डोबी आदि को अपनाकर कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है। इस योजना के तहत, लागत का 90% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों की पूर्ण भागीदारी के साथ किया जाता है।

वर्कशेड योजना

यह योजना बुनकरों के पूरे परिवार के लिए उनके घर के पास एक समर्पित कार्यस्थल प्रदान करती है। प्रत्येक इकाई की लागत ₹1.2 लाख है। महिला, बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग बुनकरों सहित हाशिए पर रहने वाले परिवार 100% वित्तीय सहायता के पात्र हैं, जबकि अन्य लाभार्थियों को 75% सहायता मिलती है।

डिजाइनरों की नियुक्ति

पेशेवर डिज़ाइनरों को क्लस्टरों के भीतर और बाहर नवीन डिज़ाइन और उत्पाद विकसित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह योजना उनकी फीस को कवर करती है और डिज़ाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा मार्केटिंग संबंध स्थापित करने के लिए पारिश्रमिक हेतु अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय प्रदान करती है।

पारंपरिक डिजाइनों का संरक्षण

मंत्रालय भारत के अनूठे हथकरघा उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत करके उनकी सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाने में भी मदद करता है। अब तक, कुल 658 जीआई-टैग वाले उत्पादों में से कुल 104 हथकरघा उत्पाद जीआई अधिनियम के तहत पंजीकृत हो चुके हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उत्पादक कंपनियों के माध्यम से सशक्तिकरण

उत्पादकता और आय में सुधार के लिए, विभिन्न राज्यों में 163 से ज़्यादा उत्पादक कंपनियाँ (पीसी) स्थापित की गई हैं। ये समूह बुनकरों को अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और बड़े बाज़ारों तक पहुँचने में मदद करते हैं।

GeM और indiahandmade.com के साथ डिजिटल बनें

बुनकरों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में भी मदद की जा रही है। लगभग 1.80 लाख बुनकरों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ा गया है, जिससे वे सीधे सरकारी विभागों और संस्थानों को उत्पाद बेच सकते हैं। 2418 विक्रेता indiahandmade.com से जुड़े और 11410 उत्पाद अपलोड किए गए।

हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी उपाय

वस्त्र मंत्रालय पूरे भारत में हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता रहता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और एकीकृत महात्मा गांधी बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) जैसी बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ विकलांगता के विरुद्ध भी कवरेज प्रदान करती हैं।

60 वर्ष से अधिक आयु के, गरीबी में जीवनयापन करने वाले और सालाना ₹1 लाख से कम कमाने वाले पुरस्कार विजेता बुनकरों को ₹8,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके बच्चे (दो वर्ष तक) सरकारी मान्यता प्राप्त कपड़ा संस्थानों में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए ₹2 लाख प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की बुनाई परंपराओं और उन्हें जीवित रखने वाले लोगों का एक हार्दिक उत्सव है। इसका 11वाँ संस्करण न केवल प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से उनके योगदान को मान्यता प्रदान कर रहा है, बल्कि हैंडलूम हैकाथॉन 2025 जैसी दूरदर्शी पहलों के साथ नई गति भी ला रहा है। नए विचारों, सहयोगों और तकनीक के माध्यम से, यह क्षेत्र लचीलेपन और नवीनीकरण की दिशा में मज़बूत कदम उठा रहा है। इस विशेष दिवस को मनाते हुए, हम अपने कारीगरों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने, भारत की समृद्ध बुनाई परंपराओं की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के अपने सामूहिक संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं कि विरासत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के धागे एक मज़बूत और जीवंत भविष्य का निर्माण करते रहें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारतीय हथकरघा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईआईटी कानपुर में हैंडलूम हैकथॉन 2025 का आयोजन किया गया।
2. गुणवत्तापूर्ण हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में इंडिया हैंडलूम ब्रांड लॉन्च किया गया था।
3. लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम केवल बड़े हथकरघा क्लस्टरों को सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत का हथकरघा क्षेत्र सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



सुधार की ओर वापसी : एक स्पष्ट आयकर कानून की राह

समाचार में क्यों?

8 अगस्त 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा (भारत के संसद के निचले सदन) को सूचित किया कि आयकर विधेयक, 2025 को वापस लिया जा रहा है। यह निर्णय व्यापक जाँच और संसदीय प्रवर समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया।



प्रमुख घटनाएं

1. **13 फरवरी 2025:** आयकर विधेयक, 2025, पहली बार लोकसभा में पेश किया गया।
2. **21 जुलाई 2025:** सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा प्रवर समिति ने विधेयक की जांच के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
3. **8 अगस्त 2025:** वित्त मंत्री ने आधिकारिक तौर पर मूल विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।
4. **11 अगस्त 2025:** सरकार द्वारा विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किये जाने की उम्मीद है।

तुलना: आयकर अधिनियम, 1961 बनाम आयकर विधेयक, 2025 के विधेयक में क्या था?

पहलू	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर विधेयक, 2025 (वापस लिया गया मसौदा)
उत्पत्ति और आयु	1961 में अधिनियमित, 60 वर्ष से अधिक पुराना	कर कानून को आधुनिक बनाने के लिए 2025 में पेश किया गया
भाषा और संरचना	कानूनी, तकनीकी, जटिल	सरल भाषा, आधुनिक संरचना, पढ़ने में आसान
संगठन	तार्किक रूप से अध्यायबद्ध नहीं; उपयोगकर्ताओं के लिए कठिन	पुनर्गठित अध्याय और अनुसूचियाँ, बेहतर नेविगेशन
गणना शैली	शब्द-भारी, सूत्रों का कम उपयोग	तालिकाओं और सूत्रों का अधिक उपयोग, गणना स्पष्टता के लिए
करदाताओं के लिए स्पष्टता	उच्च कानूनी जटिलता; व्याख्या के लिए पेशेवरों की आवश्यकता	व्यक्तिगत करदाताओं और पेशेवरों के लिए सरल

1. पुनर्गठन और सरल भाषा में प्रारूपण

कानूनों को स्पष्ट अध्यायों और अनुसूचियों में पुनर्गठित किया जाना था।

अस्पष्टता और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए तालिकाओं और सूत्रों का अधिक उपयोग।

2. प्रशासनिक व्यवस्थितीकरण

संग्रह, वसूली और अपील के लिए स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रियाएं।

वैकल्पिक विवाद समाधान मार्गों का परिचय।

3. कर दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं

विधेयक में मुख्य कर दरों में परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया।

ध्यान स्पष्टता और सरलीकरण पर था, न कि दर समायोजन पर।

4. विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें

निवास नियम, टीडीएस/टीसीएस तंत्र, तथा धर्मार्थ ट्रस्ट नियम जैसे विषयों पर जांच और सुधार के लिए प्रकाश डाला गया।

विधेयक वापस क्यों लिया गया?

विधेयक को संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया, जो जटिल विधेयकों के लिए एक मानक प्रक्रिया है। समिति का कार्य था:

- कर पेशेवरों, उद्योग समूहों और अधिकारियों जैसे हितधारकों से फीडबैक एकत्र करें।
- प्रारूपण और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- आवश्यक परिवर्तनों की अनुशंसा करें।

समिति के मुख्य निष्कर्ष:

प्रारूपण में कई गलतियाँ, अस्पष्ट शब्दावली और संभावित रूप से हानिकारक नियम पाए गए। सैकड़ों परिवर्तनों की सिफारिश की गई, जिनमें शामिल हैं:

- प्रारूपण संबंधी त्रुटियों को ठीक करना।
- कुछ मौजूदा कर लाभों को बरकरार रखना।
- कानून को समझना आसान बनाना।

इसे संशोधित क्यों न किया जाए?

संसद में सैकड़ों संशोधन करना धीमा और अव्यवस्थित होता। इसलिए पूरे विधेयक को वापस लेकर सभी सुधारों सहित एक नया संस्करण पेश करना ज़्यादा आसान और कारगर था।

समिति की सिफारिशों के उदाहरण

1. दान / गुमनाम दान

मूल मसौदे में धार्मिक-सह-धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुमनाम दान पर कर लगाया गया था।

समिति ने ऐसे ट्रस्टों की सुरक्षा के लिए पिछली छूट को बरकरार रखने की सिफारिश की।

2. खाली घर संपत्ति कराधान

मूल शब्दावली के कारण खाली संपत्तियों पर कर बढ़ सकता था।

पहले की कर स्थिति को बनाए रखने और अनुचित बोझ को रोकने के लिए पुनः मसौदा तैयार करने की सिफारिश की गई।

3. रिफंड और देर से रिटर्न

मूल बिल में देरी से आवेदन करने वालों को रिफंड देने की अनुमति नहीं दी गई थी।

समिति ने निर्धारित तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर भी रिफंड की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा।

4. परिभाषाएँ और प्रारूपण त्रुटियाँ

अनुपस्थित या असंगत परिभाषाएँ (जैसे, "पूंजीगत परिसंपत्ति", "लाभकारी स्वामी")।

स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सटीक पुनर्लेखन की सिफारिश की गई।

5. अनुपालन का बोझ कम करना

व्यक्तियों, व्यवसायों और पेशेवरों के लिए फॉर्म और नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया गया।

आपके लिए इसका क्या मतलब है

1. **तत्काल कोई परिवर्तन नहीं:** 1961 का आयकर अधिनियम अभी भी लागू है।
2. **स्पष्ट भविष्य नियम:** संशोधित विधेयक को समझना और लागू करना आसान होगा, जिससे भ्रम और आश्चर्य कम होगा।
3. **लक्षित राहत:** यदि आप संपत्ति के मालिक हैं, कोई चैरिटी चलाते हैं, या वेतनभोगी करदाता हैं, तो नए प्रावधान प्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष :

आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेना, विस्तृत जाँच और हितधारकों की प्रतिक्रिया के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। जल्द ही आने वाले संशोधित संस्करण का उद्देश्य भारत के लिए एक आधुनिक, स्पष्ट और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल आयकर कानून लाना है, जिससे करदाताओं को अचानक कोई झटका न लगे। अब सबकी निगाहें 11 अगस्त 2025 पर टिकी हैं, जब संशोधित मसौदा पेश किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आयकर विधेयक, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया।
2. इसका उद्देश्य प्रावधानों को पुनर्गठित करके और सरल भाषा का प्रयोग करके आयकर अधिनियम, 1961 की संरचना को सरल बनाना था।
3. इसे वापस लेने से पहले संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेना विधायी तात्कालिकता और गहन जाँच की आवश्यकता के बीच संतुलन साधने की प्रक्रिया को दर्शाता है। भारत में कर सुधार के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

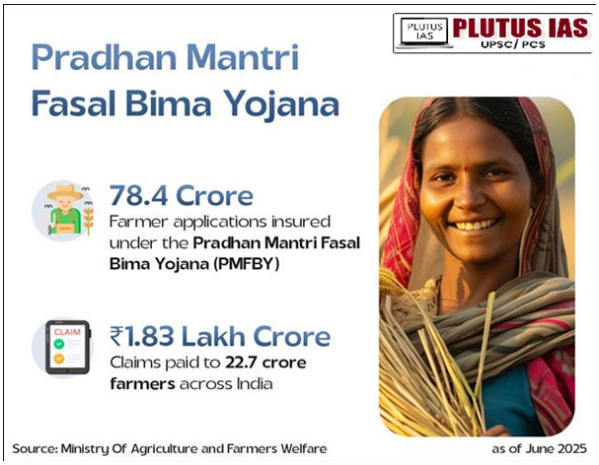
कृषि सशक्तिकरण: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

समाचार में क्यों?

18 फरवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों की सुरक्षा में अपनी भूमिका के लिए एक बार फिर चर्चा में है। केरल के किसान श्री लाल कृष्णेश की हालिया सफलता की कहानियाँ—जिन्हें 2022 और 2023 में बाढ़ और फसल क्षति के बाद मुआवजे के रूप में अपने प्रीमियम से कई गुना अधिक राशि मिली—इस योजना की प्रभावशीलता को उजागर करती हैं। PMFBY पूरे फसल चक्र को कवर करते हुए किफायती, व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है, जिससे किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। इसका "एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम" मॉडल प्रीमियम दरों में निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह योजना किसानों के जोखिम को कम करने, बेहतर बीजों, तकनीक और टिकाऊ प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण रही है।

योजना के तहत उपलब्धियां :

नामांकित किसानों की कुल संख्या 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई है, यानी 32% की वृद्धि।

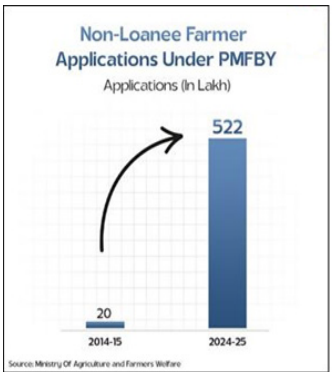


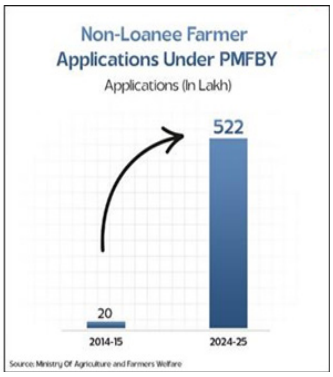
2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक (30.06.2025 तक), पीएमएफबीवाई के तहत कुल 78.407 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया है।

इन आवेदनों में से 22.667 करोड़ किसानों को कुल ₹1.83 लाख करोड़ के दावे प्राप्त हुए।

पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं की तुलना में, किसान आवेदनों का कवरेज 2014-15 में 371 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1510 लाख हो गया है।

गैर-ऋणी किसान आवेदनों की संख्या 2014-15 में 20 लाख से बढ़कर 2024-25 में 522 लाख हो गई है।





योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए, जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सुदृढ़ बनाना :

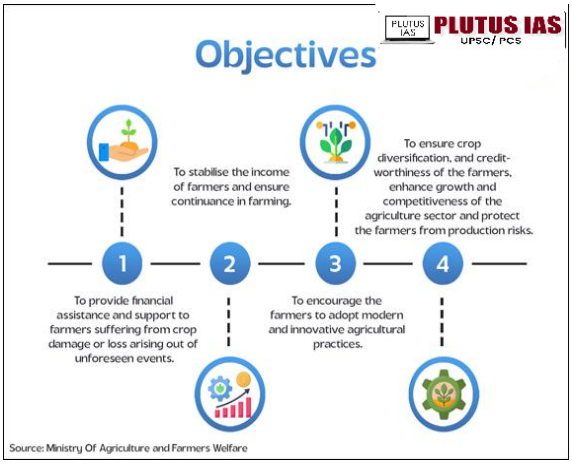
2016 में इसकी शुरुआत के बाद से, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और दावों के समय पर निपटान को बढ़ाना है। इन प्रयासों से योजना के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

परिणामस्वरूप, 2024-25 में कवर किया गया रकबा और नामांकित किसानों की संख्या दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 4.19 करोड़ किसानों का नामांकन हो चुका है, जो इसकी शुरुआत से अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत नामांकित कुल किसान आवेदनों में से क्रमशः 6.5%, 17.6% और 48% काश्तकार, सीमांत और ऋणी किसानों से संबंधित हैं।

किसानों के आवेदनों के लिहाज से पीएमएफबीवाई अब दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसके अलावा, कई राज्यों

ने प्रीमियम में किसानों का हिस्सा माफ कर दिया है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और योजना में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

उद्देश्य :



फ़ायदे :

1. **किफायती प्रीमियम:** खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% होगा। रबी खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए यह 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% होगा। बीमांकिक प्रीमियम का शेष भाग (95% से 98.5%) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) को छोड़कर, जहाँ यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
2. **व्यापक कवरेज:** इस योजना में प्राकृतिक आपदाएँ (सूखा, बाढ़), कीट और बीमारियाँ शामिल हैं। ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण फसल-पश्चात होने वाले नुकसान भी इसमें शामिल हैं।
3. **समय पर मुआवजा:** पीएमएफबीवाई का उद्देश्य फसल कटाई के दो महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में न फंसें।
4. **प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यान्वयन:** पीएमएफबीवाई फसल हानि का सटीक आकलन करने तथा सटीक दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है।

पात्रता :

वर्ग	पात्रता	उपस्थिति पंजी	विशेष नोट
गैर-ऋणी किसान	- गैर-मानक केसीसी योजना से जुड़े फसल ऋण वाले किसान - जिन किसानों ने कोई फसल ऋण नहीं लिया है	जोखिम कम करने और बीमा लाभों का दावा करने के लिए पीएमएफबी-वाई के अंतर्गत स्वैच्छिक नामांकन	इसमें फसल ऋण रहित सभी किसान शामिल हैं; वे स्वयं PMFBY में शामिल हो सकते हैं
ऋणी किसान	- किसानों को मौसमी कृषि कार्यों (एसएओ) के लिए वित्तीय संस्थानों (एफआई) से ऋण स्वीकृत किया गया	अनिवार्यपीएमएफबीवाई के तहत नामांकन	एसएओ फसल ऋणों से काटे गए प्रीमि-यम; सावधि जमा, स्वर्ण/आभूषण ऋण, या भूमि पर बीमा योग्य ब्याज के बिना बंधक ऋण जैसे संपार्श्विक के विरुद्ध फसल ऋणशामिल नहीं किया हुआ

कवर किए गए जोखिम

1. **उपज हानि (खड़ी फसलें):** सरकार ऐसी उपज हानि के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है जो गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के अंतर्गत आती है, जैसे प्राकृतिक आग और बिजली: तूफान, ओलावृष्टि, बवंडर आदि: बाढ़, जलप्लावन और भूस्खलन; कीट/रोग, आदि; सूखा आदि।
2. **बुवाई पर रोक:** ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहाँ अधिसूचित क्षेत्रों के अधिकांश किसान (बीमित) बुवाई या बुआई करना चाहते हों। ऐसे मामलों में, उन्हें उस कारण का खर्च वहन करना पड़ता है और प्रतिकूल मौसम के कारण बीमित फसलों की बुवाई या बुआई करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में ये किसान बीमित राशि के अधिकतम 25% तक के क्षतिपूर्ति दावों के पात्र हो जाएंगे।
3. **कटाई के बाद के नुकसान:** सरकार प्रत्येक खेत के आधार पर कटाई के बाद के नुकसान का प्रावधान करती है। सरकार उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम 14 दिनों तक का कवरेज प्रदान करती है जो "कटी और फैली हुई" स्थिति में संग्रहीत हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

इसका अर्थ है कि सरकार उन किसानों को कवर करती है जिन्होंने देश भर में आए चक्रवात या चक्रवाती बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों को कटाई के बाद खेत में धूप में पकने के लिए छोड़ दिया है।

4. **स्थानीय आपदाएँ:** सरकार प्रत्येक खेत के आधार पर स्थानीय आपदाओं के लिए प्रावधान करती है। अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलप्लावन जैसे चिन्हित स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान या क्षति जैसे जोखिम इस कवरेज के अंतर्गत आते हैं।

पीएमएफबीवाई कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल :

पहल	विवरण	प्रभाव
राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)	ऑनलाइन किसान नामांकन, डेटा साझाकरण, निगरानी और दावों का सीधा हस्तांतरण	पारदर्शिता में सुधार, दावा निपटान में तेजी
डिजी दावा मॉड्यूल (खरीफ 2022 से)	एनसीआईपी को पीएफएमएस और बीमा कंपनी प्रणालियों से जोड़ा गया; विलंबित दावों के लिए 12% जुर्माना स्वतः लगेगा (खरीफ 2024 से)	समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, देरी पर दंड लगाना
अलग केंद्रीय प्रीमियम सब्सिडी	प्रीमियम सब्सिडी का केंद्रीय हिस्सा सीधे जारी किया जाता है, राज्य के हिस्से से स्वतंत्र	किसानों को दावे तेजी से प्राप्त होंगे
अनिवार्य एस्क्रो खाता (खरीफ 2025 से)	राज्यों को प्रीमियम हिस्सा अग्रिम रूप से जमा करना होगा	दावा प्रसंस्करण में देरी से बचा जाता है
प्रौद्योगिकी एकीकरण	उपज संबंधी आंकड़ों के लिए सीसीई-एग्री मोबाइल ऐप; राज्य भूमि रिकॉर्ड एनसीआईपी से जुड़े; बीमाकर्ता सीसीई में भाग लेंगे	सटीकता बढ़ाता है, विवादों को कम करता है
जागरूकता अभियान	पीएमएफबीवाई को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, बीमा कंपनियों, बैंकों, सीएससी, पीआरआई द्वारा अभियान	किसानों की भागीदारी बढ़ती है
फसल बीमा सप्ताह/फसल बीमा सप्ताह	ग्राम-स्तर पर द्वि-वार्षिक जागरूकता सप्ताह (खरीफ 2021 से)फसल बीमा पाठशालाएँ	जमीनी स्तर पर किसानों को शिक्षित करना
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ	गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा पॉलिसी रसीदें वितरित करने के लिए विशेष शिविर	नीति विवरण तक पहुँच में सुधार
केआरपीएच - कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (14447)	टिकट ट्रैकिंग के साथ शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और एक टोल-फ्री नंबर	शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करता है

आवेदन प्रक्रिया :



निष्कर्ष :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने किफायती प्रीमियम और व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करके भारत के कृषि सुरक्षा जाल को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे उपज हानि, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और स्थानीय आपदाएँ शामिल हैं। यह योजना समय पर मुआवजा सुनिश्चित करती है और किसानों की आय को स्थिर करती है। उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, मोबाइल डेटा कैप्चर और मौसम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाकर, पीएमएफबीवाई ने फसल हानि आकलन में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में सुधार किया है। गैर-ऋणी और सीमांत किसानों की बढ़ती भागीदारी इस योजना में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% है।
2. गैर-ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से पीएमएफबीवाई के अंतर्गत नामांकित किया गया है।
3. खरीफ 2024 से विलंबित दावा भुगतान पर 12% का जुर्माना लगाया जाएगा।
4. चक्रवातों के कारण फसल-पश्चात होने वाले नुकसान को फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों तक कवर किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. जलवायु और बाजार जोखिमों के प्रति किसानों की सहनशीलता बढ़ाने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में सुधार के उद्देश्य से हाल ही में किए गए सुधारों और तकनीकी हस्तक्षेपों का मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



पीएलआई (PLI) योजना : भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण को शक्ति प्रदान करना

समाचार में क्यों?

भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी है, जिसका परिव्यय ₹1.97 लाख करोड़ है और 14 प्रमुख क्षेत्रों में 806 आवेदनों को मंज़ूरी दी गई है। यह योजना भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित प्रमुख पहलों का समर्थन करती है: Atmanirbhar Bharat और मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देकर, यह भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमता को मजबूत करता है। ₹76,000 करोड़ के पैकेज द्वारा समर्थित, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ निकटता से जुड़ा यह कदम भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलाओं में भी एकीकृत करता है।

परिचय: भारत की विकास गाथा में एक नया अध्याय

कारखानों से लेकर नवाचार प्रयोगशालाओं तक, भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक शांत परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जो नीतिगत इरादे और औद्योगिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। इस बदलाव के केंद्र में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है, जो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाने और दुनिया की अग्रणी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा की आधारशिला है।

₹1.97 लाख करोड़ के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ, यह योजना महज़ एक वित्तीय पैकेज से कहीं बढ़कर है। आज, 14 रणनीतिक क्षेत्रों में 806 आवेदनों को मंज़ूरी मिलने के साथ, यह योजना उद्योग जगत के मज़बूत विश्वास और व्यापक स्वीकृति को दर्शाती है।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों और भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह बड़े पैमाने पर घरेलू विनिर्माण को पुनर्जीवित करके मेक इन इंडिया आंदोलन को बढ़ावा देती है। यह मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर, तकनीक को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाती है। यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भी निकटता से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य ₹76,000 करोड़ के पैकेज द्वारा समर्थित, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिस्प्ले निर्माण और चिप डिजाइन में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का एकीकरण मजबूत हो सके।

पृष्ठभूमि: पीएलआई योजना की उत्पत्ति

भारत का सेवा क्षेत्र लंबे समय से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता रहा है और सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक का योगदान देता है। अधिक संतुलित और सुदृढ़ विकास के लिए, सरकार ने विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया: जो रोज़गार, निर्यात और आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख प्रेरक है। 2020 में, रणनीतिक क्षेत्रों में लक्षित, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई थी।

पीएलआई योजना पहली बार अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों, महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्रियों/औषधि मध्यस्थों और सक्रिय दवा सामग्री तथा चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण से हुई थी। अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद, इस योजना का क्रमिक रूप से अर्थव्यवस्था के 13 प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तार किया गया, जिनमें दवाएँ, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, वस्त्र उत्पाद, श्वेत वस्तुएँ और विशिष्ट इस्पात आदि शामिल हैं।

समय के साथ, इस योजना ने घरेलू और वैश्विक दोनों ही कंपनियों की गहरी रुचि आकर्षित की, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, थोक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में कई परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली। उदाहरण के लिए, फरवरी 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के लिए ₹15,000 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएलआई योजना को मंज़ूरी दी। इसी प्रकार, सितंबर 2021 में, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए ₹25,938 करोड़ की पीएलआई योजना और ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए ₹120 करोड़ के 3 साल के वित्तपोषण के साथ पीएलआई योजना को मंज़ूरी दी गई।

नवंबर 2024 तक, पीएलआई योजना के तहत प्रतिबद्ध निवेश ₹1.61 लाख करोड़ तक पहुँच गया था। यह गति 2025 तक जारी रही, और 806 स्वीकृत आवेदनों के साथ वास्तविक निवेश बढ़कर लगभग ₹1.76 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि अधिक परियोजनाएँ अनुमोदन से सक्रिय कार्यान्वयन की ओर बढ़ीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, यह पहल वित्तीय प्रोत्साहनों को बढ़े हुए उत्पादन और वृद्धिशील बिक्री जैसे मापनीय परिणामों से जोड़ती है। यह प्रदर्शन-आधारित मॉडल न केवल घरेलू और वैश्विक दोनों कंपनियों से निवेश आकर्षित करता है, बल्कि व्यवसायों को अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

क्षेत्रीय कवरेज: चिप्स से लेकर रसायन तक

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना निम्नलिखित 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन और प्रदर्शन ढाँचे के साथ कवर करती है

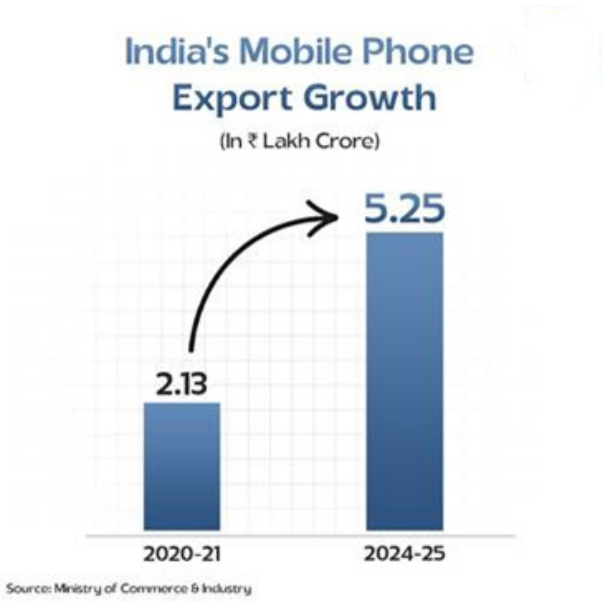


Source : Ministry of Commerce and Industry

पीएलआई योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कुछ क्षेत्र शामिल हैं

इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, पीएलआई रणनीति के तहत एक प्रमुख सफलता की कहानी के रूप में उभरा है, जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (एनपीई) 2019 जैसी पहलों के माध्यम से मिले मज़बूत नीतिगत समर्थन से बल मिला है। इस नीतिगत आधार के साथ, पीएलआई ने वैश्विक ओईएम और भारतीय दिग्गजों, दोनों को आकर्षित किया है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ा है। इसका प्रभाव उल्लेखनीय रहा है और उत्पादन में 146% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹2.13 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹5.25 लाख करोड़ हो गया है। पीएलआई योजना ने प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप, भारत एक प्रमुख मोबाइल फोन निर्माण देश बन गया है।



Source: Ministry of Commerce & Industry

ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक

पीएलआई योजना के तहत, भारत ने ₹67,690 करोड़ मूल्य के प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित किए हैं। मार्च 2024 तक, ₹14,043 करोड़ का निवेश किया जा चुका है, जिससे 28,884 से अधिक रोज़गार सृजित हुए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ अपनाने और विनिर्माण (FAME) पहल के अनुरूप सतत गतिशीलता को समर्थन और बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक ईवी और स्वच्छ-तकनीक केंद्र बनाना है। यह योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) वाहनों की 19 श्रेणियों और AAT घटकों की 103 श्रेणियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है ताकि उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित किया जा सके।

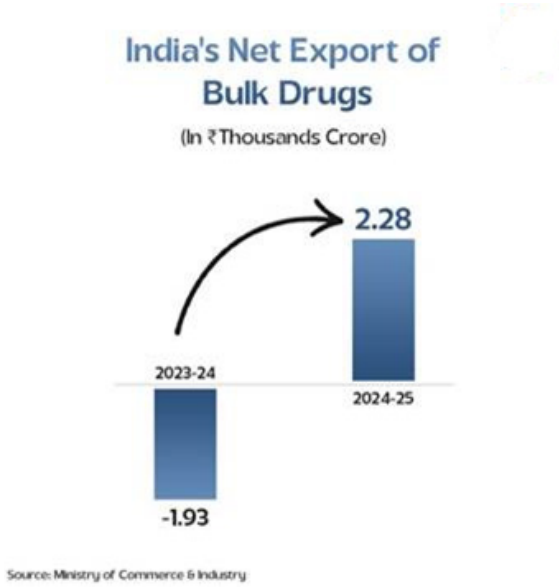
खाद्य प्रसंस्करण

अक्टूबर 2024 तक पीएलआई योजना के तहत 171 स्वीकृत आवेदनों के साथ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ₹8,910 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें ₹1,084 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। यह योजना पीएम-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी पहलों का पूरक है, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण, भारतीय खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग को बढ़ावा देना और मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देना है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

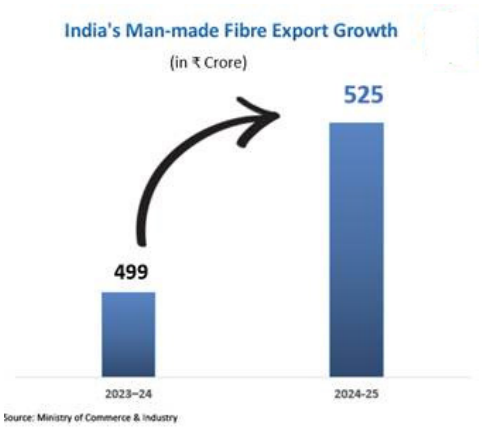
फार्मास्युटिकल ड्रग्स

कभी आवश्यक कच्चे माल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर रहने वाला भारत का फार्मा क्षेत्र अब अपनी मज़बूती पुनः प्राप्त कर रहा है। केंद्रित पीएलआई समर्थन की बदौलत, देश एक शुद्ध आयातक (वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1,930 करोड़ का घाटा) से थोक दवाओं के शुद्ध निर्यातक (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2,280 करोड़ का अधिशेष) बन गया है। पहले तीन वर्षों में, पीएलआई के तहत फार्मा बिक्री ₹2.66 लाख करोड़ को पार कर गई, जिसमें ₹1.70 लाख करोड़ का निर्यात शामिल है। मार्च 2025 तक इस क्षेत्र में कुल घरेलू मूल्य संवर्धन 83.70% रहा है।



वस्त्र

देश में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2021 में 10,683 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी ताकि कपड़ा क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग ₹525 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹499 करोड़ से) बढ़कर लगभग ₹525 करोड़ हो गया, जबकि तकनीकी वस्त्र निर्यात पिछले वर्ष के ₹200 करोड़ से बढ़कर ₹294 करोड़ हो गया। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/पहलों के माध्यम से कपड़ा और परिधान निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जैसे कि राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना, जो परिधान, वस्त्रों और मेड-अप के लिए शून्य-रेटेड निर्यात का समर्थन करती है, जबकि अन्य कपड़ा उत्पादों को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत कवर किया जाता है।



अब तक का प्रदर्शन

नवंबर 2024 तक, इस योजना ने ₹1.61 लाख करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित किया था, जो उम्मीदों से कहीं अधिक था और भारत की नीतिगत दिशा में उद्योग जगत के मज़बूत विश्वास को दर्शाता है। वास्तविक निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है, जो मार्च 2025 तक लगभग ₹1.76 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, क्योंकि और भी परियोजनाएँ अनुमोदन से कार्यान्वयन के चरणों में पहुँच गई हैं।



उत्पादन पर इसका प्रभाव उल्लेखनीय रहा है। पीएलआई प्रतिभागियों की कुल बिक्री ₹16.5 लाख करोड़ से अधिक रही, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है।

पीएलआई पहल एक प्रमुख रोज़गार सृजनकर्ता के रूप में भी उभरी है, जिसने 12 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं, साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों में अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकास को भी बढ़ावा दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की एक नई लहर को उत्प्रेरित किया है, जिससे उभरते वैश्विक परिदृश्य में भारत उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PLI Schemes with Highest Budget Allocation (2025-26)

Name of Scheme	Budget Estimates 2025-26 (₹ Crores)
PLI Scheme in Electronics manufacturing and hardware	9000.00
PLI Scheme for Automobiles and Auto Components	2818.85
PLI Scheme for Pharmaceuticals	2444.93
PLI Scheme for Textile	1148.00
PLI Scheme for White Goods (Acs and LED Lights)	444.54
PLI Scheme for Speciality Steel	305.00
PLI Scheme for National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage	155.76

Source: Budget 2025-26

औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने 2025-26 में पीएलआई योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

पीएलआई योजना से भारत के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों से पूरी मूल्य श्रृंखला में नए आपूर्तिकर्ता और विक्रेता नेटवर्क विकसित करने की उम्मीद है, और इन सहायक इकाइयों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र से उभरेगा।

इस योजना से क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरों का विकास भी हुआ है, जैसे गुजरात में डिस्प्ले फैब और सेमीकंडक्टर पार्क, सूरत में एमएमएफ क्लस्टर, तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चिकित्सा उपकरण पार्क।

निष्कर्ष :

कभी आयात पर अत्यधिक निर्भर रहने से लेकर अब वैश्विक विनिर्माण में एक गंभीर दावेदार के रूप में उभरने तक, भारत की औद्योगिक यात्रा एक परिवर्तनकारी अध्याय में प्रवेश कर चुकी है और पीएलआई योजना इसका एक प्रमुख हिस्सा है। ₹1.76 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में ठोस लाभ के साथ, पीएलआई एक नीतिगत साधन से संरचनात्मक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विकसित हुई है। उभरते क्षेत्रों को समर्थन देकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को घर के निकट स्थापित करके, यह योजना केवल कारखानों को नया रूप देने से कहीं अधिक कर रही है, यह भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को नया रूप दे रही है। प्रमुख उद्योगों का समर्थन करके, निर्यातोन्मुखी उत्पादन को प्रोत्साहित करके और उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देकर, पीएलआई योजनाएँ भारत के विनिर्माण आधार को रणनीतिक रूप से मजबूत कर रही हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे राजनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था।
2. यह मेक इन इंडिया के अंतर्गत 25 से अधिक क्षेत्रों को कवर करता है।
3. यह भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करता है।
4. 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला भारत सेमीकंडक्टर मिशन एक संबंधित पहल है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अक्सर भारत के विनिर्माण परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला बताया जाता है। इस योजना से घरेलू उद्योगों में किस प्रकार बदलाव आ रहा है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और साथ ही इसकी चुनौतियों और आगे के रास्ते पर भी चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

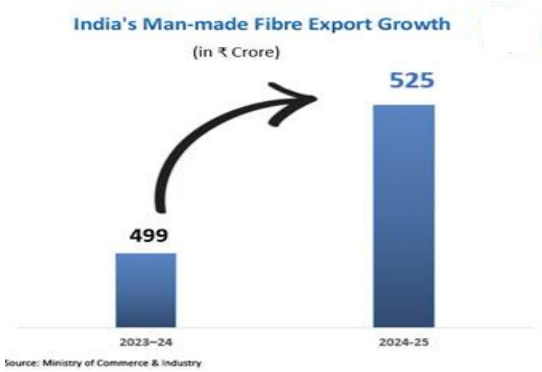


भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति में परिवर्तन

समाचार में क्यों?

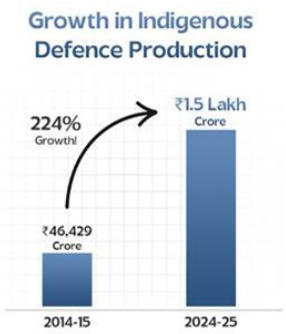
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के ग्यारह वर्ष पूरे होने के साथ ही भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति चर्चा में

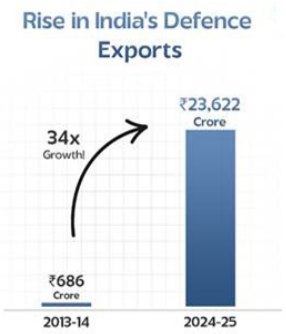
है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस अवधि के दौरान, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में वृद्धि, स्वदेशी हथियारों का उत्पादन और रक्षा खरीद में सुधार हुए हैं। आतंकवाद विरोधी उपायों, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तैयारियों में भी भारत का सक्रिय रुख स्पष्ट रहा है।



रक्षा क्षमता को मजबूत करना

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका व्यय 2013-14 के ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है। अब ध्यान केवल खरीद से हटकर घरेलू क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित हो गया है, और रक्षा उत्पादन 2024-25 में रिकॉर्ड ₹1.50 लाख करोड़ तक पहुँच गया है—जो 2014-15 के स्तर से तीन गुना अधिक है। भारत अब लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणालियाँ, युद्धपोत, तोपखाने और यहाँ तक कि विमानवाहक पोत भी बनाता है। रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 2024-25 में ₹23,622 करोड़ तक पहुँच गया है, और भारतीय उपकरण अब अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को आपूर्ति किए जा रहे हैं—जो आत्मनिर्भरता और रणनीतिक प्रतिरोध के लिए एक मजबूत प्रयास को दर्शाता है।





रक्षा अधिग्रहण और स्वदेशीकरण सुधारों के माध्यम से आत्मनिर्भरता

पिछले एक दशक में भारत की रक्षा नीति आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया है। ये सुधार खरीद, अनुसंधान, उद्योग की भागीदारी और विदेशी निवेश तक फैले हुए हैं।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 और भारतीय-आईडीडीएम

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, जिसे डीपीपी 2016 से संशोधित किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ पूरी तरह से संरेखित है। यह अधिग्रहणों के लिए खरीद (भारतीय - स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी को प्राथमिकता देती है, जिससे स्थानीय डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर अधिकतम निर्भरता सुनिश्चित होती है। यह बदलाव भारतीय-आईडीडीएम परियोजनाओं को खरीद पिरामिड में सबसे ऊपर रखता है।

अब तक सेना, नौसेना, वायु सेना और मुख्यालय आईडीएस की 146 परियोजनाओं को विभिन्न 'मेक' श्रेणियों के तहत 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया जा चुका है।

उदारीकृत एफडीआई

पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाया गया - अब स्वचालित मार्ग से 74% की अनुमति है, जबकि उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों में सरकारी अनुमोदन से 100% तक की अनुमति है।

नवाचार को बढ़ावा: iDEX और TDF

iDEX पहल (2018) रक्षा नवाचारों के लिए अनुदान के साथ स्टार्टअप, एमएसएमई और शिक्षाविदों का समर्थन करती है, जबकि प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) उन्नत रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये तक प्रदान करती है।

स्वदेशीकरण पोर्टल और सकारात्मक सूचियाँ

सृजन पोर्टल (2020) पहले आयातित वस्तुओं के स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें अब तक 46,798 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच, डीपीएसयू द्वारा जारी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों ने पाँच चरणों में 5,012 वस्तुओं के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है—पहली (2,851), दूसरी (107), तीसरी (780), चौथी (928), और पाँचवीं (346)।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

ऑफसेट और रणनीतिक साझेदारियां

ऑफसेट पोर्टल (2019) ने अनुबंधों में पारदर्शिता में सुधार किया है, जिससे वैश्विक ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) भारतीय विनिर्माण में निवेश करने और भारत से रक्षा उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। इसी प्रकार, रणनीतिक साझेदारी (एसपी) मॉडल (2017) भारतीय फर्मों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए विदेशी ओईएम के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा मिलता है।

अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग

भारत ने वैश्विक स्तर पर रक्षा संबंधों का विस्तार किया है, रूस के साथ 2019 के अंतर-सरकारी समझौते के तहत भारत में रूसी-मूल प्लेटफार्मों के लिए पुर्जों का संयुक्त उत्पादन संभव हुआ है - जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और परिचालन तत्परता मजबूत हुई है।

रक्षा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी

प्रक्रियागत सुधारों ने रक्षा विनिर्माण को सरल बना दिया है। कई घटकों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकताएँ हटा दी गईं, लाइसेंस की वैधता 3 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई (साथ ही 3 वर्ष का विस्तार भी), और अनुसंधान एवं विकास को उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया गया। उल्लेखनीय है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% उनके लिए निर्धारित किया गया है, जिससे नवाचार में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

प्रौद्योगिकी और एआई अपनाना

सरकार ने रक्षा प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए रक्षा एआई परिषद (डीएआईसी) और रक्षा एआई परियोजना एजेंसी (डीएआईपीए) की स्थापना की है, जिसमें प्रत्येक डीपीएसयू एक एआई रोडमैप को अंतिम रूप देगा। डीआरडीओ ने हथियार प्लेटफार्मों और रणनीतिक प्रणालियों से लेकर साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और सैनिक सहायता तक, नौ प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान की है।

सीमा पार आतंकवाद का जवाब

भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति और भी निर्णायक हो गई है। उरी हमले (2016) और पुलवामा हमले (2019) के बाद, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले किए। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के साथ निर्णायक क्षण आया, जब भारतीय सेना ने ड्रोन और सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओजेके) में नौ आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें आईसी-814 अपहरण और पुलवामा हमले के मुख्य सूत्रधार भी शामिल थे। पाकिस्तान के जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारतीय प्रणालियों ने नाकाम कर दिया। इसे एक "नया सामान्य" घोषित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि भारत किसी भी आतंकवादी खतरे का पूरी ताकत से जवाब देगा।

पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी के पाँच 'नए सामान्य'

प्रधानमंत्री मोदी ने पांच स्पष्ट लाल रेखाएं रेखांकित की हैं जो अब भारत की पाकिस्तान नीति को परिभाषित करती हैं:

- आतंकवादी हमलों का दृढ़ और निर्णायक जवाब;
- परमाणु ब्लैकमेल की अस्वीकृति;
- आतंकवादियों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं;
- पाकिस्तान के साथ बातचीत, यदि कोई हो, तो आतंकवाद या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक सीमित;
- संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं, इस सिद्धांत के साथ कि "आतंक और वार्ता, आतंक और व्यापार, और खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते।"

सुदर्शन चक्र मिशन

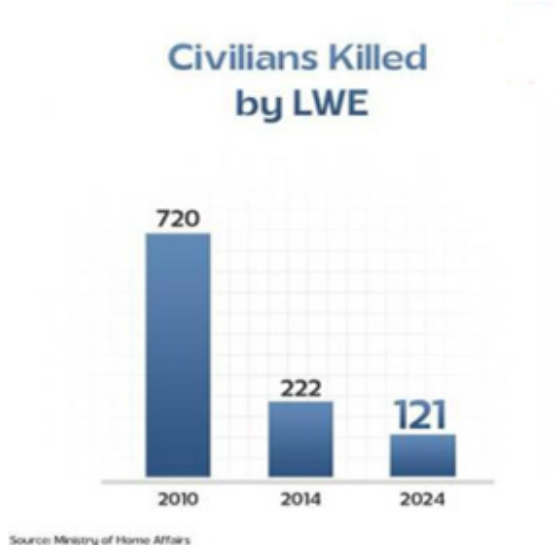
भविष्य को देखते हुए, सरकार ने 2025 में घोषित सुदर्शन चक्र मिशन को एक भविष्योन्मुखी रक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया है। इसका त्रि-आयामी उद्देश्य एक पूर्णतः स्वदेशी प्रणाली विकसित करना, पूर्वानुमानित तकनीकों का उपयोग करके भविष्य के युद्ध परिदृश्यों का पूर्वानुमान लगाना और सटीक जवाबी कार्रवाई क्षमताएँ विकसित करना है। 2035 तक, इसका उद्देश्य सामरिक और नागरिक दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है, जो दीर्घकालिक प्रतिरोध सुनिश्चित करे।

घरेलू मोर्चे को सुरक्षित करना

आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, वामपंथी उग्रवाद पर तेज़ी से अंकुश लगाया गया है। प्रभावित ज़िलों की संख्या घटकर बीस से भी कम रह गई है, और पिछले दशक में 8,000 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उग्रवादी हिंसा की घटनाएँ 2010 में 1,936 से घटकर 2024 में 374 रह गईं, जबकि नागरिक और सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में 85 प्रतिशत की कमी आई है—जो आंतरिक स्थिरता में एक बड़ी मजबूती का संकेत है।

ये नतीजे न केवल सुरक्षा अभियानों को दर्शाते हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित करने को भी दर्शाते हैं जो कभी विकास से कटे हुए थे। सड़कों, संचार, स्कूलों और कल्याणकारी उपायों ने चरमपंथी लामबंदी के लिए ज़मीन कम कर दी है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS



रक्षा से परे आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भरता के लिए भारत का अभियान रक्षा से आगे बढ़कर खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन तक फैल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी कवर करती है, जिससे वैश्विक झटकों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित होता है और साथ ही 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है।

वित्तीय समावेशन

भारत ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है। RBI का FI-सूचकांक मार्च 2025 में बढ़कर 67.0 हो गया, जो 2021 से 24.3% की वृद्धि है, और इसे 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ग्लोबल फ़ाइंडेक्स 2025 (विश्व बैंक) के अनुसार, 2011 से भारत में खाता स्वामित्व 89% तक पहुँच गया है, और सक्रिय उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत ₹2.64 लाख करोड़ (अगस्त 2025 तक) जमा राशि वाले 56.04 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग 55% खाताधारक महिलाएँ हैं।

खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण

खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 246.42 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में 353.96 मीट्रिक टन हो गया है। किसानों को पीएम-किसान (2019) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें सालाना ₹6,000 प्रदान किए जाते हैं; अगस्त 2025 तक, 20 किश्तों में ₹3.90 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके थे। इस बीच, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे भारत का खाद्य सुरक्षा जाल मजबूत होता है।

डेयरी क्षेत्र

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है, जो वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देता है। दूध उत्पादन 2014-15 में 146.30 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मीट्रिक टन हो गया है—जो 63.57% की वृद्धि है, और वैश्विक औसत 2% की तुलना में 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) (2021, ₹76,000 करोड़ परिव्यय) के तहत भारत के सेमीकंडक्टर प्रयासों ने गति पकड़ी है। 2023-25 के बीच, छह राज्यों में ₹1.60 लाख करोड़ की 10 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई। 2025 में, भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में अपने पहले 3-नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन किया, और इस वर्ष उत्पादन के लिए अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप तैयार की।

नीली क्रांति (मत्स्य पालन)

मछली उत्पादन 2013-14 के 96 लाख टन से दोगुना होकर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है, और अंतर्देशीय मत्स्य पालन 142% बढ़कर 147.37 लाख टन हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड ₹2,703.67 करोड़ आवंटित किए गए, जो ग्रामीण आजीविका और निर्यात में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

निष्कर्ष :

मोदी सरकार के तहत भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति मजबूती, स्पष्टता और आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश, स्वदेशी उत्पादन में तीव्र वृद्धि, साहसिक सुधारों और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ, भारत रक्षा उपकरणों के एक प्रमुख आयातक से एक उभरते वैश्विक निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो गया है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ प्रतिक्रिया, पाकिस्तान के साथ नए सामान्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति और सुदर्शन चक्र मिशन जैसी भविष्योन्मुखी पहल एक दूरदर्शी सुरक्षा सिद्धांत को रेखांकित करती हैं। साथ ही, आंतरिक स्थिरता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी नवाचार में प्रगति दर्शाती है कि आत्मनिर्भरता केवल रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक लचीले और आत्मविश्वास से भरे भारत की नींव रखती है जो वैश्विक नेता बनने की अपनी राह पर पारंपरिक और गैर-पारंपरिक, दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के हालिया रक्षा सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) को अपनी खरीद प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखती है।
2. सृजन पोर्टल पहले आयातित वस्तुओं के लिए स्वदेशीकरण के अवसरों को सूचीबद्ध करता है।
3. iDEX पहल केवल बड़े रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति में आत्मनिर्भरता, प्रतिरोध और आधुनिकीकरण पर निर्णायक ध्यान केंद्रित करते हुए बदलाव आया है। इस बदलाव को आकार देने वाले प्रमुख सुधारों और पहलों पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



RBI की वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) रणनीति : वित्तीय नवाचार या नियामकीय शिथिलता?

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)—जिन्हें सामूहिक रूप से विनियमित संस्थाएँ (REs) कहा जाता है के द्वारा वैकल्पिक निवेश कोषों (Alternative Investment Funds - AIFs) में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है और इससे संबंधित विनियामकीय नियमों में ढील दी है।



- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लिया गया यह निर्णय निवेश पारदर्शिता, वित्तीय स्थिरता और पूंजी प्रवाह के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

संशोधित दिशानिर्देशों से संबंधित मुख्य बिंदु :

- किसी एक AIF योजना में सभी REs का कुल निवेश अब अधिकतम 20% तक सीमित रहेगा।
- किसी एकल RE द्वारा एक AIF योजना में निवेश की सीमा 10% तय की गई है।
- ये संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, या इससे पहले यदि संबंधित संस्था चाहे तो स्वैच्छिक रूप से इसे लागू कर सकती है।

पृष्ठभूमि :

- AIFs ऐसे निजी निवेश कोष होते हैं जो पारंपरिक निवेश मार्गों से हटकर वैकल्पिक क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, निजी इक्विटी आदि में पूंजी निवेश करते हैं। दिसंबर 2023 में RBI ने पाया कि कुछ REs AIFs का उपयोग Loan Ever-greening (ऋण छिपाने की एक प्रक्रिया) के लिए कर रहे थे। इसका अर्थ है कि पुराने डूबते कर्ज को नए निवेश के माध्यम से पुनर्स्थगित किया जा रहा था।

- इस कारण RBI ने AIFs में निवेश पर प्रतिबंध लगाए, जिससे कई वैकल्पिक फंडों को पूंजी प्रतिबद्धता संकट (Capital Commitment Crisis) का सामना करना पड़ा। उद्योग से मिले सुझावों के बाद अब RBI ने कुछ सीमाएं तय करते हुए नीति में संतुलन लाने की कोशिश की है।

इसका महत्त्व क्यों है?

1. **वित्तीय स्थिरता में सुधार करना :** नए दिशा-निर्देशों से अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम में कमी आएगी और ऋण पुनर्गठन की अपारदर्शी प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
2. **इक्विटी बाजार को प्रोत्साहन देना :** इक्विटी-आधारित AIFs को कुछ प्रावधानों से छूट मिलने के कारण स्टार्टअप्स, MSMEs और नवाचार आधारित क्षेत्रों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
3. **विनियामक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण :** यह निर्णय RBI और SEBI के बीच समन्वय को दर्शाता है, जिससे निवेश और वित्तीय बाजारों की निगरानी में एकरूपता आएगी।
4. **घरेलू पूंजी प्रवाह को बल मिलना :** स्पष्ट और लचीले नियमों से घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और वैकल्पिक निवेश माध्यमों को नई ऊर्जा मिलेगी।

इससे संबंधित मुख्य चुनौतियाँ और जोखिम :

1. **ऋण सदाबहार का खतरा बरकरार रहना :** इक्विटी निवेश की छूट का दुरुपयोग करके कुछ संस्थाएं फिर से NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों) को छुपा सकती हैं।
2. **हितों का टकराव :** यदि किसी AIF में एक ही RE का बड़ा निवेश है, तो निवेश निर्णयों में पक्षपात या हितों के टकराव की संभावना रहती है।
3. **अधीनस्थ इकाइयों का जोखिम :** जब REs AIFs में ऐसे यूनिट्स खरीदते हैं जो प्राथमिक जोखिम उठाते हैं, तो बाज़ार में नुकसान की स्थिति में सीधे उनकी पूंजी पर असर पड़ सकता है।
4. **निगरानी और पारदर्शिता का अभाव :** AIFs के डाउनस्ट्रीम निवेश (आगे किए गए निवेश) की निगरानी अभी भी तकनीकी रूप से जटिल और अपारदर्शी बनी हुई है।

समाधान की राह :

1. **रीयल-टाइम निगरानी तंत्र की स्थापना :** AIFs और REs के मध्य होने वाले लेन-देन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिससे जोखिमों की त्वरित पहचान और नियमन संभव हो सके।
2. **डेटा पारदर्शिता और सार्वजनिक रिपोर्टिंग का अनिवार्यकरण :** SEBI और RBI के बीच मजबूत डेटा-साझाकरण व्यवस्था लागू की जाए, तथा AIFs और REs के निवेश की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए, जिससे निवेशकों में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहे।
3. **शासन (गवर्नेंस) ढांचे को सुदृढ़ करना :** REs के लिए जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट से जुड़ी स्पष्ट व बाध्यकारी गाइडलाइंस तैयार की जाएं ताकि संस्था स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।
4. **AI-आधारित जोखिम मूल्यांकन प्रणाली :** AIF निवेशों के पूर्वानुमान व विश्लेषण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग (ML) आधारित टूल्स को अपनाया जाए, जिससे संभावित जोखिमों की पहचान पहले ही की जा सके।
5. **नियमित ऑडिट एवं रिपोर्टिंग ढांचा :** AIFs और REs के निवेशों पर आधारित एक पारदर्शी, समयबद्ध और नियमित ऑडिट तथा रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाए।
6. **रीयल-टाइम डेटा साझाकरण तंत्र :** SEBI और RBI के मध्य निवेश संबंधी डेटा का वास्तविक समय में आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए, ताकि नियामकीय हस्तक्षेप समय रहते संभव हो।
7. **प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन मॉडल :** निवेशों की गुणवत्ता और जोखिमों का मूल्यांकन करने हेतु उन्नत AI/ML तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और डेटा-आधारित हो।
8. **REs के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश :** REs की निवेश नीति, जोखिम प्रबंधन और संचालन नियंत्रण हेतु सुस्पष्ट व बाध्यकारी गवर्नेंस गाइडलाइंस प्रदान की जाएं, ताकि संस्थागत अनुशासन को बल मिल सके।

निष्कर्ष :

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा AIF निवेश मानकों में किया गया संशोधन एक संतुलित और दूरदर्शी पहल है, जो वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखते हुए पूंजी बाजार में दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- यह कदम एक ओर जहां इक्विटी-आधारित निवेश को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर ऋण निवेश से जुड़ी संभावित जोखिमों पर नियंत्रण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
- इन दिशा-निर्देशों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निगरानी तंत्र कितना सशक्त, डेटा साझाकरण कितना पारदर्शी और संस्थागत ढांचा कितना उत्तरदायी है।
- यदि इन पहलुओं को पर्याप्त मज़बूती दी जाए, तो यह नीति न केवल वित्तीय क्षेत्र में विश्वास को पुनर्स्थापित करेगी, बल्कि AIFs को भी अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी निवेश मंच में रूपांतरित कर सकेगी, हालांकि इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, जिन्हें सतर्कता और सशक्त निगरानी व्यवस्था से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. RBI के नए निर्देशों के अनुसार, किसी AIF स्कीम में एकल विनियमित संस्था (RE) द्वारा अधिकतम निवेश सीमा क्या निर्धारित की गई है?

A. 5% B. 10%

C. 15% D.20%

उत्तर - B.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में निवेश के लिए हाल ही में जारी संशोधित दिशानिर्देशों का विश्लेषण कीजिए। इस निर्णय की आवश्यकता, संभावित लाभ, इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ और उनके समाधान प्रस्तुत करते हुए इसका भारत की वित्तीय प्रणाली पर दीर्घकालिक प्रभाव भी स्पष्ट कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



आयकर विधेयक 2025

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा आयकर विधेयक, 2025 को पारित कर दिया गया है।
- इस आयकर विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य 1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम को अधिक सरल, संक्षिप्त और व्यावहारिक बनाना है, ताकि करदाताओं और प्रशासन – दोनों के लिए इसे समझना और लागू करना आसान हो।s



आयकर विधेयक 2025 की मुख्य विशेषताएँ :

1. **डिजिटल क्षेत्र की व्यापक परिभाषा :** इस विधेयक में वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इससे कर अधिकारियों को टैक्स चोरी या आय छिपाने की आशंका में, पासवर्ड तक पहुँचने या उन्हें बायपास करने का अधिकार मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनियों को इसमें सहयोग देना पड़ सकता है।
2. **कर वर्ष का नया ढाँचा :** पुराने 'मूल्यांकन वर्ष' और 'पिछले वर्ष' की अवधारणाओं को हटाकर "कर वर्ष" (Tax Year) की नई एकीकृत प्रणाली लागू की गई है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी।
3. **रिफंड नियमों में लचीलापन :** अब केवल समय पर दाखिल आयकर रिटर्न ही नहीं, बल्कि विलंब से दाखिल रिटर्न पर भी रिफंड का दावा किया जा सकेगा।
4. **उदारीकृत धनप्रेषण योजना (LRS) पर स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) से राहत :** विदेशों में शिक्षा के उद्देश्य से भेजे जाने वाले धन पर स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) नहीं लगेगा, यदि वह वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रेषित किया गया हो।
5. **शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र :** जिन करदाताओं की आय पर कोई कर देय नहीं है, वे पूर्व में ही शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र ले सकेंगे।
6. **सीमित देयता भागीदारी (LLP) के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) स्पष्टता :** सीमित देयता भागीदारी (LLP) पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) की स्पष्ट रूप से वही लागू व्यवस्था होगी, जैसी अन्य करदाताओं के लिए है। AMT यह सुनिश्चित करता है कि छूटों व कटौतियों के बावजूद, न्यूनतम कर भुगतान किया जाए।

भारतीय कर व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियाँ :

1. **पूर्वव्यापी कराधान :** न्यायिक फैसलों की अनदेखी करते हुए किये गए पूर्व-तारीख से कर संशोधन, निवेशकों का विश्वास डगमगाते हैं। वोडाफोन केस में ऐसा ही संशोधन भारत को ₹8000 करोड़

का अंतरराष्ट्रीय हर्जाना भुगतना पड़ा। पूर्व वित्तमंत्री जेटली ने इसे "कर आतंकवाद" की संज्ञा दी थी।



2. **GST परिषद द्वारा केवल अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करने पर ज़ोर देना :** GST परिषद द्वारा केवल अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करने पर ज़ोर देने से कर मांगें मनमानी हो जाती हैं, जिससे व्यवसायिक वातावरण में अस्थिरता और निराशा फैलती है।

3. **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से इनकार :** रियल एस्टेट क्षेत्र में विशेषकर ITC न मिलने से अंतिम उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं और प्रतिस्पर्धा बाधित होती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने Safari Retreats केस (2024) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के पक्ष में ही फैसला दिया था।

4. **जटिल कर प्रणाली :** देश में अनेक दरें, परिपत्र, अधिसूचनाएँ और छूटों की उलझनें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती हैं, जहाँ व्यवसाय कम, कर सलाहकार अधिक लाभ में रहते हैं।

5. **प्रत्यक्ष कर संग्रह की कमी :** कंपनियाँ विशेष रूप से MNCs, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के माध्यम से लाभ को कम-कर वाले क्षेत्रों में दिखा कर टैक्स बचाती हैं। इससे सरकार को अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने पर विवश होना पड़ता है।

जटिल कर ढाँचे के नकारात्मक प्रभाव :

1. **घरेलू विनिर्माण पर असर :** भारी टैक्स बोझ और जटिल नियमों के चलते घरेलू निर्माण कमजोर होता है, जिससे चीन जैसे देशों से आयात बढ़ता है। उदाहरण: चीन से आयात 2018-19 में $70 बिलियन से बढ़कर 2023-24 में $100 बिलियन हो गया।

2. **मुद्रा और व्यापार घाटा :** उच्च लागत व कम प्रतिस्पर्धा के कारण रुपया का अवमूल्यन होता है और चालू खाता घाटा गहराता है।

3. **निवेश में गिरावट :** अस्पष्ट कर नियम और पूर्वव्यापी संशोधन निवेशकों को असहज करते हैं, जिससे "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" पर असर पड़ता है।

4. **कम कर संग्रह :** कठिन कर प्रणाली के कारण करदाताओं द्वारा कम आय दिखाना या टैक्स चोरी आम हो जाती है, जिससे सरकार को अधिक कर दरें लगानी पड़ती हैं, जो यह एक दुष्चक्र बन जाता है।

समाधान की दिशा में आगे की राह :



1. **GST को सरल बनाने की जरूरत :** जैसे पॉपकॉर्न पर अलग-अलग दरें (5%, 12%, 18%) समाप्त कर, एक समान कर दर लागू की जानी चाहिए।

2. **स्थिर और स्पष्ट कर प्रणाली :** बार-बार बदलाव या मनमाने आदेशों से बचकर विश्वसनीय और पूर्वानुमेय कर नियम बनाए जाएँ।

3. **डिजिटल निगरानी के माध्यम से कर चोरी की पहचान करने की जरूरत :** कृत्रिम बुद्धिमता (AI) और डिजिटल टूल्स के माध्यम से कर चोरी की पहचान, रिपोर्टिंग की सटीकता, और कर संग्रह में सुधार किया जा सकता है।

4. **विकासोन्मुख कर नीति को प्राथमिकता देने की जरूरत :** केवल अधिक टैक्स जुटाने की बजाय, दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे कर आधार स्वयं बढ़े।

5. **कॉर्पोरेट कर सुधार प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने की जरूरत :** नियमित ऑडिट, स्वैच्छिक प्रकटीकरण पर छूट, और समय पर कर भुगतान को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जानी चाहिए।

निष्कर्ष :



- हाल ही में पारित नया आयकर विधेयक 2025 भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में कदम है, जिसका

उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जटिलताओं को दूर कर एक सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक ढाँचा तैयार करना है।

- इस विधेयक के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को संबोधित करते हुए, टैक्स रिफंड, शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र और वैकल्पिक न्यूनतम कर जैसे प्रावधानों में लचीलापन और स्पष्टता लाने का प्रयास किया गया है।
- भारत की कर व्यवस्था में व्याप्त जटिलता, पूर्वव्यापी कराधान और असंगत GST ढाँचे जैसी समस्याएँ निवेश और व्यापार के लिए गंभीर बाधाएँ रही हैं। इन चुनौतियों के कारण न केवल घरेलू विनिर्माण और प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रभावित हुआ है, बल्कि विदेशी निवेशकों का विश्वास भी डगमगाया है।
- इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन यह तभी संभव है जब इसके साथ-साथ GST का सरलीकरण, कर नीति की स्थिरता और डिजिटल निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया जाए।
- अतः, आयकर विधेयक 2025 एक सकारात्मक पहल है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक कर सुधारों के माध्यम से ही यह भारत को सरल, न्यायसंगत और विकासोन्मुख कर व्यवस्था की दिशा में ले जा सकेगा।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आयकर विधेयक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा।
2. इसमें केवल डिजिटल करदाताओं को लक्षित किया गया है।
3. इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को पूरी तरह प्रतिबंधित करना है।
4. भारत में जटिल कर ढाँचे के कारण निवेश और कर संग्रह प्रभावित होता है, जबकि व्यापार घाटा बढ़ता है।

उपर्युक्त कथन/ कथनों में से कौन सा कथन सही है /हैं ?

A. केवल 1 और 4 B. केवल 1, 2 और 3

C. केवल 2 और 3 D.1, 2, 3 और 4

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आयकर विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए, यह चर्चा कीजिए कि यह भारत की वर्तमान कर चुनौतियों का समाधान कैसे करता है, और क्या यह विधेयक देश की कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 : नवाचार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन

ख़बरों में क्यों?

- हाल ही में भारत के संसद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025 को 21 अगस्त 2025 को पारित किया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसका उद्देश्य नागरिकों को भ्रामक ऑनलाइन मनी गेम्स से बचाना और उसे नियंत्रित करना है।
- यह विधेयक एक तरफ जहां परिवारों को वित्तीय और मानसिक संकट से बचाने की दिशा में काम करता है, वहीं दूसरी ओर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और सतत विकास की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी "गेमिंग डिसऑर्डर" को एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में मान्यता दी है, जो व्यक्ति के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत में इस खतरे के प्रति गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अनेक परिवारों को आर्थिक संकट में धकेला है। युवाओं में इसकी लत की स्थिति बन गई थी और कई मामलों में आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएँ भी सामने आई

हैं। यह विधेयक नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत, आर्थिक बर्बादी और धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल रचनात्मकता, रोजगार और नवाचार को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है।



PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों थी?

1. **व्यसन और वित्तीय संकट :** मनी गेम्स लोगों को झूठे लाभ के झांसे में फँसाकर उनकी बचत खत्म कर देते हैं।
2. **मानसिक स्वास्थ्य :** भारी नुकसान के कारण अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़े हैं।
3. **धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग :** कई प्लेटफॉर्म्स को अवैध गतिविधियों के लिए प्रयोग किया गया है।
4. **राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा :** आतंकवादी वित्त पोषण और अवैध संदेशों के आदान-प्रदान के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ है।
5. **कानूनी खामियों को दूर करना :** भौतिक जुए पर रोक है लेकिन डिजिटल क्षेत्र में अब तक स्पष्ट कानून नहीं था।
6. **सकारात्मक विकल्पों को प्रोत्साहन :** सरकार ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा दे रही है।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियाँ :

ऑनलाइन गेमिंग को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है -

1. **ई-स्पोर्ट्स (E-sports) :** संगठित डिजिटल प्रतिस्पर्धाएं जिनमें टीम या व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। इसमें रणनीति, समन्वय और निर्णय लेने की कुशलता की आवश्यकता होती है।
2. **ऑनलाइन सामाजिक एवं शैक्षणिक गेम्स :** ये मनोरंजन, शिक्षा या सामाजिक संपर्क हेतु बनाए गए सामान्य स्किल-बेस्ड खेल होते हैं। इनमें कोई वित्तीय दांव नहीं होता और ये अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं।
3. **ऑनलाइन मनी गेम्स :** ऐसे खेल जिनमें पैसों का दांव होता है – चाहे वे स्किल पर आधारित हो या चांस पर, या फिर चांस या स्किल दोनों पर आधारित हों। ये खेल व्यसन, आर्थिक नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं से जुड़े पाए गए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुख्य खतरों की पहचान करना :

1. **लत और आर्थिक नुकसान :** उपयोगकर्ता त्वरित मुनाफे की उम्मीद में लगातार पैसे हारते रहते हैं, जिससे परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं।
2. **मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याएं :** भारी वित्तीय हानि के तनाव से कई युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं।
3. **धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग :** कई प्लेटफॉर्म अवैध रूप से पैसे को वैध रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
4. **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा :** कुछ मामलों में ये प्लेटफॉर्म आतंकवाद वित्तपोषण और अवैध संचार के लिए भी उपयोग किए गए हैं।
5. **कानूनी खामियों का फायदा :** भौतिक दुनिया में जुआ और सट्टा प्रतिबंधित हैं लेकिन ऑनलाइन स्पेस काफी हद तक अनियंत्रित था। यह विधेयक डिजिटल और वास्तविक दुनिया में समान मानक सुनिश्चित करता है।
6. **स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा :** ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा देकर युवा वर्ग को सुरक्षित और रचनात्मक डिजिटल विकल्प प्रदान किए जाएंगे।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 : प्रमुख प्रावधान :

क्र.	प्रावधान	विवरण
1	लागू या प्रवर्तन क्षेत्र	भारत भर में लागू, भारत से बाहर संचालित लेकिन भारत में उपलब्ध सेवाओं पर भी लागू

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2	ई-स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन	वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता, खेल मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश, अकादमियों व प्लेटफॉर्म्स की स्थापना
3	सामाजिक एवं शैक्षणिक खेलों का समर्थन	केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षित और उपयुक्त खेलों की पहचान और पंजीकरण; डिजिटल साक्षरता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना
4	ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध	पूर्ण प्रतिबंध (संयोग, कौशल या हाइब्रिड आधारित), विज्ञापन और भुगतान सेवा निषिद्ध, प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने की शक्ति
5	ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना	राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन, श्रेणीकरण, शिकायत समाधान, कोड ऑफ प्रैक्टिस जारी करना
6	दंड और अपराध	3 साल जेल + ₹1 करोड़ जुर्माना (खेल संचालकों हेतु), विज्ञापन हेतु 2 साल + ₹50 लाख, पुनरावृत्ति पर सख्त दंड
7	कॉर्पोरेट जिम्मेदारी	कंपनियों और अधिकारियों की जवाबदेही, उचित सतर्कता दिखाने पर निर्दोष निदेशकों को छूट
8	जांच और प्रवर्तन अधिकार	गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति जब्त करने की शक्ति, वारंट के बिना कार्यवाही संभव
9	नियम बनाने की शक्ति	केंद्र सरकार को ई-स्पोर्ट्स, सामाजिक खेलों के संवर्धन एवं नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति

विधेयक के प्रमुख सामाजिक लाभ :

क्र.	लाभ क्षेत्र	विवरण
1	रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा	डिजिटल नवाचार, निर्यात, स्टार्टअप, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा
2	युवाओं को सशक्त बनाना	सुरक्षित डिजिटल अवसर; ई-स्पोर्ट्स के माध्यम से आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना को प्रोत्साहन
3	सुरक्षित डिजिटल वातावरण	शोषणकारी प्लेटफॉर्म से सुरक्षा; व्यसन, वित्तीय नुकसान और मानसिक संकट से राहत
4	वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना	जिम्मेदार गेमिंग नीति के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है और यह अन्य देशों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है।

ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित वर्तमान कानूनी और नियामक ढांचा :

वर्तमान कानूनी और नियामक ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान लागू किए गए हैं -

1. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधित नियम 2023)** के तहत अवैध सामग्री और मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, स्व-नियामक संस्थाओं (SRB) को खेलों की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अब तक कुल 1,524 सट्टेबाजी वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक किया जा चुका है।
2. **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** की धारा 111 और 112 के अंतर्गत अवैध आर्थिक गतिविधियों और सट्टेबाजी में शामिल व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
3. **जीएसटी अधिनियम (IGST), 2017** के अंतर्गत अनियमित या विदेशी गेमिंग प्लेटफार्मों को Simplified Registration Scheme के तहत लाने की व्यवस्था की गई है, और इनकी निगरानी का कार्य GST खुफिया निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।
4. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,** 2019 के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है, तथा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
5. **सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा** अन्य सलाह और जागरूकता अभियानों के तहत मीडिया और सेलेब्रिटी को भ्रामक विज्ञापनों से दूर रहने के लिए परामर्श जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभिभावकों और शिक्षकों के लिए गेमिंग से संबंधित सुरक्षा दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
6. **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन नंबर 1930** के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

निष्कर्ष :

1. "ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक, 2025" भारत की डिजिटल नीति में एक संतुलित, दूरदर्शी और निर्णायक कदम है। यह विधेयक एक ओर जहाँ ऑनलाइन मनी गेमिंग से उत्पन्न खतरों पर सख्ती से नियंत्रण स्थापित करता है, वहीं दूसरी ओर ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेलों और नवाचार को प्रोत्साहन देकर रचनात्मकता, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को जन्म देता है।
2. यह पहल न केवल समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को एक सकारात्मक और जिम्मेदार दिशा में आगे ले जाती है।
3. इस विधेयक के माध्यम से भारत ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया है कि वह डिजिटल नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के संतुलन के साथ डिजिटल नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है।
4. यह विधेयक भारत के लिए एक सुरक्षित, नैतिक और सशक्त डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव रखता है, जहाँ तकनीक समाज की सेवा करती है, न कि उसे नुकसान पहुँचाती है।
5. यह नवाचार और जिम्मेदारी के संतुलन के साथ न केवल डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाता है, बल्कि भारत को वैश्विक डिजिटल नीति निर्धारण में अग्रणी बनाता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विधेयक कौशल, संयोग या हाइब्रिड फॉर्मेट पर आधारित सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।
2. यह खेलों के पंजीकरण और वर्गीकरण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण की स्थापना करता है।
3. यह विधेयक केंद्र सरकार को ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक खेलों के संवर्धन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।
4. ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के प्रचार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

उपर्युक्त कथनों में से सही उत्तर को चुनें :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर - (b) केवल 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025" डिजिटल नवाचार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।" इस कथन के आलोक में इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें और भारत में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित चुनौतियों के समाधान में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना : स्वस्थ धरती - हरा खेत

खबरों में क्यों?



- हाल ही में वर्ष 2015 में "अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष" के दौरान शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने वर्ष 2025 में अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जुलाई 2025 तक देशभर में 25 करोड़ से अधिक

मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इससे किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग व बेहतर मृदा प्रबंधन में सहायता मिली है।

- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को ₹1706.18 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
- साल 2022–23 में इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता' के रूप में समाहित किया गया।
- इस योजना के अंतर्गत 290 लाख हेक्टेयर भूमि का मृदा मानचित्रण किया गया है, जिसमें 40 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया। साथ ही, 1,987 गांव स्तरीय मृदा उर्वरता मानचित्र भी तैयार किए गए हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है?

मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनके खेत के लिए प्रदान किया जाने वाला एक मुद्रित रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें मृदा की स्थिति को 12 प्रमुख मापदंडों के आधार पर दर्शाया जाता है:

- **मुख्य पोषक तत्व :** नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर
- **सूक्ष्म पोषक तत्व :** जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन
- **अन्य मापदंड :** pH मान, विद्युत चालकता (EC), जैविक कार्बन (OC)

यह कार्ड हर 2 वर्ष में किसानों को प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी मिट्टी की पोषण स्थिति के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर सकें।

मृदा सैंपलिंग और परीक्षण प्रक्रिया :

1. मिट्टी के नमूने 15-20 सेमी की गहराई से 'V' आकार में चार कोनों और खेत के केंद्र से लिए जाते हैं।
2. सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर और वर्षा-आधारित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर की ग्रिड में नमूने लिए जाते हैं।
3. नमूने GPS और राजस्व नक्शों की सहायता से एकत्र किए जाते हैं।
4. परीक्षण रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद किया जाता है।

गुणवत्ता और लागत :

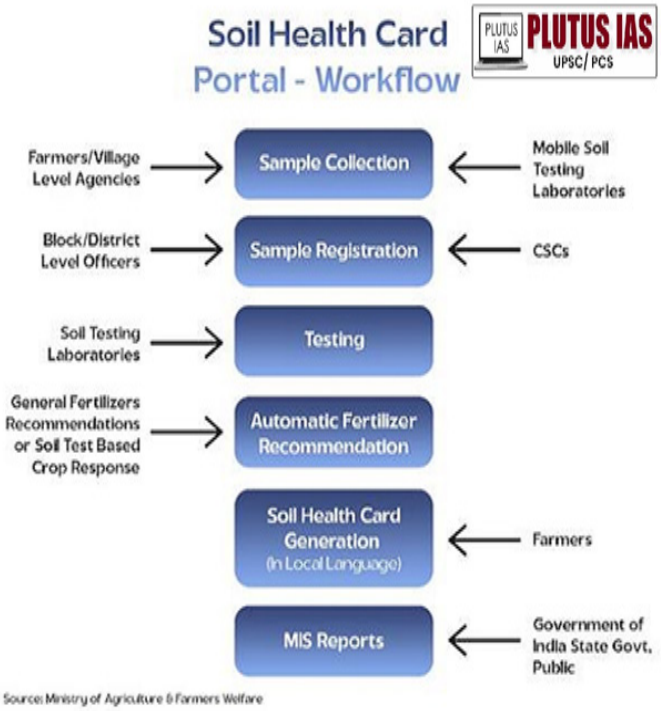
- कुल नमूनों का 1% परीक्षण रेफरल प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता आश्वासन के लिए किया जाता है।
- प्रति नमूना परीक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹190 की सहायता प्रदान की जाती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य :

उद्देश्य	विवरण
नियमित मृदा परीक्षण	हर किसान को हर दो साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना
मृदा परीक्षण प्रयोगशा-लाओं का सशक्तिकरण	ICAR व कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
एकरूप सैंपलिंग व सिफारिशें	सभी राज्यों में एक समान सैंपलिंग प्रक्रिया व ब्लॉक/तालुका स्तर पर उर्वरक सिफारिशें
पोषक प्रबंधन का प्रोत्साहन	परीक्षण-आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना
वित्तीय सहायता	संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए किसानों को सहायता
प्रशिक्षण	अधिकारियों व प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण

आवेदन की प्रक्रिया और तकनीकी पहल :

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल :** यह एक ऑनलाइन व मोबाइल आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जो किसानों को 22 भाषाओं और 5 स्थानीय बोलियों में कार्ड उपलब्ध कराता है।
- **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ :** मृदा परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। मृदा परीक्षण परिणाम पोर्टल पर अपलोड होते हैं और वहीं से कार्ड तैयार किए जाते हैं।



- **गाँव स्तरीय प्रयोगशालाएँ :** वर्ष 2023 में VLSTL (Village Level Soil Testing Labs) की गाइडलाइन जारी की गई। इस योजना के तहत 18–27 वर्ष की आयु के युवा, SHGs व FPOs आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान समय में अब तक 665 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं 17 राज्यों में स्थापित हो चुकी हैं।

स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम :

- कृषि मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के 20 स्कूलों में पायलट परियोजना के तहत मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।
- इस योजना के तहत छात्रों (कक्षा 6–12) को प्रशिक्षण देकर नमूना संग्रहण, परीक्षण और कार्ड निर्माण में शामिल किया गया।
- इसमें अब तक 1,021 स्कूलों में 1,000 प्रयोगशालाएं और 1.32 लाख से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं।

तकनीकी उन्नयन :

तकनीकी पहल	विवरण
GIS इंटीग्रेशन	पोर्टल में इंटरैक्टिव मैप के साथ GIS इंटीग्रेशन
मोबाइल ऐप	किसानों व अधिकारियों के लिए SHC मोबाइल ऐप।
स्वचालित जियोटैगिंग	नमूना स्थान का सटीक अक्षांश-देशांतर रिकॉर्ड।
QR कोड	प्रत्येक नमूने को यूनिक QR कोड दिया जाता है।
डिजिटल वर्कफ्लो	अप्रैल 2023 से पूरी प्रक्रिया डिजिटल के रूप में उपलब्ध है।
NIC द्वारा विकास	पूरा सिस्टम NIC द्वारा विकसित किया गया है।

निष्कर्ष :

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने खेती को विज्ञान आधारित निर्णय प्रक्रिया में बदल दिया है। किसानों को उनकी मिट्टी की सटीक जानकारी देकर उर्वरक लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि और दीर्घकालीन मृदा संरक्षण में सहायता मिली है।
- देश भर के स्कूलों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल टूल्स के साथ यह योजना एक समावेशी व डेटा-आधारित कृषि परिवर्तन की मिसाल बनी है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देश में सतत और जलवायु-संवेदनशील कृषि की ओर भारत के सफर में यह योजना एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह योजना 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के दौरान शुरू की गई थी।
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी के मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होती है।
3. यह योजना 2022–23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 'मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता' के रूप में समाहित की गई है।

उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथन चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने 2025 में अपने कार्यान्वयन के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके उद्देश्यों, तकनीकी प्रगति एवं भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





भारत का आर्द्रभूमि पुनर्जागरण: विश्व के लिए एक आदर्श

समाचार में क्यों?

ज़िम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन के 15वें सम्मेलन (कॉप 15) में भारत ने अपने अग्रणी आर्द्रभूमि संरक्षण मॉडल का प्रदर्शन किया। देश ने एक ही वर्ष में 68,827 से ज़्यादा छोटी आर्द्रभूमियों के पुनरुद्धार पर प्रकाश डाला, जो सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी एकीकरण और नीतिगत अभिसरण के एक अभिनव मिश्रण के माध्यम से हासिल किया गया। यह उपलब्धि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक पर्यावरणीय दायित्वों, दोनों के अनुरूप, सतत पर्यावरण प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी प्रभाव :

1. **जैव विविधता संरक्षण:** पुनर्जीवित आर्द्रभूमियाँ प्रवासी पक्षियों, उभयचरों और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास के रूप में काम करती हैं, जिससे क्षेत्रीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।
2. **भूजल पुनर्भरण:** आर्द्रभूमि प्राकृतिक जलभृतों के रूप में कार्य करती हैं, वर्षा जल का भंडारण करती हैं और उसे धीरे-धीरे मुक्त करती हैं, जिससे कृषि और पेयजल आपूर्ति को बनाए रखने में मदद मिलती है।
3. **जलवायु विनियमन:** आर्द्रभूमि वनस्पति और जल सतहें तापमान को नियंत्रित करती हैं, स्थानीय मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं, तथा ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करती हैं।
4. **कार्बन सिंक क्षमता:** दलदल और पीटलैंड बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भूमिका निभाते हैं।
5. **बाढ़ शमन:** आर्द्रभूमियाँ अतिरिक्त वर्षा जल और सतही अपवाह को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति और गंभीरता कम हो जाती है।
6. **जल गुणवत्ता संवर्धन:** वे प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, प्रदूषकों और तलछटों को हटाते हैं, जिससे नीचे की ओर बहने वाले जल निकायों के स्वास्थ्य में सुधार होता है।
7. **पारिस्थितिक चक्रों की बहाली:** आर्द्रभूमि पुनरुद्धार से प्राकृतिक जलविज्ञान पैटर्न, पोषक चक्र और वन्यजीव गलियारों को पुनर्जीवित किया जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।

प्रौद्योगिकी और नवाचार का एकीकरण :

1. **जीआईएस-आधारित मानचित्रण:** भू-स्थानिक उपकरणों ने पारिस्थितिकी मूल्य के आधार पर लक्षित पुनर्स्थापन के लिए आर्द्रभूमि का मानचित्रण, वर्गीकरण और प्राथमिकता निर्धारण करने में मदद की है।
2. **रिमोट सेंसिंग उपकरण :** उपग्रह डेटा से आर्द्रभूमि क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन, अतिक्रमण और क्षरण की निगरानी संभव हो पाती है।
3. **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पोर्टल :** एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म डेटा एकत्रीकरण, प्रगति ट्रैकिंग और संरक्षण पहलों तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देता है।
4. **ऐप्स के माध्यम से नागरिक सहभागिता :** मोबाइल एप्लीकेशन, आर्द्रभूमि के दुरुपयोग से संबंधित सामुदायिक रिपोर्टिंग, क्राउडसोर्स डेटा और शिकायत निवारण को सक्षम बनाते हैं।

5. **एआई और पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिक खतरों का पूर्वानुमान लगाने और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले स्थलों की पहचान करने में सहायता करती है।

6. **जल विज्ञान सिमुलेशन :** वैज्ञानिक मॉडल जल प्रवाह, प्रतिधारण और निर्वहन का अनुकरण करते हैं, जिससे टिकाऊ जल प्रबंधन रणनीतियों को डिजाइन करने में मदद मिलती है।

7. 7. IoT-आधारित निगरानी : इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जल स्तर, पीएच और प्रदूषण जैसे वास्तविक समय के मापदंडों को मापते हैं।

समुदायों की भूमिका और सांस्कृतिक महत्व :

1. **स्थानीय शासन भागीदारी :** ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण का स्वामित्व लेते हैं।

2. **महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण :** स्वयं सहायता समूह, विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित समूह, पौध नर्सरी, जल निकायों के रखरखाव और आय सृजन के कार्यों में लगे हुए हैं।

3. **युवा एवं स्वयंसेवक सहभागिता :** इको-क्लब और स्कूली बच्चे जागरूकता अभियान और पर्यावरण-पुनर्स्थापना प्रयासों में शामिल हैं।

4. **पारंपरिक ज्ञान का पुनरुद्धार :** जोहड़, कुंड और आहर जैसी स्वदेशी प्रणालियों को सामुदायिक ज्ञान और ऐतिहासिक प्रथाओं के साथ पुनर्जीवित किया जा रहा है।

5. **सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध :** कई आर्द्रभूमियों का अनुष्ठान और त्यौहार संबंधी महत्व होता है, जिससे समुदाय अपनी आध्यात्मिक परम्पराओं के भाग के रूप में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

6. **सहभागी मानचित्रण अभ्यास :** समुदाय आर्द्रभूमि की सीमाओं को परिभाषित करने में मदद करते हैं, जिससे संरक्षकता और सामाजिक निगरानी की भावना पैदा होती है।

7. **पर्यावरण जागरूकता और प्रबंधन :** स्थानीय लोगों को शामिल करने से सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है, दुरुपयोग कम होता है और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

आजीविका सृजन और आर्थिक लाभ :

1. **संवर्धित अंतर्देशीय मत्स्य पालन :** पुनर्जीवित आर्द्रभूमियाँ मछली उत्पादन में सहायक होती हैं, जिससे पोषण और आय में सुधार होता है, विशेष रूप से सीमांत समुदायों के लिए।

2. **पुष्पकृषि एवं आर्द्रभूमि खेती :** कमल, नरकट और औषधीय पौधों की खेती से स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएं बनती हैं और घरेलू आय में वृद्धि होती है।

3. **बत्तख और पशुधन एकीकरण :** बत्तखें आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में पनपती हैं, तथा अंडे और मांस उत्पादन में योगदान देती हैं, जबकि आर्द्रभूमि मौसमी चराई को बढ़ावा देती है।

4. **प्रकृति आधारित पर्यटन :** रामसर स्थलों को इको-पर्यटन केन्द्रों के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिससे स्थानीय गृहस्थी, गाइडों और आतिथ्य कार्यकर्ताओं को सहायता मिलती है।

5. **ग्रामीण रोजगार सृजन :** मनरेगा के अंतर्गत पुनरुद्धार गतिविधियों से जल निकाय प्रबंधन में लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

6. **हरित उद्यमों को बढ़ावा देना :** हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण सहित आर्द्रभूमि से जुड़े सूक्ष्म उद्यम ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

7. **बेहतर कृषि उत्पादन :** आर्द्रभूमि मिट्टी की नमी और सिंचाई में सुधार करती है, जिससे किसान बहु-फसलीय खेती और जल-बचत पद्धतियों को अपनाने में सक्षम होते हैं।

संस्थागत ढांचा और नीतिगत पहल :

1. **आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 :** राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के माध्यम से आर्द्रभूमि की पहचान, अधिसूचना और प्रबंधन के लिए कानूनी आधार स्थापित करना।

2. **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति और प्राधिकरण :** अनुपालन और रणनीतिक योजना सुनिश्चित करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय, विशेषज्ञ सलाह और नीति मार्गदर्शन प्रदान करना।

3. **राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (एसडब्ल्यूए) :** ये आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन परियोजनाओं की सूची बनाने, निगरानी करने और अनुमोदन करने के लिए नोडल निकायों के रूप में कार्य करते हैं।

4. **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) :** आर्द्रभूमि और शहरी झीलों के राज्य-नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए केंद्रीय वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

5. **अमृत धरोहर योजना :** समुदाय-नेतृत्व वाले पारिस्थितिकी पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण और रामसर स्थलों के सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।

6. **मिशन अमृत सरोवर :** इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का निर्माण और पुनरुद्धार करना है, जिससे जल सुरक्षा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

7. **अभिसारी कार्यान्वयन तंत्र :** पर्यावरण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और अन्य मंत्रालयों के बीच सहयोग से एकीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व और कूटनीति :

1. **रामसर कन्वेंशन में भागीदारी :** भारत ने COP15 तथा इससे पहले के शिखर सम्मेलनों में मजबूत भागीदारी दिखाई है तथा बहुपक्षीय मंचों पर आर्द्रभूमि संरक्षण की वकालत की है।

2. **एशिया में सबसे ऊंचे रामसर स्थल :** 80 नामित रामसर आर्द्रभूमियों के साथ, भारत सक्रिय स्थल पहचान और प्रबंधन के मामले में एशिया में अग्रणी है।

3. **रामसर रणनीतिक योजना में योगदान :** 2016-2024 रामसर रणनीतिक योजना के साथ घरेलू कार्यों को संरेखित करते हुए, भारत वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण लक्ष्यों का समर्थन करता है।

4. **वैश्विक दक्षिण के लिए मॉडल :** भारत का कम लागत वाला, समुदाय-संचालित मॉडल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।

5. **एमईए (बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते) के साथ संरेखण :** आर्द्रभूमि संरक्षण, जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) और यूएनएफसीसीसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं का पूरक है।

6. **दक्षिण-दक्षिण सहयोग वकालत :** भारत राजनयिक माध्यमों से ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है, तथा अन्य विकासशील देशों में आर्द्रभूमि प्रबंधन में सहायता करता है।

7. **नेतृत्व पहल के माध्यम से पर्यावरण कूटनीति :** भारत द्वारा वैश्विक कार्यक्रमों और द्विपक्षीय कार्यक्रमों की मेजबानी करने से यह जलवायु-लचीला, पारिस्थितिकी तंत्र-पुनर्स्थापना करने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक लचीलापन :

1. **कार्बन पृथक्करण क्षमता :** पीटलैंड और दलदली भूमि, वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक कार्बन संग्रहित करती हैं, जो भारत के कार्बन सिंक लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।

2. **बाढ़ और सूखा बफरिंग :** आर्द्रभूमि जल चक्र को नियंत्रित करती है, तथा बाढ़ और सूखे दोनों के दौरान समुदायों की रक्षा करती है।

3. **एनडीसी कार्यान्वयन को समर्थन :** पुनर्स्थापन परियोजनाएं पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में योगदान करती हैं।

4. **एनएएफसीसी परियोजनाओं के साथ एकीकरण :** आर्द्रभूमि को जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में शामिल किया गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन को बढ़ावा देती हैं।

5. **तटीय और शुष्क क्षेत्रों को जलवायु-रोधी बनाना :** गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में आर्द्रभूमि लवणीकरण, समुद्र-स्तर में वृद्धि और सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाती है।

6. **हीटवेव और शहरी लचीलापन :** शहरी आर्द्रभूमि सतह के तापमान को कम करती है और वायु की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे शहरों को अत्यधिक गर्मी से निपटने में मदद मिलती है।

7. **प्रकृति-आधारित अवसंरचना दृष्टिकोण :** आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र अब भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु-रोधी शहरी नियोजन का हिस्सा है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण :

1. **एसडीजी 6-स्वच्छ जल और स्वच्छता:** पुनर्जीवित आर्द्रभूमि सतही और भूजल की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे आस-पास के समुदायों के लिए सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

2. **एसडीजी 13-जलवायु कार्रवाई:** आर्द्रभूमियाँ उत्सर्जन को अवशोषित करती हैं तथा जैव विविधता और जल विज्ञान संबंधी कार्यों के माध्यम से लागत प्रभावी जलवायु अनुकूलन प्रदान करती हैं।

3. **एसडीजी 15-भूमि पर जीवन:** पुनर्स्थापन से आवास संपर्क बढ़ता है और नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों में प्रजातियों की विविधता को समर्थन मिलता है।

4. **एसडीजी 1-गरीबी उन्मूलन:** इको-पर्यटन, मत्स्य पालन और मनरेगा कार्यों के माध्यम से उत्पन्न आजीविका गरीबी उन्मूलन में योगदान देती है।

5. **एसडीजी 8-सभ्य कार्य और आर्थिक विकास:** स्थानीय आर्द्रभूमि अर्थव्यवस्थाएं हरित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को सक्षम बनाती हैं, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए।

6. **एसडीजी 11-टिकाऊ शहर:** चेन्नई में पल्लीकरनई मार्श जैसी शहरी आर्द्रभूमि परियोजनाएं शहरी स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं।

7. **एसडीजी 17-लक्ष्यों के लिए साझेदारी:** सरकार, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच अंतर-क्षेत्रीय साझेदारी परिणामों को सुदृढ़ बनाती है।

वैज्ञानिक अनुसंधान, डेटा और संस्थागत क्षमता :

1. **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और मूल्यांकन (एनडब्ल्यूआईए):** यह वैज्ञानिक डेटाबेस 2 लाख से अधिक आर्द्रभूमियों का मानचित्रण करता है, तथा उन्हें आकार, कार्य और संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत करता है।

2. **अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी:** भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), SACON और NIOT जैसे निकाय पारिस्थितिक और जल विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से पुनर्स्थापन का समर्थन करते हैं।

3. **राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण क्षमता निर्माण:** अधिकारियों को

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अनुकूली प्रबंधन, जीआईएस उपकरण और जैव विविधता निगरानी पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. **ज्ञान भंडार और दस्तावेज़ीकरण:** प्रतिकृति और मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्द्रभूमि पुनरुद्धार पर केस अध्ययन, मैनुअल और टूलकिट प्रकाशित किए जाते हैं।

5. **नागरिक विज्ञान और डेटा क्राउडसोर्सिंग:** निगरानी में सार्वजनिक भागीदारी से डेटा की समृद्धि बढ़ती है और पर्यावरण साक्षरता का प्रसार होता है।

6. **प्रदर्शन-आधारित निगरानी प्रणाली:** जैव विविधता लाभ, जल गुणवत्ता सुधार और सामाजिक-आर्थिक लाभ को मापने के लिए वैज्ञानिक ढांचे का उपयोग किया जाता है।

7. **साक्ष्य-आधारित नीति एकीकरण:** शोध के परिणाम सीधे तौर पर नीतिगत परिवर्तनों को सूचित करते हैं, जैसे शहरी आर्द्रभूमि क्षेत्रीकरण या प्रजातियों के संरक्षण के उपाय।

निष्कर्ष :

भारत द्वारा एक वर्ष के भीतर 68,000 से अधिक आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण, सामुदायिक भागीदारी और नीतिगत समर्थन के एक समग्र मॉडल को दर्शाता है। ये प्रयास जैव विविधता, जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और आजीविका को बढ़ावा देते हैं। रामसर कन्वेंशन जैसे वैश्विक मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ इसका समन्वय इसे प्रकृति-आधारित समाधानों में अग्रणी बनाता है। इस प्रगति को बनाए रखने के लिए, निरंतर निवेश, सशक्त प्रवर्तन और व्यापक विकास एवं जलवायु रणनीतियों में आर्द्रभूमियों का एकीकरण आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं।
2. "अमृत धरोहर" योजना रामसर स्थलों पर समुदाय-आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देती है।
3. जीआईएस आधारित मानचित्रण और जल विज्ञान सिमुलेशन को भारत की आर्द्रभूमि पुनरुद्धार रणनीति में एकीकृत किया गया है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. रामसर कन्वेंशन के COP15 में प्रदर्शित आर्द्रभूमि पुनरुद्धार का भारत का मॉडल, पारिस्थितिक बहाली, सामुदायिक सहभागिता और तकनीकी नवाचार का अभिसरण है। चर्चा करें कि यह मॉडल पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु लचीलेपन में किस प्रकार योगदान देता है।

(250 शब्द, 15 अंक)



पश्चिमी घाट के छिपे हुए खजाने : एक नई लाइकेन प्रजाति भारत की जैव विविधता संपदा में वृद्धि करती है।

समाचार में क्यों?

भारत ने पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पश्चिमी घाट में लाइकेन की एक नई प्रजाति, एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका, की खोज की है। यह सफलता पुणे स्थित MACS(एमएसीएस)-अघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को मिली है। इस लाइकेन में अद्वितीय रूपात्मक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें नॉरस्टिक्टिक अम्ल की दुर्लभ उपस्थिति भी शामिल है। यह खोज पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान को उन्नत आणविक उपकरणों के साथ जोड़ती है। यह जैव विविधता और लाइकेन विज्ञान अनुसंधान में भारत के बढ़ते योगदान में योगदान देती है।

परिचय:

पश्चिमी घाट से एक नई खोज:

1. **नई प्रजातियों की पहचान:** भारतीय वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पश्चिमी घाट में एक नई लाइकेन प्रजाति, एलोग्राफा

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

इफ्यूसोरेडिका की खोज की है, जो भारत में चल रही जैव विविधता अन्वेषण को प्रदर्शित करती है।

2. **अद्वितीय रूपात्मक लक्षण:** यह लाइकेन क्रस्टोज वृद्धि रूप प्रदर्शित करता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से उभरे हुए सोरेडिया और दुर्लभ रासायनिक विशेषताएं होती हैं, जिनमें नॉरस्टिक्टिक एसिड की उपस्थिति भी शामिल है।

3. **अगरकर संस्थान द्वारा अनुसंधान:** यह खोज MACS(एमएसीएस)-अघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे द्वारा शास्त्रीय वर्गीकरण और आधुनिक आणविक विश्लेषण के संयोजन का उपयोग करके की गई।

4. **पश्चिमी घाट का महत्व:** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में, पश्चिमी घाट को अपनी उच्च जैव विविधता, स्थानिक प्रजातियों और पारिस्थितिक महत्व के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

5. **लाइकेन की पारिस्थितिक भूमिका :** लाइकेन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के जैवसूचक के रूप में कार्य करते हैं।

6. **दुर्लभ शैवाल सहजीवी की पहचान की गई :** यह लाइकेन एक दुर्लभ शैवाल साथी, ट्रेंटेपोहलिया के साथ सहजीवन में पाया गया, जिससे उष्णकटिबंधीय लाइकेन जीव विज्ञान की वैज्ञानिक समझ का विस्तार हुआ।

7. **संरक्षण और वैज्ञानिक मूल्य :** यह खोज पश्चिमी घाट जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आगे जैविक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।

लाइकेन को समझना: प्रकृति में सहजीवन

1. **मिश्रित जीव :** लाइकेन का निर्माण कवक और उसके प्रकाश संश्लेषक साथी - हरे शैवाल या सायनोबैक्टीरिया - के बीच सहजीवी संबंध से होता है।

2. **दोहरी कार्यक्षमता :** कवक घटक संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि फोटोबायोन्ट दोनों भागीदारों के लिए पोषक तत्व प्रदान करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है।

3. **चरम वातावरण के उपनिवेशक :** लाइकेन कठोर और पोषक तत्वों की कमी वाली स्थितियों में भी उगने में सक्षम होते हैं, जैसे नंगी चट्टानें, रेगिस्तान और ऊंचे स्थान।

4. **मृदा निर्माण एजेंट :** चट्टानों की सतह को तोड़कर और कार्बनिक पदार्थ प्रदान करके, लाइकेन बंजर भूदृश्यों में मिट्टी के निर्माण में सहायता करते हैं।

5. **वायु गुणवत्ता के जैव संकेतक :** लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण वे वायु और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के प्राकृतिक संकेतक बन जाते हैं।

6. **पारिस्थितिक योगदान :** वे नाइट्रोजन को स्थिर करने, पोषक तत्वों का चक्रण करने तथा समग्र जैव विविधता में योगदान देकर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7. **जीवों के लिए भोजन और आश्रय :** कीड़े, पक्षी और छोटे स्तनधारी सहित कई जानवर भोजन, घोंसले बनाने की सामग्री या छलावरण के लिए लाइकेन पर निर्भर रहते हैं।

नई प्रजाति का वैज्ञानिक विवरण :

1. **वर्गिकी वर्गीकरण :** इस प्रजाति को एलोग्राफा वंश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो जटिल रूपात्मक लक्षणों वाले लिपि लाइकेन के लिए जाना जाता है।

2. **प्रजाति नामकरण :** इसका नाम एलोग्राफा इफ्यूसोसोरेडिका रखा गया है, जो इसकी विशिष्ट इफ्यूज़ सोरेडिया और रूपात्मक विशेषताओं के कारण है।

3. **क्रस्टोज़ ग्रोथ फॉर्म :** लाइकेन में एक क्रस्टोज (पपड़ी जैसा) थैलस पाया जाता है जो सब्सट्रेट से कसकर जुड़ा होता है, जो इसकी पहचान का एक प्रमुख गुण है।

4. **सोरेडिया का रिसाव :** इसकी विशेषता सतह पर फैले हुए, चूर्ण जैसे सोरेडिया हैं, जो वानस्पतिक प्रजनन में सहायता करते हैं।

5. **अद्वितीय असकोमाटा विशेषताएं :** लाइकेन लिरेल्ला (लम्बी फलन काय) उत्पन्न करता है, जो स्क्रिप्ट लाइकेन की विशेषता है, लेकिन इसमें विशिष्ट अलंकरण होता है।

6. **रासायनिक संरचना :** इसमें नॉरस्टिकटिक एसिड होता है, जो एक दुर्लभ द्वितीयक मेटाबोलाइट है, जिसका पता रासायनिक स्पॉट परीक्षण और क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से लगाया जा सकता है।

7. **नैदानिक लक्षण :** आकृति विज्ञान, रसायन विज्ञान और आणविक डेटा का संयोजन एलोग्राफा के भीतर इसकी नवीनता की पुष्टि करता है।

प्रयुक्त पद्धति और उपकरण :

1. **क्षेत्र सर्वेक्षण :** नमूने पश्चिमी घाट के विशिष्ट वन क्षेत्रों से एकत्र किए गए थे, जो उच्च लाइकेन विविधता के लिए जाने जाते हैं।

2. **शास्त्रीय वर्गीकरण :** मौजूदा हर्बेरियम रिकॉर्ड और टैक्सोनोमिक कुंजियों का उपयोग करके विस्तृत रूपात्मक तुलना की गई।

3. **माइक्रोस्कोपी अध्ययन :** प्रजनन संरचनाओं, थैलस बनावट और शैवाल कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया गया।

4. **डीएनए बारकोडिंग :** नई प्रजातियों को समान प्रजातियों से अलग करने के लिए आणविक मार्करों (जैसे, आईटीएस क्षेत्र) का अनुक्रमण किया गया।

5. **फाइलोजेनेटिक विश्लेषण :** डीएनए अनुक्रमों का उपयोग विकासवादी वृक्षों के निर्माण के लिए किया गया, जिससे एलोग्राफा के भीतर लाइकेन की स्थिति की पुष्टि हुई।

6. **रासायनिक स्पॉट परीक्षण :** लाइकेन पदार्थों की प्रारंभिक रासायनिक रूपरेखा तैयार करने के लिए KOH और C जैसे अभिकर्मकों का उपयोग किया गया।

7. **पतली परत क्रोमैटोग्राफी (टीएलसी) :** टीएलसी ने नॉरस्टिक्टिक एसिड सहित द्वितीयक मेटाबोलाइट्स की सटीक पहचान प्रदान की।

खोज का महत्व :

1. **एलोग्राफा वंश को समृद्ध करता है:** इस वैश्विक रूप से वितरित वंश में एक नई प्रजाति जुड़ गई है, जिससे इसकी ज्ञात विविधता और सीमा का विस्तार हुआ है।

2. **भारत के जैव विविधता रिकॉर्ड को मजबूत करता है:** भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिमी घाटों की समृद्ध, अल्प-प्रलेखित लाइकेन विविधता पर प्रकाश डाला गया है।

3. **संरक्षण प्रासंगिकता:** संरक्षण योजना के लिए कम ज्ञात जीवों और उनके आवासों के पारिस्थितिक मूल्य को सुदृढ़ करता है।

4. **वर्गीकरण अनुसंधान का समर्थन करता है:** क्रिप्टोगैमिक वनस्पति विज्ञान और कवक वर्गीकरण विज्ञान में प्रयासों को बढ़ावा देता है, जिन क्षेत्रों पर अनुसंधान का ध्यान सीमित है।

5. **वैश्विक वैज्ञानिक रुचि:** ये निष्कर्ष इंडेक्स फंगोरम और माइकोबैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय लाइकेन डेटाबेस में योगदान करते हैं।

6. **अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है:** यह वर्गीकरण विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को जोड़ता है, तथा अंतर-विषयक पारिस्थितिक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।

7. **भविष्य के अध्ययन के लिए आधार रेखा:** पारिस्थितिक निगरानी, जलवायु प्रभाव अध्ययन और संरक्षण आकलन के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।

फोटोबियोन्ट पार्टनर: ट्रेंटेपोहलिया प्रजाति

1. **शैवाल साझेदार की पहचान:** सूक्ष्मदर्शी अवलोकन और डीएनए अनुक्रमण ने ट्रेंटेपोहलिया को फोटोबायोन्ट पार्टनर के रूप में पुष्टि की।

2. **जीनस विशेषताएँ:** ट्रेंटेपोहलिया एक रेशायुक्त हरा शैवाल है जो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय लाइकेन से जुड़ा होता है तथा अपने नारंगी रंग के लिए जाना जाता है।

3. **पारस्परिक भूमिका:** प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कवक साथी को आश्रय और नमी के बदले में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है।

4. **जलवायु अनुकूलन संकेत:** इस फोटोबायोन्ट को समझने से यह समझने में मदद मिलती है कि लाइकेन घाट जैसे गर्म, आर्द्र वातावरण में कैसे जीवित रहते हैं।

5. **पारिस्थितिक संकेतक:** ट्रेंटेपोहलिया की उपस्थिति निवास स्थान के अध्ययन के लिए उपयोगी विशिष्ट सूक्ष्मजलवायु या पारिस्थितिक स्थितियों का संकेत दे सकती है।

6. **शैवाल वर्गीकरण में योगदान:** ये निष्कर्ष भारत में लाइकेन बनाने वाले शैवालों के वर्गीकरण और पारिस्थितिकी के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं।

7. **जलवायु लचीलापन अध्ययन के लिए उपकरण:** फोटोबायोन्ट का अध्ययन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण तनावों के प्रति लाइकेन की संवेदनशीलता या लचीलेपन का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है।

भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका :

1. **MACS-ARI द्वारा अग्रणी अनुसंधान:** एमएसीएस-अघारकर अनुसंधान संस्थान ने इस खोज का नेतृत्व किया, जिससे जैव-प्रणाली में भारत की ताकत पर जोर दिया गया।

2. **डीएसटी से सहायता:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय विज्ञान मिशन के तहत इस जैव विविधता अनुसंधान को वित्त पोषित और बढ़ावा दिया।

3. **आणविक उपकरणों पर जोर:** संस्थाएं अब पारंपरिक वर्गीकरण को डीएनए बारकोडिंग और फाइलोजेनेटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रित कर रही हैं।

4. **शास्त्रीय वर्गीकरण का पुनरुद्धार:** हर्बेरियम-आधारित अनुसंधान और क्षेत्र पहचान को आणविक डेटा के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

5. **वर्गीकरण में क्षमता निर्माण:** भारतीय संस्थान लाइकेनोलॉजी और प्रजातियों की खोज में अगली पीढ़ी के शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

6. **बायोएक्टिव्स के लिए बायोप्रोस्पेक्टिंग:** भारतीय जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की सहायता से, फार्मास्यूटिकल्स में लाइकेन के नवीन यौगिकों की खोज की जा रही है।

7. **वैश्विक सहयोग को मजबूत करना:** ऐसी खोजें भारतीय अनुसंधान को वैश्विक संरक्षण डेटाबेस और वर्गीकरण नेटवर्क से जोड़ती हैं।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जलवायु और प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में लाइकेन :

1. **वायु गुणवत्ता के प्रति प्राकृतिक संवेदनशीलता:** लाइकेन हवा से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे वे प्रदूषण के स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
2. **शहरी वायु निगरानी के लिए उपकरण:** वे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के सस्ते और विश्वसनीय संकेतक के रूप में काम करते हैं।
3. **पारिस्थितिकी तंत्र तनाव को प्रतिबिंबित करें:** लाइकेन विविधता में गिरावट पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु संबंधी तनाव का संकेत है।
4. **लागत प्रभावी निगरानी विकल्प:** लाइकेन सर्वेक्षण दूरस्थ या संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाले सेंसरों के पूरक हैं।
5. **जलवायु परिवर्तन के संकेतक:** उनके वितरण में परिवर्तन से बढ़ते तापमान और परिवर्तित वर्षा के प्रभावों पर नज़र रखने में मदद मिलती है।
6. **कार्बन और नाइट्रोजन चक्र में भूमिका:** नाइट्रोजन-फिक्सर और कार्बनिक पदार्थ संचयक के रूप में, लाइकेन पोषक चक्रण में परिवर्तन को दर्शाते हैं।
7. **पर्यावरण नीति पर प्रभाव:** जलवायु लचीलापन और पर्यावरण निगरानी कार्यक्रमों को आकार देने के लिए उनकी संकेतक भूमिका मूल्यवान है।

संरक्षण निहितार्थ :

1. **छिपी हुई जैव विविधता पर प्रकाश डालना:** नई प्रजातियों की खोज से लाइकेन जैसे अक्सर उपेक्षित जीवों के पारिस्थितिक महत्व पर बल मिलता है।
2. **सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता:** लाइकेन के आवास वनों की कटाई, खनन और विकास गतिविधियों के विस्तार के प्रति संवेदनशील हैं।
3. **स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण:** कई लाइकेन का आवास क्षेत्र संकीर्ण होता है और वे आवास परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
4. **संरक्षित क्षेत्रों में समावेशन:** लाइकेन-समृद्ध क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें भारत के संरक्षित जैव विविधता भंडार में शामिल किया जाना चाहिए।
5. **जलवायु कार्य योजनाओं में लाइकेन:** उनकी जलवायु संवेदनशीलता जलवायु अनुकूलन के साथ संरेखित संरक्षण रणनीतियों को सूचित कर सकती है।
6. **संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय समुदाय लाइकेन-समृद्ध पारिस्थितिकी प्रणालियों की पहचान, संरक्षण और निगरानी में भागीदार हो सकते हैं।
7. **जैव विविधता नीति के लिए डेटा:** निष्कर्ष बेहतर नीति कार्यान्वयन के लिए बेहतर जैव विविधता मानचित्रण और खतरे के आकलन का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष :

पश्चिमी घाटों पर एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज जैव विविधता अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है, विशेष रूप से लाइकेनोलॉजी के कम खोजे गए क्षेत्र में। यह प्रकृति के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करने के लिए उन्नत आणविक और रासायनिक उपकरणों के साथ शास्त्रीय वर्गीकरण को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सफलता वैज्ञानिक ज्ञान को समृद्ध करती है और जलवायु एवं प्रदूषण के जैव संकेतकों के रूप में लाइकेन के पारिस्थितिक महत्व को पुष्ट करती है। इसके अलावा, यह पश्चिमी घाट जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की तात्कालिकता पर बल देता है, जो वैश्विक जैव विविधता के बारे में नई और मूल्यवान जानकारी प्रदान करते रहते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लाइकेन का निर्माण कवक और फोटोबायोन्ट के बीच सहजीवी संबंध से होता है।
2. लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है।
3. नॉरस्टिक्टिक एसिड एक सामान्य मेटाबोलाइट है जो सभी लाइकेन प्रजातियों में पाया जाता SSहै।
4. लाइकेन में फोटोबायोन्ट साझेदार हमेशा एक हरा शैवाल होता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 2 और 4

C. केवल 1, 2 और 3 D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर: A

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. पश्चिमी घाट से एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज जैव विविधता अनुसंधान में भारत के बढ़ते वैज्ञानिक योगदान को दर्शाती है। पर्यावरणीय संकेतकों के रूप में लाइकेन की भूमिका के संदर्भ में, इस खोज के पारिस्थितिक, वैज्ञानिक और संरक्षण संबंधी महत्व का परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



भारत का गहन महासागर मिशन (IDOM) : ब्लू फ्रंटियर में एक छलांग

समाचार में क्यों?

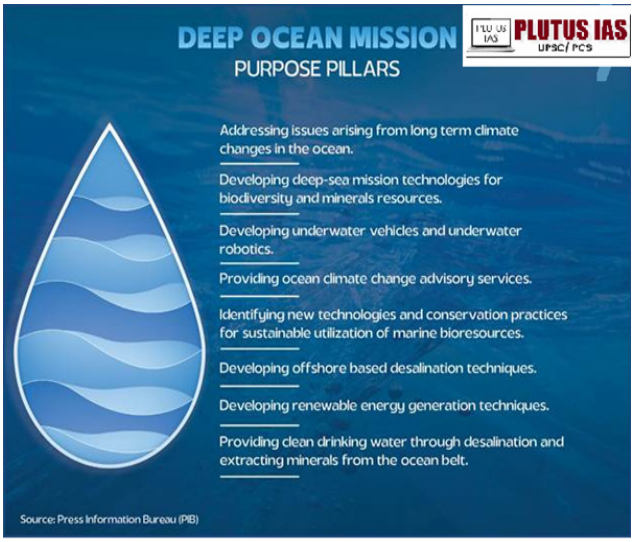
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2021 को शुरू किया गया डीप ओशन मिशन, भारत द्वारा अपनी ब्लू इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ ही ध्यान का केंद्र बन गया है। पाँच वर्षों में ₹4077 करोड़ के परिव्यय के साथ, इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों का अन्वेषण और संबंधित तकनीकों का विकास करना है। यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासागर विज्ञान दशक (2021-2030) के अनुरूप है। भारत की विशाल तट रेखा और समुद्री क्षमता इसे समुद्री संपदा के दोहन में एक प्रमुख प्रेरक बनाती है। यह मिशन सरकार के न्यू इंडिया 2030 के विज़न का केंद्र बिंदु है, जहां ब्लू इकोनॉमी विकास का एक प्रमुख आयाम है।

मिशन - अज्ञात की खोज :

रहस्यों से भरा गहरा समुद्र, न केवल मानव उत्पत्ति के रहस्यों को समेटे हुए है, बल्कि हमारे दीर्घकालिक अस्तित्व और संरक्षण के सुराग भी समेटे हुए है। इसकी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा 07.09.2021 को भारत का डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र की सजीव और निर्जीव संपदा की खोज और उसके सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।

पांच वर्षों में 4077 करोड़ रुपये के समग्र निवेश के साथ, यह मिशन एक बार का काम नहीं है - यह चरणों में पूरा होगा और इसे एक पूर्ण राष्ट्रीय परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है, जो भारत की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, जिसमें मछली पकड़ने और शिपिंग से लेकर जैव प्रौद्योगिकी और पर्यटन तक सभी समुद्री आधारित उद्योग शामिल हैं।

इन गहराइयों की खोज से जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान मिल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को 'सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक' नाम दिया है। 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, नौ तटीय राज्य और 1382 द्वीपों वाला भारत का अनूठा भूगोल उसे इस क्षेत्र में बढ़त देता है। यही कारण है कि 2030 तक नए भारत के विज़न में, सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था को विकास के दस प्रमुख आयामों में शामिल किया है।



मिशन के घटक

1. **गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास:** भारत तीन लोगों को समुद्र में 6000 मीटर नीचे ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही, मध्य हिंद महासागर में गहरे समुद्र से पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स निकालने के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली विकसित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा वैश्विक नियम निर्धारित किए जाने के बाद, ये प्रयास भविष्य में वाणिज्यिक खनिज अन्वेषण में सहायक होंगे।
2. **महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास:** मौसमी से लेकर दशकीय पैमाने तक प्रमुख जलवायु चरों का अध्ययन और पूर्वानुमान लगाने के लिए एक अवलोकन और

मॉडल समूह विकसित किया जाएगा। इस अवधारणा-सिद्ध पहल का उद्देश्य जलवायु प्रवृत्तियों की समझ को बढ़ाना और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित नीली अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।

3. **गहरे समुद्र में जैव विविधता के अन्वेषण और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार:** इसका मुख्य ध्यान गहरे समुद्र में रहने वाले वनस्पतियों, जीवों और सूक्ष्मजीवों के जैव-अन्वेषण पर है, साथ ही गहरे समुद्र में रहने वाले जैविक संसाधनों के सतत उपयोग पर अनुसंधान पर भी। यह पहल समुद्री मत्स्य पालन और संबद्ध सेवाओं के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी।

4. **गहरे महासागरीय सर्वेक्षण और अन्वेषण:** यह पहल हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय कटकों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड स्थलों की पहचान करने पर केंद्रित है और ब्लू इकोनॉमी के तहत गहरे समुद्र में संसाधन अन्वेषण का समर्थन करती है।

5. **महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी :** इस अवधारणा-प्रमाण में अपतटीय महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) संचालित विलवणीकरण संयंत्र के लिए अध्ययन और इंजीनियरिंग डिजाइन का प्रस्ताव है, जो अपतटीय ऊर्जा विकास पर ब्लू इकोनॉमी फोकस का समर्थन करता है।

6. **महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन :** यह घटक समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रतिभा और नवाचार के निर्माण पर केंद्रित है, और ऑन-साइट इन्क्यूबेटरों के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तित करता है। यह नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समुद्री जीव विज्ञान, नीला व्यापार और विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

प्रोजेक्ट समुद्रयान - गहरे समुद्र में छलांग :

- भारत ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य मानवयुक्त पनडुब्बी के माध्यम से गहरे समुद्र में अन्वेषण के अपने पहले घटक पर काम करना है।

- इस परियोजना के अंतर्गत, मत्स्य 6000 नामक एक स्व-चालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जा रही है जो तीन व्यक्तियों को समुद्र की सतह से 6,000 मीटर नीचे तक ले जा सकती है। वैज्ञानिक उपकरणों और अन्वेषण उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला से सुसज्जित, यह उन्नत वाहन गहन समुद्री अनुसंधान को सक्षम बनाएगा। यह पनडुब्बी 12 घंटे तक चलने और आपातकालीन परिस्थितियों में 96 घंटे तक टिकने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें उच्च-घनत्व वाली Li-Po बैटरी, पानी के भीतर ध्वनिक टेलीफोन, ड्रॉप-वेट आपातकालीन बचाव तंत्र, और चालक दल की सुरक्षा और स्वास्थ्य निगरानी के लिए बायो-वेस्ट जैसी उन्नत प्रणालियाँ हैं।

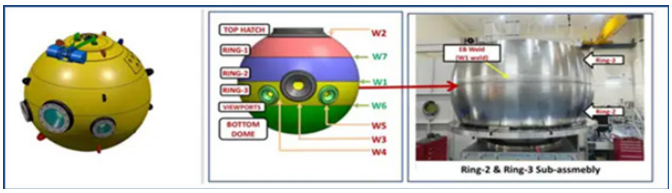


द टेक्नोलॉजी :

1. यह वाहन एक गोलाकार टाइटेनियम-मिश्र धातु का बर्तन (Ti6Al4V - ELI ग्रेड) है जिसका व्यास 2260 मिमी और दीवार की मोटाई 80 मिमी है, जिसे 600 बार दबाव और -3°C तक के न्यूनतम तापमान को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. इस टाइटेनियम पोत का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) द्वारा विकसित एक विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया, जिसे उच्च-भेदन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग (ईबीडब्ल्यू) कहा जाता है, द्वारा किया गया है। इस प्रक्रिया की पूर्णता 700 परीक्षणों के बाद प्राप्त हुई।

3. वेल्डिंग की गुणवत्ता का परीक्षण बहुत उन्नत तकनीकों द्वारा किया गया है, जैसे कि गैर-विनाशकारी मूल्यांकन (एनडीई) विधियों का संयोजन जैसे कि टाइम-ऑफ-फ्लाइट डिफ्रेक्शन (टीओएफडी) और डुअल लीनियर ऐरे (डीएलए) चरणबद्ध ऐरे अल्ट्रासोनिक परीक्षण (पीएयूटी)



यह मानव-चालित वाहन (HOV) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), इसरो के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इस पहल में अब तक उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

परीक्षण: मान्यता की यात्रा :

1. मत्स्य 6000 का सूखा और गीला परीक्षण

- **एकीकृत शुष्क परीक्षण** मत्स्य ने सबसे पहले 500 मीटर की परिचालन सीमा में एकीकृत शुष्क परीक्षण किया, जिससे इसकी बाह्य संरचना के भीतर सुचारू प्रणाली एकीकरण सुनिश्चित हुआ।

- **गीले परीक्षण (जनवरी-फरवरी 2025) :** एलएंडटी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली पोर्ट, चेन्नई में आयोजित इन परीक्षणों ने शक्ति और

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

नियंत्रण प्रणालियों, प्लवनशीलता और स्थिरता, नेविगेशन, संचार, आगे-पीछे की गति और मानव सुरक्षा तंत्र को मान्य किया।

- **वैज्ञानिक पेलोड परीक्षण :** उन्नत समुद्र विज्ञान सेंसरों का परीक्षण किया गया और उनकी कार्यक्षमता की पुष्टि की गई।
- **प्रदर्शन चरण :** आठ गोते लगाए गए - पांच मानवरहित गोते और उसके बाद पांच मानवयुक्त गोते, जिनमें से प्रत्येक में जीवन रक्षक प्रणाली की कठोरता से जांच की गई।

2. भारत का पहला 5000 मीटर गहरे समुद्र में अभियान

- **तिथि एवं सहयोग :** 5-6 अगस्त 2025 को भारत ने IFREMER (फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान) के सहयोग से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।
- **जगह:** यह अभियान अटलांटिक महासागर में IFREMER के पनडुब्बी नॉटाइल का उपयोग करके संचालित किया गया था।
- **भारतीय एक्वानाट्स:** एनआईओटी, चेन्नई के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री राजू रमेश और कमांडर जतिंदर पाल सिंह (सेवानिवृत्त) ने 5000 मीटर की गहराई तक सात घंटे का गोता पूरा किया, जिससे भारत ऐसी क्षमता वाले आधा दर्जन से भी कम देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया।

3. प्रमुख परिणाम और सीखें

- गोता लगाने से पूर्व की तैयारी और संचालन।
- आवास योग्यता और उछाल प्रबंधन।
- मैनिपुलेटर-आधारित हस्तक्षेप (झंडा प्लेसमेंट, नमूना संग्रह)।
- गोता लगाने के दौरान तैनाती और पुनः प्राप्ति।
- प्रक्षेप पथ ट्रैकिंग और ऑनबोर्ड सिस्टम प्रबंधन।
- ध्वनिक संचार प्रणालियों का संचालन।
- गहरे समुद्र में परिचालन प्रक्रियाओं की अंत-से-अंत योजना और निष्पादन।



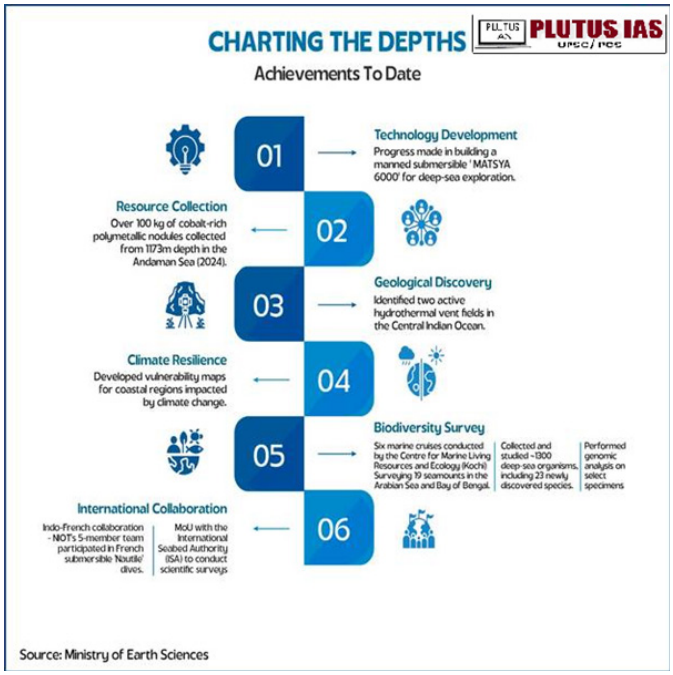
यह इंडो-फ्रेंच अनुसंधान अभियान 'MATSYA - 6000' के विकास का समर्थन करता है, जिसमें टाइटेनियम पतवार, सिंटैक्टिक फोम, वीबीएस और ड्रॉप-वेट मैकेनिज्म की प्राप्ति और परीक्षण, उप-प्रणालियों का खुले समुद्र में परीक्षण और प्रमाणन, 2026 की शुरुआत तक 500 मीटर तक उथले पानी का प्रदर्शन, LARS के साथ अनुसंधान पोत का विस्तार, 2027 के मध्य तक एकीकरण और गहरे पानी में परीक्षण और 2027-28 के दौरान MATSYA-6000 का उपयोग करके वैज्ञानिक अन्वेषण जैसे मील के पत्थर शामिल हैं।



गहरे समुद्र मिशन: अब तक की कहानी

भारत ने स्वदेशी गहरे समुद्र की तकनीकों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिनमें वाहन और दबाव-प्रतिरोधी सामग्री शामिल हैं, और इनके सफल परीक्षण पहले ही प्रगति पर हैं। दिसंबर 2022 में, एक स्वायत्त वाहन, ओशन मिनरल एक्सप्लोरर (OMe 6000) ने मध्य हिंद महासागर बेसिन पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल (PMN) स्थल में 5,271 मीटर की गहराई पर खनिज-समृद्ध क्षेत्रों का अन्वेषण किया। अनुसंधान पोत सागरनिधि का उपयोग करते हुए, इसने 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल वितरण और गहरे समुद्र की जैव विविधता का आकलन करने के लिए 1 किमी x 0.5 किमी क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण किया, जिससे भविष्य के अन्वेषण और संसाधन मानचित्रण की नींव रखी गई।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS



निष्कर्ष :

डीप ओशन मिशन, अपनी अग्रणी समुद्रयान परियोजना के साथ, भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं में एक परिवर्तनकारी छलांग का प्रतीक है। समुद्र की गहराई में उतरकर, भारत न केवल खनिजों, जैव विविधता और ऊर्जा के विशाल भंडारों को खोज रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री के 'समुद्र मंथन' विजन में निहित उन्नत गहरे समुद्र अन्वेषण तकनीक वाले कुछ देशों में भी अपनी जगह बना रहा है। मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास समुद्री इंजीनियरिंग और नवाचार में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है। यह पहल नीली अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों का समर्थन करती है और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देती है, समुद्र-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देती है, और अनुसंधान, उद्यम और रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। डीप ओशन मिशन केवल अज्ञात में गोता लगाने जैसा नहीं है - यह एक लचीले, संसाधन-समृद्ध और भविष्य के लिए तैयार भारत की दिशा में एक साहसिक कदम है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के गहरे महासागर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
2. MATSYA 6000 पनडुब्बी को तीन लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. इसका एक घटक महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) का उपयोग करके मीठे पानी के उत्पादन पर केंद्रित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. डीप ओशन मिशन, समुद्री संपदा के दोहन में भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है। नीली अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और सतत विकास के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

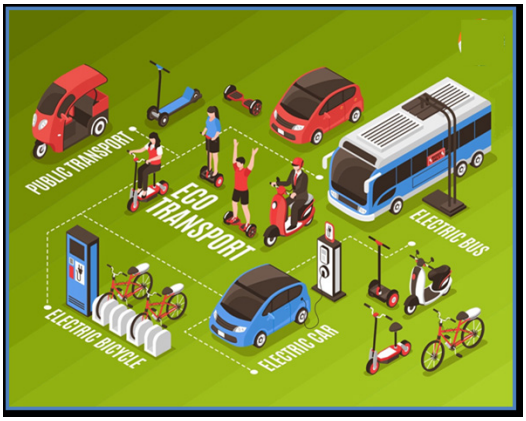


परिवर्तन के चक्र : हरित गतिशीलता के लिए भारत की करंट छलांग

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के हसनपुर प्लांट में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), "ई विटारा" का उद्घाटन करके भारत की हरित गतिशीलता यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। यह 100 से अधिक देशों को भारत में निर्मित BEV के निर्यात की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त उद्यम, टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण

भारत में ही किया जाए, जिससे "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। ये ऐतिहासिक प्रगति न केवल भारत को वैश्विक EV आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार की दिशा में एक निर्णायक छलांग भी लगाती है।



भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पूरी गति से आगे बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-टू-व्हीलर) की बिक्री 11.49 लाख इकाई तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष के 9.48 लाख से 21% अधिक है। ये आँकड़े भारतीय सड़कों पर स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन की ओर तेज़ी से बढ़ते बदलाव का संकेत देते हैं।

लाभों से युक्त

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारंपरिक ईंधन-आधारित परिवहन का एक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल विकल्प प्रदान करके हमारी यात्रा के तरीके को बदल रहे हैं। जैसे-जैसे भारत स्थायी गतिशीलता की ओर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना एक व्यावहारिक और भविष्य के लिए तैयार विकल्प बनता जा रहा है।

स्वच्छ गतिशीलता के लिए सरकार का रोडमैप

भारत की हरित गतिशीलता की कहानी किसी एक पथ पर नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाली साहसिक पहलों के एक नेटवर्क पर आधारित है। हरित गतिशीलता की ओर भारत की यात्रा दूरदर्शी सरकारी योजनाओं की एक श्रृंखला द्वारा संचालित हो रही है, जो एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं जहाँ हर सवारी एक स्वस्थ ग्रह की ओर एक कदम है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना और FAME-I

भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा को सरकार ने एक स्पष्ट नीति: राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020 की शुरुआत के साथ एक बड़ा प्रोत्साहन दिया। इस योजना को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए लागू किया गया था, जिससे एक स्वच्छ और हरित परिवहन भविष्य की नींव रखी गई। इस मिशन के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 से 2019 तक FAME इंडिया योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ अपनाना और निर्माण) लागू की गई थी। FAME-I ने न केवल EV की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस योजना के तहत लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई और इस बुनियादी ढाँचे के समर्थन के लिए कुल ₹43 करोड़ का आवंटन किया गया।

FAME-I के अंतर्गत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन

वर्ग	समर्थित ईवी की संख्या
ई-2 व्हीलर्स	1,51,648
ई-3 व्हीलर्स	786
ई-4 व्हीलर्स	1,02,446
इलेक्ट्रिक बसें	425
कुल	2,55,305

FAME II (इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण) - चरण II

पिछले चरण की गति को आगे बढ़ाते हुए, FAME-II ने गति पकड़ी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। अप्रैल 2019 में शुरू किए गए FAME इंडिया चरण-II का बजट ₹11,500 करोड़ था। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि, ई-बस नेटवर्क का विस्तार और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है।

FAME-II के अंतर्गत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन (जून 2025 तक)

वर्ग	समर्थित ईवी की संख्या
ई-2 व्हीलर्स	14,35,065
ई-3 व्हीलर्स	1,65,029
ई-4 व्हीलर्स	22,644
ई-बसों	5,165(6,862 स्वीकृत)
कुल	16,29,600

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो)

पीएलआई योजना, उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को बल दे रही है और घरेलू नवाचार को प्रमुखता दे रही है। सितंबर 2021 में शुरू की गई, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों (एएटी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹25,938 करोड़ का बजट लेकर आई है। मार्च 2025 तक, इस योजना ने ₹29,576 करोड़ का संचयी निवेश आकर्षित किया है और 44,987 (संख्या) रोज़गार सृजित किए हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश किया है। एक प्रमुख अनिवार्यता यह है कि प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए कंपनियों को कम से कम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) सुनिश्चित करना होगा।

उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना

बैटरियां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की धड़कन हैं और एसीसी पीएलआई योजना के साथ भारत अपने भविष्य को आंतरिक रूप से ऊर्जा प्रदान करने, आयात कम करने और घरेलू स्तर पर अत्याधुनिक ऊर्जा भंडारण क्षमताओं का निर्माण करने के लिए तैयार है। 2021 में शुरू की गई एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य ₹18,100 करोड़ के निवेश से भारत की बैटरी निर्माण क्षमता को 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरियों तक बढ़ाना है। फरवरी 2025 तक 40 गीगावाट घंटा आवंटित किए जा चुके हैं, जिसके तहत दो वर्षों के भीतर लाभार्थियों को प्रतिबद्ध क्षमता के प्रत्येक गीगावाट घंटा पर न्यूनतम ₹225 करोड़ का निवेश करना होगा और कम से कम 25% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) सुनिश्चित करना होगा, जिसे पांच वर्षों के भीतर 60% तक बढ़ाया जा सकेगा। यह पहल भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएम ई-ड्राइव

हालांकि ट्रक सड़क पर सभी वाहनों का केवल 3% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन जब प्रदूषण की बात आती है तो वे भारी मार करते हैं, कुल CO_2 उत्सर्जन का 34% और धूल, कालिख और धुएं जैसे पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन का चौंका देने वाला 53%। बसें भी, बेड़े का 1% से भी कम हिस्सा हैं, लेकिन उनका पर्यावरणीय पदचिह्न छोटे से बहुत दूर है, जो सभी CO_2 उत्सर्जन का लगभग 15% योगदान देता है। इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम-ईड्राइव) में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति, जिसे सितंबर 2024 में मंजूरी दी गई और मार्च 2028 तक लागू किया गया, शहरी वायु गुणवत्ता में सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए इस तरह के उत्सर्जन को रोकने के लिए एक केंद्रित धक्का है। इस योजना से 24.79 लाख ई-दोपहिया वाहन (₹1,772 करोड़ की सब्सिडी के साथ), 3.15 लाख ई-तिपहिया वाहन (₹907 करोड़ की सब्सिडी के साथ), 5,643 ई-ट्रक (₹500 करोड़, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सरकार की पहली प्रत्यक्ष प्रोत्साहन योजना), और ई-एम्बुलेंस (₹500 करोड़ की सब्सिडी) लाभान्वित हुए हैं। इस योजना ने जुलाई 2025 तक ₹4,391 करोड़ के वित्तपोषण के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को भी सहायता प्रदान की है।

भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई)

इलेक्ट्रिक कार निर्माण का वैश्विक केंद्र बनने का भारत का लक्ष्य एसपीएमईपीसीआई के साथ गति में लाया गया है, जिसे मार्च 2024 में अधिसूचित किया गया था। आवेदकों को कम से कम ₹4,150 करोड़ के निवेश के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, तीन वर्षों के भीतर 25% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) हासिल करना चाहिए, और पांच साल के अंत तक 50% डीवीए तक बढ़ाना चाहिए। एसपीएमईपीसीआई के लिए आवेदन पोर्टल 24 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, और यह 21 अक्टूबर 2025 तक खुला है। वैश्विक वाहन निर्माताओं को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए, यह योजना स्वीकृत आवेदकों को उनके आवेदन अनुमोदन की तारीख से शुरू होने वाले 15% की काफी कम सीमा शुल्क पर न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स (ई-4W) की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के आयात के लिए पांच साल की अवधि प्रदान करती है। यह योजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के साथ-साथ स्वच्छ-गतिशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीयकरण के साथ प्रोत्साहनों को जोड़ती है।



पीएम-ई-बस सेवा योजना

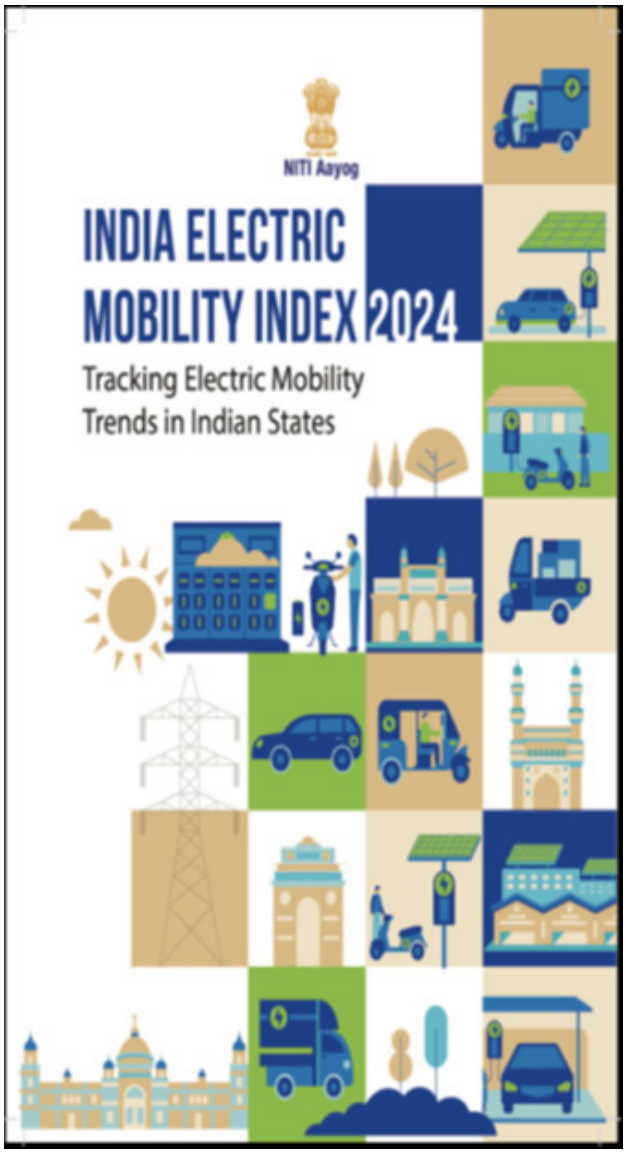
स्वच्छ शहरी यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पीएम ई-बस सेवा योजना भारत की सड़कों पर हजारों इलेक्ट्रिक बसें उतारकर सार्वजनिक परिवहन को नया रूप देने के लिए तैयार है, जिससे हर सवारी में आराम, कनेक्टिविटी और स्थिरता आएगी। सरकार ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2023 में यह योजना शुरू की थी। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ₹20,000 करोड़ के बजट के साथ, यह योजना शहरी यात्रा को अधिक स्वच्छ और कुशल बनाने पर केंद्रित है। पात्र शहरों में 3 से 40 लाख की आबादी वाले शहर, साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से कम निवासियों वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ शामिल हैं। अगस्त 2025 तक, 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 7,293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। इस विस्तार को समर्थन देने के लिए, 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में डिपो और बिजली बुनियादी ढांचे के लिए 1,062.74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रमुख सुविधाएं बनाने के लिए 475.44 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

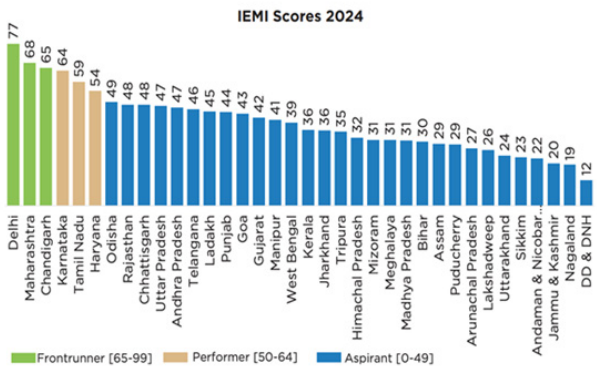
पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

इलेक्ट्रिक बसों के विकास को जारी रखते हुए, अक्टूबर 2024 में स्वीकृत ₹3,435.33 करोड़ की पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच पूरे भारत में 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है, जिनका संचालन उनकी तैनाती की तारीख से 12 वर्षों तक जारी रहेगा। इस योजना का उद्देश्य ई-बस संचालकों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करना है, और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में भुगतान सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है। पीएम ई-बस सेवा योजना, स्केलेबल इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सक्षम बनाकर और भुगतान सुरक्षा के माध्यम से परिचालन जोखिमों का समाधान करके भारत की शहरी गतिशीलता को भविष्य की ओर ले जाने का काम जारी रखे हुए है।

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)

भारत के स्वच्छ परिवहन भविष्य को आकार देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, नीति आयोग ने अगस्त 2025 में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) का अनावरण किया। यह एक अग्रणी उपकरण है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी महत्वाकांक्षाओं की प्रगति को ट्रैक, माप और तुलना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तरह का यह पहला ढाँचा न केवल उपलब्धियों का मानकीकरण करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक क्षेत्र विद्युतीकृत, टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र की राह पर कहाँ खड़ा है। IEMI स्कोर की गणना तीन मुख्य विषयों - परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की तैयारी, और EV अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति - के अंतर्गत 16 संकेतकों पर प्रदर्शन का आकलन करके की जाती है।





PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मील के पत्थर तय, कल के लिए ट्रैक

1. भारत हरित ऊर्जा और विद्युतीकरण की ओर संक्रमण में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। स्पष्ट दृष्टिकोण और निर्णायक लक्ष्यों के साथ, आगे का रोडमैप स्वच्छ वायु, मज़बूत बुनियादी ढाँचे और भविष्य के लिए तैयार परिवहन नेटवर्क की दिशा निर्धारित करता है।
2. भारत सरकार ने वैश्विक EV30@30 पहल के साथ तालमेल करते हुए 2030 तक 30% EV प्रवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. फरवरी 2025 तक, भारत में 389.77 मिलियन पंजीकृत वाहनों में से कुल 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं।
4. भारत ने महत्वाकांक्षी हरित क्षितिज पर अपनी दृष्टि स्थापित की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना है।
5. कम उत्सर्जन वाले भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में, भारत का लक्ष्य 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से नीचे लाना और अंततः 2070 तक शुद्ध-शून्य राष्ट्र में परिवर्तित होना है।

निष्कर्ष :

भारत में हरित गतिशीलता अब केवल एक आकांक्षा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो राष्ट्र की गति, साँस और विकास को नया रूप दे रहा है। भारत का हरित गतिशीलता अभियान परिवहन की कहानी को नए सिरे से लिख रहा है, इंजनों की गर्जना की जगह नवाचार की मधुर ध्वनि ले रहा है। शहर की सड़कों पर दौड़ती आकर्षक इलेक्ट्रिक बसों से लेकर चार्जिंग पॉइंट्स से सुसज्जित राजमार्गों तक, राष्ट्र एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जहाँ गति और स्थायित्व का मेल है। यह केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के बारे में है जहाँ यात्रा की गई प्रत्येक मील एक हल्का पदचिह्न और स्वच्छ हवा, स्वस्थ शहरों और एक ऐसे ग्रह की स्थायी विरासत छोड़े जो हमारी महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्यों से सही ढंग से मेल खाती है?

1. फेम-I - ईवी और चार्जिंग इंफ्रा को अपनाना
2. पीएलआई-एसीसी - उन्नत बैटरियों का घरेलू निर्माण
3. पीएम ई-बस सेवा - पीपीपी मॉडल के तहत ई-बसों की तैनाती

सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वैश्विक केंद्र में बदलने में FAME, PLI और PM E-Drive जैसी प्रमुख योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच के लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

(250 शब्द, 15 अंक)



विश्व हाथी दिवस 2025 : पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण बनाम संघर्ष

खबरों में क्यों



- हाल ही में 12 अगस्त, 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा तमिलनाडु के कोयंबटूर

में विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) का आयोजन किया गया।

- इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय "मानव-हाथी संघर्ष" पर केंद्रित रहा, जो वर्तमान में हाथियों के संरक्षण के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है।
- यह दिवस हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और लोगों में हाथियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

भारत में हाथी संरक्षण की स्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने में हाथियों महत्व :



1. भारत, विश्व के जंगली एशियाई हाथियों का घर है। यहाँ दुनिया के लगभग 60% हाथी पाए जाते हैं, जिनमें भारतीय हाथी की उप-प्रजाति विशेषकर भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस - Elephas maximus indicus) प्रमुख है।
2. हाथी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण संरक्षक हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का 'इंजीनियर' भी कहा जाता है क्योंकि ये बीज फैलाने, पौधों के पोषण चक्र को बनाए रखने और जलवायु संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. हाथी न केवल 'कीस्टोन प्रजाति' (जिसका अर्थ है कि ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करते हैं), बल्कि 'अम्ब्रेला प्रजाति' भी हैं, क्योंकि इनके संरक्षण से कई अन्य प्रजातियाँ भी सुरक्षित रहती हैं। इसके साथ ही ये 'फ्लैगशिप प्रजाति' के रूप में काम करते हैं, यानी संरक्षण अभियान का चेहरा हैं।
4. भारत में एशियाई हाथी मुख्य रूप से दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व और मध्य भारत के जंगलों में पाए जाते हैं।
5. वर्तमान में लगभग 28,000 से 30,000 हाथी चार बड़े क्षेत्रीय निवासों में फैले हुए हैं। इस वजह से इनके आवास और प्रवासन गलियारों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

हाथियों की संरक्षण की वर्तमान स्थिति :

1. एशियाई हाथी आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Vulnerable) प्रजाति के रूप में दर्ज हैं।
2. भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसूची I में रखा गया है, जो इसे उच्चतम संरक्षण स्तर प्रदान करता है।
3. इसके अतिरिक्त, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) के तहत हाथियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।



4. सन 1992 में केंद्र सरकार ने MoEF&CC के अंतर्गत प्रोजेक्ट एलीफेंट शुरू किया था।
5. इस योजना के तहत 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाथियों के संरक्षण, उनके आवासों की सुरक्षा, और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।
6. वर्तमान में यह योजना प्रोजेक्ट टाइगर के साथ विलय कर ' प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफेंट ' के नाम से संचालित हो रही है।

हाथी - मानव संघर्ष को कम करने के लिए नवीन संरक्षण प्रयास और तकनीक :

- हाथी-मानव संघर्ष को कम करने के लिए कई अभिनव तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इनमें से एक प्रोजेक्ट री-हैब

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा चलाया जा रहा है।

- इसमें मधुमक्खी के छत्ते का उपयोग किया जाता है। हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं, इसलिए उनके रास्ते में मधुमक्खी के बक्से रखकर हाथियों को गांवों और फसलों से दूर रखा जाता है।
- इससे न केवल हाथियों और मनुष्यों की जान बचती है, बल्कि किसानों को शहद बेचकर आय भी होती है।
- इसके अलावा, भूमि उपयोग, आवास के खंडित होने की निगरानी के लिए आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकें, जैसे उपग्रह डेटा और भूमि उपयोग/आवरण विश्लेषण, प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत उपयोग में लाई जा रही हैं।

भारत में हाथी संरक्षण की प्रमुख उपलब्धियां :

- भारत में जंगली हाथियों की आबादी पिछले कुछ दशकों में स्थिर या बढ़ी है। वर्ष 2007 में लगभग 27,700 के करीब थी, जो 2017 में बढ़कर लगभग 30,000 हो गई। इसके लिए 14 राज्यों में 33 हाथी अभयारण्यों की स्थापना की गई है, जो हाथियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। ये अभयारण्य न केवल हाथियों बल्कि अन्य वन्यजीवों के लिए भी सुरक्षित क्षेत्र हैं।
- इसके अतिरिक्त, 15 राज्यों में वन विभागों ने 150 से अधिक हाथी गलियारों की पहचान कर उनकी जमीन पर जांच-पड़ताल की है, जिससे खंडित आवासों को जोड़कर हाथियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

विश्व हाथी दिवस का मुख्य उद्देश्य और महत्व :

- विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।
- इसकी शुरुआत 2012 में कनाडा की पेट्रीशिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने की थी।
- इसका मकसद हाथियों के संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना है।
- विश्व हाथी दिवस के माध्यम से लाखों लोग हाथियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं और संरक्षण की मांग करते हैं।
- आज विश्व के 100 से अधिक संगठन इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

हाथियों से संबंधित कुछ रोचक तथ्य :

- हाथी तीन प्रमुख प्रजातियों में पाए जाते हैं: अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी, और एशियाई हाथी।
- अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े और महाद्वीप के आकार के समान होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के कान छोटे और भारतीय उपमहाद्वीप के आकार से मिलते-जुलते हैं।
- अफ्रीकी हाथियों की सूंड के सिर पर दो 'उंगलियां' होती हैं, जबकि एशियाई हाथियों की सूंड पर केवल एक 'उंगली' होती है।

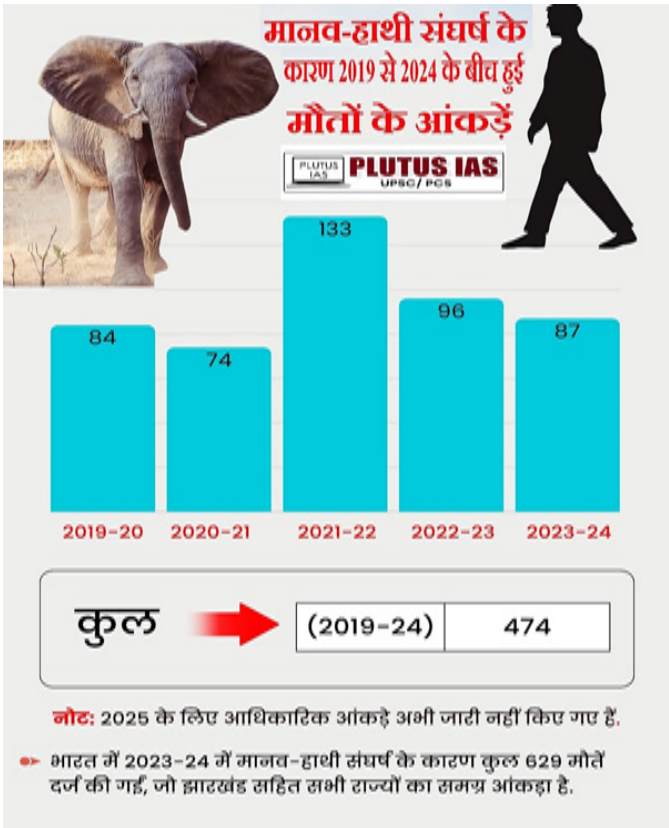


- दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जीव अफ्रीकी सवाना हाथी है।
- हाथी लगभग 65 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
- मादा हाथी लगभग 11 वर्ष की उम्र में यौवनावस्था में प्रवेश करती हैं और उनकी गर्भावस्था लगभग 22 महीने की होती है। वे 40 वर्ष की उम्र तक प्रजनन में सक्षम रहती हैं।
- हाथी सामाजिक प्राणी हैं जिनका परिवार मातृप्रधान होता है, जहाँ सबसे बुजुर्ग मादा परिवार की नेतृत्व करती है।
- उनकी दाँत को हाथीदांत कहा जाता है, जिसका अवैध व्यापार उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- हाथी संवाद के लिए ध्वनि, स्पर्श, गंध और यहां तक कि भूकंपीय कंपन का उपयोग करते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- पिछले सौ वर्षों में अफ्रीकी हाथियों की संख्या में 90% की कमी आ गई है, जबकि देश में एशियाई हाथियों की संख्या आधी से भी कम रह गई है।

भारत में हाथी संरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :



1. **हाथियों और ट्रेन के बीच होने वाली टक्कर :** वर्ष 2009 से 2024 के बीच खासकर असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में लगभग 186 हाथी ट्रेन की चपेट में आए हैं। इसके कारण रेलवे पटरियों का गलियारों से गुजरना, कम दृश्यता, तेज़ ट्रेन की रफ्तार और चेतावनी प्रणाली की कमी प्रमुख हैं।

2. **आवास विखंडन और उससे उत्पन्न हानि :** मानव बस्तियों के विस्तार, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास के कारण हाथियों के जंगल छोटे-छोटे खंडों में टूट गए हैं। इससे हाथी अपने पारंपरिक आवास और प्रवासन मार्ग खो रहे हैं।

3. **मानव और हाथियों के बीच होने वाले आपसी संघर्ष :** जब हाथियों का आवास सिकुड़ता है, तो वे गांवों और खेतों की ओर बढ़ते हैं, जिससे फसलें नष्ट होती हैं और मनुष्य तथा हाथी दोनों की जान जाती है। इस संघर्ष में हर साल लगभग 400-500 लोग और 60 से अधिक हाथी मरते हैं।

4. **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :** अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी चरम जलवायु घटनाओं के कारण हाथियों के प्राकृतिक जल और भोजन स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वे मानव बस्तियों के करीब आते हैं।

5. **हाथियों का अवैध शिकार :** हाथीदांत के अवैध व्यापार के कारण नर हाथियों का शिकार होता है, जिससे लिंगानुपात बिगड़ता है। इसके अलावा मांस, त्वचा, और पूँछ के बालों के लिए भी अवैध शिकार जारी है।

6. **बुनियादी ढांचे से उत्पन्न खतरे :** बिजली के नीचे लटकी तारों से करंट लगना, घातक फंदे या जाल और खुले कुओं में गिरने की घटनाएं हाथियों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। निष्कर्ष :

हाथियों के संरक्षण के लिए आगे / समाधान की राह :

1. **हाथियों और ट्रेन के बीच होने वाली टक्करों को रोकना :** रेलवे ट्रैक पर अंडरपास, ओवरपास, और घुसपैठ पहचान प्रणाली (IDS) लगाकर हाथियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। इससे ट्रेन चालकों को पूर्व चेतावनी मिल सकेगी।

2. **प्राकृतिक और तकनीकी उपायों से दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता :** खेतों के चारों ओर मिर्च पाउडर और इंजन तेल की फेंसिंग लगाना, और मधुमक्खी के छत्ते लगाकर हाथियों को फसलों से दूर रखना प्रभावी उपाय हैं। केला और नेपियर घास जैसी ट्रैप फसलें भी हाथियों को मुख्य फसलों से दूर रखने में मदद करती हैं।

3. **आवास संरक्षण की आवश्यकता :** भूमि अधिग्रहण रोकना, ग्रामसभा की सहमति से पुनर्वास करना और खंडित आवासों को जोड़ना आवश्यक है।

4. **हाथियों की गतिविधि की निगरानी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता :** GPS कॉलर ट्रैकिंग के जरिए हाथियों की गतिविधि की निगरानी कर सकते हैं। इससे प्रवासन मार्ग और संघर्ष क्षेत्र का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा।

5. **शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी की जरूरत :** स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करना, हाथी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और गैर-घातक संघर्ष प्रबंधन के प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है।

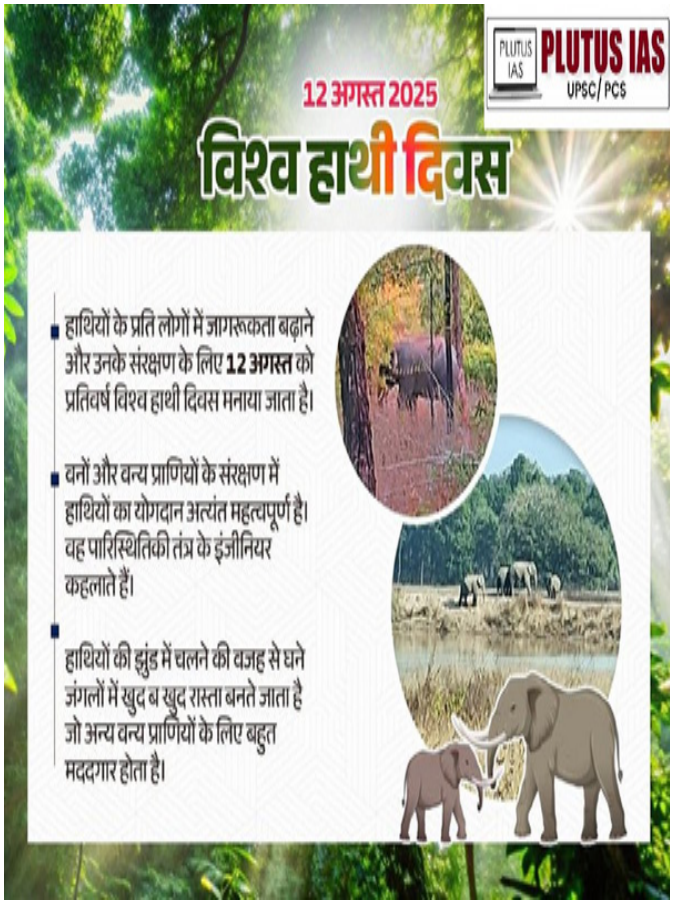
निष्कर्ष :

1. हाथियों का संरक्षण मात्र एक पारिस्थितिकीय प्रयास नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता का प्रतीक है। ये जीव न केवल वनों की आत्मा हैं, बल्कि उनके संरक्षण से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता मिलती है।

2. आज जब मानव गतिविधियों के चलते जंगल सिमट रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गहराते जा रहे हैं, ऐसे समय में हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष की घटनाएँ चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल नीतियों से नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से संभव है, जिसमें वैज्ञानिक योजना, नवाचार

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

आधारित समाधान, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और प्रभावी प्रशासनिक प्रतिबद्धता शामिल हो।



3. "जहाँ हाथी चलते हैं, वहाँ जंगल साँस लेते हैं।" यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—कि यदि हमने इन वनों के संरक्षकों को नहीं बचाया, तो पूरी पारिस्थितिक संरचना असंतुलित हो सकती है।

4. हाथियों के संरक्षण की दिशा में भारत ने कई सराहनीय पहल की हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आवासों की सुरक्षा, गलियारों की पुनर्स्थापना, अवैध शिकार की रोकथाम, और संघर्ष प्रबंधन के लिए तकनीकी और सामाजिक उपायों को एकीकृत करना अनिवार्य है।

5. हर साल मनाया जाने वाला विश्व हाथी दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि यह संरक्षण का कार्य केवल वन विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। यदि आज हम सतर्क और सक्रिय नहीं हुए, तो भविष्य में यह मौन संकट विकराल रूप ले सकता है।

6. हाथियों की गूंज सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की कहानी का हिस्सा है। इनकी रक्षा करके हम न केवल एक प्रजाति को बचाते हैं, बल्कि उस संतुलित संसार की रक्षा करते हैं जिसमें हम स्वयं भी जीवित रह सकते हैं।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन से उपाय अपनाए गए हैं?

1. प्रोजेक्ट एलीफेंट योजना
2. प्रोजेक्ट री-हैब योजना
3. हाथियों की सूंड की कटाई
4. हाथी गलियारों की पहचान और उसका संरक्षण

नीचे दिए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए :

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं D.उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. विश्व हाथी दिवस 2025 के संदर्भ में भारत में एशियाई हाथियों के संरक्षण से जुड़ी प्रमुख पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इसके साथ ही, उनके दीर्घकालिक अस्तित्व एवं जैव विविधता संतुलन के लिए प्रभावी संरक्षण रणनीतियों की चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ जैव विविधता संरक्षण की चुनौतियाँ

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत में पवन ऊर्जा विस्तार और पारिस्थितिकीय चुनौतियाँ से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो रहा है, और पवन ऊर्जा इसका एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है। वर्ष 2025 के मध्य तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 51.3 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है। यह उपलब्धि न केवल ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयासों को बल देती है, बल्कि इसके साथ कुछ नई और गंभीर पारिस्थितिकीय चिंताएँ भी सामने आ रही हैं। विशेष रूप से पक्षियों की मृत्यु दर और समुद्री जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर गहन मंथन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।



पवन ऊर्जा से पक्षियों पर पड़ने वाला प्रभाव :

1. **थार रेगिस्तान में पवन टर्बाइनों से पक्षियों की मृत्यु दर का चिंताजनक होना :** भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा थार मरुस्थल में किए गए एक अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि पवन टर्बाइनों से पक्षियों की मृत्यु दर चिंताजनक रूप से अधिक है। 90 टर्बाइनों की परिधि में 124 मृत पक्षी पाए गए, जिससे अनुमान लगाया गया कि प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हर वर्ष लगभग 4,464 पक्षियों की जान जाती है। यह आँकड़ा न केवल गंभीर है, बल्कि यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि पवन ऊर्जा के पर्यावरणीय प्रभावों को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता।

2. **संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए चुनौती :** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB), एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति, इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन रही है। यह विशाल पक्षी, जो थार के शुष्क घास के मैदानों में निवास करता है, उड़ते समय पवन टर्बाइनों से टकराने के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। इसी प्रकार, शिकार करने वाले रैप्टर भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी उड़ान ऊँचाई इन्हें टरबाइनों के पथ में ला देती है।

3. **प्रवासी पक्षियों की आवाजाही पर पड़ने वाला प्रभाव :** थार क्षेत्र मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) का हिस्सा है, जो एशिया और यूरोप के बीच प्रवासी पक्षियों का प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर पवन टर्बाइनों की उपस्थिति, पक्षियों के लिए एक अप्राकृतिक बाधा बनकर उभर रही है, जो उनके प्रवासन और आवास दोनों को प्रभावित करती है।

4. **विद्युत लाइनों से पक्षियों के प्रति उत्पन्न खतरा :** पवन ऊर्जा संयंत्रों के साथ जुड़ी विद्युत लाइनों से भी पक्षियों की मृत्यु होती है। ये लाइनें विशेष रूप से GIB जैसे बड़े पक्षियों के लिए खतरनाक हैं, जो उड़ान के दौरान इनसे टकराकर मारे जाते हैं। यह एक ऐसा पहलू है, जिसे पहले के कई पर्यावरणीय आकलनों में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

5. **निगरानी और आकलन की कमी होना :** भारत में तटीय और थल पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, बिना समुचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के कई परियोजनाएँ पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित हो जाती हैं।

अपतटीय पवन ऊर्जा का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर :

1. **समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा :** अपतटीय पवन फार्म ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं जो कई समुद्री प्रजातियों के प्रजनन स्थल हैं, जैसे मछलियाँ, कछुए, डॉल्फ़िन और समुद्री स्तनधारी। इन स्थानों में अवांछनीय हस्तक्षेप जैव विविधता के लिए विनाशकारी हो सकता है।

2. **निर्माण गतिविधियाँ और ध्वनि प्रदूषण :** पाइलिंग और ड्रेजिंग जैसी गतिविधियाँ पानी के भीतर अत्यधिक शोर उत्पन्न करती हैं। यह शोर डॉल्फ़िन और व्हेल जैसी प्रजातियों की इकोलोकेशन क्षमता को बाधित करता है, जिससे उनकी संचार और मार्गदर्शन प्रणाली प्रभावित होती है।

3. **प्रदूषण और रिसाव का समुद्री पारिस्थितिकी पर पड़ने वाला दीर्घकालिक प्रभाव :** टरबाइनों और उनकी सहायक गतिविधियों में उपयोग होने वाले ईंधन और स्नेहक के रिसाव का खतरा हमेशा बना रहता है। यह रिसाव समुद्री पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है।

4. **महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक कारकों की अनदेखी करना :** हाल ही में खंभात की खाड़ी में एक अपतटीय पवन फार्म के लिये की गई EIA रिपोर्ट में डॉल्फिन, शार्क और समुद्री सरीसृप की उपस्थिति तो दर्ज की गई, लेकिन इनकी पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता और परिचालन प्रभावों को बहुत ही कम करके आँका गया।

5. **तकनीकी और संरचनात्मक चुनौतियाँ :** गहरे समुद्र में पवन टर्बाइनों की स्थापना भारत के लिये अब भी एक चुनौती है, क्योंकि न तो तकनीकी विशेषज्ञता पर्याप्त है और न ही समुद्री परिस्थितियों में संचालन का अनुभव। इससे टर्बाइनों की स्थिरता और रखरखाव पर असर पड़ सकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में पवन ऊर्जा की वर्तमान स्थिति :

- जून 2025 तक, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा की भागीदारी 21.78% रही।
- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के अनुसार, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है।
- वर्ष 2014 में जहाँ भारत की पवन क्षमता लगभग 21 GW थी, वहीं जून 2025 तक यह 51.3 GW तक पहुँच चुकी है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार, भारत में 150 मीटर ऊँचाई पर 1164 GW की संभावित पवन ऊर्जा क्षमता है।
- यह आँकड़े भारत में पवन ऊर्जा के अपार भविष्य की ओर संकेत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि इसका विकास स्थायी और पर्यावरण-सम्मत तरीके से हो।

समाधान की राह :

1. **संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण और ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग करने की जरूरत :** बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा विकसित AVISTEP (Avian Sensitivity Tool for Energy Planning) जैसे ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग करके पवन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जा सकता है। इससे पक्षियों के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके "नो-गो जोन" निर्धारित किए जा सकते हैं।
2. **नवीकरणीय परियोजनाओं की क्षेत्रीय योजना बनाने की आवश्यकता :** दीर्घकालिक डेटा, उपग्रह ट्रैकिंग और संरक्षण अनुसंधान के आधार पर नवीकरणीय परियोजनाओं की क्षेत्रीय योजना बनाई जानी चाहिए। विशेष रूप से GIB के आवास क्षेत्रों में, बिजली लाइनों को भूमिगत करने या वैकल्पिक मार्ग अपनाने जैसी रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।
3. **संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को अपनाने एवं प्रोत्साहित करने की जरूरत :** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए "जंप-स्टार्ट" पद्धति के तहत अंडों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर, वहाँ चूजों को पालना एक व्यावहारिक रणनीति है, जिसे राजस्थान में अपनाया गया है।
4. **प्रौद्योगिकीय समाधान :** पवन टरबाइन ब्लेड को रंगने से पक्षियों को उन्हें देखने में मदद मिलती है, जिससे टक्कर की संभावना कम होती है। प्रवास के समय टरबाइनों को अस्थायी रूप से बंद करना भी पक्षी-संरक्षण की दृष्टि से लाभकारी हो सकता है।
5. **सभी पवन परियोजनाओं में EIA अनिवार्यता सुनिश्चित करने की जरूरत :** सिर्फ अपतटीय ही नहीं, बल्कि सभी भूमि आधारित पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी EIA को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि इनके प्रभावों का समय रहते मूल्यांकन हो सके।
6. **एकीकृत ऊर्जा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत :** पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ जोड़कर न केवल ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि 24x7 बिजली आपूर्ति का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है।
7. **वैज्ञानिक अध्ययन के साथ निरंतर निगरानी और अनुसंधान पर जोर देने की जरूरत :** पवन ऊर्जा का जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव समझने के लिए थार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी और वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हैं। इससे भविष्य में नीतिगत निर्णयों को अधिक पारिस्थितिकी-समर्थ बनाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष :

- भारत में पवन ऊर्जा का विस्तार निस्संदेह जलवायु संकट से निपटने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन इस प्रगति की राह में पारिस्थितिकीय चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- देश में जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय चुनौतियों के संदर्भ में विशेष रूप से पक्षियों और समुद्री जीवन पर इसके प्रभावों को गंभीरता से लेते हुए नीति-निर्माताओं को ऐसा संतुलन बनाना होगा, जहाँ विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ-साथ चलें।
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में वैज्ञानिक अनुसंधान, क्षेत्रीय पारिस्थितिकी की समझ और सतत निगरानी के लिए यह आवश्यक है कि इसे केंद्रीय स्थान दिया जाए। तभी भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए जैव विविधता की रक्षा भी सुनिश्चित कर सकेगा और यही सतत विकास की सच्ची दिशा होगी।
- भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और पारिस्थितिकीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके लिए कुछ व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपायों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में पवन ऊर्जा विस्तार को पारिस्थितिकीय रूप से अधिक अनुकूल बनाने के लिए किन उपायों की सिफारिश की गई है?

1. सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य करना।
2. AVISTEP जैसे टूल्स का उपयोग करके उपयुक्त स्थानों का चयन।
3. केवल समुद्र में टरबाइन लगाना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. एकीकृत ऊर्जा दृष्टिकोण को अपनाना।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए :

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि भारत में पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार के कारण विशेषकर पक्षियों और समुद्री जैव विविधता पर इसके प्रभाव के संदर्भ से जुड़ी प्रमुख पारिस्थितिकीय चुनौतियाँ क्या हैं, और इनके समाधान के लिए कौन-से वैज्ञानिक और नीति-आधारित उपाय आवश्यक हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





इतिहास, कला एवं संस्कृति

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) : जनजातीय सशक्तिकरण और समावेशी भारत की ओर एक निर्णायक पहल

ख़बरों में क्यों?



- हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA), जिसे "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के नाम से भी जाना जाता है, भारत का अब तक का सबसे व्यापक और समग्र जनजातीय विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हज़ारीबाग से की गई थी।
- यह अभियान अनुसूचित जनजातियों (STs) के समावेशी, अधिकार-आधारित और टिकाऊ एवं सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
- इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय और मुख्यधारा समाज के बीच मौजूद सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना और शहरी-ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास में संतुलन स्थापित करना है।
- PM-JUGA जनजातीय समाज को भारत की विकास यात्रा का सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि और औचित्य :

1. **ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा का शिकार होना :** जनजातीय क्षेत्रों को ऐतिहासिक रूप से नीति-निर्माण की मुख्यधारा से बाहर रखा गया, जिससे ये क्षेत्र संसाधनों की भारी कमी, शासन की उदासीनता और योजनागत उपेक्षा के चलते सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए।
2. **भौगोलिक अलगाव :** अधिकांश जनजातीय गाँव दुर्गम, पर्वतीय या वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, संचार और बाज़ार जैसी बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच अत्यंत सीमित है।
3. **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा का होना :** आवास, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सामुदायिक भवन जैसे बुनियादी ढांचे की स्थिति आज भी जनजातीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में बेहद दयनीय बनी हुई है।
4. **बहुआयामी गरीबी :** NFHS और नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जैसे आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जनजातीय समुदायों को अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की कमी, और स्वास्थ्य समस्याओं का अनुपातिक रूप से अधिक सामना करना पड़ता है।
5. **प्रधानमंत्री का 2021 दृष्टिकोण :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा कि जनजातीय और तटीय क्षेत्र भारत के भविष्य के विकास इंजन बनेंगे, जिससे इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता रेखांकित हुई।
6. **एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता :** पहले की बिखरी हुई योजनाओं का प्रभाव सीमित रहा है। इसलिए अब एक समन्वित, बहु-मंत्रालयीय और मिशन मोड रणनीति अपनाना आवश्यक हो गया है, जिससे योजनाओं का समेकित प्रभाव ज़मीन पर दिखाई दे।
7. **PM JANMAN पर आधारित विस्तार :** यह मिशन 2023 में शुरू हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) का विस्तार है। जहां JANMAN विशेष रूप से PVTGs पर केंद्रित था, वहीं PM-JUGA का दायरा सभी अनुसूचित जनजातियों तक विस्तारित किया गया है।

8. **SDGs और विकसित भारत @2047 के के अनुरूप होना :** यह अभियान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और भारत के विकसित भारत@2047 दृष्टिकोण से पूर्णतः मेल खाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जनजातीय समुदाय विकास की मुख्यधारा से वंचित न रह जाए।

PM-JUGA की प्रमुख विशेषताएँ :

विशेषता	विवरण
शुभारंभ	2 अक्टूबर 2024, हज़ारीबाग, झारखंड
कुल बजट	₹79,156 करोड़ केंद्र: ₹56,333 करोड़ राज्य: ₹22,823 करोड़
कवरेज	63,000 गाँव, 549 ज़िलों में (भारत के 71% भूभाग में)
लाभार्थी	5 करोड़ जनजातीय नागरिक (जनजातीय बहुल और आकांक्षी ज़िलों में)
लाभ के लिए पात्र गाँव	500+ जनसंख्या और 50% से अधिक ST आबादी वाले गाँव या आकांक्षी ज़िलों में ऐसे गाँव जहाँ कम से कम 50 ST निवासी हों
क्रियान्वयन मंत्रालय	17 केंद्रीय मंत्रालयों का समन्वित प्रयास
वैकल्पिक नाम	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

प्रमुख घटक और हस्तक्षेप :

घटक	प्रमुख हस्तक्षेप
आवास एवं बुनियादी ढांचा	20 लाख पक्के घर (PM Awas Yojana), 25,000 किमी सड़क (PMGSY)
ऊर्जा एवं स्वच्छ ईंधन	2.35 लाख घरों में बिजली, 25 लाख LPG कनेक्शन (PM Ujjwala)
शिक्षा	आश्रम स्कूलों और हॉस्टलों का उन्नयन, 1,000 नए जनजातीय हॉस्टल
स्वास्थ्य एवं पोषण	1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 8,000 आंगनवाड़ी (2,000 नए, 6,000 उन्नयन), 700 पोषण वाटिकाएँ
जल एवं स्वच्छता	सभी पात्र गाँवों में नल जल (Jal Jeevan Mission), 5,000 दूरस्थ बस्तियों पर विशेष ध्यान
डिजिटल समावेशन	5,000 गाँवों में ब्रॉडबैंड (BharatNet), आधार, DigiLocker, UPI एकीकरण
आजिविका एवं रोजगार	10,000 मछलीपालन समूह, 8,500 पशुपालन सहायता, 1,000 ट्राइबल होमस्टे, 1,000 वन धन केंद्रों का प्रशिक्षण
बाजार और स्वास्थ्य	ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर, सिकल सेल उपचार इकाइयाँ, श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले ज़िलों को प्रोत्साहन

शासन सुधार एवं सशक्तिकरण :

क्षेत्र	प्रमुख उपाय
स्थानीय शासन सशक्तिकरण	ग्राम सभाओं का प्रशिक्षण (पंचायती राज मंत्रालय)
कानूनी सशक्तिकरण	वन अधिकार अधिनियम (FRA) के दावों की त्वरित प्रक्रिया
लोकतांत्रिक सशक्तिकरण	स्थानीय नेतृत्व और जनजातीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	ई-गवर्नेंस, शिकायत निवारण प्रणाली, डिजिटल ट्रैकिंग
सामुदायिक भागीदारी	योजनाओं की योजना, बजट और निगरानी में जनता की भागीदारी
परंपरागत संस्थानों की मान्यता	जनजातीय पारंपरिक प्रणालियों का समर्थन एवं आधिकारिक रूप से मान्यता

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PM-JUGA का महत्व :

1. **समग्र और एकीकृत विकास मिशन को जनजातीय क्षेत्रों तक पहुँचाना :** यह मिशन पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, आजीविका, डिजिटल समावेशन और सुशासन को एकीकृत रूप में जनजातीय क्षेत्रों तक पहुँचाता है।

2. **राष्ट्रीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति :** "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना को धरातल पर उतारते हुए यह अभियान समावेशी और न्यायसंगत विकास का प्रतीक के रूप में कार्य करता है।

3. **संस्कृति-संरक्षण के साथ मुख्यधारा में समावेश करने में सहायक :** यह मिशन जनजातीय समुदायों को राष्ट्रीय विकास यात्रा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और जीवनशैली की रक्षा करता है।

4. **सहकारी संघवाद की मिसाल :** यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग को मजबूती प्रदान कर यह अभियान संघीय ढांचे को अधिक समावेशी बनाता है।

5. **डाटा-आधारित और मिशन मोड कार्यान्वयन के द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करना :** इसमें रीयल-टाइम डेटा निगरानी, तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म और बहु-मंत्रालयीय समन्वय के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

6. **ग्रामीण-जनजातीय विकास अंतर को पाटने में सहायक होना :** दूरस्थ और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में लक्षित निवेश के ज़रिए यह मिशन क्षेत्रीय विषमताओं को कम करता है और संतुलित विकास को बढ़ावा देता है।

7. **विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की परिकल्पना को साकार करने में सहायक :** यह अभियान सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायक है।

8. **सतत एवं अधिकार-आधारित विकास मॉडल और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक :** यह मिशन वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे कानूनी प्रावधानों के तहत भूमि और संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करते हुए समुदाय-आधारित, सहभागी और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष :

1. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) भारत की जनजातीय नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह अभियान अब तक की असंगठित और सीमित प्रभाव वाली योजनाओं के स्थान पर एक समन्वित, मिशन-मोड दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें 17 मंत्रालयों की सहभागिता से 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों को लक्षित किया गया है।
2. इस मिशन का उद्देश्य केवल बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जनजातीय समुदायों को विकसित भारत@2047 की परिकल्पना में समान और सम्मानजनक भागीदारी देना भी है।
3. यह अभियान अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, डिजिटल समावेशन और शासन सुधार के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है।
4. अधिकार-आधारित और सामुदायिक भागीदारी की भावना के साथ संचालित यह पहल भारत के जनजातीय समाज को सशक्त बनाते हुए उन्हें देश की मुख्यधारा में समाहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) न केवल विकास का साधन है, बल्कि यह जनजातीय समुदायों के लिए आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और न्याय की एक नई आशा भी है।

स्त्रोत - डी.डी. न्यूज।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2024 में शुरू किया गया और यह केवल विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को कवर/शामिल करता है।
2. इसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गाँवों में आवास, बिजली, शिक्षा और आजीविका प्रदान करना है।
3. इसे केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए :

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2

C. केवल 1 और 3 D. केवल 2 और 3

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) भारत की जनजातीय नीति में कल्याण से सशक्तिकरण की दिशा में बदलाव का प्रतीक है। इस मिशन की प्रमुख

विशेषताओं, महत्त्व और समावेशी एवं सतत जनजातीय विकास में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत : 'मेड इन इंडिया से मेड फॉर इंडिया' तक

खबरों में क्यों?



- हाल ही में 7 अगस्त 2025 को ' राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 ' मनाया गया।
- भारत हर वर्ष 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के रूप में मनाता है। यह दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 के दिन ही हुई थी।
- यह आंदोलन भारतीयों द्वारा ब्रिटिश शासन के आर्थिक व सांस्कृतिक वर्चस्व के विरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण प्रतिरोध था। इसमें हथकरघा उद्योग और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य :

- बंगाल विभाजन (1905) : ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को धार्मिक आधार पर पूर्वी (मुस्लिम बहुल) और पश्चिमी (हिंदू बहुल) हिस्सों में बाँटने का निर्णय लिया। यह राष्ट्रवादी एकता को तोड़ने की साजिश मानी गई।
- लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ : कर्जन द्वारा लागू दमनकारी नीतियाँ, जैसे कलकत्ता निगम सुधार और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904), जो भारत के मध्यम वर्ग के असंतोष और रोष का मुख्य कारण था।
- कलकत्ता टाउन हॉल बैठक (अगस्त 1905) : इसी बैठक में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ। इसमें लोगों से ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया गया था।



स्वदेशी आंदोलन : प्रमुख रणनीतियाँ और आधुनिक संदर्भ

स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख कार्यप्रणालियाँ :

1. **ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को प्रोत्साहन :** ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नींव को कमजोर करने के उद्देश्य से भारतीय जनता को विदेशी वस्त्रों व उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। इसके स्थान पर स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित घरेलू उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल मिला।
2. **राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना :** विदेशी शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के परिणामस्वरूप भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक आत्मा पर आधारित वैकल्पिक शैक्षिक संस्थानों की नींव रखी गई।
3. **छात्रों में स्वदेशी शिक्षा की ओर झुकाव होना :** सन 1905 के कार्लाइल सर्कुलर में आंदोलनरत छात्रों की छात्रवृत्तियाँ रद्द करने की धमकी दी गई, जिससे छात्रों में स्वदेशी शिक्षा की ओर झुकाव बढ़ा। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई, जिसने बंगाल नेशनल कॉलेज एवं बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **स्वयंसेवी संगठनों व समितियों का गठन :** स्वदेशी विचारधारा को जनसामान्य तक पहुँचाने हेतु अनेक समितियाँ एवं संगठन गठित किए गए। बारिसल की 'स्वदेश बंधु समिति' अश्विनी कुमार दत्ता के नेतृत्व में, एक प्रभावशाली जनआंदोलन का केंद्र बनी।

5. **लोक-उत्सवों का उपयोग जनजागरण के माध्यम के रूप में :** गणपति उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का प्रयोग राष्ट्रवाद और स्वदेशी चेतना को फैलाने हेतु किया गया। 1905 में रवींद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को हिन्दू-मुस्लिम एकता और बंगाल विभाजन के विरोध के प्रतीक रूप में प्रयोग किया।

6. **आत्मबल और सामाजिक सुधार :** स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का भी माध्यम बना। आंदोलन ने 'आत्म शक्ति' (स्वबल) का संदेश दिया और जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, दहेज, नशाखोरी जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध चेतना जागृत की।

स्वदेशी आंदोलन के विभिन्न चरण :



- **उदारवादी चरण :** प्रारंभिक दौर में आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों जैसे याचिकाएँ देना, शांतिपूर्ण सभाएँ करना और सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देना जैसे तरीकों पर आधारित था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने आत्मनिर्भरता की भावना को बल देते हुए स्वदेशी को अपनाने का आग्रह किया।

- **क्रांतिकारी या उग्रवादी चरण :** भारत के स्वतंत्रता - संग्राम में जब शांतिपूर्ण उपायों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो इसके नेतृत्वकर्ताओं द्वारा प्रतिरोधात्मक रुख अपनाया जाने लगा। लाल-बाल-पाल (बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल) ने सविनय अवज्ञा, बहिष्कार और स्वशासन की माँग को तीव्र किया। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ-साथ, सशस्त्र संघर्ष के विकल्प को भी समर्थन दिया।

समकालीन भारत में स्वदेशी आंदोलन की प्रासंगिकता :

1. **'आत्मनिर्भर भारत' अभियान :** वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किया गया यह मिशन स्वदेशी आंदोलन की भावना का आधुनिक पुनरुपयोग है। महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना लगभग 20 लाख करोड़ रुपए (GDP का ~10%) के प्रोत्साहन के साथ प्रारंभ हुई। 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल फॉर ग्लोबल' जैसे नारों के माध्यम से भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।

2. **'मेक इन इंडिया' पहल :** यह पहल घरेलू निर्माण को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु आरंभ की गई थी। वर्ष 2015 में FDI जहाँ 45 अरब डॉलर था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 81.04 अरब डॉलर हो गया। निर्यात भी 2024 में 437 अरब डॉलर तक पहुँच गया। भारत अब दुनिया का 60% टीका उत्पादन करता है। भारतीय रक्षा उत्पादों (जैसे 'मेड इन बिहार' जूते) का उपयोग रूसी सेना तक में किया जा रहा है।

3. **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (PLI) :** PLI योजनाओं के तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों को निर्यातोन्मुखी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

4. **खादी और ग्रामोद्योग का पुनरुत्थान :** खादी, जो गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक रही है, आज भी रोज़गार, स्वावलंबन और सांस्कृतिक चेतना का माध्यम है। वर्ष 2013 से 2025 तक KVIC के उत्पादन में 347%, बिक्री में 447% और रोजगार में 49% की वृद्धि दर्ज की गई।

5. **आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद को प्राथमिकता देना :** भारत अब आयात प्रतिस्थापन, शुल्क संरक्षण, और देशी कंपनियों के लिए नीतिगत समर्थन जैसे उपायों को अपनाकर घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता दे रहा है।

परंपरा और नवाचार का संगम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस :

- भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा बुनकरों और उनके योगदान को सम्मान देना है। इस दिन को वर्ष 2015 में भारत सरकार ने औपचारिक मान्यता दी थी, ताकि हथकरघा उद्योग की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका को व्यापक रूप से रेखांकित किया जा सके।

- 2025 की थीम : "हथकरघा – महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण" है।

- वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की विषयवस्तु, "परंपरा में नवाचार को बुनना (Weaving Innovation into Tradition)" और "हथकरघा – महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण", महिला बुनकरों की अहम भूमिका को उजागर करती है। ये महिलाएँ न केवल पारंपरिक कलाओं को जीवित रख रही हैं, बल्कि अपने परिवारों और समाज के आर्थिक उत्थान में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में हथकरघा क्षेत्र का महत्त्व :

- रोज़गार और स्वावलंबन का साधन : हथकरघा उद्योग भारत का सबसे बड़ा पारंपरिक कुटीर उद्योग है, जिसमें 35 लाख से अधिक

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कारीगर संलग्न हैं। इन श्रमिकों में एक बड़ी संख्या – लगभग 72% महिलाएँ – हैं, जिन्हें इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है।

- पर्यावरणीय और सांस्कृतिक स्थिरता : यह क्षेत्र सतत विकास और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी उत्पादन का प्रतीक है। हथकरघा वस्त्र न केवल जैविक और टिकाऊ होते हैं, बल्कि वे भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी बने हुए हैं।
- वैश्विक स्तर पर पहचान : भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हथकरघा उत्पादक है, और वैश्विक उत्पादन का लगभग 95% हिस्सा भारत से आता है। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख हथकरघा उत्पादों में चटाइयाँ, कालीन, रग्स, बेडशीट्स, कुशन कवर और सिल्क स्कार्फ शामिल हैं।
- FY 2023 में भारत ने लगभग 10.94 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया था। FY 2024 में यह निर्यात 20 से अधिक देशों को हुआ, जिसमें अमेरिका प्रमुख आयातक रहा, उसके बाद यूएई, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली प्रमुख बाजार रहे।

हथकरघा क्षेत्र के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलें :

1. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) :** यह कार्यक्रम बुनकरों को डिज़ाइन सहायता, कच्चा माल, विपणन सहयोग, तकनीकी उन्नयन और बुनियादी संरचना प्रदान करता है, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो।
2. **कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS) :** इस योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण धागे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, साथ ही माल भाड़ा अनुदान और 15% धागा सब्सिडी से बुनकरों को पावरलूम उद्योग के समकक्ष प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है।
3. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) :** बुनकरों को छोटे और मध्यम ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोज़गार की ओर प्रोत्साहित किया जाता है।
4. **वर्कशेड योजना :** बुनकरों के घरों के निकट परिवार-आधारित कार्यस्थल तैयार किए जाते हैं। योजना के तहत पात्र बुनकरों को 75% से लेकर 100% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
5. **भौगोलिक संकेत (GI) संरक्षण :** देशभर के 104 हथकरघा उत्पादों को GI टैग प्रदान कर उनकी पारंपरिकता और विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण दिया गया है।
6. **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जुड़ाव :** लगभग 1.8 लाख बुनकर GeM पोर्टल से जुड़कर अपने उत्पादों को सरकारी खरीद के लिए उपलब्ध करा चुके हैं, जिससे उनके उत्पादों को व्यापक बाज़ार मिला है।
7. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ :** बुनकर समुदाय के लिए PMJJY, PMSBY और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (MGBBY) के माध्यम से बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं।

निष्कर्ष :



- स्वदेशी आंदोलन महज़ एक ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं था, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक न्याय का एक जीवंत प्रतीक था।
- आज जब भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो पारंपरिक उद्योगों, विशेषकर हथकरघा जैसे क्षेत्रों का संरक्षण केवल सांस्कृतिक उत्तराधिकार की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह आर्थिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल बुनकरों के सम्मान का दिवस नहीं है, बल्कि यह हमारी उस साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो स्थानीय कौशल, महिला नेतृत्व, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण को आगे बढ़ाती है।
- आज आवश्यकता है कि पारंपरिक हथकरघा उद्योग को आधुनिक डिज़ाइन, तकनीकी नवाचार और प्रभावी नीतियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे यह एक समावेशी और सतत् आर्थिक मॉडल का आधार बन सके।
- हथकरघा केवल वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा है—जो हमारे अतीत की गौरवशाली परंपरा और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ता है।
- यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि आर्थिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वाभिमान और पर्यावरणीय संतुलन जैसे आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने वे स्वदेशी आंदोलन के दौर में थे। हमें इस अमूल्य विरासत को संरक्षित ही नहीं, बल्कि सशक्त बनाकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में स्वदेशी आंदोलन की किन-किन मूल अवधारणाओं को समाहित किया गया है?

1. विदेशी निवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करना
2. 'वोकल फॉर लोकल' योजना का आह्वान करना
3. घरेलू विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना
4. भारतीय उत्पादों का वैश्विक स्तर पर प्रचार करना

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें:

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमे से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उससे संबंधित प्रमुख रणनीतियों एवं समकालीन भारत में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता की चर्चा करते हुए 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के संदर्भ में भारत में हथकरघा उद्योग की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers



Many more.....

Best UPSC Faculties in India



Dr. Hardeep Singh IAS (Retd.)



Dr. Ghanshyam Singh (HCS allied services)



Dr. Raju Narayana Swamy (Principal Secretary | IAS | AIR 1 | honorary)



Dr. Huma Hassan (Anthropology & Sociology optional)



Prateek Tripathi (Economic & Physics Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com	www.onlinekhanmarket.com	www.examophobia.com	www.amazon.in
Flipkart	Onlinekhanmarket	Examophobia	Amazon

Corporate Office:

917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005
Basement - 8 Apsara Arcade, Karolbagh metro station Gate no. 6, New Delhi 110005
C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301

https://www.instagram.com/__plutusias/ https://www.facebook.com/PlutusIAS/ https://www.youtube.com/@plutusias